



आर्थिक समीक्षा 2014-15

खण्ड II

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
आर्थिक कार्य विभाग
आर्थिक प्रभाग
फरवरी, 2015

विषय सूची

1. भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति-सिहांवलोकन

- 1 विकास का हालिया वृत्तांत
- 7 सकल मांग
- 11 योजित सकल कीमत में कारक शेयर
- 12 प्रति व्यक्ति आय
- 12 सरकारी वित्त
- 13 कीमतें और मौद्रिक प्रबंधन
- 14 वैदेशिक क्षेत्र
- 17 2015-16 हेतु नज़रिए
- 17 क्षेत्र संबंधी गतिविधियां

2. लोक वित्त

- 25 2014-15 हेतु राजकोषीय नीति
- 25 ऋणेतर प्राप्तियां
- 26 कर राजस्व
- 29 संग्रहण दर
- 29 कर व्यय
- 31 कर-भिन्न राजस्व
- 31 ऋण-भिन्न पूँजी प्राप्तियां
- 32 व्यय में प्रवृत्तियां
- 32 आयोजना व्यय
- 33 आयोजना भिन्न व्यय
- 33 सब्सिडियां
- 35 ब्याज अदायगियां
- 35 वर्ष 2014-15 के बजट अनुमान की तुलना में वर्ष 2014-15 के अनंतिम परिणाम
- 36 सरकारी ऋण
- 37 केन्द्रीय सरकार के विभागीय उद्यमों का कार्य निष्पादन
- 37 राज्यों का राजकोषीय निष्पादन
- 38 समेकित सामान्य सरकार
- 38 संभावनाएं

3. मौद्रिक प्रबंधन और वित्तीय मध्यस्थता

- 39 वर्ष 2014-15 के दौरान मौद्रिक घटनाक्रम
- 39 मौद्रिक संग्रहणों में प्रवृत्ति
- 40 नकदी प्रबन्धन
- 41 नकदी स्थितियां
- 42 सरकारी प्रतिभूति बाजार में घटनाक्रम
- 43 बैंक ऋण
- 45 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का कार्य-निष्पादन
- 45 वित्तीय समावेशन
- 46 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां
- 46 पूँजी बाजार में घटनाक्रम
- 48 बीमा क्षेत्र
- 48 पेंशन क्षेत्र

4	वैदेशिक क्षेत्र
50	वैश्विक आर्थिक वातावरण
51	भारतीय व्यापारिक माल व्यापार
57	व्यापार नीति
58	विश्व व्यापार संगठन वार्ताएं और भारत
60	भुगतान संतुलन संबंधी गतिविधियां
62	विदेशी मुद्रा भंडार
63	विनिमय दर
65	विदेशी ऋण
5	मूल्य, कृषि और खाद्य प्रबंधन
69	डब्ल्यूपीआई और सीपीआई मुद्रास्फीति के रूझान
72	कारक जिनसे मुद्रास्फीति में नरमी आती है
75	गृहस्थी संबंधी मुद्रास्फीति की संभावना
75	कृषि और खाद्य प्रबंधन
76	कृषि क्षेत्र का सिंहावलोकन
77	क्षेत्र, उत्पादन और उपज
78	वृद्धि के प्रेरक
82	सरकार की प्रमुख योजनाएं
82	प्रगतिशीलता और अनुकूलता
82	सहबद्ध क्षेत्रः पशुपालन, दुग्ध उत्पादन और मत्स्य पालन
83	खाद्य प्रबंधन
87	कृषि-विपणन सुधार
87	वस्तु वायदा बाज़ार
88	व्यापार नीति
89	कृषि व्यापार
89	संभावनाएं और चुनौतियां
6	औद्योगिक, कारपोरेट और अवसंरचना निष्पादन
90	आईआईपी आधारित औद्योगिक निष्पादन
92	संशोधित स.घ.ड. के अनुमानों पर आधारित औद्योगिक क्षेत्र का निष्पादन
93	आठ मुख्य उद्योगों का कार्य निष्पादन
93	भारत और विश्व विनिर्माण की तुलनात्मक स्थिति
94	कारपोरेट क्षेत्र का निष्पादन
94	औद्योगिक क्षेत्र में सकल पूँजी निर्माण
95	औद्योगिक क्षेत्रों को ऋण का प्रवाह
95	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र
96	केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम
96	प्रत्यक्ष विदेशी निवेश
97	अवसंरचना क्षेत्र का कार्य निष्पादन-विशिष्ट क्षेत्र
97	विद्युत
98	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस
99	नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा
99	कोयला
100	खनिज
101	रेलवे

102	सड़कें
103	नागर विमानन
104	पत्तन
104	दूरसंचार
105	शहरी अवसंरचना
7	सेवा क्षेत्र
106	अंतर्राष्ट्रीय तुलना
107	भारत का सेवा क्षेत्र
107	सेवा स.घ.उ. और सकल पूँजी निर्माण
109	सेवाओं की राज्य-वार तुलना
109	भारत के सेवा क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश
110	भारत का सेवा व्यापार
113	भारतीय सेवा रोजगार
113	प्रमुख सेवाएँ: समग्र निष्पादन
114	प्रमुख सेवाएँ: क्षेत्रवार निष्पादन और कुछ सामयिक नीतियाँ
114	पर्यटन
115	पोत परिवहन
116	पत्तन सेवाएँ
116	सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाएँ
117	अनुसंधान और विकास सेवाएँ
118	परामर्शी सेवाएँ
118	स्थावर संपदा और आवास
119	आंतरिक व्यापार
119	मीडिया और मनोरंजन सेवाएँ
8	जलवायु परिवर्तन और सतत् विकास
120	आईपीसीसी की पांचवीं मूल्यांकन रिपोर्ट के हाल ही के वैज्ञानिक निष्कर्ष
122	मुख्य क्षेत्रों तथा देशों से वैश्विक ग्रीन हाऊस गैसों का उत्सर्जन
122	जलवायु परिवर्तन के समाधान में भारत में हुई प्रगति
125	वार्ताओं की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति : यू.एन.एफ.सी.सी.सी. के पक्षकारों का 20वां सम्मेलन
125	अंतर्राष्ट्रीय जलवायु वित्त प्रवाह
128	अंतर्राष्ट्रीय कार्बन बाजार
128	सतत विकास
9	सामाजिक अवसंरचना, रोजगार और मानव विकास
131	सामाजिक अवसंरचना, रोजगार और मानव विकास
132	शैक्षिक चुनौतियाँ
134	रोजगार संबंधी मुद्दे
138	स्वस्थ भारत की ओर
140	गरीबी
140	मानव विकास: अंतर्राष्ट्रीय तुलना
143	समावेशी विकास को प्रोत्साहित करना
144	मानव आबादी के लाभ और संबंधित नीतिगत दखल कार्रवाइ
145	भारत के सामाजिक क्षेत्र में हुए व्यय की प्रवृत्तियाँ
146	निष्कर्ष

टिप्पणियां

आर्थिक समीक्षा में निम्नलिखित सार्विकी/इकाइयों का प्रयोग किया गया है:

बी सी एम	बिलियन क्यूबिक मीटर	कि. ग्रा.	किलोग्राम
बी यू	बिलियन यूनिट	हे.	हेक्टेयर
एम टी	मिलियन टन	बी बी एल	बिलियन बैरल प्रति लीटर
लाख	1,00,000	बिलियन	1,000 मिलियन/100 करोड़
मिलियन	10 लाख	ट्रिलियन	1,000 बिलियन/100,000 करोड़
करोड़	10 मिलियन		

आभारोक्ति

आर्थिक समीक्षा का प्रकाशन सामूहिक कार्य और सहयोग का परिणाम है। मुझे इसके प्रकाशन से संबंधित समन्वयन कार्य में आनंदी सुब्रह्मण्यन और एन.के. सिन्हा द्वारा सहायता प्रदान की गई। इस सर्वेक्षण में योगदान करने वाले में आर्थिक प्रभाग से ये शामिल हैं: एच.ए.सी. प्रसाद, डॉ.एस. कोलमकर, ईला पटनायक, आनंदी सुब्रह्मण्यन, के.एल. प्रसाद, ए.एस. सचदेवा, रजत सच्चर, राजश्री रे, एंटनी सिरियक, आर. सतीश, पी.के. अब्दुल करीम, एन.के. सिन्हा, प्रिया नायर, राजमल, जे.के. राठी, के.एम. मिश्रा, रंगीत घोष, अभिषेक आचार्य, कपिल पाटीदार, सैयद जुबैर हुसैन नकवी, नेहा यादव, आकांक्षा अरोड़ा, रवि रंजन, दीपक कुमार दास, विजय कुमार, एम. राहुल, रोहित लाम्बा, सिद्धार्थ इयपन जॉर्ज, सुतीर्थ रॉय, वी.के. मान, रियाज़ ए. खान, शोबीन्द्र अवकई, सलाम श्यामसुंदर सिंह, मो. आफताब आलम, संजय कुमार दास, सुभाष चंद, प्रवीण जैन, नरेंद्र जेना, प्रदयुत कुमार पाइने, ज्योत्सना मेहता, कणिका ग्रोवर और राजेश।

इस सर्वेक्षण के प्रकाशन में विभिन्न अधिकारियों और विशेषकर राजीव महर्षि, सौरभ चंद्रा, सुधीर कुमार, अरविंद मोदी, के.पी. कृष्णन, यूके.एस चौहान और अरूणेश चावला; तथा अनेक बाह्य सहयोगकर्ता जिनमें अनंत स्वरूप, अपूर्वा गुप्ता, बिमल जालान, देवेश कपूर, फान झांग, हर्षवर्धन सिंह, जीन डेज, जोश फेल्मेन, कार्तिक मुरलीधरण, कृष्णमूर्ति सुब्रह्मण्यम, मनीष सभ्रवाल, मोहित देसाई, मुतुकुमार मणि, नमिता महरोत्रा, नंदन निलेकनी, निक स्टर्न, निशा अग्रवाल, पी.एस. श्रीनिवास, पार्थ मुखोपाध्याय, प्रांजुल भंडारी, प्रताप भानुमेहता, रघुराम राजन, राजीव लाल, राकेश मोहन, रीतिका खेड़ा, रिचार्ड बुलॉक, रोहिणी मलकानी, सज्जीद चिनाँय, संदीप सुतानकर, सोनल वर्मा, टी.वी. सोमनाथन, तुषार पोद्दार और विजय केलकर के नाम उल्लेखनीय हैं, से प्राप्त टिप्पणियों और सुझावों से अत्यधिक लाभ प्राप्त हुआ है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और संगठनों ने अपने संबंधित क्षेत्रों में योगदान किया है। अगम अग्रवाल, साधना शर्मा, सुरेश अरोड़ा, अमित, रजत वर्मा और आर्थिक प्रभाग के कर्मचारियों से सक्षम प्रशासनिक सहायता प्राप्त हुई। अमरनाथ और अनुवादकों की उनकी टीम ने हिंदी अनुवाद किया तथा शालिनी शेखर ने इस प्रपत्र का उपर्युक्त रूप में संपादन किया। मिंटो रोड और मायापुरी स्थित भारत सरकार के मुद्रणालयों में सर्वेक्षण के अंग्रेजी और हिंदी पाठों का मुद्रण संपन्न हुआ।

अरविंद सुब्रह्मण्यन
मुख्य आर्थिक सलाहकार
वित्त मंत्रालय, भारत सरकार।

संकेताक्षर

एएवाई
एई
एडीआर
एएफओएलयू
एपीएमसी
एआर
एएसईएन
एटी एंड सी
बीबीपी
बीसीबीएस
बीसीडी
बीडीआई
बीपीएलआर
बीपीएम
सीएसीपी
सीएएसए
सीएजीआर
सीसीएफएस

सीसीपी
सीईएस
सीएलए
सीएमआईइ
सीओपी
सीपीआई – एनएस
सीआरएआर
सीआरआईएस
सीएसएमएस
सीटीटी
सोडल्यूसी
सोडल्यूसी
सीएफपीआई
डीडीए
डीडीयूजीजेवाई
डीडीयूजीकेवाई
डीजीएच
डीआईएसई
डीएफटीपी
डीजीसीआईएस

डीआरएम
डीआरटी
डीडल्यूटी
ईसीजीसी
ईएफटीए
ईएमडीई
ईएआई
ईओयू
ईटीए
एफसीएनआर(बी)
एफईई
एफआईटी

अंत्योदय अन्न योजना
अग्रिम अनुमान
अमरीकी निक्षेपागर प्राप्ति
कृषि, बनिकी और अन्य भूमि उपयोग
कृषि उपज विपणन समिति
आकलन रिपोर्ट
दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्र संघ
समग्र तकनीकी और वाणिज्यिक
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ
बैंकिंग पर्यवेक्षण संबंधी बेसल समिति
बाड़-करेसी-व्युत्पन्न
बाल्टिक ड्राइ इंडेक्स
आधारभूत मूल्य उधार दर
कारोबार प्रक्रिया प्रबंधन
कृषि लागत और मूल्य आयोग
चालू और बचत खाता
मिश्रित वार्षिक वृद्धि दर
लघु कारबार और अल्प आय परिवारों के
लिए व्यापक
वित्तीय सेवा संबंधी समिति
सेंट्रल काउंटर पार्टी
उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण
केन्द्रीय ऋण सहायता
भारतीय अर्थव्यवस्था निगरानी केन्द्र
पार्टियों का सम्मेलन
उपभोक्ता मूल्य सूचकांक – नईसंखला
जोखिम भारित आस्ति अनुपात के लिए पूंजी
रेलवे सूचना प्रणाली केन्द्र
प्रमुख सम्बिंदी प्रबंधन प्रणाली
वस्तु लेन-देन कर
केन्द्रीय जल आयोग
केन्द्रीय भांडागारण निगम
उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक
दोहा विकास एजेंडा
दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना
दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना
हाइड्रोकार्बन मद्य निदेशालय
शिक्षा जिला सूचना प्रणाली
शुल्क मुक्त टैरिफ अधिमानता
वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी
महानिदेशालय
घरेलू संसाधन जुटाना
ऋण वसूली अधिकरण
डैड वेट टनेज
नियंत्रित ऋण गारंटी योजना
यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ
उभरती बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्था
उभरती बाजार अर्थव्यवस्था
नियंत्रित उन्मुख इकाई
इलेक्ट्रॉनिक यात्रा प्राधिकार
विदेशी मुद्रा – अनिवासी जमा (बैंक)
विदेशी मुद्रा अर्जन
नम्य स्फीति लक्ष्य निर्धारण

एफएमएस
एफओएमसी
एफपीआई
एफपीएस
एफएसटी
एफएसएलआरसी
जीबीएस
जीआरडीआई
जीएसपीआर
जी 2 बी
जीडीआर
जीईएफ
जीईआरडी
जीएनपीए
जीआरडीआई
जी सैक
जीटी
जीटीआर
एचआईटीएस
एचकेएमडी
एचआरआईडीएवाई
आईएम
आईसीडी
आइसीपी
आईटीए
आईटीईएस
आइटीआर
आईएफसी
आईआईपी
आईपीपी
आईआईएसईआर
आईएनडीसी
आईपीडीएस
आईटी-आईटीईएस
आईटीए
जेएमसी
एलएफ
एलसीओ
एलयूएलयूसीएफ
एमएनएएस
एमएटी
एमआईएस
एमएमएस सीएमडी
एमएसएफ
एमएसओ
एमपीएस
एमएसएफ
एमएसएमईडी

केन्द्रीकृत बाजार योजना
संघीय खुला बाजार समिति
विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक
केन्द्रीकृत उत्पाद योजना
वित्तीय सेक्टर अपील अधिकरण
वित्तीय क्षेत्र विधायी सुधार आयोग
सकल बजटीय सहायता
वैश्विक खुदरा विकास सूचकांक
वैश्विक आर एंड डी सेवा प्रदाता
सरकार से व्यवसाय
वैश्विक निक्षेपागर प्राप्ति
वैश्विक वातावरण सुविधा
अनुसंधान और विकास संबंधी सकल व्यय
सकल अनर्जक आस्तियां
वैश्विक फुटकर विकास सूचकांक
सरकारी प्रतिभूतियां
कुल टन भार
सकल कर राजस्व
आसमान को छूटी हुई
हांगकांग मंत्रालयी घोषणा
होरिटेज सिटी डवलपमेंट एण्ड अगमेन्टेशन
योजना
औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन
अंतर्राष्ट्रीय कट्टेनर डिपो
समेकित जांच चोकियां
अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन आगमन
सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाएं
अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन प्राप्तियां
भारतीय वित्तीय कोड
अंतर्राष्ट्रीय निवेश स्थिति
संस्थागत नियोजन कार्यक्रम
भारतीय विज्ञान, शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान
राष्ट्रीय अधिप्रेत निर्धारित योगदान
एकीकृत विद्युत विकास स्कीम
सूचना प्रौद्योगिकी – सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित
सेवा
सूचना प्रौद्योगिकी करार
संयुक्त मंत्रालयी आयोग
नकदी समायोजन सुविधा
स्थानीय केबल ऑपरेटर्स
भूमि उपयोग, भूमि उपयोग परिवर्तन तथा
वानिकी
मौलाना आजाद राष्ट्रीय कोशल अकादमी
न्यूनतम वैकल्पिक कर
प्रबंधन सूचना प्रणाली
मिलियन मीट्रिक स्टेंडर्ड क्यूबिक मीटर पर
डे
सीमान्त स्थायी सुविधा
बहु-प्रणाली संचालक
न्यूनतम सरकारी शेयरधारिता
सीमान्त स्थायी सुविधा
सुक्ष्म, लघु एवं मझोला उद्यम विकास अधि
नियम

एमटी	मिट्रिक टन	क्यूआईपी	अर्हक संस्थागत नियोजन
एमटीएफपीएस	मध्यावधिक राजकोषीय नीति विवरण	आरएपीडीआरपी	पुनः संरचित त्वरित पावर (विद्युत) विकास
नेसकोम	राष्ट्रीय सौरपटवेयर और सेवा कांपनियां संघ	आरसीईपी	और सुधार कार्यक्रम
एनएएलएसए	राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण	आरईसी	क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी
एनएएम	राष्ट्रीय आयूष मिशन	आरईआर	नवीकरण ऊर्जा प्रमाण पत्र
एनएपीसीसी	राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन संबंधी कार्य योजना	आरईआईटी	वास्तविक प्रभावी विनियम दर
एनबीएफआई	गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था	आरएफपीआई	रीअल एस्टेट निवेश न्यास
एनबीएस	पोषण आधारित सब्सिडी	आरओई	पंजीकृत विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक
एनबीएफसी-एनडी-एसआई	प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण जमा न करने वाली	एसएएआर	इक्विटी प्रतिपत्र
एनसीईएफ	गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी	एसएसी	मौसम अनुसार समायोजित वार्षिक दर
एनसीईयूएस	राष्ट्रीय निर्बंध ऊर्जा निधि	एसएपीसीसी	अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र
एसीवीटी	असंगठित क्षेत्र में राष्ट्रीय उद्यम आयोग	एसएआरएफईएसआई	जल वायु परिवर्तन संबंधी राज्य कार्य योजन
एनडीए	राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद		वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और
एनडीआर	निवल घरलू आस्तियां		पुनर्निमाण तथा प्रतिभूति
एनडीटीएल	राष्ट्रीय आंकड़े निक्षेपाकार	एसबीएम	ब्याज का प्रत्यावर्तन
एनईआईआर	निवल मांग और सावधि देयता	एसएससी	स्वच्छ भारत मिशन
एनईजीपी	अनुमानित प्रभावी विनियमदर	सीआरआर	क्षेत्रीय कौशल परिषद
एनईएलपी	राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना	एसएजीवाई	प्रतिभूति सर्विद (विनियमन) नियम
एनडीटीएल	नई अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति	एसडीजी	संसद आदर्श ग्राम योजना
एनएफएम	निवल मांग और समय देनदारी	एसएमए	संपोषणीय विकास लक्ष्य
एनएफए	गैर खाद्य निर्माता	एसपीआई	विशेष उल्लेख खाते
एनएफएसएम	निवल विदेशी आस्तियां	एसआरएस	सेवा मूल्य सूचकांक
एनएचपीसी	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	एसटीटी	प्रतिचयन पंजीकरण प्रणाली
एनआईएई	राष्ट्रीय जल विद्युत निगम	एसटीयू	प्रतिभूति लेनदेन कर
एनआईडीसी	नव-औद्योगिकृत ऐशियाई अर्थव्यवस्थाएं	एसडब्ल्यूसू	राज्य भंडारण निगम
एनएमसीसी	राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड	एसडब्ल्यूएमए	विशेष अर्थोपाय अग्रिम
एनएमडीएफसी	राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धा परिषद	टीएफटीए	अंतः: अटलांटिक मुक्त व्यापार क्षेत्र/करार
एनओएफएम	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम	टीई	ट्रिलियन क्यूबिक फुट
एनपीएंजी	राष्ट्रीय औप्टीकल फाइबर नेटवर्क	टीईयू	निर्यात उत्कृष्टता शहर
एनपीसीबीवी	किशोरियों के लिए पोषण कार्यक्रम	टीआईवीए	बीस फुट समतुल्य यूनिट
एनपीआईटी	राष्ट्रीय पशुधन एवं भैंस प्रजनन परियोजना	टीएमएम	मूल्य विधि व्यापार
एनडब्ल्यूआर	राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी नीति	टीएनसी	व्यापार नीति समिति
ओडीएफ	परकाम्य भंडारण रसीद	टीपीएफ	व्यापार नीति फोरम
ओएमओ	मलोत्सर्पा मुक्त	टीएसए	पर्यटन सेटेलाइट लेखा
ओडब्ल्यूजी	खुले बाजार प्रचलन	यूएनएफसीसीसी	संयुक्त राष्ट्र का जलवायु परिवर्तन संबंधी
पीएटी	ओपन कार्य समूह		फ्रेमवर्क अभिसमय
पीडीएमए	निष्पादन उपलब्धि व्यापार	यूएनएससी	संयुक्त राष्ट्र सारियकीय आयोग
पीडीएसएन	लोक ऋण प्रबंधन एजेंसी	यूएनडब्ल्यूटीओ	संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन
पीई	सार्वजनिक वितरण प्रणाली नेटवर्क	यूएसटीटीएडी	कला/शिल्प के विकास के कौशल और
पीईजी	निजी ईक्विटी	वीकेजीयूवाई	प्रशिक्षण का उन्नयन
पीआईएसए	निजी उद्यमी गारंटी	वीएएलआर	विशेष कृषि और ग्राम उद्योग योजना
पीएलएफ	अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी आकलन कार्यक्रम	डब्ल्यूईओ	भारित औसत उधार दर
पीएमआई	संयंत्र भार (लोड) घटक	डब्ल्यूएचटी	वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक
पीएनजीआरबी	क्रय प्रबंधन सूचकांक	डब्ल्यूआईओडी	विद्होलिडंग टैक्स
क्यूई	पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक	डब्ल्यूएमबीए	विश्व आवक-जावक डाटाबेस
क्यूएफआई	बोर्ड	डब्ल्यूटीटीसी	अर्थोपाय अग्रिम
	मात्रात्मक सुलभता		विश्व यात्रा और पर्यटन परिषद
	अर्हक विदेशी निवेश		

भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति-सिंहावलोकन

निराशा और अनिश्चितता, जिसकी चपेट में अनेक विकसित और उभरती अर्थव्यवस्थाएँ हैं, के माहौल में वर्ष 2014-15 के दौरान विभिन्न देशों के आर्थिक निष्पादन की तुलना करते समय एक आशाजनक लक्षण अनुकूल आर्थिक संभावनाओं वाली कुछ बहुत अर्थव्यवस्थाओं के बीच भारत का उभरना रहा है। मुख्यतः इस तथ्य के कारण भारत की संभावनाएँ उज्ज्वल हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था आर्थिक मंदी, निरंतर बनी मुद्रास्फीति, बढ़ते राजकोषीय घाटे, ढीली घरेलू मांग, विदेशी खाता असंतुलनों, और 2011-12 और 2012-13 में रूपये के बढ़ते-घटते मूल्य से जुड़ी असुरक्षाओं से काफी हद तक मुक्त हो गई है। बहुत आर्थिक दृष्टिकोण से कहें, तो हम संकट से बिल्कुल बाहर निकल आए हैं। केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) द्वारा प्रकाशित राष्ट्रीय आय के हालिया संशोधित अनुमानों से आविर्भूत नवीनतम संकेतक इस तथ्य की ओर इशारा करते हैं कि विकास का समुद्धान 2013-14 में आरंभ हुआ था और 2014-15 में इसमें और भी तेजी आई। तेल की कीमतों में अत्यधिक गिरावट, विश्व के अन्य क्षेत्रों से निधियों की प्रचुर आवक और निर्दिष्ट आर्थिक प्रबंधन तथा समेकन के प्रति नई केन्द्रीय सरकार की प्रतिबद्धता के साथ इसकी सुधारात्मक पहलकदमियों के संभावित प्रभाव जैसे कारक उभरती बृद्धि के लक्षण और विकास संबंधी उभरती संभावनाओं और समग्र बहुत आर्थिक स्थिति के लिए हितकर हैं। बेहतर बृहत् आर्थिक स्थिरता और सरकार के सुधारवादी इरादे तथा कार्रवाइयों और देश में व्यवसाय के बेहतर माहौल से प्रोत्साहित होकर, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक जैसी संस्थाओं ने भारतीय विकास से संबंधित दृष्टिकोण का 2015 और इससे आगे के लिए स्तरोन्नयन कर दिया है। लेकिन ऐसे उज्ज्वल भविष्य के रास्ते में संभावित रुकावटों के मूल में, विशेषकर यूरोप और जापान में मांग की कमी रहने से ग्रस्त वैश्विक अर्थव्यवस्था से प्राप्त अपर्याप्त सहायता, चीन में हालिया मंदी तथा घरेलू मोर्चे पर, सामान्य से कम कृषि विकास के संभावित दुष्प्रभाव और कौशल-सृजन एवं अवसरंचनागत सुधार की बड़ी जरूरतों से संबंधित चुनौतियां हैं। 2014-15 के अग्रिम अनुमानों से प्राप्त उत्साहवर्धक नतीजों से यह पता चलता है कि वैश्विक विकास में व्याप्त शिथिलता ने विदेशी व्यापार में बृद्धि की चमक को अंशतः निगल लिया है; फिर भी विकास की चालू गति को चलायमान रखने वाली जबर्दस्त घरेलू मांग से इस गिरावट के दबाव की क्षतिपूर्ति हो गई।

विकास का हालिया वृत्तांत

1.2 बहुत हालिया आर्थिक रुझानों का विश्लेषण करने से पूर्व, यह उल्लेखनीय है कि केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने

2004-05 के पूर्ववर्ती आधार के स्थान पर 2011-12 के नए आधार को प्रतिस्थापित कर राष्ट्रीय लेखाओं में सकल राशियों को हाल ही में संशोधित किया है (ब्यौरे के लिए

2 आर्थिक समीक्षा 2014-15

सारणी 0.1 : मुख्य संकेतक

आंकड़ों का वर्गीकरण	इकाई	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
1. सघउ और संबंधित संकेतक					
सघउ (स्थिर बाजार कीमतें)	₹ करोड़	8832012 ^{एनएस}	9280803 ^{एनएस}	9921106 ^{एनएस}	10656925 ^{एई}
संवृद्धि दर	%	—	5.1	6.9	7.4
मूलय कीमतों पर जीवीए (2011-12 कीमतें)	₹ करोड़	8195546 ^{एनएस}	8599224 ^{एनएस}	9169787 ^{एनएस}	9857672 ^{एई}
वृद्धि दर	%	—	4.9	6.6	7.5
बचत दर					
पूंजी निर्माण (दर)	सघउ का प्रतिशत	33.9	31.8	30.6	उन
प्रति पूंजी निवल राष्ट्रीय आय	सघउ का प्रतिशत	38.2	36.6	32.3	उन
(वर्तमान बाजार कीमतों पर)	₹	64316 ^{एनएस}	71593 ^{एनएस}	80388 ^{एनएस}	88533 ^{एई}
2. उत्पादन					
खाद्यान्न	मिलियन टन	259.3	257.1	265.6	257.1 ^ए
औद्योगिक उत्पादन सूचकांक ^{वृद्धि}	%	2.9	1.1	-0.1	2.1 ^{एफ}
(वृद्धि)	%	8.1	4.0	6.0	9.9 ^{एफ}
विद्युत निर्माण					
(वृद्धि)	%				
3. कीमतें					
मुद्रास्फीति (डब्ल्यू पी आई) (औसत)	%	8.9	7.4	6.0	3.4 ^{एफ}
मुद्रास्फीति सीपीआई (आई डब्ल्यू)(औसत)	%	8.4	10.4	9.7	6.2 ^{एफ}
4. विदेशी क्षेत्र					
नियांत वृद्धि (अमरीकी डॉलर)	%	21.8	-1.8	4.7	4.0 ^{एफ}
आयात वृद्धि (अमरीकी डॉलर)	%	32.3	0.3	-8.3	3.6 ^{एफ}
वर्तमान खाता शेष (सीएबी)/सघउ	%	-4.2	-4.7	-1.7	-1.9 (एच1)
विदेशी मुद्रा भंडार ^{वृद्धि}	अमरीकी डा. बिलियन	294.4	292.0	304.2	328.7
औसत मुद्रा दर ^{वृद्धि}	रु./अमरीकी डा. बिलियन	47.92	54.41	60.50	60.78 ^{एफ}
5. मुद्रा और ऋण					
ब्राड मनी (एम3) (वार्षिक)	प्रतिशत परिवर्तन	13.5	13.6	13.2	11.5 ^{एच}
अनुपूर्चित वाणिज्यिक बैंक ऋण	प्रतिशत परिवर्तन	17.0	14.1	13.9	10.7 ^{एच}
6. राजकोषीय संकेतक (केन्द्र)					
सकल राजकोषीय घाटा	सघउ का प्रतिशत	5.7	4.8	4.5 ^{वृद्धि}	4.1 ^{वृद्धि}
राजस्व घाटा	सघउ का प्रतिशत	4.4	3.6	3.2 ^{वृद्धि}	2.9 ^{वृद्धि}
प्राथमिक घाटा	सघउ का प्रतिशत	2.7	1.8	1.2 ^{वृद्धि}	0.8 ^{वृद्धि}

टिप्पणी: एनए: अनुपलब्ध, एनएस: नई शृंखला अनुमान एई: अग्रिम अनुमान

एच1: अप्रैल-सितम्बर, 2014

ए दूसरा अग्रिम अनुमान

वी आधार (2004-05 = 100)

सी भारत के विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ द्वारा घोषित और मई 2012 से आगे की संकेतात्मक दरें आरबीआई की संदर्भ दरें हैं

डी 2013-14 के राजकोषीय संकेतक अनंतिम वास्तविक पर आधारित हैं।

डं बजट अनुमान

एफ अप्रैल-दिसम्बर, 2014

जी 2011-12 से 2013-14 के आंकड़ों का संबंध वित्त वर्ष के अंत से है और 2014-15 के आंकड़े जनवरी, 2015 के अंत के हैं।

एच 09 जनवरी, 2015 की स्थिति के अनुसार

बॉक्स 1.1 : राष्ट्रीय लेखाओं के आधार वर्ष को 2004-05 से संशोधित करके 2011-12 करना


चालू आधार वर्ष का संशोधन जनवरी, 2010 में किए गए संशोधन के बाद का है। आधार वर्ष के अभी-अभी पूरे हुए संशोधन में शामिल किए गए प्रमुख फेरबदल निम्नलिखित हैं-

- (i) वर्तमान में विकास को स्थिर बाजार मूल्यों पर सघड द्वारा मापा जाएगा, जिसे इसके बाद “सघड” के रूप में संदर्भित किया जाएगा, जैसा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचलन है। इससे पूर्व, विकास को स्थिर मूल्यों पर कारक लागत पर सघड में वृद्धि दर की दृष्टि से मापा जाता था।
- (ii) जोड़े गए सकल मूल्य का क्षेत्रवार अनुमान अब कारक लागत के स्थान पर मूल कीमतों पर किया जाएगा। कारक लागत पर जीवीए, मूल कीमतों पर जीवीए और सघड (बाजार कीमतों पर) के बीच संबंध नीचे दिया गया है।
मूल कीमतों पर जीवीए = सीई + ओएस/एमआई + सीएफसी + उत्पादन कर रहित उत्पादन इमदाद
कारक लागत पर जीवीए = मूल कीमतों पर जीवीए - उत्पादन कर रहित उत्पादन इमदाद
$$\text{सघड} = \sum \text{मूल कीमतों पर जीवीए} + \text{उत्पाद कर} - \text{उत्पाद इमदाद}$$

(जहाँ सीई: कर्मचारियों की क्षतिपूर्ति; ओएस: परिचालन अधिशेष; एमआई: मिश्रित आय; और सीएफसी: अचल पूँजी का उपभोग है। उत्पादन करों या उत्पादन इमदादों का भुगतान या इनकी प्राप्ति उत्पादन से संबंधित होती है और ये वास्तविक उत्पादन के परिमाण पर आश्रित नहीं होते। उत्पादन करों के कुछ उदाहरण भू-राजस्व, स्टाम्प और पंजीयन शुल्क तथा व्यावसायिक कर हैं। कुछ उत्पादन इमदादें रेलवे को इमदाद, किसानों को वस्तुगत इमदाद, गांवों और लघु उद्योगों को इमदाद, निगमों या सहकारी समितियों को प्रशासनिक इमदाद आदि हैं। उत्पादन करों या इमदादें का भुगतान या इनकी प्राप्ति उत्पाद के प्रति यूनिट पर होती है। उत्पाद करों के कुछ उदाहरण उत्पाद कर, बिक्री कर, सेवा कर और आयात-निर्यात शुल्क है। उत्पाद इमदादों में खाद्यान्न, पेट्रोलियम और उर्वरक इमदाद, किसानों के परिवारों आदि को बैंकों के जरिए प्रदत्त व्याज इमदाद, परिवारों का बीमा कराने के लिए कम दरों पर प्रदत्त इमदाद शामिल हैं।)
- (iii) कार्पोरेट कार्य मंत्रालय की ई-अधिशासन पहल, एमसीए 21 के अंतर्गत उसमें यथा दर्ज कंपनियों के वार्षिक लेखाओं के समावेशन से विनिर्माण और सेवा दोनों ही कार्पोरेट क्षेत्र की व्यापक कवरेज। विनिर्माण कंपनियों के एमसीए 21 डाटाबेस के उपभोग से इन कंपनियों द्वारा विनिर्माण से भिन्न किए गए कार्यों का हिसाब-किताब रखने में मदद मिली है।
- (iv) भारतीय प्रतिपूति और विनियम बोर्ड (सेबी), स्टाक ब्रोकर, स्टाक एक्सचेंजों, आस्टि प्रबंधन कंपनियों, म्युचुअल फंडों और पेंशन फंडों, और पेंशन निधि एवं विनियामक विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) और बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (इरडा) सहित विनियामक निकायों के लेखाओं से सूचना के समावेशन से वित्तीय क्षेत्र को व्यापक सुरक्षा कवरेज।
- (v) स्थानीय निकायों और स्वायत संस्थाओं के कार्यकलापों, जिनमें इन संस्थाओं को प्रदत्त लगभग 60 प्रतिशत अनुदान/अंतरण राशियां शामिल हैं, की संबंधित कवरेज।

उपर्युक्त फेरबदलों के कारण, सकल और क्षेत्रवार दोनों स्तरों पर जीवीए के अनुमानों में परिवर्तन हुए हैं। सकल जीवीए में क्षेत्रवार शेयरों में खासकर विनिर्माण और सेवाओं के विशेष मामले में महत्वपूर्ण संशोधन हुआ है (चित्र 1)। वर्ष 2012-13 और 2013-14 में अनुमान के लिए बिक्री कर और सेवा कर संबंधी आंकड़ों का उपयोग कराने के कारण व्यष्टि क्षेत्रों में जीवीए की वृद्धि दरों और समग्र जीवीए में पृथक क्षेत्र के अंशदान में भी परिवर्तन देखे गए हैं। पूर्ववर्ती शृंखला से नयी शृंखला के अनुमानों और वृद्धि दरों की तुलना करते समय सावधानी बरतने की जरूरत है।

चित्र 1: प्रचलित मूल्यों पर, उपादान लागत पर सकल मूल्य योजित (जीवीए) स्थिति में विभिन्न सेक्टरों की प्रतिशत हिस्सेदारी 2011-12 से 2013-14 का औसत



4 आर्थिक समीक्षा 2014-15

कृपया बॉक्स 1.1 देखें)। उपलब्ध सूचना के अनंतिम और आंशिक स्वरूप जिसे स्थिर होने में समय लग सकता है और इस तथ्य कि संशोधित आधार पर विकास संबंधी पैरामीटर तीन वर्षों के लिए ही उपलब्ध हैं, को देखते हुए व्यापक वृहत् आर्थिक रुझानों को दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य में उद्देश्यपरक विश्लेषित करना कठिन हो सकता है। नयी सूचनावली की तुलना भी 2004-05 की शृंखला पर आधारित सूचना और विश्लेषण से नहीं की जा सकती।

1.3 नयी शृंखला (2011-12 को आधार वर्ष मानकर) द्वारा प्रस्तुत आर्थिक परिदृश्य से पता चलता है कि 2013-14 में अर्थव्यवस्था की कुछ वृहत् कुल राशियों में अवगम्य सुधार हुआ था, जिसमें 2014-15 में मजबूती आई। स्थिर बाजार मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में वृद्धि से मापा गया आर्थिक विकास, जो 2012-13 और 2013-14 में क्रमशः 5.1 प्रतिशत और 6.9 प्रतिशत आंका गया था, वह मई 2014 में 2004-05 शृंखला के अंतर्गत जारी 4.7 प्रतिशत और 5.0 प्रतिशत के तदनुरूप आंकड़ों से उच्च था। यह तथ्य थोड़ा उलझन में डालने वाला है कि यह उच्च वृद्धि उस वर्ष में हुई जब सघड अनुपातों में बचत और निवेश दोनों अनेक वर्षों के औसत से अल्प थे और जब आयातों (जो सामान्यतया सघड से सकारात्मक रूप में जुड़े होते हैं) का स्तर दरअसल 10 प्रतिशत के करीब वास्तविक रूप से घट गया था। 2013-14 के लिए सघड की वास्तविक वृद्धि दर के मजबूत प्रतीत होने के अनेक कारणों में से एक कारण 2011-12 और 2012-13 में सघड का स्तर अल्प होने के साथ-साथ सघड के अपस्फीति कारकों का स्तर समझे गए स्तर से निम्न होना है।

सारणी 1.1 : पुरानी और नई शृंखला की तुलना

मद	वर्ष	नई शृंखला और पुरानी शृंखला के बीच प्रतिशतांक में अंतर
कारक लागत पर जीवीए में वृद्धि	2012-13	0.4
	2013-14	1.9
अपस्फीतिकारक में वृद्धि	2012-13	0.5
	2013-14	-0.3
वर्तमान कीमतों पर	2011-12	-2.2
कारक लागत पर	2012-13	-1.3
जीवीए का स्तर	2013-14	0.2

स्रोत : सीएसओ।

1.4 सारणी 1.1 में ये प्रभाव कारक लागत पर जीवीए की नयी एवं पुरानी शृंखला के आधार पर पृथकतः प्रदर्शित किए गए हैं। जीवीए का स्तर इन सभी तीन वर्षों में घटा और इसके साथ ही उत्तरवर्ती वर्षों में हासमान गिरावट का स्तर भी देखा गया। (इसका सत्यापन 2014-15 के लिए अनुमानों के लिए नहीं किया जा सकता, जिसके लिए नई शृंखला से ही आंकड़े उपलब्ध हैं। 2012-13, 2013-14 और 2014-15 की तुलना में 2011-12 में सघड के स्तर में अपेक्षाकृत अधिक गिरावट से उत्तरवर्ती वर्षों में विकास दर में सुधार हुआ है। दूसरी ओर सघड के अस्फीति कारक द्वारा मापे गए, 2012-13 में मुद्रास्फीति के अर्धमुखी संशोधन से विकास की स्थिति बदतर हुई, परंतु यह इतनी भी बदतर नहीं हुई कि संपूर्ण स्तरों में सापेक्ष संशोधनों के सकारात्मक प्रभाव को निष्क्रिय कर सके। 2013-14 में, अपस्फीतिकारक में अधोमुखी संशोधन से नई शृंखला में विकास में सुधार हुआ।

सारणी 1.2 : स्थिर (2011-12) मूल कीमतों पर जीवीए में वृद्धि (प्रतिशत)

	2012-13	2013-14	2014-15
कृषि, वानिकी और मत्स्य पालन	1.2	3.7	1.1
उद्योग	2.3	4.5	5.9
खनन और उत्खनन	-0.2	5.4	2.3
विनिर्माण	6.2	5.3	6.8
विद्युत, गैस, जलापूर्ति और अन्य उपयोगी सेवाएं	4.0	4.8	9.6
निर्माण	-4.3	2.5	4.5
सेवाएं	8.0	9.1	10.6
व्यापार, होटल और रेस्टरां, परिवहन और संचार	9.6	11.1	8.4
वित्तीय और स्थावर संपदा और व्यवसाय सेवाएं	8.8	7.9	13.7
समुदाय, सामाजिक और व्यक्तिगत सेवाएं	4.7	7.9	9.0
मूल कीमतों पर जीवीए	4.9	6.6	7.5
सघड (बाजार कीमतों पर)	5.1	6.9	7.4

स्रोत : दिनांक 30 जनवरी, 2015 और 9 फरवरी, 2015 के सीएसओ प्रेस नोट पर आधारित।

1.5 भिन्न-भिन्न पृथक किस्म के स्तर (सारणी 1.2) के अनुमानों से जाहिर होता है कि कृषि और संबद्ध क्षेत्रों की फसलों, पशुधन, वानिकी और वृक्षकर्तन (लागिंग) तथा मत्स्य पालन सहित 2013-14 में वृद्धि में सुधार हुआ। यह अप्रत्याशित नहीं था क्योंकि वर्ष 2013-14 वर्षा होने की दृष्टि से असाधारणतया अच्छा वर्ष साबित हुआ।

1.6 **विनिर्माण क्षेत्र में 2012-13 और 2013-14 में क्रमशः:** 6.2 प्रतिशत और 5.3 की वृद्धि (कारक लागत पर जीवीए की दृष्टि से 6.1 प्रतिशत और 5.3 प्रतिशत) दर्ज हुई। पूर्व संशोधितशृंखला के अनुसार, यह वृद्धि 1.1 प्रतिशत और (-) 0.7 प्रतिशत रही। वृद्धि दर में इस आश्चर्यजनक फेरबदल का श्रेय आंकड़ों के सामान्य संशोधनों को दिया जा सकता है, जो आधार परिवर्तन और कारपोरेट कार्य मंत्रालय के एमसीए 21 डाटाबेस के समावेशन और कारपोरेट क्षेत्र की अधिक व्यापक कवरेज के प्रभाव से संशोधन अनुसूचियों के अनुसार घटित होते हैं। उदाहरणार्थ पूर्ववर्ती प्रणाली और 2004-05 की शृंखला के आधार पर भी, फरवरी 2012 में जारी अनुमानों के अनुसार विनिर्माण क्षेत्र की विकास दर में जारी अनुमानों के अनुसार 3.9 प्रतिशत थी, जो जनवरी 2013 में संशोधित होकर 2.7 प्रतिशत और जनवरी 2014 में 7.4 प्रतिशत रही। इसका आशय यह है कि विनिर्माण क्षेत्र के विकास में 2012-13 और 2013-14 में आधार वर्ष में संशोधन के बिना भी कुछ और हो सकता था। नई शृंखला में विनिर्माण वृद्धि में ऊर्ध्ववर्ती संशोधन का कारण भी विनिर्माण कंपनियों द्वारा विनिर्माण क्षेत्र में ही किए गए व्यापार, जो पहले व्यापार सेवाओं का भाग था, का समावेशन रहा।

1.7 नई शृंखला के पृथक स्तर पर, विनिर्माण क्षेत्र में हुई वृद्धि को मुख्यतः कपड़ा परिधानों और चर्म उत्पादों में मजबूत वृद्धि से बल मिला, जिसकी औसत वृद्धि 2012-13 और 2013-14 में 17.7 प्रतिशत रही थी, और इसी अवधि में मशीनरी तथा उपस्कर क्षेत्र की औसत वृद्धि 9.3 प्रतिशत रही। खाद्य उत्पादों की गति में अभी वृद्धि होना शेष है।

1.8 सेवा क्षेत्र में विकास की गति में 2013-14 में तेजी आई। व्यापार और मरम्मत सेवाओं, रेल परिवहन, संचार और प्रसारण सेवाओं तथा विविध सेवाओं जैसी सेवाओं में इस वर्ष के दौरान दोहरे अंकों/दोहरे अंकों के करीब की विकास दर प्राप्त हुई। किन्तु, जल परिवहन और भंडारण सेवाओं जैसे क्षेत्र पिछड़ गए।

1.9 वर्तमान वर्ष के लिए राष्ट्रीय आय के अग्रिम अनुमानों से यह संकेत मिलता है कि 2013-14 में प्रकट हुए

सकारात्मक वृद्धि के रुझान औद्योगिक और सेवा क्षेत्रों में 2014-15 में सुदृढ़ हुए हैं, जिसके परिणामस्वरूप 2014-15 में मूल कीमतों पर जीवीए में 0.9 प्रतिशतांक की वृद्धि और सघड में 0.5 प्रतिशतांक तक सुधार हुआ। जबकि विद्युत, गैस और जलाधार्पूर्ति तथा उपयोगिता संबंधी अन्य सेवाओं में मजबूत वृद्धि होने की संभावना है, तथापि विनिर्माण क्षेत्र ने अपना संवेग सुदृढ़ कर लिया है। निर्माण क्षेत्र का निष्पादन बेहतर हुआ है जबकि खनन और उत्खनन कार्यकलापों में अभी अस्थायी पैटर्न दिखता है। समुचित नीतिगत परिवर्तनों के साथ, कोयला क्षेत्र ने इस बंधन को तोड़ दिया है और अप्रैल-दिसम्बर, 2013-14 के दौरान इसमें 9.1 प्रतिशत तक वृद्धि हुई है। तथापि, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस और रिफाइनरी उत्पादों की स्थिति में गिरावट बनी रही, जिससे खनन के समग्र परिदृश्य को क्षति पहुंची। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) से प्राप्त संकेतों के साथ राष्ट्रीय लेखाओं की नई शृंखला से औद्योगिक क्षेत्र, खासकर विनिर्माण क्षेत्र से संबंधित परिणामों का समाधान करना कठिन है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक उत्पादक इकाइयों के सीमित नमूने पर आधारित होता है, जबकि राष्ट्रीय लेखाओं की नई शृंखला, उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण, एमसीए 21 और आईआईपी सहित विविध आंकड़ों का उपयोग करती है।

1.10 चालू वर्ष द्वारा सभी प्रधान सेवा क्षेत्रक कार्यकलापों में बेहतर निष्पादन कर चुकने का अनुमान किया गया है। वित्तपोषण, बीमा, स्थावर संपदा, और व्यवसाय सेवाएं, जो हालिया वर्षों में अर्थव्यवस्था के सबसे अधिक गतिशील क्षेत्रों में से एक क्षेत्र रहा है (संशोधन पूर्व आंकड़ों के अनुसार), की वर्तमान वर्ष में वृद्धि के अग्रसर होने की संभावना है।

1.11 आधारिक संशोधन से यह भी पता चलता है कि कारक लागत पर समग्र जीवीए में कृषि क्षेत्रक अंशदान पूर्ववर्ती शृंखला (2004-05) के आधार पर अब दिखाए जा रहे अंशदान से थोड़ा-सा उच्च है। वर्तमान मूल कीमतों पर जीवीए में 18.1 प्रतिशत के कुल हिस्से में फसल-अर्थव्यवस्था का अंशदान 11.8 प्रतिशत था जबकि संबद्ध क्षेत्रों का अंशदान में हिसाब 6.3 प्रतिशत बैठता था। इसके अलावा, सेवागत उच्च वृद्धि के बावजूद, पुरानी शृंखला में विनिर्माण जीवीए के न्यूनानुमान और सेवा में 'व्यापार' क्षेत्रक सघड के अति-अनुमान में संशोधन के मुख्य कारण से औद्योगिक क्षेत्र के पक्ष में क्षेत्रक अंशदान का पुनर्निर्धारण हुआ है। (सारणी 1.3)।

सारणी 1.3 : वर्तमान कीमतों पर जीवीए में हिस्सा

क्षेत्र	2004-05 शृंखला				2011-12 शृंखला			
	2011-12	2012-13	2013-14		2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
कृषि और संबद्ध कार्यकलाप	17.9	17.5	18.2	18.9	18.7	18.6	17.6	
उद्योग	27.2	26.2	24.8	32.9	31.7	30.5	29.7	
सेवाएं	54.9	56.3	57.0	48.2	49.6	50.9	52.7	

स्रोत : राष्ट्रीय आय की नयी शृंखला के अनुमानों पर 30 जनवरी, 2015 और 9 फरवरी, 2015 की सीएसओ की प्रेस विज्ञप्तियाँ।

1.12 कुल मिलाकर, तीन वर्ष खंड 2011-12 से 2013-14 तक के लिए पुरानी शृंखला 26.1 प्रतिशत से नई शृंखला के तहत 31.7 प्रतिशत होने से औद्योगिक क्षेत्र के हिस्से में 5.6 प्रतिशतांक का ऊर्धवर्षीय संशोधन हुआ। इसके तदनुरूप, 6.5 प्रतिशतांक के अधोमुखी संशोधन से सेवा क्षेत्र का औसत अंशदान 56.1 प्रतिशत से 49.6 प्रतिशत पर रह गया। इस अवधि के दौरान कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के हिस्से में भी 0.9 प्रतिशतांक वृद्धि हुई। औद्योगिक क्षेत्र में उचित वृद्धि के बावजूद, सेवा क्षेत्र में जबरदस्त वृद्धि होने के कारण इसके जीवीए का हिस्सा 2014-15 में घट गया। यह देखा गया है कि कुल जीवीए वृद्धि में सेवा क्षेत्र का अंशदान 2013-14 में 68.2 प्रतिशत से बढ़कर 2014-15 में 72.4 प्रतिशत हो गया, जबकि कृषि और संबद्ध क्षेत्रों और उद्योग क्षेत्रों के तदनुरूप आंकड़े परिवर्तित होकर क्रमशः 9.8 प्रतिशत से 2.6 प्रतिशत और 22.1 प्रतिशत से 25.1 प्रतिशत तक रह गए।

तिमाही वार रुझान

1.13 विकास के तिमाही वार अंक वृद्धिगत संबंध के निधरिण में उपयोगी होते हैं 2014-15 के पूर्ण वर्ष के लिए विकास के अग्रिम अनुमानों और प्रथम तीन तिमाहियों के अनुमानों की तुलना करने पर यह पाया जाता है कि 2014-15 की चौथी तिमाही के लिए 7.8 प्रतिशत की विकास दर अनुमानित है (सारणी 1.4)।

सारणी 1.4 : मूल कीमतों पर जीवीए में तिमाही-वार वृद्धि (वर्षानुवर्ष) (2011-12)

क्षेत्र	2013-14				2014-15		
	ति1	ति2	ति3	ति4	ति1	ति2	ति3
कृषि: वानिकी और मत्स्य पालन	2.7	3.6	3.8	4.4	3.5	2.0	-0.4
उद्योग	4.8	4.0	5.0	4.3	6.1	6.0	3.9
सेवाएं	10.2	10.6	9.1	6.4	8.6	10.1	13.5
कुल जीवीए मूल कीमतों पर	7.2	7.5	6.6	5.3	7.0	7.8	7.5

स्रोत : सीएसओ की 9 फरवरी, 2015 की प्रेस विज्ञप्ति।

1.14 विकास के त्रैमासिक आंकड़ों से पता चलता है कि विकास संबंधी गति 2014-15 की सभी तिमाहियों में बढ़ी रही है। कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में मंदी का प्रभाव और अद्योगिक क्षेत्र में सामान्य वृद्धि तीसरी तिमाही में वृद्धि में हल्की गिरावट का कारण हो सकती है।

1.15 राष्ट्रीय लेखाओं की 2004-05 शृंखला तथा संशोधन (2011-12) शृंखला में देश के सघड में त्रैमासिक अंशदान में किंचित अंतर देखे गये हैं। संशोधित शृंखला में यह दृश्यमान है कि वित्त वर्ष के पूर्वार्ध में वर्तमान कीमतों पर कुल सघड लगभग 47 प्रतिशत के हिसाब बैठता है, जबकि इसके उत्तरार्ध में यह 53 प्रतिशत बैठता है। 2004-05 शृंखला के लिए वर्तमान बाजार मूल्यों पर सघड में यही पैटर्न देखा गया है, जिसमें पूर्वार्ध के लिए कुल सघड 46 प्रतिशत बैठता था जबकि उत्तरार्ध के लिए यह 54 प्रतिशत बैठता था।

उत्पादन मूल्य और योजित मूल्य

1.16 सकल उत्पाद मूल्य (जीवीओ) और योजित सकल मूल्य (जीवीए) के बीच अंतर मध्यवर्ती उपभोग के रूप में है। सारणी 1.5 (स्तम्भ 5 और 6) में प्रस्तुत जीवीए और जीवीओ में क्षेत्रक हिस्सों में विरोधाभास सारणी के स्तम्भ 2 से 4 में प्रस्तुत मूल्य योजन के अनुपातों में अंतरों को प्रतिबिंबित करता है।

सारणी 1.5 : जीवीए और जीवीओ (स्थिर मूल्यों पर) के बीच संबंध

मद	क्षेत्रीय जीवीए का क्षेत्रीय जीवीओ के प्रति अनुपात			कुल जीवीओ* में क्षेत्रवार जीवीओ का अनुपात	कुल जीवीए* में क्षेत्रवार जीवीए का अनुपात	जीवीओ में वृद्धि (प्रतिशत में)	
	2011-12	2012-13	2013-14			2012-13	2013-14
1	2	3	4	5	6	7	8
कृषि और संबद्ध क्षेत्र	77.1	77.2	77.3	10.4	17.8	1.0	3.6
उद्योग	25.4	26.4	26.5	55.9	32.4	-1.6	3.9
विनिर्माण	20.5	22.2	22.4	37.7	18.2	-1.8	4.3
सेवाएं	65.7	66.6	67.6	33.7	49.9	6.5	7.4
कुल	43.8	45.4	46.0	100.0	100.0	1.3	5.1

टिप्पणी : गणनाएं 2011-12 से 2013-14 तक के के.सां.का. आंकड़े;

*आौसत पर आधारित हैं।

1.17 जीवीओ में योजित सकल मूल्य के अनुपात से यह दिखता है कि कृषि में मूल्य योजन उच्चतम और विनिर्माण में न्यूनतम है। जीवीओ के हिस्सों और जीवीए के अंशों के बीच का अंतर सभी क्षेत्रों खासकर विनिर्माण क्षेत्र में अत्यधिक है। एक ओर, विनिर्माण में जीवीओ में जीवीए का अल्प अनुपात यह दर्शाता है कि यह क्षेत्र दूसरे क्षेत्रों के उत्पादन के लिए पर्याप्त मांग का सृजन करता है और दूसरी ओर, यह कि भारतीय विनिर्माण क्षेत्र को समग्र जीवीए में अपने योगदान को सुधारने हेतु मूल्य शृंखला को अधर्वसुखी करने की जरूरत है।

1.18 सारणी 1.2 और 1.5 में प्रस्तुत आंकड़ों से, यह पता चलता है कि विनिर्माण के मामले में, 2012-13 में जीवीओ (स्थिर मूल्यों पर) में 1.8 प्रतिशत की कमी आई, जबकि वास्तविक जीवीए में 6.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसके साथ ही, जीवीओ के मुकाबले जीवीए का अनुपात महत्वपूर्ण रूप से बढ़ा (सारणी 1.5)। इसके अलावा, विनिर्माण में यह प्रमाणित किया जाता है कि स्थिर मूल्यों पर जीवीए में नियत पूँजी के उपभोग का अनुपात 2011-12 में 17.5 प्रतिशत से गिरकर 2012-13 में 17.1 प्रतिशत रह गया। इसलिए, संकुचन के परिणाम के बावजूद, क्षेत्र के विनिर्माण में कारक आयों में जीवीए में 6.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए महत्वपूर्ण रूप से वृद्धि हुई। इसी तरह, सेवाएं क्षेत्र में, 2012-13 में जीवीए में वृद्धि इसी वर्ष में जीवीओ में हुई वृद्धि के मुकाबले में 1.5 प्रतिशतांक उच्च रही।

1.19 सारणी 1.1 और 1.4 से, यह भी देखा जा सकता है कि 2013-14 में भी विनिर्माण और सेवाओं में जीवीए में हुई

वृद्धि के परिणाम जीवीओ में हुई वृद्धि के परिणाम से उच्च बने रहे। विनिर्माण में, 2013-14 में जीवीओ वृद्धि सकारात्मक (4.3 प्रतिशत) रही, परन्तु यह जीवीए में हुई वृद्धि से काफी कम रही। विनिर्माण और सेवाओं में इन उभरते रुझानों से मूल्य योजन में सुधार का संकेत मिलता है। अतः एक तरह से उत्पादन में वृहत्तर सक्षमता को प्रोत्साहन मिल रहा है।

सकल मांग

1.20 हालिया वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था मांग और आपूर्ति की गंभीर कमियों से गुजरी है। 2013-14 में मजबूती से विकास के साथ, अर्थव्यवस्था में अंतिम उपभोग व्यय (स्थिर मूल्यों पर वर्णित) भी सुदृढ़ हुआ (सारणी 1.6)।

1.21 पूँजी निर्माण दर में अत्यधिक गिरावट के कारण सकल मांग पर प्रतिकूल प्रभाव रहा (सारणी 1.6), जिससे घरेलू समामेलन (उपभोग और निवेश मिलाकर) संकुचन से इसमें 2013-14 में केवल 2.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसके बावजूद, वस्तुओं एवं सेवाओं के नियंत में 7.4 प्रतिशत की जबरदस्त वृद्धि के आधार पर 7 प्रतिशत के समीप वृद्धि हासिल की गई और आयातों में 8.4 प्रतिशत तक की कमी आयी।

1.22 2013-14 के दौरान सकल नियत पूँजी निर्माण (जीएफसीएफ) की दर में कमी समग्र निवेश दर (सकल पूँजी निर्माण-जीसीएफ) में उद्घोषित दर की तुलना में काफी कम थी, क्योंकि जीसीएफ के अन्य दो संघटकों, अर्थात् स्टाक और मूल्यवान वस्तुओं में परिवर्तन, में महत्वपूर्ण

सारणी 1.6 : स्थिर (2011-12) बाजार मूल्यों पर स.घ.उ. में वृद्धि (प्रतिशत)

	2012-13	2013-14	2014-15(A)
कुल अंतिम उपभोग व्यय	4.9	6.5	7.6
निजी अंतिम उपभोग व्यय	5.5	6.2	7.1
सरकारी अंतिम उपभोग व्यय	1.7	8.2	10.0
सकल पूँजी निर्माण*	2.6	-4.0	उन
सकल नियत पूँजी निर्माण	-0.3	3.0	4.1
स्टाक में परिवर्तन	-6.2	-21.4	3.9
कीमती वस्तुएं	3.3	-48.7	28.2
निर्यात	6.7	7.3	0.9
आयात	6.0	-8.4	-0.5
स्थिर बाजार मूल्यों पर जीडीपी में वृद्धि	5.1	6.9	7.4

स्रोत : सीएसओ।

टिप्पणी : क: अग्रिम अनुमान; *भूल-चूक के लिए समायोजित सकल पूँजी विनिर्माण।

उन : उपलब्ध नहीं।

रूप से कमी आई (सारणियां 1.5 और 1.6)। वस्तु-सूचियों के स्टाक में सुधार एक सतत प्रक्रिया है जो मांग और आपूर्ति शर्तों द्वारा निर्धारित की जाती है और अर्थव्यवस्था के पूँजी आधार से महत्वपूर्ण रूप से संबंधित नहीं है। इसी तरह, 'मूल्यवान वस्तुएं', जो स्वर्ण, चांदी और अन्य कीमती धातुओं के संचयन से संबंधित हैं, उत्पादक आधार में समायोजित नहीं की जाती हैं। इसलिए, इन वस्तुओं में गिरावट, यद्यपि लेखांकन की दृष्टि से इससे निवेश में सीमित सुधार होता है, पर गौर करने की आवश्यकता नहीं है। तथापि, निरंतर और संवर्धित विकास के लिए 2011-12 से 2013-14 तक नियत निवेश दर (सारणी 1.7) में लगभग चार प्रतिशतांक की कमी पूरा करने की आवश्यकता होगी। उपभोग के दीर्घावधि रुझानों के विपरीत, मुख्यरूप से सरकारी उपभोग व्यय में अपेक्षाकृत अधिक वृद्धि के कारण, गत तीन वर्ष के दौरान उपभोग के औसत रुझान में वृद्धि देखी गई (सारणी 1.7)। इससे विकास को आंशिक रूप से अपेक्षित मांग संबंग उपलब्ध होने की संभावना है।

1.23 2014-15 में स.घ.उ. के मांग पक्ष ने मिश्रित रुझान प्रस्तुत किए। पहला, निजी और सरकारी उपभोग दोनों में सुदृढ़ वृद्धि दर्शाते हुए उपभोग में बढ़ती प्रवृत्तियां क्रमिक रूप से मजबूत हुई हैं (सारणियां 1.6 और 1.7)। दूसरा, अर्थव्यवस्था में नियत पूँजी निर्माण में वृद्धि हुई है, परन्तु सकल मांग में हिस्सा नहीं रहा। तीसरा, निर्यातों से विकास को शायद ही कोई सहायता मिली है। आयातों में गिरावट मूलतः चालू वर्ष में अंतर्राष्ट्रीय तेल कीमतों में जबरदस्त कमी के कारण रही है जिससे तेल आयात हुंडी में कमी आई है। इसलिए, एक एहतियाती निष्कर्ष यह हो सकता है कि सतत विकास पुनरुद्धार मुख्य रूप से घरेलू उपभोग से अभिप्रेरित है।

1.24 चित्र 1.1 से देशों के बीच स.घ.उ. के अनुपात में सकल नियत पूँजी निर्माण (जीएफसीएफ) और विकास दरों की तुलना सूचित करती है कि ब्रिक्स देशों (और इंडोनेशिया) के बीच भारत निम्नतम वृद्धिशील पूँजी परिणाम अनुपातों (जीएफसीएफ आधारित-आईसीओआर) को प्रचालित करता है। 2012-13 और 2013-14 के लिए 29 प्रतिशत की


सारणी 1.7 : स.घ.उ. में व्यय संघटकों की दरें

	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
1. अंतिम उपभोग व्यय	68.8	69.7	71.0	72.1
2. सकल पूँजी निर्माण	38.2	36.6	32.3	उन
सकल नियत पूँजी निर्माण	33.6	31.4	29.7	28.6
स्टॉक में परिवर्तन	2.4	2.1	1.6	1.5
मूल्यवान वस्तुएं	2.9	2.8	1.3	1.3
3. वस्तुओं और सेवाओं का निवल निर्यात	-6.4	-6.7	-2.9	-2.4

स्रोत : सीएसओ।

टिप्पणी : सांख्यिकी विसंगतियों के कारण हिस्से नहीं जुड़ेंगे;

उन : उपलब्ध नहीं।



स्रोत : विश्व बैंक आंकड़ा आधार, भारत की विकास दर को छोड़कर जो सीएसओ से है।

टिप्पणी : भारत के लिए, आंकड़े वित्त वर्ष 2013-14 के लिए हैं।

औसत नियत निवेश दर देकर, और इन वर्षों के लिए 6 प्रतिशत की औसत स.घ.उ. विकास दर देकर, आईसीओआर 4.8 बैठती है। 2014-15 में विकास दर 7.4 प्रतिशत तक सुधरने और जीएफसीएफ के अनुपात में मामूली गिरावट के साथ (जीएफसीएफ की विकास दर में वृद्धि के बावजूद), भारत के लिए आईसीओआर और भी गिर गया।

1.25 पूर्व-संशोधित श्रृंखला से उपलब्ध बचत दर (स.घ.उ. के प्रतिशत के रूप में सकल घरेलू बचतें) में पूर्व प्रवृत्तियों से, यह देखा गया है कि यह 2007-08 में इसके ऐतिहासिक स्तर (36.8 प्रतिशत) पर पहुंच गई और तत्पश्चात् सामान्य अधोगमी संवेग के साथ, यह अस्थिर बनी रही। जहां निजी कारपोरेट बचतों में तेजी से गिरावट आई, वहां वित्तीय बचत लागत पर घरेलू बचतें भौतिक आस्तियों के संचयन के पक्ष में पुनर्निर्धारण की साक्षी रहीं। बचतों में संयोजकपरक परिवर्तनों के संकेतों को नई श्रृंखला के तीन वर्षों पर आधारित आंकड़ों से देखा जा सकता है।

1.26 जबकि बचत की पुरानी श्रृंखला कई कारणों से नई श्रृंखला (2011-12 आधार) के साथ सटीक रूप से तुलनीय नहीं है। इन कारणों में बचत के भाग के रूप में 'मूल्यवान वस्तुओं' का नया समावेशन शामिल है। नई श्रृंखला से तीन वर्षों के आंकड़े सुझाते हैं कि भौतिक आस्तियों के लिए घरेलू अधिग्रहण में गिरावट आ रही (सारणी 1.8)। पृथक आंकड़ों ने यह भी दर्शाया कि 2011-12 में घरेलू मदों

सारणी 1.8 : बाजार मूल्यों पर स.घ.उ. के प्रतिशत के रूप में सकल बचत

	2011-12	2012-13	2013-14
सकल बचत	33.9	31.8	30.6
सरकारी	1.4	1.7	1.6
निजी कारपोरेट	9.7	10.0	10.9
घरेलू	22.8	20.2	18.2
भौतिक*	15.5	13.2	11.0
वित्तीय	7.3	7.0	7.2

स्रोत : सीएसओ।

टिप्पणी : *घरेलू भौतिक बचतों में मूल्यवान वस्तुएं भी शामिल हैं।

की वित्तीय आस्तियों में वार्षिक संवर्धन सकल बचतों के 31.2 प्रतिशत से बढ़कर 2013-14 में 36.8 प्रतिशत होने के बावजूद, घरेलू मदों की वित्तीय बचतों की दर में अपवृद्धि नहीं हुई (सारणी 1.8) क्योंकि इनकी वित्तीय देयताएं भी साथ-ही सकल बचतों के 9.7 प्रतिशत से बढ़कर 13.2 प्रतिशत हो गई। भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़े दर्शाते हैं कि 2011-12 से 2013-14 के दौरान आस्ति पक्ष पर, घरेलू मदों की अतिरिक्त बैंक जमाओं में 27.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि देयता पक्ष पर, बैंक अग्रिमों में 25.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

10 आर्थिक समीक्षा 2014-15

1.27 गैर-प्रचालित अधिशेष/घाटा के लिए समायोजित निजी कारपोरेट क्षेत्र के प्रतिधारित लाभों, जो राष्ट्रीय लेखाओं के अंतर्गत उनकी बचत के रूप में परिभाषित किए गए हैं, में पुरानी श्रृंखला द्वारा प्रकटित प्रवृत्तियों के विपरीत 2011-12 से 2013-14 के दौरान वृद्धि हुई (सारणी 1.8)। यह पुरानी श्रृंखला द्वारा प्रदर्शित उन रुझानों के विपरीत है, जिनमें यह दर्शाया गया था कि निजी कारपोरेट बचतें 2011-12 में स.घ.उ. का केवल 7.3 प्रतिशत थीं और ये 2012-13 में 7.1 प्रतिशत तक गिर गयी। गैर-वित्तीय निगमों के कंपनी वित्तपोषण पर भारतीय रिजर्व बैंक के नमूना अध्ययनों की तुलना में कंपनियों के काफी अधिक विस्तृत कवरेज के एमसीए 21 आंकड़ा-आधार के भरोसे (जो पुरानी श्रृंखला के लिए आंकड़ों का स्रोत था) ने अनुपातों और उनकी प्रवृत्तियों में पूर्व-प्रदर्शित संशोधन को प्रकट किया है। नई श्रृंखला के अनुसार, स.घ.उ. के अनुपात में निजी गैर-वित्तीय निगमों की बचतें 2011-12 में 8.5 प्रतिशत से बढ़कर 2013-14 में 9.5 प्रतिशत हो गई जबकि निजी वित्तीय निगमों की बचत दर में केवल मामूली परिवर्तन हुआ।

1.28 2011-12 से 2013-14 तक सरकारी क्षेत्र बचत के संयोजन के संबंध में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ, सिवाय इसके कि सामान्य सरकार की निर्बचत कम हो गई जो इस अवधि के दौरान केंद्रीय और राज्य सरकारों के संयुक्त राजस्व घाटे में कमी के अनुरूप है। केन्द्र और राज्यों का संयुक्त राजस्व घाटा 2011-12 के 4.1 प्रतिशत से घटकर 2012-13 में 3.7 प्रतिशत और 2013-14 में और भी घटकर 2.9 प्रतिशत रह गया।

1.29 निवेश से बचत की तुलना करने पर (सारणियां 1.8 और 1.9), यह स्पष्ट है कि निजी कारपोरेट क्षेत्र में न्यून

सारणी 1.9 : स.घ.उ. के अनुपात में निवेश (वर्तमान बाजार मूल्य प्रतिशत में)

	2011-12	2012-13	2013-14
सकल पूंजी निर्माण	38.2	36.6	32.3
सरकारी क्षेत्र	7.6	7.2	8.0
निजी क्षेत्र	28.4	26.3	23.3
कारपोरेट क्षेत्र	13.3	13.5	12.6
घरेलू क्षेत्र	15.1	12.9	10.7
सकल बचतें	33.9	31.8	30.6
बचत निवेश अंतराल	-4.3	-4.8	-1.6
निवल पूंजी अंतर्वाह	4.3	4.8	1.6

स्रोत : सीएसओ।

टिप्पणी : भूल-चूक के लिए समायोजन के कारण आंकड़े मेल नहीं खा सकते हैं।

उद्घोषित अंतराल से अनुपूरित समेकित सरकारी क्षेत्र का बचत-निवेश अंतराल बड़ा था जिसका घरेलू मदों की बचतों, जिन्होंने सकल बचत-निवेश अंतराल का सृजन किया, द्वारा पूर्णतया भुगतान नहीं किया जा सकता था। घरेलू बचतों और घरेलू निवेश के बीच अंतर पारिभाषिक रूप से चालू खाता शेष (सारणी 1.9 में निवल पूंजी अंतर्वाह) के समकक्ष है। उपर्युक्त के महेनज़र, यह स्पष्ट है कि बचत-निवेश अंतराल को स्वीकार्य स्तरों पर रखने के लिए घरेलू वित्तीय बचत को ऊपर रखने की आवश्यकता है।

1.30 पूंजी निर्माण का संयोजन इसकी उत्पादकता का निर्धारण करने में महत्वपूर्ण है। इसका निर्धारण मोटे तौर पर मशीनरी और निर्मित संरचनाओं के बीच अपेक्षित संपूरकताओं द्वारा किया जाएगा। सारणी 9 सूचित करती है कि बौद्धिक संपदा उत्पादों का समायोजन, जो क्रमिक रूप से अपवर्धित हो रहा है, नई श्रृंखला में पूंजी निर्माण के भाग के रूप में पृथक् रूप से दर्शाया जाता है। सारणी 1.10 दर्शाती है कि बौद्धिक संपदा उत्पादों जो नई श्रृंखला में पूंजी निर्माण के अंतर्गत अलग से दिखाया गया है, में वृद्धि शनैः शनैः तेज हो रही है। इससे यह भी पता चलता है कि निर्माण नियत पूंजी में वृद्धि का मुख्य भाग है। आवासीय इकाइयों का निर्माण, निर्माण की अवधि के दौरान आय और रोजगार में महत्वपूर्ण रूप से योगदान करता है और निवेश क्षेत्रों और स्थावर भू-संपदा सेवाओं में मांग के सृजन के जरिए बड़ी उत्पादनोत्तर और उत्पादन-पूर्व सहबद्धताओं का सृजन करता है। (निवेश विनिवेश सारणियां 2007-नवीनतम उपलब्ध-विभिन्न क्षेत्रों के बीच इंगित करती हैं कि अर्थव्यवस्था में निर्माण की उच्चतम सहबद्धताएं हैं)।

1.31 तथापि, निर्माण संबंधी आवासीय यूनिटें अर्थव्यवस्था की उत्पादक क्षमता में कोई स्थायी योगदान करने वाली नहीं समझी जा सकती हैं। आंकड़े अन्य निर्माण जैसे सड़क, रेल नेटवर्क सिंचाई संबंधी निर्माण, आदि से पृथक् रूप में

सारणी 1.10 : कुल जीएफसीएफ की प्रतिशत के रूप में संघटक

	2011-12	2012-13	2013-14
आवासीय, अन्य भवन तथा संरचनाएं	59.3	58.2	58.6
मशीनरी और उपकरण	35.6	36.7	35.6
कृष्ट जैविक संसाधन	0.2	0.2	0.2
बौद्धिक संपदा उत्पाद	4.8	4.9	5.6

स्रोत : सीएसओ।

सारणी 1.11 : स.घ.उ. के प्रतिशत के रूप में घरेलू जीएफसीएफ

2011-12 2012-13 2013-14

घरेलू जीएफसीएफ जिनमें मकान, इमारतें और भवन शामिल हैं	15.0 12.7	12.6 10.6	10.6 8.9
---------------------------------------------------------------	--------------	--------------	-------------

स्रोत : सीएसओ।

आवासीय इकाइयों के निर्माण की जांच करने को अनुमत नहीं करते हैं।

1.32 परिवारों द्वारा आवासीय इकाइयों, अन्य भवनों और संरचनाओं का निर्माण अर्थव्यवस्था में कुल जीएफसीएफ का लगभग 34 प्रतिशत और 2011-12 से 2013-14 के दौरान घरेलू मदों की अपनी जीएफसीएफ का 84 प्रतिशत बैठता है। सारणी 10 दर्शाती है कि स.घ.उ. के अनुपात के रूप में घरेलू निर्माण का हिस्सा 2011-12 और 2013-14 के बीच 3.8 प्रतिशत बिन्दुओं तक गिर गया। इसके साथ ही, यह सूचित करते हुए कि इस अवधि के दौरान नियत पूँजी निर्माण की दर में कमी घरेलू निर्माण में लगभग पूर्णतया गिरावट के कारण थी जिससे स.घ.उ. के अनुपात में कुल जीएफसीएफ 3.9 प्रतिशत बिन्दुओं तक नीचे आ गई (सारणी 1.6)। 2012-13 और 2013-14 में नियत पूँजी निर्माण में कमी के बावजूद, उच्चतर विकास दर प्राप्त करने का यह एक कारण

सारणी 1.12 : निवेश का क्षेत्र-वार संवितरण

क्षेत्र	स.घ.उ. के अनुपात में जीसीएफ (%)		
	2011-12	2012-13	2013-14
कृषि और सहबद्ध	3.1	2.6	2.5
उद्योग	13.5	12.9	11.7
विनिर्माण	7.1	6.9	6.0
अन्य औद्योगिक क्षेत्र	6.4	6.0	5.8
सेवाएं	19.5	18.0	17.1

स्रोत : सीएसओ।

टिप्पणी : इसमें मूल्यवान वस्तुएं और निधियों के प्रवाह से समायोजन कारक शामिल नहीं हैं तथा इसलिए जीसीएफ के साथ मेल नहीं खाएंगे।

हो सकता है। सारणी 11 दर्शाती है कि सभी प्रमुख क्षेत्र पूँजी निर्माण की दर में कमी द्वारा प्रभावित हुए हैं।

योजित सकल कीमत में कारक शेयर

1.33 स.घ.उ. की आय अवधारणा की तर्ज पर, किसी वर्ष में आधार मूल्यों पर योजित सकल कीमत को कर्मचारियों को मुआवजा (सीई), प्रचालन अधिशेष (ओएस) का योग/स्व-रोजगारों में लगे व्यक्तियों की मिश्रित आय (एम आई), नियत पूँजी का मुआवजा (सीएफसी) और उत्पादन पर सब्सिडियों के निवल के करारों के रूप में वर्णित किया जा सकता है। सीई क्षेत्र में संदर्भ मजदूरी और वेतनों की

सारणी 1.13 : स.घ.उ. के आय संघटक और आय तथा नियोजन शेयर

क्षेत्र	जीवीए में सीई और एमआई एवं एमआई	जीवीए में सीएफसी	क्षेत्र में जीवीए का हिस्सा	नियोजन शेयर	
				औसत 2011-13	2011
कृषि और सहबद्ध	15.3	81.6	6.6	18.1	48.9
उद्योग	35.7	49.1	14.6	31.9	24.3
खनन और उत्खनन	23.9	62.5	12.8	3.0	0.5
विनिर्माण	23.6	58.4	17.0	17.8	12.6
विद्युत, गैस और जल आपूर्ति	31.7	36.5	34.1	2.3	0.5
निर्माण	65.2	29.1	5.1	8.8	10.6
सेवा क्षेत्र	38.9	50.0	10.4	50.0	26.9
व्यापार, होटल और रेस्टरंग	23.5	69.9	5.2	11.4	11.0
परिवहन, भंडारण और संचार	37.9	49.8	15.0	6.6	4.8
वित्तीय, स्थावर भू-संपदा और व्यवसाय सेवाएं	26.1	61.4	10.8	19.4	2.3
समुदाय, सामाजिक और व्यक्तिगत सेवाएं	72.7	14.9	12.3	12.7	8.7
कुल	33.6	55.5	11.1	100.0	100

स्रोत : सीएसओ।

12 आर्थिक समीक्षा 2014-15

संयुक्त कीमत है। इसमें नियोजक द्वारा किए गए सामाजिक अंशदान शामिल हैं। यह जीवीए में कर्मचारियों के हिस्से को प्रदर्शित करती है। संगठित क्षेत्र में, ओएस योजित निवल कीमत और कर्मचारियों के मुआवजे के बीच अंतर है। गैर-संगठित क्षेत्र जो लेखों का अनुरक्षण नहीं करता है अथवा स्व-नियोजित श्रम द्वारा पूर्णतया प्रबंधन किया जाता है में अनिगमित उद्यमों और घरेलू उद्योगों के विद्यमान होने के परिणामस्वरूप, योजित निवल मूल्य (एनवीए) को श्रमिकों और उद्यमियों की आय के रूप में पृथक् नहीं किया जा सकता है। इससे लेखा पूर्ण करने के लिए 'स्वनियोजित की मिश्रित आय' कही जाने वाली नई मद की शुरुआत हुई (सारणी 1.13)।

1.34 कृषि क्षेत्र में, सीई केवल भाड़ के श्रमिकों की मजदूरी के हिस्से को प्रदर्शित करता है और इसलिए अपने खेतों में/उनके द्वारा भाड़ पर लिए गए खेतों में काम कर रहे किसानों के कुल प्रतिफल एमआई का हिस्सा बनते हैं। इसलिए, कृषि में रोजगार के हिस्से को कृषि में सीई से जोड़ना कठिन है। विनिर्माण और करिपय सेवाओं में असंगठित खंड की विशाल उपस्थिति उनके रोजगार हिस्सों और जीवीए अनुपातों में सीई के बीच तालमेल बिठाने के लिए भी कठिनाई उत्पन्न करती है। यह उल्लेखनीय है कि निर्माण क्षेत्र में रोजगार का हिस्सा अपने जीवीए हिस्से से उच्चतर है, और यह जीवीए अनुपात में क्षेत्र के सीई में प्रतिबिम्बित होता है। कृषि के अलावा, निर्माण केवल ऐसा क्षेत्र है जिसका रोजगार हिस्सा जीवीए हिस्से से उच्चतर है। 2014-15 के लिए अग्रिम अनुमानों के अनुसार, निर्माण में विकास दर क्रमिक रूप से बढ़ रही है जो रोजगार सृजन के लिए शुभ संकेत है।

1.35 सेवा क्षेत्र गतिविधियों में, असंगठित खंड की तुलनात्मक रूप से कम उपस्थिति वाले दो क्षेत्रों में वित्तीय, स्थावर भू-संपदा और व्यवसाय सेवाएं और समुदाय, सामाजिक तथा व्यक्तिगत सेवाएं हैं। अपने जीवीए और रोजगार हिस्सों में प्रतिकूलता के साथ सुसंगति के अतिरिक्त इन क्षेत्रों में जीवीए के अनुपात में सीई बहुत अलग है। समुदाय, सामाजिक और व्यक्तिगत सेवाओं में सरकारी उपस्थिति की प्रधानता है।

प्रतिव्यक्ति आय

1.36 2012-13 से 2013-14 के दौरान, नई श्रृंखला (उपर्युक्त सारणी) के अनुसार प्रति व्यक्ति आय में औसत वृद्धि अर्थात् 4.3 प्रतिशत, पुरानी श्रृंखलाओं द्वारा प्रस्तुत की गई 2.4 प्रतिशत की तदनुरूप वृद्धि से काफी अधिक है।

1.37 विकास, बचतों और निवेश, आदि के रूझानों का विश्लेषण करने के पश्चात् राजकोषीय स्थिति, भुगतान संतुलन, कीमतों, मौद्रिक प्रबंधन, आदि से संबंधित करिपय अन्य महत्वपूर्ण वृहत्-मानकों पर निम्नलिखित पैराग्राफों में चर्चा की गई है।

सरकारी वित्त

1.38 2013-14 में, राजकोषीय औचित्य नीति के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता के साथ सरकार के अतिसक्रिय नीतिगत निर्णयों से वर्ष के लिए निर्धारित राजकोषीय घाटा लक्ष्य के वर्षात निष्पादन में सुधार हुआ। 2014-15 के प्रथम तौ माह आर्थिक सहायता के दौर में कुछ महत्वपूर्ण नीतिगत सुधारों का साक्षी रहा; संशोधित प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना प्रारम्भ की गई है; नई घरेलू गैस मूल्य निर्धारण नीति अनुमोदित की गई है और डीजल की कीमतों पर से नियंत्रण हटा लिया गया है। राजकोषीय समेकन का लक्ष्य हासिल करने के लिए व्यय सुधारों से संबंधित विभिन्न तथ्यों की जांच पड़ताल करने के लिए व्यय प्रबंधन आयोग गठित किया गया है। यह अधिकतम आउटपुट प्राप्त करने के लिए सरकारी व्यय की आबंटनात्मक और प्रचालन संबंधी दक्षताओं की समीक्षा करेगा।

1.39 अनंतिम लेखों के अनुसार, 2013-14 के लिए राजकोषीय घाटा 4.8 प्रतिशत के बजट अनुमान के विपरीत सकल घरेलू उत्पाद का 4.5 प्रतिशत रहा था। 2014-15 में, राजकोषीय घाटा और राजस्व घाटा क्रमशः 5,31,177 करोड़ (जीडीपी का 4.1 प्रतिशत) और 3,78,348 करोड़ (जीडीपी का 2.9 प्रतिशत) के रूप में बजट विहित थे।

सारणी 1.14 : प्रति व्यक्ति निवल राष्ट्रीय आय

	(₹)				वृद्धि (प्रतिशत में)		
	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2012-13	2013-14	2014-15
वर्तमान मूल्यों पर	64316	71593	80388	88533	11.3	12.3	10.1
स्थिर (2011-12) मूल्यों पर	64316	66344	69959	74193	3.2	5.4	6.1

स्रोत : सीएसओ।

1.40 2014-15 के लिए बजट आकलन (बीई) का उद्देश्य जीडीपी अनुपात में कुल व्यय के 13.9 प्रतिशत की तुलना में जीडीपी के लिए कर और जीडीपी में ऋण भिन्न प्राप्ति का क्रमशः 10.6 प्रतिशत और 9.8 प्रतिशत का अनुपात प्राप्त करना है। सकल कर राजस्व की परिकल्पित वृद्धि संशोधित आकलन 2013-14 में 17.7 प्रतिशत से अधिक और अनंतिम वास्तविक (पीए) 2013-14 में 19.8 प्रतिशत से अधिक रही। संशोधित आकलन 2013-14 और अनंतिम वास्तविक 2013-14 की तुलना में बजट अनुमान 2014-15 में कुल व्यय के क्रमशः 12.9 प्रतिशत और 14.8 प्रतिशत बढ़ने का अनुमान था।

1.41 महालेखा नियंत्रक द्वारा, अप्रैल-दिसम्बर, 2014 के लिए, जारी किए गए केन्द्रीय सरकार के वित्तियन संबंधी आंकड़ों के अनुसार, पिछले वर्ष में उसी अवधि की तुलना में सकल कर राजस्व वृद्धि 7 प्रतिशत रही तथा यह अप्रैल-दिसम्बर, 2014 में बजट आकलन का 58.3 प्रतिशत है। अप्रैल-दिसम्बर, 2014 के दौरान कर भिन्न राजस्व में व्याज प्राप्ति और लाभांश तथा लाभ में बढ़ोत्तरी के कारण गत वर्ष की उसी अवधि की तुलना में 27.3 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई। ऋण भिन्न पूँजीगत प्राप्तियों में, मुख्यतः विनिवेश प्राप्तियों में कमी के कारण दिसम्बर, 2014 की स्थिति के अनुसार, अत्यधिक कमी आई, क्योंकि 58425 करोड़ की बजटीय धनराशि का केवल 1952 करोड़ की उगाही हुई है। अनेक विनिवेश प्रस्ताव अंतिम चरण में हैं और वित्त वर्ष 2014-15 की शेष अवधि में राजस्व आने की आशा है।

1.42 केन्द्रीय सरकार के लेखों के पक्ष में, अप्रैल-दिसम्बर, 2014 के दौरान उल्लेखनीय रूझानों में गत वर्ष उसी अवधि के विपरीत योजना तथा योजना भिन्न व्यय वृद्धि में कमी आना शामिल है। खाद्यान्न सब्सिडी (21,807 करोड़ रुपए) और उर्वरक सब्सिडी (6,620 करोड़ रुपए) में बढ़ोत्तरी के कारण अप्रैल-दिसम्बर, 2013 की तुलना में अप्रैल-दिसम्बर, 2014 के दौरान बड़ी सब्सिडियों में वृद्धि हुई है। 2014-15 में अब तक का एक महत्वपूर्ण सकारात्मक परिणाम ईंधन मूल्य निर्धारण सुधारों तथा पैट्रोलियम उत्पादों की वैशिक स्तर पर कीमतें कम होने के कारण 2013-14 में उसी अवधि की तुलना में पैट्रोलियम की सब्सिडी में 4,908 करोड़ रुपए की कमी आना है।

1.43 वर्ष 2014-15 (अप्रैल-दिसम्बर) में बजट आकलन का 100.2 प्रतिशत पर का राजकोषीय घाटा पांच वर्ष के औसत 77.7 प्रतिशत से बहुत अधिक है। अप्रैल-दिसम्बर,

2014 के संबंध में राजस्व घाटा बजट आकलन का 106.2 प्रतिशत आंका गया है तथा यह पांच वर्ष के 81.4 के औसत से काफी अधिक है।

कीमतें और मौद्रिक प्रबंधन

1.44 थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यू पी आई) (आधार वर्ष 2004-05 = 100) के दृष्टिगत मापी गई शीर्षस्थ मुद्रास्फीति जो 2011-13 के दौरान लगभग 6-9 प्रतिशत पर लगातार उच्च रही थी वह खाद्यान्न और ईंधन की कीमतों में गिरावट आने पर 2014-15 (अप्रैल-दिसम्बर) में कुछ कम होकर औसतन 3.4 प्रतिशत रह गई। 2014-15 की प्रथम तिमाही में, थोक मूल्य सूचकांक आधारित शीर्ष मुद्रास्फीति 5.8 प्रतिशत रही। इसका मुख्य कारण खाद्यान्न और ईंधन की कीमतों का लगातार उच्च रहना था। 2014-15 की दूसरी और तीसरी तिमाही में, थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति घटकर क्रमशः 3.9 प्रतिशत और 0.6 प्रतिशत रह गई। थोक मूल्य सूचकांक में शीर्ष मुद्रास्फीति जनवरी 2015 में 0.4 प्रतिशत की नकारात्मक वृद्धि के रूप में दर्ज हुई। थोक मूल्य सूचकांक आधारित खाद्यान्न की मुद्रास्फीति (भार: 24.3 प्रतिशत), जो 2013-14 के दौरान 9.4 प्रतिशत पर उच्च रही थी, उसमें दिसम्बर, 2013 (मार्च, 2013 को छोड़कर) से सब्जियों की कीमतों में तेजी से गिरावट और अनाजों, अंडा, गोशत और मछली की कीमतों के कुछ कम होने के बाद अप्रैल-दिसम्बर, 2014 के दौरान कुछ कमी आई। चूंकि थोक मूल्य सूचकांक में ईंधन का अत्यधिक महत्व है। अतः ईंधन की कीमतें कम होने से उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) (आधार वर्ष 2010 = 100) की तुलना में थोक मूल्य सूचकांक में तेजी से कमी आई। विनिर्मित उत्पादों में मुद्रास्फीति 2013-14 से संकुचित सीमा के भीतर बनी रही। आधारवर्ष 2012 पर आधारित संशोधित सीपीआई (नई श्रृंखला) के अनुसार, शीर्ष सीपीआई मुद्रास्फीति जनवरी 2015 में 5.1 प्रतिशत पर रही।

1.45 2012-13 और 2013-14 के दौरान उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (संयुक्त) (आधार वर्ष 2010 = 100) द्वारा मापी गई खुदरा मुद्रास्फीति लगातार 9-10 प्रतिशत के बीच स्थिर रही। थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति की तरह, खाद्यान्न और मृदु पेयों तथा तम्बाकू; ईंधन और प्रकाश तथा अन्य जैसे सभी तीन बड़े उप-समूहों में मुद्रास्फीति में कुछ गिरावट के साथ, 2014-15 की दूसरी तिमाही से उपभोक्ता

सारणी 1.15: थोक मूल्य सूचकांक (आधार 2010 = 100) व्यापक समूहों में तिमाही बार मुद्रास्फीति (प्रतिशत में)

	भार	2013-14				2014-15		
		ति1	ति2	ति3	ति4	ति1	ति2	ति3 (अ)
सामान्य	100.0	9.5	9.7	10.4	8.4	8.1	7.4	5.0
I. खाद्यान्न और मृदुपेय और तम्बाकू	49.7	11.0	11.1	12.9	9.2	8.9	8.6	4.8
II. ईंधन और प्रकाश	9.5	8.4	7.9	7.0	6.3	5.2	4.0	3.4
III. अन्य	40.8	7.9	8.2	8.0	7.9	7.6	6.7	5.5
खाद्यान्न (सीएफपीआई)	42.7	11.1	11.4	13.6	9.3	9.1	8.8	4.5
महत्वपूर्ण मुद्रास्फीति (खाद्यान्न-भिन्न ईंधन-भिन्न)	42.9	8.0	8.2	8.1	8.0	7.7	6.8	5.7

स्रोत : सीएसओ। अ : अनंतिम।

मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति में भी कुछ कमी आई है। 2014-15 की तीसरी तिमाही में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (संयुक्त) आधारित मुद्रास्फीति कम होकर 5 प्रतिशत रह गई (सारणी 1.15)।

1.46 वर्ष के दौरान मुद्रास्फीति में वर्ष के प्रारम्भिक महीनों में प्रत्याशित से अधिक तेजी से कमी आई। वैश्विक कारक, अर्थात् कच्चे तेल के मूल्यों में निरन्तर कमी, व्यापार किए जाने वाले सामान, खासकर खाद्य तेलों और कोयले की कीमतों में भी वैश्विक स्तरों पर कमी से उच्च स्तर की मुद्रास्फीति को संयंत करने में मदद मिली। सख्त मौद्रिक नीति मांग के दबाव को नियंत्रण में रखने, किसी विदेशी आधात से निपटने को बफर सृजन और रुपए के मूल्य में घट-बढ़ को नियंत्रित रखने में सहायक हुई। गत एक वर्ष के दौरान, प्रमुख मुद्राओं की तुलना में रुपया अपेक्षाकृत स्थिर रहा, इसका भी मुद्रास्फीति पर अनुकूल प्रभाव पड़ा। मजदूरी दर बृद्धि के संयंत रहने से प्रोटीन आधारित वस्तुओं पर मांग के दबाव में कमी आई। मूलभूत प्रभाव ने भी उच्च स्तरीय मुद्रास्फीति में कमी लाने में योगदान दिया।

मौद्रिक गतिविधियां

1.47 भारतीय रिजर्व बैंक (आर बी आई) ने वर्ष के दौरान जनवरी तक नीतिगत दरें अपरिवर्तित रखी। मुद्रास्फीति संबंधी वैदेशिक नीतियों के सुगम रहने से, भारतीय रिजर्व बैंक ने जनवरी, 2015 में नीतिगत रेपो दर में 25 आधारभूत अंकों की कटौती करके इसे 7.75 प्रतिशत तक रखकर मौद्रिक नीति स्वरूप में गिरावट लाने के संकेत दिए। तदुपरांत भारतीय रिजर्व बैंक ने 50 आधार अंक द्वारा सांविधिक नकदी अनुपात को भी निवल मांग तथा मियादी देयताओं के 22.5 प्रतिशत

से घटाकर 22.0 प्रतिशत कर दिया। भारतीय रिजर्व बैंक ने अप्रैल, 2014 से नीतिगत संचार के लिए मामूली एंकर के उपाय के रूप में नए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सम्मिलित) को अपनाया।

1.48 नकदी प्रबंधन प्रचालनों में लोचनीयता, पारदर्शिता और संभाव्यता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, रिजर्व बैंक ने सितम्बर, 2014 में अपने नकदी प्रबंधन ढांचे को संशोधित किया। अबतक, 2014-15 के दौरान, अल्पकालिक तंग परिस्थितियों के सिवाय, नकदी संबंधी परिस्थितियां मोटे तौर पर संतुलित रहीं। संशोधित नकदी प्रबंधन ढांचा 14 दिवसीय सावधि रेपो नीलामियों तथा एक दिनी परिवर्तनीय रेपो नीलामियों में भारित औसत कटौती दरों को रेपो रेट के समीप रखने में सहायक हुआ।

वैदेशिक क्षेत्र

1.49 2013-14 में आरम्भिक अस्तव्यस्तता के पश्चात्, वर्ष के लिए समग्र परिणाम पुष्ट रहा। इसका कारण वे नीतियां रहीं जिन्हें असाधारण स्थिति में सुधार लाने के लिए लागू किया गया था। चालू वित्त वर्ष के जरिए संपुष्ट वैदेशिक क्षेत्र परिणाम की निरन्तरता से सोने पर से प्रतिबंध हटाने में सुगमता हुई और कच्चे पेट्रोलियम का वैश्विक स्तर पर कम कीमतों के चलते डीजल मूल्य निर्धारण में सुधार लाने में सहायता मिली। वैश्विक कच्चे पेट्रोलियम के मूल्यों के जरिए घरेलू डीजल के मूल्यों में कमी न आना दुतरफा घाटों के उच्च स्तर में एक महत्वपूर्ण कारक रहा। आगे चलकर, विदेशी परिणाम की संपुष्टता स्थायी सुधार एंकर पर निर्भर करेगी।

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार

1.50 गत दस वर्षों में, भारत का व्यापारिक माल व्यापार (सीमाशुल्क आधार पर), 2004-05 में 195.0 बिलियन अमरीकी डालर से 2013-14 में बढ़कर 764.6 बिलियन अमरीकी डालर तक कई गुणा बढ़ गया। इससे 2004 में वैश्विक निर्यात और आयात में भारत का हिस्सा क्रमशः 0.8 प्रतिशत और 1.0 प्रतिशत से सुधर कर 2013 में 1.7 प्रतिशत और 2.5 प्रतिशत तक होने में मदद मिली। 2004 में प्रमुख निर्यातकों और आयातकों में इसका स्थान 30 और 23 से सुधरकर 2013 में क्रमशः 19 और 12 हो गया।

1.51 2013-14 में 4.7 प्रतिशत तक वृद्धि होने के पश्चात्, 2014-15 (अप्रैल-जनवरी) में भारत का व्यापारिक माल निर्यात 2.4 प्रतिशत की संयंत वृद्धि के साथ 265 बिलियन अमरीकी डालर तक पहुंच गया। 2013-14 के दौरान, भारत का व्यापारिक माल आयात 8.3 प्रतिशत तक कम होकर 450 बिलियन अमरीकी डालर रह गया। 2014-15 (अप्रैल-जनवरी) में, आयात 2013-14 (अप्रैल-जनवरी) में 375.3 बिलियन अमरीकी डालर की तुलना में 2.2 प्रतिशत बढ़कर 383.4 बिलियन अमरीकी डालर हो गया। पेट्रोलियम, तेल और लुब्रिकेंट्स (पीओएल) आयात मूल्य, जो 2013-14 में भारत के कुल आयात का 36.6 प्रतिशत बैठता था, वह कच्चे पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कमी आने के परिणामस्वरूप, 2014-15 (अप्रैल-जनवरी), में 7.9 प्रतिशत घट गया। 2012-13 और 2013-14 में पीआएल की आय वृद्धि क्रमशः 5.9 प्रतिशत और 0.4 प्रतिशत रही। पर्याप्त पास थ्रू की अपेक्षा कम आपूर्ति के कारण, चालू वित्त वर्ष की प्रथम तिमाही तक पीओएल आयात स्तर उच्च बना रहा। 2014-15 की पहली तिमाही कच्चे तेल के अंतर्राष्ट्रीय मूल्य (ब्रेन्ट) 109.8 अमरीकी डालर प्रति बैरल से घटकर तीसरी तिमाही में 76.0 अमरीकी डालर प्रति बैरल रह गया जिसके परिणामस्वरूप 2014-15 (अप्रैल-जनवरी) में पीओएल के आयात मूल्य में 7.9 प्रतिशत की कमी आई।

1.52 भारत के कुल आयात में सोने और चांदी के आयात का हिस्सा 2012-13 में 11.4 प्रतिशत और 2013-14 में 7.4 प्रतिशत रहा। सोने और चांदी का आयात, जिसमें 2012-13 और 2013-14 में क्रमशः 9.6 प्रतिशत और 40.4 प्रतिशत की कमी आई थी उसमें 2014-15 (अप्रैल-जनवरी) में 8.0 प्रतिशत की वृद्धि हुई। पूँजीगत माल के आयात में 2011 से निरंतर गिरावट आ रही थी। पीओएल भिन्न और सोना तथा चांदी भिन्न आयात जो औद्योगिक

कार्यकलाप हेतु आवश्यक आयात को काफी हद तक प्रतिबिम्बित करता है। इसमें 2012-13 और 2013-14 में क्रमशः 0.7 प्रतिशत और 6.9 प्रतिशत की गिरावट दर्ज करने के उपरान्त 2014-15 (अप्रैल-जनवरी) में 7.8 प्रतिशत वृद्धि हुई;

1.53 हालिया वर्षों में विनिर्मित सामानों का बहुत निर्यात 63 प्रतिशत से अधिक बैठता था, इसके बाद 20 प्रतिशत हिस्से के साथ कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों (कोयला सहित) और 13.7 प्रतिशत के हिस्से के साथ कृषि और संबद्ध उत्पादों का स्थान आता है। 2011-12 में 300 बिलियन अमरीकी डालर को पार करने के पश्चात् निर्यात वृद्धि दरों में उल्लेखनीय गिरावट आई है जो कमोवेश एक वैश्विक घटना है क्योंकि 2011 से यूरोजोन संकट के चलते वैश्विक व्यापार खंडों में उल्लेखनीय सुधार नहीं हुआ है। पेट्रोलियम और कृषि तथा संबद्ध उत्पादों की निर्यात वृद्धि जो गत चार वर्ष के दौरान, सकारात्मक रही थी, 2014-15 (जनवरी-अप्रैल) में नकारात्मक हो गई। रत्न और आभूषण निर्यात जिसमें 2012-13 और 2013-14 में गिरावट का रूझान प्रदर्शित हुआ था, उसमें 2014-15 (अप्रैल-जनवरी) में गिरावट की प्रवृत्ति जारी रही। इसी प्रकार, इलेक्ट्रॉनिक माल के मामले में 2012-13 से निर्यात में निरंतर कमी आती रही है। 2014-15 (अप्रैल-जनवरी) के दौरान, परिवहन उपस्कर; मशीनरी और कलपुर्जों; धातु निर्मित सामानों और तैयार परिधानों जैसे कतिपय क्षेत्रों में निर्यात में सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई। 2012-13, 2013-14 और 2014-15 (अप्रैल-जनवरी) में समुद्रीय उत्पादों और चमड़ा तथा चमड़ा निर्मित उत्पादों में तुलनात्मक रूप से उच्चतर वृद्धि दर्ज की गई।

1.54 हालिया वर्षों में, भारतीय व्यापार में महत्वपूर्ण बाजार विविधता रही है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे यूरोजोन में काफी हद तक कमजोरी के कारण मंद वैश्विक मांग से निपटने में मदद मिली है। क्षेत्र-वार यूरोप और अमेरिका का भारतीय निर्यात हिस्सा कुछ वर्षों से 2004-05 में क्रमशः 23.6 प्रतिशत और 20.1 प्रतिशत से घटकर 2013-14 में क्रमशः 18.6 प्रतिशत और 17.2 प्रतिशत रह गया है। इसके विपरीत एशिया तथा अफ्रीका को भारतीय निर्यात का हिस्सा 2004-05 में क्रमशः 47.9 प्रतिशत और 6.7 प्रतिशत से बढ़कर 2013-14 में क्रमशः 49.4 प्रतिशत और 9.9 प्रतिशत हो गया है।

1.55 2014-15 (अप्रैल-जनवरी) में, व्यापार घाटा 2013-14 (अप्रैल-जनवरी) में 116.5 बिलियन अमरीकी डालर की तुलना में मामूली अर्थात् 1.6 प्रतिशत बढ़कर

16 आर्थिक समीक्षा 2014-15

118.4 बिलियन अमरीकी डालर हो गया है। 2014-15 (अप्रैल-जनवरी), में निर्यात (2.4 प्रतिशत) और आयात (2.2 प्रतिशत की वृद्धि वर्ष-दर-वर्ष) में अल्प वृद्धि के परिणामस्वरूप व्यापार घाटे में 1.9 बिलियन अमरीकी डालर की सीमांत वृद्धि हुई।

भुगतान संतुलन

1.56 आयात और इसके वित्तपोषण के उच्च स्तरों के कारण 2011-12 और 2012-13 में चालू खाता घाटा के बढ़ने के अदृश्य आयात-निर्यात खाते में निवेश आय के रूप में अपेक्षाकृत अधिक राशि के बहिर्वाह के दृष्टिगत निहितार्थ रहे हैं। केड के स्तर के अनुपात के रूप में ऐसा बहिर्वाह 2007-08 में 28.2 प्रतिशत से बढ़कर 2013-14 में 72.6 प्रतिशत हो गया। केड में कमी की एक महत्वपूर्ण मान्यता यह थी कि इसके पूर्ण वित्तपोषण से भी, निवेश के आय-व्यय के माध्यम से केड के स्तरों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

1.57 2014-15 की प्रथम छमाही में, भारतीय वैदेशिक क्षेत्र की स्थिति हितकर और आरामदायक रही। दो महत्वपूर्ण गतिविधियां (i) अदृश्य आयात-निर्यात में सीमित वृद्धि के साथ-साथ कम व्यापार घाटा, जिसके परिणामस्वरूप चालू खाता घाटा कम रहा और (ii) अपेक्षाकृत अधिक पोर्टफोलियो निवेश, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और बाह्य वाणिज्यिक उधार द्वारा समर्थित पूंजी अंतर्वाह में वृद्धि, रही।

1.58 चालू खाता घाटे के वित्तपोषण की जरूरत से पूंजीगत अंतर्वाह अधिक हुआ और परिणामतः विदेशी मुद्रा भंडार की संचित राशि में वृद्धि हुई। चालू खाता घाटा 2014-15 (अप्रैल-सितम्बर) में 2013-14 की इसी अवधि में 26.9 बिलियन अमरीकी डालर की तुलना में 17.9 बिलियन अमरीकी डालर रखा गया। जीडीपी के अनुपात के रूप में, चालू खाता घाटा 2013-14 की पहली छमाही में 3.1 प्रतिशत से घटकर 2014-15 की पहली छमाही में 1.9 प्रतिशत रह गया। निवल वित्तीय प्रवाह 2013-14 की पहली छमाही में 16.3 बिलियन अमरीकी डालर की तुलना में 2014-15 की पहली छमाही में 36.0 बिलियन अमरीकी डालर रहा। निवल विदेशी निवेश 2013-14 (अप्रैल-सितम्बर) में 7.8 बिलियन अमरीकी डालर से बढ़कर 2014-15 (अप्रैल-सितम्बर) में 38.4 बिलियन अमरीकी डालर हो गया। निवल वैदेशिक वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) भी 2013-14 (अप्रैल-सितम्बर) में 2.5 बिलियन अमरीकी डालर से सुधरकर 2014-15 (अप्रैल-सितम्बर) में 3.4 बिलियन अमरीकी डालर हो गया। इसी अवधि के दौरान निवल बैंकिंग पूंजी 11.5 बिलियन अमरीकी डालर से

घटकर (-) 0.5 बिलियन अमरीकी डालर रह गई। चालू खाता घाटे की तुलना में निवल पूंजीगत प्रवाह उच्चतर रहने से भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार (भुगतान संतुलन आधार पर) 2013-14 की पहली छमाही में 10.7 बिलियन अमरीकी डालर की कमी के विपरीत 2014-15 की पहली छमाही में बढ़कर 18.1 बिलियन अमरीकी डालर के बराबर हो गया।

1.59 चालू खाता घाटे वाली प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में, ब्राजील के बाद भारत दूसरा सबसे बढ़ा विदेशी मुद्रा भंडार धारक है। 6 फरवरी, 2015 की स्थिति के अनुसार, 330.2 बिलियन अमरीकी डालर के भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में मुख्य रूप से 305.0 बिलियन अमरीकी डालर की धनराशि वाली विदेशी मुद्रा अस्तियां शामिल हैं जो कुल राशि की लगभग 92.5 प्रतिशत बैठती हैं। 2014-15 की पहली छमाही में आरक्षित निधि में बढ़ोत्तरी के साथ, आरक्षित निधि आधारित सभी परम्परागत वैदेशिक क्षेत्र के कमजोरी संबंधी संकेतकों में सुधार हुआ है। उदाहरण के लिए, आरक्षित निधि के लिए अल्पावधि विदेशी ऋण का अनुपात मार्च, 2014 के अन्त में 29.3 प्रतिशत से घटकर सितम्बर, 2014 के अन्त में 27.5 प्रतिशत रह गया और आयात हेतु आरक्षित निधि का दायरा भी मार्च, 2014 के अन्त में 7.8 माह से बढ़कर सितम्बर, 2014 में 8.1 माह हो गया।

1.60 इक्विटी और बांड बाजारों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और विदेशी संस्थागत निवेश के व्यापक अंतर्वाह के कारण वर्ष के दौरान रूपया-अमरीकी डालर की विनियमदर मोटे तौर पर स्थिर रही। यूरोप और जापान में कमजोर आर्थिक दृष्टिकोण के चलते, अमरीकी डालर की तुलना में यूरो और येन की परस्पर लेन-देन की गतिविधियों के साथ कमोवेश सितम्बर, 2014 से यूरो और येन की तुलना में रूपये की स्थिति में सुधार हुआ। बिंदु पर बिंदु आधार पर रूपये की स्थिति में 28 मार्च, 2014 को 60.10 रूपये प्रति अमरीकी डालर से 30 जनवरी, 2015 को 61.76 रूपये प्रति अमरीकी डालर अर्थात् 2.7 प्रतिशत अवमूल्यन हुआ। 30 दिसम्बर, 2014 को रूपया 63.75 रूपये प्रति अमरीकी डालर के निम्नतम स्तर से 19 मार्च, 2014 को 58.43 रूपये प्रति अमरीकी डालर की बुलंदी पर पहुंच गया।

विदेशी ऋण

1.61 भारत का विदेशी ऋण स्टॉक, मार्च, 2014 के अंत में अपने स्तर से सितम्बर, 2014 के अंत में 13.7 बिलियन अमरीकी डालर (3.1 प्रतिशत) बढ़कर 455.9 बिलियन अमरीकी डालर हो गया। विदेशी ऋण में बढ़ोत्तरी का कारण उच्चतर दीर्घावधि ऋण खासकर वाणिज्यिक उधार और अनिवासी भारतीय (एनआरआई) जमाराशियां रहीं। भारत के

विदेशी ऋण की परिपक्वता पृष्ठभूमि से दीर्घावधि उधारों के वर्चस्व का संकेत मिलता है। सितम्बर, 2014 के अन्त में दीर्घावधि ऋण मार्च, 2014 के अंत में 79.8 प्रतिशत की तुलना में कुल विदेशी ऋण का 81.1 प्रतिशत बैठता है। भारत का विदेशी ऋण नियंत्रणीय सीमाओं के भीतर रहा जैसाकि 2013-14 में विदेशी ऋण के अनुपात जीडीपी का 23.5 प्रतिशत और ऋण सेवा अनुपात 5.9 प्रतिशत से संकेत मिला। भारत सरकार की विवेकशील विदेशी ऋण प्रबंधन नीति, विदेशी ऋण की आगमदायक स्थिति को बनाए रखने में सहायक हुई है।

2015-16 हेतु नज़रिया

1.62 भारत की बहुत आर्थिक परिस्थिति में वर्तमान वर्ष के दौरान महत्वपूर्ण सुधार आया है। राष्ट्रीय लेखाओं की जारी हुई नई शृंखला से यह पता चलता है कि अर्थव्यवस्था अतीत की तुलना में उम्मदी से काफी बेहतर चल रही है। वैश्विक मांग की परिस्थिति में आयी गिरावट के मुकाबले सेवाओं तथा विनिर्माण क्षेत्र में हो रही निरन्तर तेज़ी भारत की घरेलू मांग के मज़बूत होने की ओर संकेत करती है। घरेलू मांग में आए उछाल का कारण खपत है। निवेश गतिविधि, जो कि धीरे-धीरे रफ्तार पकड़ रही है; को मजबूत आधार प्रदत्त किए जाने की आवश्यकता है। आनेवाले वर्षों में इस वृद्धि को और अधिक मजबूत करने के लिए वर्तमान में दिख रहे बाह्य क्षेत्र के हितकर परिणाम के उलटफेर के साथ-साथ बचत-निवेश की गतिशीलता भी महत्वपूर्ण होगी। इसकी कुंजी, बेहतर मूल्य पर बचतों के प्रति अनुक्रिया, वित्तीय बाजार स्थिरता, विशेषकर महत्वपूर्ण अवसंरचनात्मक क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक निवेश और सरकार द्वारा किए जा रहे सुधार प्रयास होंगे।

1.63 आपूर्ति के संबंध में, निर्माण और खनन गतिविधियों में अस्थायी वृद्धि की प्रवृत्ति को लेकर चिंता हैं जिनका निराकरण किए जाने की आवश्यकता है। यह खासकर इन क्षेत्रों के मजबूत अंतर्क्षेत्रीय सम्पर्क के मद्देनजर और भी अधिक महत्वपूर्ण है। खेती के क्षेत्र में अपेक्षाकृत मॉनसून की खराब स्थिति की वजह से नुकसान हुआ, किन्तु इसका अगले वर्ष असर पड़ने की कोई आशंका नहीं है। वर्धित मूल्य के अनुपात में उत्पादन द्वारा प्रस्तुत अर्थव्यवस्था में मूल्य वर्धन की दर में सुधार तथा संबंधानात्मक पूँजी उत्पादन अनुपात में गिरावट उत्पादन में संसाधन के बेहतर इस्तेमाल की ओर संकेत करते हैं।

1.64 वैश्विक रूप से, संयुक्त राज्य अमरीका आत्म विश्वास और दृढ़ता को प्रदर्शन करता है, जबकि चीन, रूस,

यूरो क्षेत्र और जापान जैसी संरचनात्मक रूप से महत्वपूर्ण कुछ अर्थव्यवस्थाएं अनिश्चित संभावनाओं से जूझ रही हैं, जिसके कारण वैश्विक प्रगति और निवेश का नज़रिया प्रभावित होता है। तेल की कीमतों में तीव्र गिरावट के कारण समग्र वैश्विक विकास और स्थिरता को प्रोत्साहन मिला है। साथ ही इससे तेल का निर्यात करने वाले देशों का भाग्य अंधकारमय हो गया है। इससे आर्थिक गतिविधि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

1.65 तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के सामान्यतया कम रहने की संभावना सहित कीमत एवं बाह्य क्षेत्र परिदृश्य में सुधारों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता के आलोक में संयुक्त राज्य अमरीका की ब्याज दरों में वृद्धि से उत्पन्न हो सकने वाली अनिश्चितताओं तथा यूरो क्षेत्र के अन्दर ग्रीस में व्याप्त परिस्थितियों के बावजूद घरेलू बहुत आर्थिक मापदण्ड हेतु नज़रिया सामान्यतया आशावादी है। उपर्युक्त को देखते हुए, तथा विश्व की अर्थव्यवस्था में सामान्य मॉनसून की बेहतर संभावनाओं को मानते हुए जो कि भारतीय उत्पादों और सेवाओं के निर्यात को गति प्रदान कर सकती है; 2015-16 में लगभग 8.5 प्रतिशत वृद्धि होने की संभावना है।

क्षेत्र संबंधी गतिविधियां

कृषि

1.66 दसवीं योजना के दौरान, देश के सकल घरेलू उत्पाद (2004-05 की कीमतों पर) में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों का योगदान 19 प्रतिशत रहा। यह ग्यारहवीं योजना के दौरान घटकर 15.2 प्रतिशत रह गया। यह संक्रमण के दौरान अर्थव्यवस्थाओं के संरचनात्मक रूपांतरण के विशिष्ट विगत प्रतिरूप के अनुसार है। कृषि और संबद्ध क्षेत्रों ने नौवीं योजना में 2.5 प्रतिशत, दसवीं योजना में 2.4 प्रतिशत और ग्यारहवीं योजना में 44.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

1.67 वर्ष 2013-14 के लिए, चौथे अग्रिम आकलन के अनुसार कुल खाद्यान्न उत्पादन 264.8 मिलियन टन आंका गया है, जो गत वर्ष से 7.6 मिलियन टन अधिक तथा गत पांच वर्ष के दौरान खाद्यान्नों के औसत उत्पादन की तुलना में 22.04 मिलियन टन अधिक है। कृषि मंत्रालय द्वारा 19 सितम्बर, 2014 को जारी किए गए अग्रिम आकलनों के अनुसार, 2014-15 के दौरान खरीफ में कुल खाद्यान्न उत्पादन 120.27 मिलियन टन होने का अनुमान लगाया गया है जबकि 2013-14 में 129.32 मिलियन टन तथा 2012-13 में 117.18 मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन हुआ था।

सारणी 1.16 : कृषि क्षेत्र : महत्वपूर्ण सूचकांक (वर्तमान कीमतों पर प्रतिशत)

वस्तु	2011-12	2012-13	2013-14
कुल सकल घरेलू उत्पाद में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों का हिस्सा	18.4	18.0	18.0
फसलें	12.0	11.7	11.8
पशुधन	4.0	4.0	3.9
वनिकी और लॉगिंग	1.6	1.5	1.4
मत्स्य पालन	0.8	0.8	0.9
कुल सकल पूँजी निर्माण में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों का हिस्सा	8.6	7.7	7.9
फसलें	7.4	6.5	6.6
पशुधन	0.8	0.7	0.7
वनिकी और लॉगिंग	0.1	0.1	0.1
मत्स्य पालन	0.4	0.4	0.5
क्षेत्र के सकल घरेलू उत्पाद (2011-12 की चालू कीमतों पर) में प्रतिशत के रूप में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में सकल पूँजी निर्माण	18.3	15.5	14.8

स्रोत: केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ)

1.68 भारतीय कृषि के लिए कुछ चुनौतियां और नीतिगत सिफारिशें निम्नलिखित हैं:

- कृषि और खाद्यान्न क्षेत्रों में अनुसंधान, शिक्षा, विस्तार, सिंचाई, उर्वरकों और मृदा परीक्षण हेतु प्रयोगशालाओं, पानी और वस्तुओं, भंडारागारों, शीतगृहों में व्यापक निवेश की आवश्यकता है। आर्थिक सहायता को युक्तिसंगत बनाने और लाभार्थियों पर उन्हें बेहतर तरीके से लक्षित करने से सरकारी निवेश हेतु संसाधन सृजित होंगे।
- राज्यों के भीतर पैदावार में व्यापक भिन्नता होती है। विश्व के सर्वोत्तम देशों से अपने सर्वोत्तम राज्यों की तुलना करने पर इन राज्यों में भिन्न-भिन्न फसलों की पैदावार काफी कम है। इससे पर्यावरण को सुरक्षित रखते हुए पैदावार के अन्तर को संभव सीमा तक कम करके उत्पादन को बढ़ाने के लिए भरपूर गुंजाइश बनती है।
- सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराकर पैदावार में अत्यधिक सुधार लाया जा सकता है। क्योंकि विस्तृत फसलदार क्षेत्र अभी भी असिंचित है। उत्पादन कार्य में बदलाव लाने के लिए, बुनियादी अनुसंधान में निवेश आवश्यक होगा।
- शांता कुमार समिति की अनुशंसाओं में खाद्यान्न नीति की भावी रूपरेखा से संबंधित उपयोगी सुझाव दिए गए हैं। कृषि जिन्सों के लिए राष्ट्रीय कॉमन बाजार के सृजन हेतु राज्यों को तैयार करने के लिए हरसंभव प्रयास किया जाना चाहिए।

- विद्युत और पानी हेतु उपयोगकर्ता प्रभारों से छूट सहित, विभिन्न नीतियों से उत्पन्न होने वाले व्यवधानों को समाप्त किया जाना चाहिए।
- किसानों को सक्षम अग्रिम मूल्य अन्वेषण कार्य सुलभ करने खोज उपलब्ध कराने और इन्हें मूल्य जोखिम से संरक्षित करने के लिए वायदा बाजार आयोग को मजबूत किया जाना चाहिए तथा बाजार को और अधिक कारगर ढंग से विनियमित करने के लिए शक्ति प्रदान की जानी चाहिए।

औद्योगिक, कार्पोरेट तथा अवसंरचना संबंधी निष्पादन

1.69 2011-12 को आधार वर्ष मानकर, हाल ही में जारी किए गए राष्ट्रीय लेखा आंकड़ों के अनुसार, 2012-13, 2013-14 और 2014-15 में क्रमशः 2.4 प्रतिशत, 4.5 प्रतिशत और 5.9 प्रतिशत की औद्योगिक वृद्धि 2004-05 के आधार वर्ष के साथ पूर्व के अनुमान से काफी अधिक बेहतर थी। गिरावट का रुझान घरेलू मांग में धीमेपन, मुद्रास्फीति दबावों, और निवेश लागतों में बढ़ोत्तरी तथा विश्व अर्थव्यवस्था में मंदी के कारण था। इसके अतिरिक्त, 2013-14 में उद्योग में सकल पूँजी निर्माण में 1.4% वृद्धि का आशय है कि औद्योगिक वृद्धि विगत वर्ष में प्रारंभ हो चुकी थी।

1.70 औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक (आईआईपी) के अनुसार औद्योगिक वृद्धि की तस्वीर इस बात की ओर संकेत करती है कि जो औद्योगिक उत्पादन 2011-12 से मंद रहा

था उसका रुझान 2014-15 में बिल्कुल पलट गया। अप्रैल-नवंबर 2014-15 में आईआईपी के उपभोग आधारित वर्गीकरण के अनुसार, बुनियादी वस्तुओं और पूँजीगत वस्तुओं की वृद्धि में विशिष्ट सुधार देखने को मिला। जबकि अंतर्वर्ती वस्तुओं में वृद्धि धीमी रही, अप्रैल-नवंबर 2014-15 में उपभोक्ता वस्तुओं में विशेषकर उपभोक्ता टिकाऊ वस्तु क्षेत्र में संकुचन के कारण संकुचन आया।

1.71 आठ प्रमुख उद्योगों के सूचकांक पर आधारित अवसंरचना में वृद्धि अप्रैल-दिसंबर 2013-14 में 4.1% से थोड़ी सुधार कर 2014-15 की इसी अवधि में 4.4% हो गई। कोयला, बिजली और सीमेंट के निष्पादन में विशिष्ट सुधार देखने को मिला, स्टील और रिफाइनरी उत्पादों में क्रमशः 1.6% और 0.2% का कम सुधार हुआ जबकि कच्चा तेल, गैस और उर्वरकों में ऋणात्मक वृद्धि रही। परिवहन क्षेत्र में 2014-15 के प्रथम नौ महीनों में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में रेल भाड़ा (5.1%), घरेलू हवाई यात्री परिवहन (7.1%), अंतरराष्ट्रीय यात्री परिवहन (10.3%), अंतरराष्ट्रीय नौभार (8.3%), घरेलू नौभार (19.3%) और प्रमुख व छोटे बंदरगाहों पर सकल नौभार (6.8%) में सुधार हुआ।

1.72 बिक्री में वृद्धि और निवल लाभ के संदर्भ में निजी क्षेत्र की सूचीबद्ध विनिर्माण कंपनियों का कार्य-निष्पादन 2014-15 की प्रथम तिमाही में एकदम सुधार हुआ प्रतीत हुआ। तथापि 2014-15 की दूसरी तिमाही के निष्पादन ने सतत सुधार की आशाओं को धूमिल कर दिया। भारतीय रिज़र्व बैंक की ऑर्डर बुक्स, माल सूची (इन्वेंटरीज) और क्षमता उपयोग सर्वेक्षण के अनुसार 2014-15 की प्रथम दो तिमाहियों में क्षमता उपयोग में कोई दृष्टिगोचर सुधार नहीं है।

1.73 1000 करोड़ रु. और इससे अधिक लागत की कुल 246 केंद्रीय अवसंरचना परियोजनाओं में से 124 में नवीनतम कार्यक्रम के कारण विलंब हुआ और 24 परियोजनाओं में सार्थिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की पिछले महीने की रिपोर्ट (अक्टूबर 2014 के लिए फ्लैश रिपोर्ट) में समापन की तारीख के विपरीत अतिरिक्त विलंबों की रिपोर्ट मिली है।

1.74 खनन क्षेत्र के अतिरिक्त सभी अन्य प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों में 2013-14 की तुलना में 2014-15 में ऋण की वृद्धि में मंदी देखी गई। 2014-15 में 13.3 प्रतिशत पर विनिर्माण क्षेत्र में ऋण प्रवाह की वृद्धि वर्ष 2013-14 में 25.4 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में कम रही। वर्ष 2014-15 में रसायन, खाद्य प्रसंस्करण और वस्त्रों में ऋण की वृद्धि में एकदम गिरावट देखी गई।

1.75 अप्रैल नवंबर 2014-15 के दौरान, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में कुल अंतर्वाह (ईक्विटी अंतर्वाह, पुनःनिवेशित अर्जन और अन्य पूँजी) 27.4 बिलियन अमरीकी डालर था, जबकि एफडीआई ईक्विटी अंतर्वाह 18.9 बिलियन अमरीकी डालर था। अप्रैल 2000 से नवंबर 2014 के बीच कुल संचयी एफडीआई अंतर्वाह 350.9 बिलियन अमरीकी डालर था। सेवाएं, निर्माण, दूरसंचार, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, दवा और औषधि, वाहन उद्योग, रसायन, विद्युत इत्यादि में कुल अंतर्वाहों का असंगत रूप से एक बड़ा भाग आकर्षित हुआ।

सेवा क्षेत्र

1.76 भारत का सेवा क्षेत्र 2014-15 में जीडीपी वृद्धि में 72.4 प्रतिशत की भागीदारी निभाते हुए आर्थिक वृद्धि का बड़ा प्रेरक बना रहा। सेवा क्षेत्र की वृद्धि 2012-13 में 8.0 प्रतिशत से बढ़कर 2013-14 में 9.1 प्रतिशत और 2014-15 में और बढ़ते हुए 10.6 प्रतिशत हो गई। यह वृद्धि प्रमुखतः वित्तीय, भूसंपत्ति और पेशेवर सेवाओं में पिछले वर्ष 7.9 प्रतिशत की तुलना में 13.7 प्रतिशत की वृद्धि और लोक प्रशासन, रक्षा और अन्य सेवाओं में 7.9 प्रतिशत की तुलना में 13.7 प्रतिशत की वृद्धि के कारण थी। व्यापार, होटल, परिवहन, संचार और संबद्ध सेवाओं में वृद्धि वर्ष 2013-14 में 11.1 प्रतिशत से गिरकर वर्ष 2014-15 में 8.4 प्रतिशत रह गई। वर्ष 2015 के प्रारंभिक महीनों के लिए उपलब्ध आंकड़े व्यवसायिक क्रियाकलाप में विस्तार के साथ सेवा क्षेत्र में बढ़ोतरी की ओर संकेत करते हैं जैसाकि सेवाओं के पीएमआई आंकड़ों द्वारा दर्शाया गया है। इस वृद्धि संवेग के 2015-16 में भी जारी रहने की आशा है।

1.77 सेवा क्षेत्र भारत के अधिकांश राज्यों में भी प्रभावी क्षेत्र रहा है क्योंकि वर्ष 2013-14 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) में सेवाओं का हिस्सा लगभग सभी राज्यों के लिए 40 प्रतिशत से अधिक रहा था। इस क्षेत्र ने एफडीआई अंतर्वाहों, निर्यातों और रोजगार में महत्वपूर्ण भागीदारी निभाई है। पिछले 12 वर्षों के दौरान, 8.7 प्रतिशत की मिश्रित वार्षिक वृद्धि औसत (सीएजीआर) के साथ, भारत का सेवा क्षेत्र मात्र चीन के बाद दूसरा सर्वाधिक बढ़ता सेवा क्षेत्र था, जहां चीन के सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर 10.7 प्रतिशत थी। वाणिज्यिक सेवाओं के निर्यात में, भारत की इस अवधि के दौरान 20 प्रतिशत की उच्चतम मिश्रित वार्षिक वृद्धि औसत (सीएजीआर) थी। भारत की वाणिज्यिक सेवाओं के वैश्विक निर्यात में हिस्सेदारी वर्ष 2000 में 1.2 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष

20 आर्थिक समीक्षा 2014-15

2013 में 3.2 प्रतिशत हो गई। 2013 में अग्रणी निर्यातकों में इसकी छठी रैंक थी। 2014-15 के पूर्वांद में, सेवाओं के निर्यात 3.7 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 75.9 बिलियन अमरीकी डॉलर तक पहुंच गए और सेवाओं का आयात 5.0 प्रतिशत वृद्धि के साथ 39.9 बिलियन अमरीकी डॉलर तक पहुंच गया, जिसके परिणामतः निवल सेवा वृद्धि केवल 2.4 प्रतिशत रही। निर्यातों में मूल्यवर्द्धित सेवाओं का हिस्सा भी बढ़ रहा है। विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) में सेवाओं पर हुई बातचीत में, भारत बहुत सक्रिय है और हाल ही में इसने अल्प विकसित देशों के लिए और अधिक उदार पेशकश की है।

1.78 उप क्षेत्रों में, कंप्यूटर और संबद्ध सेवाएं भारत के स.घ.उ. में 3.3 प्रतिशत के हिस्से के साथ वर्ष 2013-14 में 14.4 प्रतिशत बढ़ी हैं। वर्ष 2012-13 के दौरान, देश की कुल आय में पर्यटन और रोजगार की भागीदारी क्रमशः 6.9 प्रतिशत और 12.5 प्रतिशत थी। 2014 में, विदेशी पर्यटकों के आगमन और विदेशी मुद्रा अर्जन में क्रमशः 7.1 प्रतिशत और 6.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

बैंकिंग और बीमा

1.79 इस वर्ष के दौरान बैंकों की आस्ति गुणवत्ता कुछ दबाव ग्रस्त रही। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की सकल अनर्जक पेशागियां (एनपीए) कुल सकल पेशागियों की प्रतिशतता के रूप में मार्च, 2014 की 4.1 प्रतिशत से बढ़कर सितंबर 2014 में 4.5 प्रतिशत हो गई। दबाव ग्रस्त पेशागियां मार्च और सितंबर 2014 के बीच, कुल पेशागियां की 10.0 प्रतिशत से बढ़कर 10.7 प्रतिशत हो गई। भारतीय रिजर्व बैंक ने एनपीए के मामले के समाधान हेतु कोई उपाय किए।

1.80 2014-15 के दौरान अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की सकल जमाओं की विकास दर मुख्यतः बुनियादी प्रभाव अर्थात् पिछले वर्ष सितंबर-नवंबर के दौरान एनआरआई जमाओं में अभिवृद्धि के कारण और इस वर्ष के दौरान निम्न जमाओं के कारण, दिसंबर तक गिरी। गैर-खाद्य साख की विकास दर में भी गिरावट आई।

1.81 वित्तीय समावेशन के उद्देश्य को हासिल करने के लिए, प्रधानमंत्री जनधन योजना (पीएमजेडीवाई) 28 अगस्त, 2014 को प्रारंभ की गई थी। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक घर के लिए कम से कम एक बुनियादी बैंक खाते के साथ बैंकिंग सुविधाओं में सार्वभौमिक अभिगम्यता की परिकल्पना की गई है। इस स्कीम से प्रत्यक्ष लाभ अंतरण स्कीम को भी बड़ा बल मिलने की आशा है।

1.82 वर्ष 2014-15 में बैंकिंग और बीमा क्षेत्र में अन्य सुधारात्मक पहलें देखी गईं, जिनमें बैंकों को पूंजी पर्याप्तता मानदंडों को पूरा करने के लिए सरकार के हिस्से को 52 प्रतिशत तक कम करते हुए बाजार से पूंजी जुटाने की अनुमति देना और बीमा क्षेत्र में विदेशी इक्विटी की उच्चतम सीमा को बढ़ाने के लिए अध्यादेश को अधिसूचित करना शामिल है।

1.83 इस वर्ष के दौरान इक्विटी बाजार निरंतर अच्छा निष्पादन करते रहे। बैंचमार्क सूचकांक, बीएसई सेन्सेक्स और निफ्टी में चालू वर्ष में सामान्य बढ़ोत्तरी का रुझान देखा गया। प्राथमिक और द्वितीयक दोनों बाजारों के कार्यचलन में सुधार लाने के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) द्वारा कारपोरेट अभियासन मानदंडों में सुधार लाने और विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (एफपीआई) विनियमन रूपरेखा की स्थापना जैसे अनेक कदम उठाए गए थे।

सामाजिक अवसंरचना, रोजगार और मानव विकास

1.84 2020 तक भारत के विश्व का सबसे युवा राष्ट्र होने की संभावना है। इससे भारत को बड़े अवसरों के साथ साथ विपुल चुनौतियां भी मिलेंगी। भारत की कुल जन्म-दर (टीएफआर) निरंतर कम हो रही है जो कि अभी 2.3 है; हालांकि राज्यवार विषमता अभी विद्यमान है। 2013 के लिए नमूना पंजीकरण प्रणाली (एसआरएस) के आंकड़ों के अनुसार, 0-14 आयु-वर्ग की जनसंख्या में हिस्सेदारी 1971 से 1981 के दौरान 41.2 से 38.1 प्रतिशत की क्रमिक गिरावट के साथ 1991 से 2013 के दौरान 36.3 से 28.4 प्रतिशत रह गई है, जबकि आर्थिक रूप से सक्रिय जनसंख्या (15-59 वर्ष), 1971 से 1981 के दौरान 53.4 से 56.3 प्रतिशत और 1991 से 2013 के दौरान 57.7 से

63.3 प्रतिशत बढ़ी। बाल लिंग अनुपात (सीएसआर) में सतत गिरावट चिंता की बात है। बालिकाओं की उत्तरजीविता, संरक्षण और शिक्षा के संबद्धन के लिए एक नई स्कीम बेटी बच्चों, बेटी पढ़ाओं, जनवरी 2015 में, प्रारंभ की गई। इसका उद्देश्य सामाजिक मानसिकता बदलना और बेहतर जागरूकता लाने पर लक्षित एक व्यापक जन-अभियान के माध्यम से घटते सीएसआर के मुद्रे का समाधान करना है।

1.85 वर्ष 2020 में, भारत की जनसंख्या की औसत आयु विश्व में न्यूनतम लगभग 29 वर्ष होना संभावित है। परिणामतः, जबकि 2020 तक वैश्विक अर्थव्यवस्था में लगभग 56 मिलियन युवा जनसंख्या की कमी आना संभावित है, भारत ऐसा अकेला देश होगा जिसमें 47 मिलियन युवा

अधिशेष होंगे। इन युवाओं का स्वस्थ, उपयुक्त रूप से शिक्षित और उचित रूप से कुशल होना आवश्यक है ताकि वे अर्थव्यवस्था में अपनी पूर्ण भागीदारी दे सकें।

1.86 शैक्षिक चुनौतियां: हालांकि साक्षरता (जनगणना 2011) का लक्ष्य केवल 73 प्रतिशत प्राप्त हुआ है, फिर भी महिला साक्षरता में विशिष्ट सुधार है। 80.9 प्रतिशत की पुरुष साक्षरता दर अब भी 64.6 प्रतिशत की महिला साक्षरता दर से ऊंची है परंतु पुरुष साक्षरता में 5.6 प्रतिशतता बिंदुओं की वृद्धि की तुलना में महिला साक्षरता में 10.9 प्रतिशतता बिंदुओं की वृद्धि हुई है। प्राथमिक स्कूलों में कुल नामांकन 2013-14 में घटा है; जबकि उच्च प्राथमिक नामांकन में वृद्धि हुई है। यह आयु ढांचे में जनसांख्यिकीय परिवर्तनों के अनुरूप है। तथापि, शिक्षा प्रणाली का समग्र मानक वैश्विक मानकों से बहुत नीचे है। शिक्षा रिपोर्ट का वार्षिक स्तर (एएसईआर) का अकेला सर्वाधिक महत्वपूर्ण निष्कर्ष यह है कि समस्त देश में, चाहे सरकारी हो या निजी स्कूल, अध्ययन के स्तरों में सुधार नहीं हुआ है। स्पष्टतः, नीतिगत सुझाव हैं कि ध्यान निर्विष्टियों से हटाकर परिणामों पर लगाया जाए तथा शिक्षा गुणवत्ता और कौशल विकास अवसंरचना के निर्माण पर बल दिया जाए। पढ़ने, लिखने और गणित में धाराप्रवाहिता के लिए आधार सृजित करने के लिए पढ़े भारत, बढ़े भारत की पहल इस दिशा में एक अच्छा कदम है।

1.87 युवा वर्ग का कौशल विकास: लेबर ब्यूरो रिपोर्ट, 2014 के अनुसार, भारत के औपचारिक रूप से कुशल श्रमबल का मौजूदा आकार छोटा है जो लगभग 2 प्रतिशत है; यह आंकड़ा दक्षिण कोरिया और जापान जैसे छोटे देशों की तुलना में बहुत ही कम है, जिनके आकड़े क्रमशः 96 प्रतिशत और 80 प्रतिशत हैं। कुल मिलाकर भारत में 15 वर्ष और इससे अधिक आयु वर्ग के लगभग 6.8 प्रतिशत व्यक्ति व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं/प्राप्त कर रहे हैं। 2013 और 2022 के बीच की अवधि के लिए, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) के अनुसार, गैर-कृषि क्षेत्र में 120 मिलियन कुशल व्यक्तियों की वृद्धिक रूप की आवश्यकता है। कौशल विकास पर विशेष ध्यान देने के लिए कौशल विकास और उद्यमशीलता का एक समर्पित विभाग सृजित किया गया है। इसके अतिरिक्त, ग्रामीण युवाओं के लिए कौशल-निर्माण पर अब पुनः बल दिया गया है और इसे पुनःवरीयता दी गई है ताकि ग्रामीण निर्धन युवावर्ग की क्षमता का निर्माण किया जा सके। अल्पसंख्यकों को विकास की मुख्य धारा में लाने के उद्देश्य से नए कार्यक्रम भी प्रारंभ किए गए हैं।

1.88 रोजगार में धीमी वृद्धि: चिंता का एक कारण रोजगार की मिश्रित वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) में गिरावट भी है जो कि 1999-2000 से 2004-05 के दौरान 2.8 प्रतिशत की तुलना में 2004-05 से 2011-12 के दौरान 0.5 प्रतिशत रह गई है जबकि इन्हीं दो अवधियों के दौरान श्रम बल में सीएजीआर क्रमशः 0.4 प्रतिशत और 2.9 प्रतिशत रही। 1999-2000 से 2004-05 के दौरान, श्रमशक्ति में 407.0 मिलियन से 469.0 मिलियन यानि 62.0 मिलियन व्यक्तियों की वृद्धि होने के मुकाबले में सामान्य स्थिति (यू एस) आधार पर रोजगार में 398.0 मिलियन से 457.9 मिलियन यानि 59.9 मिलियन व्यक्तियों की वृद्धि हुई। 2004-05 से 2009-10 के दौरान हुई धीमी गति की प्रगति की अवधि के बाद, 2009-10 से 2011-12 के दौरान रोजगार सृजन में तीव्र वृद्धि हुई जिसके फलस्वरूप कार्यबल में 13.9 मिलियन व्यक्ति जुड़े किन्तु यह वृद्धि श्रम शक्ति (14.9 मिलियन व्यक्ति) में हुई वृद्धि के बराबर नहीं थी। भारत में अच्छे रोज़गारों के सृजन की गति में प्रमुख बाधा कुल रोजगार में विनिर्माण का छोटा हिस्सा होना है। फिर भी, 68वें राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के आंकड़े विनिर्माण क्षेत्र में 2009-10 में 11 प्रतिशत से 2011-12 में 12.6 प्रतिशत होकर रोजगार की वृद्धि के पुनर्विकास का संकेत देते हैं। इस परिप्रेक्ष्य से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) के विकास का संवर्द्धन महत्वपूर्ण है।

1.89 श्रम सुधार: श्रम कानूनों की बहुलता और उनकी अनुपालना में आने वाली कठिनाइयां औद्योगिक विकास में अवरोधक रही हैं। प्रणाली में अनुपालना को लाने तथा सुगमता से कारोबार करने को सुगम करने के लिए सरकार द्वारा श्रम सुधार संबंधी अनेक उपायों को लाया गया है।

1.90 स्वस्थ भारत की ओर: अक्तूबर, 2014 में आरंभ किए गए स्वच्छ भारत अभियान (ग्रामीण) का लक्ष्य 2 अक्तूबर, 2019 तक खुले में शौच करने से मुक्त भारत बनाना है। इसके अलावा दिसम्बर, 2014 में शुरू किए गए इन्द्रधनुष अभियान के अंतर्गत 2020 तक ऐसे सभी बच्चों को सात बीमारियों के प्रतिरोधी टीके लगाए जाएंगे, जिन्हें ये टीके नहीं लगे हैं या इनमें से कुछ टीके लगे हैं। पूर्व आयुष विभाग (आयुर्वेद, योग और नैचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धि और होमियोपैथी) को अब एक नए पूर्ण मंत्रालय के रूप में बदल दिया गया है।

1.91 गरीबी: गरीबी के संबंध में नवीनतम आंकड़े वर्ष 2011-12 हेतु उपलब्ध हैं। इन अनुमानों को तेन्दुलकर समिति की क्रियाविधि का अनुसरण करते हुए घरेलू उपभोग

व्यय संबंधी सर्वेक्षण के आंकड़ों का इस्तेमाल कर तैयार किया गया है। वर्ष 2011-12 के लिए, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों की प्रतिशतता ग्रामीण क्षेत्रों में 25.7 प्रतिशत, शहरी क्षेत्रों में 13.7 प्रतिशत तथा समग्र रूप से देश में 21.9 प्रतिशत अनुमानित है।

1.92 मानव विकास: अंतर्राष्ट्रीय तुलना: 2014 की मानव विकास रिपोर्ट (एचडीआर) 187 देशों के मानव विकास सूचकांक (एचडीआई) के संबंध में उनका महत्व और स्थान प्रस्तुत करती है। 2013 के लिए भारत का एचडीआई महत्व 0.586 है जो उसे 187 देशों और क्षेत्रों में से 135वां स्थान दिलाता है जो ब्रिक्स देशों में सबसे निम्नतम हैं जबकि रूस 57वें, ब्राजील 79वें, चीन 91वें और दक्षिण अफ्रीका 118वें स्थान पर है। किन्तु भारत का स्थान बांग्लादेश और पाकिस्तान से थोड़ा-सा ऊपर है। महिला विकास सूचकांक (जीडीआई) के संबंध में भी भारत का स्थान नीचे है। भारत का जीडीआई महत्व 0.828 है तथा 148 राष्ट्रों में भारत का स्थान 132वां है। इसकी तुलना में बांग्लादेश और चीन का स्थान ऊपर है।

1.93 समावेशी विकास को प्रोत्साहित करना: अगस्त, 2014 में, प्रधानमंत्री जन-धन योजना और रूपे कार्ड की शुरूआत हुई, जो भुगतान का एक साधन है, वित्तीय समावेशन के लिए महत्वपूर्ण उपाय हैं। इसके अलावा, सरकार ने, चल रहे अनेक कार्यक्रमों की क्षेत्रीय अनुभव के आधार पर पुनर्संरचना की है जिससे कि उन्हे आवश्यकता आधारित बनाया जा सके। विभिन्न सामाजिक अवसंरचनाओं और मानव विकास कार्यक्रमों के समन्वित रूप से कार्य करने हेतु सांसद आदर्श ग्राम योजना (एसएजीवाई) को शुरू किया गया है जिससे मौजूदा कार्यक्रमों के अभिसरण के जरिए कार्यान्वित किया जाएगा। एक अन्य शुरू की गई योजना बननन्थू कल्याण योजना है जिसे अनुसूची V के 10 राज्यों में से प्रत्येक के एक खण्ड में कार्यान्वित किया जाएगा समावेश विकास को प्रोत्साहित करने हेतु कार्यान्वित की गई बहु योजनाओं के कारण पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है। इसलिए पंचायतों और शहरी स्थानीय सरकारों को सुदृढ़ करने की जरूरत है। सामाजिक सेवाओं से संबंधित आरबीआई के आंकड़े यह दर्शाते हैं कि वैश्वक संकट 2008-09 और यूरो क्षेत्र संकट 2011-12 के दौरान भी आम सरकार (केन्द्र+राज्य) द्वारा सामाजिक क्षेत्र में किए गए संपूर्ण व्यय में निरन्तर रूप से वृद्धि हुई थी।

1.94 भारत की एक अनूठी विशेषता यह है कि इसके अलग-अलग राज्य जनसांख्यिकीय परिवर्तन में एक-दूसरे से

आगे-पीछे हैं। गत दो दशकों के दौरान, दक्षिण भारत में जननक्षमता में होने वाली भारी कमी के कारण दक्षिण भारत में, उत्तर भारत की तुलना में जनसांख्यिकीय परिवर्तन अधिक है। उदाहरणस्वरूप, 2020 में जनसंख्या की लक्षित औसत आयु 29 वर्ष कुछ राज्यों में अधिक हो गई है; इन राज्यों में केरल (33 वर्ष), गोवा (32.3), तमिलनाडु (31.3), हिमाचल प्रदेश (30.4), पंजाबी (29.9), आंध्र प्रदेश (29.3) और पश्चिम बंगाल (29.1) शामिल हैं।

जलवायु परिवर्तन एवं स्थायी विकास

1.95 जलवायु परिवर्तन और स्थायी विकास पर विश्व द्वारा किए जाने वाले नए करारों के आलोक में वर्ष 2015 के एक अभिप्रेरणा वर्ष होने की संभावना है। यह अगले पंद्रह वर्षों के लिए वैश्विक समुदाय हेतु अंतर्राष्ट्रीय विकास और पर्यावरणीय नीति संबंधी कार्यसूची के पाठ्यक्रम का निर्धारण करेगा। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन रूपरेखा अभिसमय (यूएनएफसीसी) के अंतर्गत हुई बातचीत के परिणामस्वरूप दिसम्बर, 2015 तक एक वैश्विक करार सामने आ सकता है जो अभिसमय लागू होने वाले सभी देशों को 2020 से जलवायु परिवर्तन के संबंध में कार्रवाई करने हेतु होगा। इसके साथ-साथ, सरकारों के बीच में 2015 में समाप्त हो रहे मिलेनियम विकास लक्ष्यों के स्थान पर सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) सहित एक नए उत्तर 2015 विकास कार्यसूची पर कार्य करने हेतु आपसी सहमति बन गई है।

1.96 नवीनतम वैज्ञानिक अध्ययनों (आईपीसीसी एआर 5) द्वारा यह अनुमान लगाया गया है कि 2°C से नीचे बने रहने हेतु, विश्व वर्ष 2100 तक औद्योगिक क्रांति के तहत सभी प्रकार के स्रोतों से केवल 2,900 गीगा-टन कार्बन-डाई-ऑक्साइड की मात्रा का उत्सर्जन करे। 2011 तक, विश्व पहले ही 1,900 गीगाटन कार्बन-डाई-ऑक्साइड उत्सर्जित कर चुका है और अब तक इस बजट के लगभग दो-तिहाई हिस्से का उपभोग कर चुका है। इसका अर्थ यह है कि 2,900 गीगाटन के कुल बजट में वर्तमान से वर्ष 2100 तक केवल 1,000 गीगाटन CO_2 का ही उत्सर्जन किया जा सकता है। इसलिए उत्सर्जन को घटाने की प्रतिबद्धता को तैयार करने हेतु प्रमुख मुद्दा यही है कि हम इस शेष कार्बन बजट का आबंटन सभी देशों के बीच इस तरीके से करें कि जो सभी के लिए उचित और उनके हासिल करने योग्य हो।

1.97 अलग-अलग देशों के प्रति व्यक्ति उत्सर्जन में समग्र रूप से बड़ी भिन्नता है। 2013 में, संपूर्ण कार्बन डाइऑक्साइड

उत्सर्जन के संबंध में चीन, संयुक्त राज्य अमरीका और यूरोपीय संघ क्रमशः पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर आते हैं और भारत इनसे काफी पीछे है। फिर भी, 2013 में प्रति व्यक्ति कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन के संबंध में भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों का स्थान 196 देशों में से नीचे के 100 देशों में आता है।

1.98 एक जिम्मेदार देश होने के नाते भारत ने स्वयं स्थायी विकास और जलवायु परिवर्तन के संबंध में अपने लिए नीतियां तैयार की हैं। भारत, जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीसीसी) को सबसे पहले अपनाने वाले देशों में से एक है। भारत, नई वैज्ञानिक सूचनाओं और विकसित प्रौद्योगिकी के आलोक में एनएपीसीसी के तहत अपने सभी राष्ट्रीय अभियानों पर एक बार फिर काम कर रहा है ताकि अनेक क्षेत्रों जैसे विद्युत उत्पादन में ग्रीन हाउस गैस को कम करना, अन्य नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकीय कार्यक्रम और आपदा प्रबंधन तथा पवन ऊर्जा, स्वास्थ्य, अवशिष्ट तत्वों से ऊर्जा का उत्पादन इत्यादि पर नए अभियान शुरू करने की संभावनाओं को तलाशने में अतिरिक्त मध्यस्थिताओं को शामिल किया जा सके। सरकार द्वारा जलवायु परिवर्तन के संबंध में वित्त जुटाने हेतु भारत की संस्थागत क्षमता को बनाने हेतु भी प्रयास किए जा रहे हैं। अनुकूलन कार्यों की सहायतास्वरूप 100 करोड़ रुपए की आधारभूत निधि के साथ ‘राष्ट्रीय अनुकूलन निधि’ स्थापित की गई है ताकि कृषि, जल और वन आदि जैसे क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का सामना किया जा सके। हाल में की गई कुछ प्रमुख पहलों में सोलर मिशन को 20,000 मेगावॉट से पांच गुना करके 100,000 मेगावॉट तक बढ़ाना शामिल है जिसके लिए 100 बिलियन अमरीकी डॉलर के अतिरिक्त निवेश की जरूरत है तथा स्थायी विकास हेतु एकीकृत नीतियों के साथ “100 स्मार्ट शहरों” का विकास तथा राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक एवं राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता योजना के विकास हेतु तैयारी भी शामिल है।

1.99 भारत के सामने कई गुना चुनौतियां हैं। भारत शहरीकरण और बढ़ने की दहलीज पर खड़ा है। जनसंख्या बढ़ने से प्रत्येक प्रमुख सेवा की मांग में भी पांच से सात गुणा वृद्धि हो जाएगी। गरीबी उन्मूलन, खाद्य एंवं ऊर्जा सुरक्षा, शहरी

अवशिष्ट प्रबंधन, जल अभाव इत्यादि की वर्तमान चुनौतियों के साथ मिलकर ये प्रवृत्तियां हमारे सीमित संसाधनों पर अधिक दबाव डालेंगी जिससे हमारी ऊर्जा की आवश्यकता और बढ़ेगी तथा यदि इन्हें पृथक नहीं किया गया तो यह समानान्तर रूप से उत्सर्जन में वृद्धि होने का कारण बनेंगी। इसके साथ-साथ, इन चुनौतियों में कई बड़े अवसर छुपे हैं। अनेक देशों के विपरीत, भारत के पास बड़ी संख्या में युवा नागरिक हैं और इसलिए यह जनसांख्यिकीय लाभांश के फल को भोग सकेगा। 2030 के भारत के आधे से भी अधिक निर्माण अभीशेष होने के कारण हमारे पास जीवाश्म ईंधन पर आधारित ऊर्जा प्रणाली और कार्बन लॉक-इन पर अत्यधिक निर्भरता से बचने के अवसर हैं जिससे अनेक औद्योगिकृत देश आज जूझ रहे हैं। चुनौतियों को अवसरों में बदलने के लिए एक सुविचारित नीति रूपरेखा जिसमें विकासपरक आवश्यकताओं और पर्यावरणपरक विचारों दोनों पर ध्यान दिया गया हो, मददगार साबित हो सकती है।

1.100 संक्षेप में, हम यह कह सकते हैं कि जिस तरह हम पश्च-2015 में जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक करार की ओर अपने कार्यों को इकट्ठा कर सामने रखते हैं तो यह समग्र रूप से महत्वपूर्ण है कि हम यह सुनिश्चित करें कि नया करार व्यापक, सन्तुलित, साम्यिक और व्यावहारिक हो। यह भारत जैसे विकासशील देशों की वास्तविक आवश्यकताओं को पूरा करने वाला हो। इसमें भारत जैसे विकासशील देशों को कार्बन तथा विकास हेतु साम्यिक स्थान उपलब्ध हो ताकि विकासशील देश स्थायी विकास और गरीबी-उन्मूलन के अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकें। इसे हासिल करने की कुंजी यूएनएफसीसी के सिद्धान्तों और प्रावधानों की अनुपालना है। वैश्विक जलवायु कार्रवाई महत्वपूर्ण रूप से कार्यान्वयन के साधनों विशेषकर वित्त और प्रौद्योगिकी पर निर्भर करती है जिसके लिए करार में पर्याप्त रूप से उपाय होने चाहिए। भारत के प्रधान मंत्री के रूप में, श्री नरेन्द्र मोदी ने, सितम्बर, 2014 में, संयुक्त राष्ट्र की महासभा में कहा था कि “चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह ईमानदारी से करना चाहिए। वैश्विक समुदाय, सामुहिक कार्रवाई-समान किन्तु भिन्न-भिन्न जिम्मेदारियों के सुंदर सन्तुलन पर सहमत है। यह हमारे अनवरत कार्य का आधार होना चाहिए।

लोक वित्त

राजकोषीय समेकन की योजना की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए, 2014-15 के बजट में राजकोषीय घाटे का लक्ष्य स.घ.उ. का 4.1 प्रतिशत पर रखने तथा 2016-17 तक इसे घटाकर सघड का 3 प्रतिशत करने की बात की गई थी। बावजूद इसके कि 2014-15 के उत्तराधि में मुख्यतः अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की अपेक्षाकृत कम कीमतों के कारण 2014-15 में सब्सिडी के बोझ में भारी कमी आई, फिर भी अप्रत्यक्ष करां में हुई मामूली वृद्धि और भारी सब्सिडी बिल के चलते राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को हासिल करना दुष्कर प्रतीत होता है। इस बात पर विचार करते हुए कि पूर्ववर्ती दो वर्षों में वाँछित राजकोषीय लक्ष्य, राजस्व में आई कमी को व्यय में अधिक अथवा समतुल्य कटौती प्रतिसंतुलन से हासिल किए गए, इस वर्ष चुनौती यह थी कि सरकारी व्यय में कटौती किए बिना घाटे के लक्ष्य को प्राप्त किया जाए। अतः, जहां 2014-15 के बजट में राजकोषीय घाटा अंतरिम बजट के स्तर पर बरकरार रखा गया वहां सरकार की सामाजिक और कल्याणकारी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने तथा विकास एजेंडा पर ध्यान केंद्रित रखने के लिए सरकार के उद्देश्यों के अनुरूप अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराए गए। यह उल्लेखनीय है कि सरकार चालू वर्ष के दौरान मुद्रास्फीति की कम दर के कारण मौजूदा बाजार मूल्यों पर स.घ.उ. की प्रत्याशित वृद्धि की तुलना में कम वृद्धि की संभावना होने के बावजूद राजकोषीय समेकन करने के लिए प्रतिबद्ध है। तथापि, यदि राजस्व संग्रहण की स्थिति में पर्याप्त वृद्धि नहीं होती तो व्यय में कुछ कमी करने पर बल देना होगा ताकि घाटे के संदर्भ में निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके।

2.2 बजट 2014-15 में राजकोषीय घाटे को 2013-14 के अनंतिम वास्तविक आंकड़े में प्रदर्शित 508149 करोड़ रुपए (स.घ.उ. का 4.5 प्रतिशत) की तुलना में 531177 करोड़ रुपए (स.घ.उ.¹ का 4.1 प्रतिशत) रखने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। राजस्व घाटा 2014-15 (बजट अनुमान) में 378349 करोड़ रु. (स.घ.उ. का 2.9 प्रतिशत) निर्धारित किया गया था जबकि 2013-14 (अनंतिम वास्तविक) में यह आंकड़ा 360311 करोड़ रु. (स.घ.उ. का 3.2 प्रतिशत) था। प्रभावी राजस्व घाटा जो राजस्व घाटे का एक परिष्कृत रूप है और इसमें वर्तमान व्यय की तुलना में वर्तमान प्राप्ति में कमी प्रदर्शित होती है और यह राजस्व प्राप्ति तथा पूँजी आस्तियों के सृजन हेतु दिए गए अनुदान का अंतर है, में भी कमी आने की आशा है (सारणी 2.1)

सारणी 2.1 : केन्द्र सरकार के राजस्व घाटे का रूपान्वय (सघड के प्रतिशत के रूप में)

	एफडी	आरडी	जीसीसी	ईआरडी	पीडी
2010-11	4.8	3.2	1.1	2.1	1.8
2011-12	5.7	4.4	1.5	2.9	2.7
2012-13	4.8	3.6	1.1	2.5	1.8
2013-14 पीए	4.5	3.2	1.1	2.0	1.2
2014-15 बीई	4.1	2.9	1.3	1.6	0.8

स्रोत : बजट प्रपत्र

टिप्पणी : एफडी= राजकोषीय घाटा, आरडी= राजस्व घाटा, जीसीसी= पूँजी आस्ति सृजित करने हेतु अनुदान, ईआरडी= प्रभावी राजस्व घाटा, पीडी= प्राथमिक घाटा बीई= बजट अनुमान, आरई= संशोधित अनुमान पीए= अनंतिम वास्तविक आंकड़ा


मौजूदा बाजार मूल्यों पर स.घ.उ. का अनुपात केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय के (राष्ट्रीय खाता 2004-05 शृंखला पर आधारित है।

¹ मौजूदा बाजार मूल्यों पर स.घ.उ. के संबंध में अनुपातों का परिकलन करने के लिए हमने केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी 2004-05 मूल्यों की राष्ट्रीय लेखा शृंखला का प्रयोग किया है।

2014-15 हेतु राजकोषीय नीति

2.3 2014-15 का बजट प्रस्तुत करते समय तत्समय उपलब्ध सूचना के अनुसार बहुत आर्थिक परिणाम मिश्रित थे। 2012-13 और 2013-14 के दो वर्षों में विकास दर सामान्य से कम थी, मुद्रास्फीति में धीरे-धीरे कमी आ रही थी जो कुल मांग पर दबाव और विशाल बाह्य क्षेत्रीय परिणाम का सूचक था। राजकोषीय नीति समेकन के मोड में थी और राजकोषीय घाटा पूर्व के मध्यावधिक राजकोषीय नीति कथन द्वारा परिकल्पित स्तर पर थी और इस कारण प्रति चक्रीय नहीं थी। 2014-15 के बजट में यह इंगित किया गया था कि तत्कालीन बहुत आर्थिक स्थिति को देखते हुए राजकोषीय घाटे को सघड के 4.1 प्रतिशत पर नियंत्रित रखना एक अत्याधिक कठिन चुनौती थी, इसमें राजकोषीय समेकन को प्राप्त करने के महत्व को प्रदर्शित किया गया और चुनौती स्वीकार की गई। जैसाकि 2014-15 के बजट अनुमान में उल्लेख किया गया है, राजकोषीय समेकन योजना में कर और सघड तथा गैर-ऋण प्राप्तियाँ और सघड अनुपातों के बढ़कर क्रमशः 10.6 प्रतिशत और 9.8 प्रतिशत होने तथा कुल व्यय और सघड अनुपात को 13.9 प्रतिशत के निम्न स्तर पर बनाए रखने का अनुमान लगाया गया। (चार्ट-2 और सारणी 2) सकल करराजस्व हेतु परिकल्पित विकास संशोधित अनुमान 2013-14 की तुलना में 17.7 प्रतिशत और 2013-14 के अनंतिम वास्तविक आंकड़े की तुलना में 19.8 प्रतिशत था। कुल व्यय के संशाधित अनुमान 2013-14 और अनंतिम आंकड़े 2013-14 की तुलना में बजट अनुमान 2014-15 में क्रमशः 12.9 प्रतिशत और 14.8 प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान है। कुल व्यय की तुलना में सकल कर

चित्र 2.1: ऋणेतर प्राप्तियाँ के रुझान तथा
कुल व्यय (स.घ.उ. के प्रतिशत के रूप में)



स्रोत : बजट दस्तावेज और सीएसओ

राजस्व के बेहतर निष्पादन की आशा के परिणामस्वरूप 2014-15 के बजट अनुमान में राजकोषीय घाटा कम होकर सघड कर 4.1 प्रतिशत होने का अनुमान है।

राजस्व प्राप्ति का रुझान

ऋणेतर प्राप्तियाँ

2.4 सामान्य तौर पर, समग्र बहुत आर्थिक परिणाम, राजस्व प्राप्ति में वृद्धि के बारे में तथा व्यय स्तरों पर कतिपय परिकल्पनाओं की आवश्यकता होती है ताकि वांछित राजकोषीय लक्ष्य प्राप्त किया जा सके। 2014-15 के बजट में ऋणेतर प्राप्तियाँ में 2013-14 (संशोधित अनुमान) की तुलना में 18.6 प्रतिशत वृद्धि की परिकल्पना की गई है जिसमें केन्द्र को प्राप्त निवल कर राजस्व, करेतर राजस्व और ऋणेतर पूँजी प्राप्तियाँ (मुख्य रूप से ऋणों और विनिवेश प्राप्तियों की

सारणी 2.2 : सघड के अनुपात के रूप में केन्द्र सरकार की प्राप्तियाँ और व्यय का रुझान

	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14 अ.वा.	2014-15 ब.अ.
1. राजस्व प्राप्तियाँ					
सकल कर राजस्व	10.1	8.3	8.7	8.9	9.2
2. पूँजी प्राप्तियाँ	10.2	9.9	10.2	10.0	10.6
3. ऋणेतर प्राप्तियाँ	10.6	8.8	9.1	9.3	9.8
4. कुल प्राप्तियाँ	15.4	14.5	13.9	13.8	13.9
5. कुल व्यय	15.4	14.5	13.9	13.8	13.9
(क) राजस्व व्यय	13.4	12.7	12.3	12.1	12.2
(ख) पूँजी व्यय	2.0	1.8	1.6	1.7	1.8
(क) योजना भिन्न व्यय	10.5	9.9	9.9	9.8	9.5
(ख) योजनागत व्यय	4.9	4.6	4.1	4.0	4.5

स्रोत : बजट प्रपत्र और केन्द्रीय सारिख्यकी कार्यालय।

टिप्पणी : मौजूदा बाजार मूल्यों पर सघड का परिकल्पन 2004-05 के आधार पर किया गया है।

अ.वा.= अनंतिम वास्तविक आंकड़ा ब.अ. बजट अनुमान।


26 आर्थिक समीक्षा 2014-15

वसूली) शामिल है। बजट अनुमान 2014-15 में 11.90 लाख करोड़ रुपए राजस्व प्राप्ति होने का अनुमान है जिसमें से केन्द्र की प्राप्ति निवल कर राजस्व 9.77 लाख करोड़ रुपए और करेतर राजस्व प्राप्ति 2.12 लाख करोड़ रुपए थी। 0.74 लाख करोड़ रु. की ऋणेतर पूंजी प्राप्ति सहित कुल ऋणेतर प्राप्ति 12.64 लाख करोड़ रु. होने का अनुमान था। चार्ट 2 ऋणेतर प्राप्तियों और कुल व्यय का रुझान (सघड का प्रतिशत)

कर राजस्व

2.5 राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध (एफआरबी) अधिनियम लागू किए जाने के तत्काल बाद की अवधि (2004-05 से 2007-08) के दौरान राजकोषीय सुदृढ़ीकरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हासिल की गई जो मुख्य रूप से कर राजस्व की उगाही में वृद्धि के कारण हुई। 2008 के संकट के बाद की अवधि में समग्र सकल कर राजस्व और इसके प्रमुख संघटकों (व्यक्तिगत आयकर को छोड़कर) में इतनी अधिक वृद्धि नहीं हो सकी कि राजस्व प्रेरित राजकोषीय सुदृढ़ीकरण के संदर्भ में प्रमुख निष्पादन को गति प्राप्त हो सके। 2014-15 के बजट में 2013-14 के संशोधित अनुमान की तुलना में प्रत्यक्ष करों और अप्रत्यक्ष करों में क्रमशः 15.8

चित्र 2.2: प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर में वृद्धि तथा स.घ.उ.-सीएमपी वृद्धि




स्रोत : बजट दस्तावेज, सीएसओ एवं सीजीए

प्रतिशत और 20.3 प्रतिशत की वृद्धि और सघड-मौजूदा बाजार मूल्य/मौजूदा बाजार मूल्यों पर सघड) में वृद्धि चित्र 2.2 के में आलेखित की गई है जिससे यह पता चलता है कि अप्रत्यक्ष करों में वृद्धि मौजूदा बाजार मूल्यों पर सघड (सघड-मौजूदा बाजार बाजार मूल्य) में वृद्धि के समनुरूप नहीं रही है। 2014-15 के बजट में सघड में 13.4 प्रतिशत की वृद्धि और जीटीआर में 19.8 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान लगाया गया था जो कर राजस्व में 1.5 प्रतिशत की वृद्धि इंगित करती है। सघड में वृद्धि और जीटीआर में वृद्धि के रुझान को देखते हुए यह अति अनुमान प्रतीत होता है। (विस्तृत व्यौरे के लिए मध्य वार्षिक आर्थिक विश्लेषण 2014-15 देखें)

2.6 जीटीआर का संघटन चित्र 2.2 ख में दर्शाया गया है जिससे यह पता चलता है कि 2010-11 से 2012-13 की अवधि के दौरान अप्रत्यक्ष करों की हिस्सेदारी मुख्य रूप से निरंतर बढ़ रही है जो मुख्य रूप से सेवा कर की हिस्सेदारी में वृद्धि के कारण है (2010-13 के दौरान 31.6 की औसत वार्षिक वृद्धि)। सघड के एक अनुपात के रूप में 2014-15 (बजट अनुमान) में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करों के अनुमानतः 5.7 प्रतिशत और 4.8 प्रतिशत होने का अनुमान है जो 2013-14 (सं.अ.) के क्रमशः 5.6 प्रतिशत और 4.6 प्रतिशत की तुलना में मामूली अधिक है। 2014-15 के दौरान कुल प्रत्यक्ष करों और अप्रत्यक्ष करों के क्रमशः 7.3 लाख करोड़ और 6.2 लाख करोड़ रु. होने का अनुमान है (सारणी 2.3)।

चित्र 2.2ख: जीटीआर में प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष कर का हिस्सा



स्रोत : बजट दस्तावेज एवं सीजीए

सारणी 2.3: कर राजस्व के स्रोत (लाख करोड़ में)

	जीटीआर	सीटी	आईटी	सीडी	यूएनई	एसटी
2010-11	7.93	2.99	1.39	1.36	1.38	0.71
2011-12	8.89	3.23	1.64	1.49	1.45	0.98
2012-13	10.36	3.56	1.97	1.65	1.76	1.33
2013-14 पीए	11.39	3.95	2.38	1.72	1.69	1.55
2014-15 बीई	13.65	4.51	2.78	2.02	2.06	2.16

स्रोत : बजट 2014-15

टिप्पणी : जीटीआर: सकल कर राजस्व, सीटी-कारपोरेशन आईटी-आय कर, सी-सीमा शुल्क, यूएनई- संघीय उत्पाद शुल्क, एसटी- सेवा कर

2.7 हालांकि बजट अनुमान 2014-15 में परिकल्पित कर राजस्व वृद्धि की दरें मौजूदा वित्त वर्ष के पहले नौ महीनों के परिणाम को देखते हुए आशावादी और अवास्तविक प्रतीत हो सकती हैं किन्तु यह ध्यान रखना अनुदेशात्मक हो सकता है कि 2012-13 में उत्पाद शुल्क और सेवा कर में वृद्धि क्रमशः 21.4 प्रतिशत और 36.0 प्रतिशत हुई थी। इस प्रकार, निजी आधार प्रभाव (निम्न विकास के) को देखते हुए ये अनुमान इतनी अधिक आशावादी नहीं थी। ये अनुमान प्रत्याशित बेहतर बृहत आर्थिक परिणाम और कर आधार व्यापक बनाने तथा एक समान कर

व्यवस्था उपलब्ध कराने के प्रयास पर आधारित थे तथा ये प्रभार सरकार की कर नीति के अंतर्निहित मूल तत्व रहे हैं। प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार के करों के लिए कई उपाय किए गए जिन्हें बॉक्स 2.1 में दर्शाया गया है। सीमित अर्थव्यवस्था के पुनरुत्थान, विनिर्माण क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए अनेक महत्वपूर्ण एवं विशिष्ट पहल तथा कर प्रावधानों से युक्तियुक्त बनाने के उपाय वित्त (संख्या 2) अधिनियम, 2014 के माध्यम से किए गए ताकि कानूनी मामलों की संस्था में कमी लाई जा सके।

बॉक्स 2.1 : बजट 2014-15 में आरंभ किए गए उपाय

प्रत्यक्ष कर

- बजट 2014-15 में प्रत्येक व्यक्ति (60 वर्ष से कम आय) अथवा हिंदू अविभाजित परिवार अथवा व्यक्तियों की एसोसिएशन अथवा व्यक्तियों के निकाय, चाहे निर्गमित हों या न हों अथवा प्रत्येक कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति के मामले में वैयक्तिक आय कर की आधारभूत छूट सीमा 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए की गई। भारत में निवासी व्यक्ति, जिसकी आय 60 वर्ष या उसके अधिक किन्तु 80 वर्ष से कम है, के मामले में आधारभूत छूट सीमा 2.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 3 लाख रुपए की गई।
- नए प्लांट और मशीनरी की लागत के 15% की दर पर निवेश भत्ता दिनांक 31.03.2017 तक आगे बढ़ाया गया और निवेश की आरंभिक सीमा घटाकर 25 करोड़ रुपए की गई।
- ऐसे उपक्रमों को दस वर्ष का कर अवकाश प्रदान किया गया जो 31.03.2017 तक विद्युत का उत्पाद, वितरण और ट्रॉसमिशन आरंभ कर देंगे।
- प्रतिभूतियों के लेन देन से विदेशी पोर्टफोलियो वाले निवेशकों को प्राप्त आय को पूँजी आय के रूप में माना जाएगा।
- विदेशी लाभांशों पर 15 प्रतिशत की रियायती कर की दर बिना किसी समाप्ति तारीख के जारी रहेगी।
- ब्याज भुगतानों पर 5 प्रतिशत की रियायती कर दर के लिए विदेशी मुद्रा में उधार लेने की पात्रता तिथि 30.06.2015 से आगे बढ़ाकर 33.06.2017 की गई। केवल दीर्घकालिक इफ्रास्ट्रैक्चर बॉडीं के बजाय सभी प्रकार के दीर्घकालिक बॉडीं पर कर प्रोत्साहन दिया गया।
- एडवांस्ड प्राइसिंग एंगेमेंट (एपीए) स्कीम में 'रोल बैक' प्रावधान आरंभ करना ताकि भावी लेन देन के लिए किया गया एपीए, विशिष्ट परिस्थितियों में, पिछले चार वर्षों में किए गए अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन पर भी लागू हो।
- ट्रांसफर प्राइसिंग रेगुलेशन के अंतर्गत निकटतम् मूल्य के निर्धारण के लिए परास संकल्पना आरंभ की गई।
- ट्रांसफर प्राइसिंग रेगुलेशन के अंतर्गत तुलना विश्लेषण हेतु बहुत से वर्गों के डेटा के उपयोग की अनुमति दी गई।
- निवासी कर दाताओं को उनके एक निश्चित आरंभिक सीमा से अधिक आय कर दायित्वों के संबंध में अग्रिम तौर पर आदेश प्राप्त करने के लिए सक्षम बनाया गया।
- आय कर निपटान आयोग के क्षेत्र का विस्तार किया गया।

अप्रत्यक्ष कर

(क) सीमा शुल्क

कृषि/कृषि प्रसंस्करण/बागान क्षेत्र : तेल-निष्कर्षित सोया तत्व, मूँगफली की खली/खली चूर्ण आदि के लिए 31.12.2014 तक सीमाशुल्क से पूरी छूट दी गई है।

रसायन और पेट्रो रसायन क्षेत्र में मूल सीमाशुल्क (बीसीडी) में कमी की गई है।

ऊर्जा क्षेत्र : विभिन्न प्रकार के असंरिप्तित कोयले पर शुल्क ढांचे को 2.5% बीसीडी और 2% सीबीडी पर युक्त संगत बनाया गया है।

वस्त्र एवं निर्यात : सिले-सिलाए वस्त्र गारमेंट सेक्टर द्वारा निर्यात हेतु वस्त्रों को तैयार करने के लिए प्रयुक्त गोटों-पटिटियों एवं सजावट वाली वस्तुओं के आयात के लिए शुल्क-मुक्त पात्रता 3% से बढ़ाकर 5% कर दी गई है।

(जारी...)

बॉक्स 2.1 : बजट 2014-15 में आरंभ किए गए उपाए (जारी...)

धातु : कतिपय स्टेनलेस स्टील फ्लैट उत्पादों पर बीसीडी को 5% से बढ़ाकर 7.5% कर दिया गया है। बॉक्साइट पर निर्यात शुल्क 10% से बढ़ा कर 20% किया गया है।

बहुमूल्य धातुएं : आधे-तराशे गए या टूटे हीरों पर बीसीडी शून्य से बढ़ाकर 2.5% कर दिया गया है तथा तराशे हुए और पॉलिश किए गए हीरों और कलर्ड रत्नों पर बीसीडी 2% बढ़ाकर 2.5% कर दिया गया है।

इलेक्ट्रॉनिक्स/हार्डवेयर : 19 इंच से कम के एलसीडी एवं एलईडी टीवी पैनलों और कैथोड किरण टीवी विनिर्मित करने के लिए कलर पिक्चर ट्यूबों पर बीसीडी 10% से घटाकर शून्य कर दिया गया है। आयातित इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों पर शिक्षा उपकर और माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा (एसएचई) उपकर वसूल किए जाते थे।

नवीकरणीय ऊर्जा : पवन चालित बिजली जनरेटरों तथा सौर ऊर्जा उत्पादन परियोजनाओं में प्रयुक्त पूर्जों पर लगने वाले बीसीडी को कम किया गया।

स्वास्थ्य : एड्स, टीबी और मलेरिया पर रोकथाम के लिए वैश्विक निधि द्वारा वित्तपोषित राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत आयातित एचआईवी/एड्स औषधि एवं नैदानिक किटों के लिए सीमा शुल्क एवं उत्पाद शुल्क से पूरी छूट दी गई है।

(ख) उत्पाद शुल्क

कृषि/कृषि प्रसंस्करण/बागान क्षेत्र : मांस पॉल्ट्री आदि तैयार करने के लिए मशीनों पर उत्पाद शुल्क 10% से घटाकर 6% कर दिया गया है।

कपड़ा : प्लास्टिक कचरा या रद्दी अथवा प्लास्टिक अपशिष्ट से निर्मित पोलिस्टर स्टेपल फाईबर और पोलिस्टर फिलामेंट पर 2% (सेन्वेट के बिना) अथवा 6% (केन्द्रीय सेन्वेट के साथ) की दर पर उत्पाद शुल्क लगाया गया।

स्वास्थ्य : 65 मिमी तक लम्बाई वाली सिगरेट पर उत्पाद शुल्क 72% तक और अन्य लम्बाई सिगरेट पर 11% से बढ़ाकर 21% किया गया। सिगार, चिरूट और सिगारिलोस पर भी इतनी ही वृद्धि की गई। पान मसाला पर आधारभूत उत्पाद शुल्क में 12% से 16%, बिना निर्मित तम्बाकू पर 50% से 55% और जरदा सुगंधित तम्बाकू, गुरुखा और चबाएं जाने वाले तम्बाकू पर 60% से बढ़ाकर 70% की गई।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के राष्ट्रीय वैक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एनबीबीडीसीपी) को आपूर्ति किए जाने के लिए हिंदुस्तान इनसेक्टीसाईड लिमिटेड द्वारा उत्पादित डीडीटी को उत्पाद शुल्क से पूरी छूट प्रदान की गई।

इलेक्ट्रॉनिक्स/हार्डवेयर: रिकॉर्ड किए गए स्मार्ट कार्ड पर उत्पाद शुल्क सेन्वेट के बिना 2% और सेन्वेट के साथ 6% से बढ़ाकर 12% की एक समान दर पर लाया गया।

नवीकरणीय ऊर्जा : सौर ऊर्जा उत्पादन परियोजनाओं और कॉम्प्रैसड् बायोगैस संयंत्र (बायो-सीएनजी) की स्थापना के लिए आवश्यक मशीनरी पर उत्पाद शुल्क से पूरी छूट प्रदान की गई।

ऊर्जा क्षेत्र: ब्रॉडेड पेट्रोल पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क 7.50 रुपए प्रति लीटर से घटाकर 2.35 रुपए प्रति लीटर किया गया ताकि ब्रांडेड और बिना ब्रांडेड पेट्रोल की कीमत के बीच अंतर को कम किया जा सके। कोयला, लिग्नाइट और पीट पर लगाए गए स्वच्छ ऊर्जा कर की दर 50 रुपए प्रति टन से बढ़ाकर 100 रुपए प्रति टन की गई।

(ग) सेवा कर

कर आधार का विस्तार करने और वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) आरंभ करने की तैयारी के रूप में सेवाओं की नकारात्मक सूची और सेवा कर छूट की समीक्षा की गई। ऑनलाईन और मोबाइल विज्ञापन जैसी सेवाओं और रेडियो टैक्सी या रैडियो कैब द्वारा उपलब्ध सेवाओं को कर के दायरे में लाया गया है जबकि मानव प्रतिभागियों पर नैदानिक अनुसंधान जैसी सेवाओं और वातानुकूलित कॉट्रैक्ट कैरिजों द्वारा उपलब्ध सेवाओं पर कर छूट समाप्त कर दी गई है।

बजट 2014-15 के बाद किए गए उपाय

सीमा शुल्क - कच्ची और परिष्कृत वाईट शुगर पर आधारभूत सीमा शुल्क 15% से बढ़ाकर 25% किया गया।

उत्पाद शुल्क - पेट्रोल और डीजल (ब्रॉडेड और बिना ब्रॉडेड) पर आधारभूत उत्पाद शुल्क निम्नवत् रूप से बढ़ाया गया:

- बिना ब्रांडेड पेट्रोल 1.20 रुपए प्रति लीटर से 4.95 रुपए प्रति लीटर;
- ब्रांडेड पेट्रोल 2.35 रुपए प्रति लीटर से 6.10 रुपए प्रति लीटर;
- बिना ब्रांडेड डीजल 1.46 रुपए प्रति लीटर से 3.96 रुपए प्रति लीटर; और
- ब्रॉडेड डीजल 3.75 रुपए प्रति लीटर से 6.25 रुपए प्रति लीटर

2.8 राजस्व जुटाने तथा व्यवसाय को अधिक आसान बनाने के लिए कर प्रशासन को चलाने की प्रक्रिया के आधुनिकीकरण के माध्यम से एक गैर-प्रतिकूल एवं गैर-हस्तक्षेप वाली कर व्यवस्था को बढ़ावा दिया जा रहा है। कर दाता सेवाओं को ई-समर्थकारी बनाने और आयकर रिटर्न, विभिन्न प्रपत्रों, लेखा परीक्षा रिपोर्टों, आदि को भरने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का विस्तृत रूप से उपयोग किया जा रहा है। स्रोत पर कर कटौती को इलैक्ट्रोनिक फाइलिंग और कम्प्यूटरीकृत प्रक्रिया के साथ अनुकूल किया गया है। बेंगलूरु में आय कर रिटर्न के लिए केन्द्रीय प्रोसेसिंग केन्द्र और वैशाली गाजियाबाद में केन्द्रीय प्रोसेसिंग केन्द्र टीडीएस को पूर्णतया कार्यशील बनाया गया है। इन उपायों से कर प्रशासन अपेक्षाकृत अधिक कुशल तरीके से और स्वतः कार्य कर सकेगा और कर दाताओं की शिकायतें भी कम होंगी।

2.9 वर्ष 2014-15 में एक अन्य महत्वपूर्ण कार्य, लोक सभा में दिनांक 19.12.2014 को संविधान (122वां संशोधन) विधेयक को लाया जाना था जिसमें सभी वस्तुओं अथवा सेवाओं, विनिर्दिष्ट वस्तुओं को छोड़कर, पर वस्तु एवं सेवा कर (जी एस टी) लगाए जाने का प्रावधान है। जीएसटी की मोटे तौर पर संरचना बाक्स-2 में दी गई है।

संग्रहण दर

2.10 वस्तुओं के आयात पर सीमा शुल्क लिया जाता है किन्तु सांविधिक दर को लागू किए जाने में बहुत सी छूट के मामले भी होते हैं। इसलिए आयातों के बढ़ने से यह आवश्यक नहीं है कि सीमा कर संग्रहण में भी इसी प्रकार का परिवर्तन होगा। संग्रहण दर, सीमा शुल्क के समग्र भार का एक संसूचक है और इसकी गणना किसी राजकोषीय वर्ष में आयातों की मात्रा और कुल सीमा शुल्क राजस्व संग्रहण के अनुपात के रूप में की जाती है। महत्वपूर्ण वस्तु समूहों और साथ ही सभी वस्तुओं के संदर्भ में पिछले वर्षों में इन अनुपातों के रुक्षान सारणी 2.4 में दर्शाए गए हैं। संग्रहण दरों में गिरावट का एक प्रमुख कारण पेट्रोलियम, तेल और लुब्रीकेंट (पीओएल) सहित कई मदों जिनका आयात मूल्य काफी है, पर शुल्क में कमी का होना है, जिसमें से कई अभी हाल ही की वृद्धि तक जारी रहे और इन पर विभिन्न छूट का भी प्रभाव है।

कर व्यय

2.11 करों की सांविधिक दरों, जैसा कि विभिन्न अनुसूचियों में अधिसूचित हैं, और कराधान की वास्तविक या प्रभावी दर, जो कुल कर योग्य (कर आधार) पर संग्रहित कर राजस्व का अनिवार्यतम एकसामान्य अनुपात है, के बीच

सारणी 2.4 : चुनिंदा आयात समूहों के लिए संग्रहण दरें

क्रम सं वस्तु	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
1 खाद्य उत्पाद	4.2	2.5	3.1	2.9	3.2	5.3
2 पीओएल	2.7	1.9	5.6	2.8	1.5	1.6
3 रसायन	16.4	13.9	16.9	14.0	16.3	16.3
4 मानव निर्मित फाइबर	17.0	22.0	29.6	21.9	31.3	29.5
5 पेपर एवं न्यूज़प्रिंट	8.4	7.7	7.9	7.0	7.3	7.3
6 प्राकृतिक फाइबर	5.6	4.3	4.6	3.3	4.5	5.6
7 धातुएं	16.8	17.4	22.0	19.7	22.7	22.9
8 पूंजीगत वस्तुएं	12.5	11.3	12.9	11.5	11.7	11.9
9 अन्य	4.0	3.8	3.9	3.7	4.7	5.4
10 गैर पीओएल	8.7	7.6	8.5	7.4	8.2	8.8
कुल	6.9	5.9	7.7	6.0	6.0	6.1

स्रोत : राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय

टिप्पणी : क्रम सं 1 में अनाज, दालें, चाय, दूध और क्रीम, फल, सब्जियां, एनीमल फैट और शुर्करा शामिल हैं।

क्रम सं 3 में रासायनिक वस्तुएं, यौगिक, फार्मास्यूटिकल, डाईग और कलरिंग मैटीरियल, प्लास्टिक और रबर शामिल हैं।

क्रम सं 5 में लुब्री और अपशिष्ट कागज, न्यूज़प्रिंट, पेपरबोर्ड और मैन्युफैक्चर्स एवं प्रिटेड बुक्स शामिल हैं।

क्रम सं 6 में कच्चा वूल और सिल्क शामिल है।

क्रम सं 7 में लोहा, स्टील एवं नॉन-फेरेस धातुएं शामिल हैं।

क्रम सं 8 में नॉन इलेक्ट्रोनिक मशीनरी एवं परियोजना आयात, इलैक्ट्रिकल मशीनरी शामिल हैं।

बाक्स 2.2 : वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी)

वस्तु एवं सेवा कर आरंभ किया जाना, भारत में अप्रत्यक्ष कर सुधार के क्षेत्र में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम होगा। बड़ी संख्या में केन्द्रीय और राज्य करों को एक ही कर में मिलाने से क्रम प्रपात अथवा दोहरे कराधान में कमी आएगी और एक सामान्य राष्ट्रीय बाजार बनने का मार्ग प्रशस्त होगा। उपभोक्ता की दृष्टि से, सबसे बड़ा लाभ वस्तुओं पर समग्र रूप से कर भार में कमी के रूप में होगा, जो वर्तमान में 25%-30% होने का अनुमान लगाया गया है। जीएसटी आरंभ किए जाने से भारतीय उत्पादों के घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में प्रतिस्पर्धा आने की उम्मीद भी है। अध्ययनों से पता चलता है कि इससे तुरंत ही आर्थिक प्रगति में तेजी आएगी। इसके पारदर्शी होने के कारण, आशा है कि जीएसटी का प्रशासन अपेक्षाकृत अधिक आसान होगा। मुख्य तौर पर विशेषताएं निम्न प्रकार से हैं:

- (i) वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर लागू होगा जब कि वर्तमान में वस्तुओं के उत्पादन अथवा विक्री अथवा सेवाओं के प्रावधान पर कर की संकल्पना है।
- (ii) उत्पत्ति आधारित कर की वर्तमान संकल्पना की तुलना में जीएसटी एक गंतव्य आधारित कर होगा।
- (iii) यह दोहरा जीएसटी होगा जिसे कन्द्र और राज्यों द्वारा एक साथ एक उभयनिस्ठ आधार पर लागू किया जाएगा। केन्द्र द्वारा लागू जीएसटी केन्द्रीय जीएसटी (सीजीएसटी) और राज्यों द्वारा लागू जीएसटी (एसजीएसटी) कहा जाएगा।
- (iv) वस्तुओं अथवा सेवाओं की अंतर-राज्यीय आपूर्ति (स्टॉक ट्रांसफर सहित) पर एक एकीकृत जीएसटी (आईजीएसटी) लागू किया जाएगा। यह केन्द्र द्वारा एकत्र किया जाएगा ताकि क्रेडिट शृंखला में बाधा उत्पन्न न हो।
- (v) वस्तुओं एवं सेवाओं के आयात को अंतर-राज्यीय आपूर्ति माना जाएगा और यह लागू सीमा शुल्कों के अतिरिक्त आईजीएसटी के अध्यधीन होगा।
- (vi) वस्तुओं की अंतर-राज्यीय आपूर्ति पर केन्द्र द्वारा नॉन-वेटेबल अतिरिक्त कर, जो 1% से अधिक नहीं होगा, लगाया जाएगा और उत्पत्ति वाले राज्य द्वारा कम से कम दो वर्ष के लिए अपने पास रखा जाएगा।
- (vii) सीजीएसटी, एजीएसटी और आईजीएसटी उन दरों पर लागू किए जायेंगे जिनकी अनुशंसा वस्तु एवं सेवा कर परिषद द्वारा की जाएगी, इस परिषद के अध्यक्ष, केन्द्रीय वित्तमंत्री होंगे और इसमें राज्यों के वित्त मंत्री, सदस्य के रूप में शामिल होंगे।
- (viii) मानव उपभोग के लिए एल्कोहॉल को छोड़कर, जीएसटी सभी वस्तुओं एवं सेवाओं पर लागू होगा।
- (ix) पेट्रोलियम उत्पादों पर जीएसटी उस तारीख से लागू होगा जिसकी अनुशंसा वस्तु एवं सेवा कर परिषद द्वारा की जाएगी।
- (x) लम्बाकू और तम्बाक उत्पाद जीएसटी के अंतर्गत आयेंगे। इसके अतिरिक्त केन्द्र द्वारा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क जारी रखा जा सकता है।
- (xi) सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों पर एक सामान्य प्रारंभिक छूट सीमा लागू होगी। इससे कम कारोबार वाले करदाता जीएसटी के दायरे में नहीं आयेंगे। एक सीमा से नीचे के कर दाताओं को एक कम्पाउंडिंग विकल्प (अर्थात् क्रेडिट रहित कारोबार पर एक समान दर पर कर का भुगतान करना) उपलब्ध होगा, तथापि एक कर योग्य व्यक्ति, जो प्रारंभिक सीमा अलग कम्पाउंडिंग के अंतर्गत है, एक सामान्य दर पर कर का भुगतान कर सकता है ताकि इनपुट टैक्स, क्रेडिट शृंखला का भाग रह सके।
- (xii) छूट प्रदान की गई वस्तुओं और सेवाओं की सूची कम से कम रखी जाएगी और जहां तक संभव होगा, इसे केन्द्र और राज्यों के लिए संगत रखा जाएगा।
- (xiii) निर्यात की दर शून्य होंगी।
- (xiv) इनपुट पर भुगतान किए गए सीजीएसटी की क्रेडिट राशि का उपयोग केवल आउटपुट पर सीजीएसटी के भुगतान के लिए किया जा सकता है और इनपुट पर भुगतान किए गए एसजीएसटी की क्रेडिट राशि का उपयोग केवल एसजीएसटी के भुगतान के लिए किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में, इनपुट कर क्रेडिट की दोनों शाखाओं का उपयोग परस्पर नहीं किया जा सकता है, ऐसा केवल अन्तर राज्यीय आपूर्ति के विनिर्दिष्ट मामलों में आईजीएसटी के भुगतान के लिए किया जा सकता है।

पिछले चार दशकों में (मूल्य वर्धित कर) बैट, अप्रत्यक्ष कराधान का एक महत्वपूर्ण साधन रहा है। इसे 130 देशों में अपनाया गया है और इसके फलस्वरूप विश्व के कर राजस्व का पांचवां भाग प्राप्त किया गया है। कई विकासशील देशों में कर सुधारों के अंतर्गत बैट को अपनाने की ओर ध्यान दिया गया है। कनाडा, न्यूजीलैंड और आस्ट्रेलिया जैसे संघीय देशों ने अपनी संरचना के अंतर्गत सफलतापूर्वक जीएसटी को अपनाया है। भारत में एक व्यापक वस्तु एवं सेवा कर के कार्यान्वयन से, अन्य के साथ-साथ उत्पादन के कारकों का कुशल आवंटन होने की आशा है, जिससे सकल घरेलू उत्पाद और निर्यात में वृद्धि होगी। इससे आर्थिक कल्याण में वृद्धि होगी और उत्पादन के कारकों जैसे भूमि, श्रम और पूँजी से अपेक्षाकृत अधिक रिटर्न प्राप्त होंगे। तथापि, चूंकि जीएसटी कई राज्य स्तरीय और केन्द्रीय करों का स्थान लेगा, अधिक राजस्व की प्राप्ति होने की संभावना नहीं है।

स्रोत : राजस्व विभाग एवं एनसीईआर वर्किंग पेपर सं 103 जिसका शीर्षक है- ‘भारत में वस्तु एवं सेवा कर को अपनाया जाना-भारत की प्रगति और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर प्रभाव’, 2009

काफी भिन्नता है। कर व्यय अथवा कर छोड़ने के अनुमानों का उद्देश्य परित्यक्त राजस्व को संसूचित करना है। विशिष्ट रूप में परित्यक्त राजस्व को बढ़ा-चढ़ा कर बताया जाता है क्योंकि अधिकांश विकासशील बाजारों में करों की उनकी सांविधिक अनुसूची में उच्च दर होती है और प्रभावी दर, कई वर्षों के लिए सुव्यवस्थित तौर पर, अपेक्षाकृत काफी कम होती है। उदाहरण के लिए गैर-कृषिगत वस्तुओं के लिए सीमा शुल्क की शीर्ष दर कई वर्षों के लिए 10 प्रतिशत रही है जबकि इस समय अनुसूची दरें कई गुना अधिक हैं। 2014-15 के प्राप्ति बजट में निगम आयकर के तहत छूट के कारण कर छूट 2012-13 के लिए 68,720 करोड़ रु. अनुमानित है और 2013-14 के लिए 76116 करोड़ रु. की संभावना है। (मैट के जरिये एकत्र अतिरिक्त देनदारी पर विचार करने के उपरांत) हालांकि, इसे परित्यक्त राजस्व कहा गया है, इसका आशय यह नहीं है कि इस राजस्व को सरकार से छूट प्राप्त है। इसके बजाय कुछ मामलों में, इसे कुछ क्षेत्रों और कतिपय कार्यकलापों को बढ़ावा देने के लिए लक्षित व्यय के रूप में देखा जा सकता है, जिन्हें ऐसे कर व्यय के जरिये बढ़ावा नहीं दिया गया है और संभवतः ऐसे प्रोत्साहन न दिए जाने पर यह वास्तव में अस्तित्व में नहीं आ पाते। इसके अलावा, किसी क्षेत्र के प्रगति के कारण गौण आर्थिक लाभ के द्वारा सकारात्मक बाह्य प्रभाव, किसी क्षेत्र के परित्यक्त राजस्व के निर्धारण में भी प्रभाव नहीं डालती। तथापि, इन लाभों के व्युत्पन्न होने के बावजूद, मामला इस शीर्ष के तहत कुछ प्रविष्टियों के यौक्तिकीकरण का है।

2.12 सारणी 2.5 : परित्यक्त राजस्व में प्रवृत्तियां कर परित्याग के अनुमान वर्ष 2012-13 के लिए हैं, जो सर्वाधिक

क नया वर्ष है जिसके लिए आंकड़े उपलब्ध हैं तथापि, वित्तीय वर्ष 2012-13 के परित्यक्त आंकड़ों के आधार पर वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान परित्याग किए जाने के लिए राजस्व के अनुमान भी लगाए गए हैं। केन्द्रीय करों (प्रत्यक्ष, व अप्रत्यक्ष, दोनों) से परित्यक्त संचयी राजस्व 2012-13 हेतु 5.66 लाख करोड़ रु. है और 2013-14 के लिए इसके 5.73 लाख करोड़ रु. अनुमानित है।

कर-भिन्न राजस्व

2.13 कर-भिन्न राजस्व में मुख्यतः ब्याज और लाभांश प्राप्तियां और केन्द्र सरकार द्वारा मुहैया कराई गई सेवाओं से प्राप्तियां होती हैं। 2011-12 और 2012-13 में स.घ.ड. के लगभग 1.4% पर रहने के बाद, कर-भिन्न राजस्व, 2013-14 (अनंतिम वास्तविक आंकड़े) में स.घ.ड. का 1.8% अनुमानित है और बजट 2014-15 में इसे स.घ.ड. के लगभग 1.7% पर बरकरार रखने का लक्ष्य रखा गया है। केन्द्र का कर-भिन्न राजस्व केन्द्र सरकार की राजस्व प्राप्तियों और ऋण-भिन्न प्राप्तियों का क्रमशः लगभग 17.9 प्रतिशत और 16.08 प्रतिशत होना अनुमानित है। 2013-14 (अनंतिम वास्तविक आंकड़े) की तुलना में 2014-15 (बजट अनुमान) में कर-भिन्न राजस्व की कम वृद्धि का कम अनुमान मुख्यतया उच्च लाभांश और फायदे तथा ब्याज प्राप्तियों के कारण 2013-14 में उच्च आधार के कारण था।

ऋण-भिन्न पूँजी प्राप्तियां

2.14 ऋणों की वसूली और विनिवेश ऋण-भिन्न पूँजी प्राप्तियों के दो प्रमुख संघटक हैं: 2013-14 (अनंतिम वास्तविक आंकड़े) में 40,057 करोड़ रुपए की तुलना में

सारणी 2.5 : परित्यक्त राजस्व/कर व्यय के रुझान

कर शीर्ष	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14P	2012-13	2013-14P
	₹ करोड़				जीटीआर का %	
कारपोरेट कर	57912	61765	68720	76116	6.6	6.7
वैयक्तिक आयकर	36826	39375	33536	40414	3.2	3.5
उत्पाद शुल्क	192227	195590	209940	195679	20.3	17.2
सीमा शुल्क	172740	236852	254039	260714	24.5	22.9
कुल	459705	533583	566235	572923	54.6	50.3
सकल कर राजस्व	793072	889177	1036235	1138832		

स्रोत : विभिन्न वर्षों के प्राप्ति बजट

टिप्पणी : प्र = प्रक्षेपित

बजट 2014-15 में ऋण-भिन्न पूँजी प्राप्तियां 73,952 करोड़ रुपए रखी गई, जिसमें 10,527 करोड़ रुपए ऋणों की वसूली और 63,425 करोड़ रुपए अन्य प्राप्तियां (मुख्यतया विनिवेश) शामिल हैं। ऋणों की वसूली कम होती जा रही है और मुख्यतया केन्द्र से राज्यों को ऋण मध्यस्थता के लिए 12वें वित्त आयोग की सिफारिश के कारण ऋणों की वूसली ऋण-भिन्न पूँजी प्राप्तियों का लघु स्रोत बन गयी है। इस शीर्ष के अंतर्गत पिछले वर्षों से विनिवेश प्राप्तियों का महत्व अधिक बढ़ गया है। 2014-15 के लिए बजट में अनुमान लगाया गया था कि वित्त वर्ष के दौरान 58,425 करोड़ रुपए प्राप्त होगा, जिसमें से 43,425 करोड़ रुपए केन्द्रीय सरकारी सेक्टर के उद्यमों में विनिवेश के माध्यम से और 15,000 करोड़ रुपए गैर-सरकारी कंपनियों में सरकारी पण के विनिवेश के जरिए प्राप्त होने का अनुमान था। मौजूदा वित्त वर्ष में सरकार ने सेल, कोल इंडिया और अन्य में अपना इक्विटी विनिवेश किया और लगभग 24000 करोड़ रुपए प्राप्त किया।

व्यय में प्रवृत्तियां


2.15 जैसाकि पहले के परिच्छेदों में उल्लेख किया गया है, राजस्व बढ़ाना और इसके साथ-साथ व्यय का यौक्तिकीकरण राजकोषीय सुधार के दो स्तम्भ हैं। सक्षम और कारगर व्यय प्रबंधन राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम का प्रमुख घटक है। बजट 2014-15 में 17.95 लाख करोड़ रुपए के कुल व्यय का अनुमान था, जो 2013-14 (सं.अ.) से 12.9 प्रतिशत अधिक था और 2013-14 (अनन्तिम वास्तविक आंकड़े) से 14.8 प्रतिशत अधिक था। इसके भीतर पूँजी व्यय में प्रत्याशित वृद्धि 18.8 प्रतिशत और राजस्व

व्यय में वृद्धि 12.0 प्रतिशत 2013-14 सं.अ.) की तुलना में थी। अलग-अलग स्तर पर 2014-15(ब.अ.) में अनुमानित आयोजना और आयोजना-भिन्न व्यय क्रमशः 5.75 लाख करोड़ रुपए और 12.20 लाख करोड़ रुपए था, जो बजटीय स.घ.उ. का 4.5 प्रतिशत और 9.5 प्रतिशत था, (कृपया सारणी 2.2 देखें) जो सं.अ. 2013-14 की तुलना में क्रमशः 20.9 प्रतिशत और 9.4 प्रतिशत की वृद्धि है।

आयोजना व्यय

2.16 2014-15 में बेहतर सामंजस्य और कारगर क्रियान्वयन एवं पुनर्वर्गीकरण के लिए केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों की 66 कार्यक्रमों में पुनर्संरचना की गई और इन कार्यक्रमों के अंतर्गत निधियां राज्य आयोजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता के रूप में जारी की जानी थी, जिसमें राज्यों के स्कीमों के क्रियान्वयन में अधिकाधिक स्वायत्ता, अधिकार और उत्तरदायित्व दिया गया था। इसके परिणामस्वरूप राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की आयोजनाओं को केन्द्रीय सहायता में सं.अ. 2013-14 में 1.19 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर ब.अ. 2014-15 में 3.38 लाख करोड़ रुपए की वृद्धि दर्ज की गई। इसके अतिरिक्त निवल राजस्व और निवल पूँजी व्यय की संरचना 2012-13 से लगभग यथावत बनी हुई है, और इन दोनों संघटकों का व्यष्टि रूप में आयोजना व्यय का लगभग आधा योगदान रहा (चित्र 2.3)। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय आयोजना परिव्यय का प्रमुख सेक्टर-वार आबंटन (सकल बजटीय सहायता केन्द्रीय आयोजना जमा केन्द्रीय सरकारी सेक्टर के उद्यमों के आंतरिक एवं बजट-बाह्य संसाधन) दर्शाता है कि ऊर्जा, परिवहन, समाज सेवा और उद्योग तथा खनिजों को ब.अ. 2014-15 में अधिकतम हिस्सा मिला (चित्र 2.4)।


चित्र 2.3: आयोजना व्यय का विघटन



स्रोत : बजट दस्तावेज, सीएसओ एवं सीजीए

टिप्पणी : निवल राजस्व और व्यय पूँजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान को घटाकर है। इस शीर्ष को पूँजी व्यय में शामिल किया गया था और निवल पूँजी व्यय का नाम दिया गया है।

चित्र 2.4: सेक्टरों के अनुसार केन्द्रीय आयोजना परिव्यय 2014-15



स्रोत : बजट 2014-15।

आयोजना-भिन्न व्यय

2.17 आयोजना भिन्न व्यय ब.अ. 2014-15 में कुल व्यय का लगभग 68 प्रतिशत था, जो 2013-14 (अनंतिम वास्तविक आंकड़े) के स्तर से 3 प्रतिशतांक कम था। ब.अ. 2014-15 के कुल आयोजना-भिन्न व्यय में से आयोजना-भिन्न राजस्व व्यय का हिस्सा 91.4 प्रतिशत है और शेष मामूली 8.6 प्रतिशत पूँजी आयोजना-भिन्न व्यय में लिया जा रहा है। पूँजी आयोजना-भिन्न व्यय के भीतर रक्षा व्यय का अधिकतम हिस्सा था।


2.18 राजकोषीय सुदृढ़ीकरण का मार्ग प्रशस्त करने की कार्यनीति के रूप में, व्यय के यौक्तिकीकरण में प्रमुख अड़चने हैं। ये ब्याज अदायगियां, सब्सिडियां, रक्षा सेवाएं, पेंशन और आयोजना-भिन्न अनुदानों और राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता जैसे बचनबद्ध व्यय के कारण थे, जो 2014-15 ब.अ. में कुल आयोजना-भिन्न राजस्व व्यय का लगभग 87.4 प्रतिशत था (चित्र 2.5)। आयोजना-भिन्न राजस्व व्यय का यौक्तिकीकरण और पुनःप्राथमिकता देने की राजकोषीय सुदृढ़ीकरण की प्रक्रिया और अधिकाधिक समावेशी एवं सतत् विकास के लिए व्यय के प्रति महत्वपूर्ण भूमिका होने की संभावना है।

सब्सिडियां

2.19 ब.अ. 2014-15 के लिए सब्सिडी बिल 2.60 लाख करोड़ रुपए रखा गया था, जो आयोजना-भिन्न व्यय का 23.4 प्रतिशत और स.घ.उ. का 2.0 प्रतिशत था। वित्तीय संकट के बाद की अवधि में सब्सिडी बिल 2009-10 में स.घ.उ. के 2.2 प्रतिशत से बढ़कर 2012-13 में स.घ.उ. का 2.5 प्रतिशत हो गया (सारणी 2.6)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2009-10 से 2012-13 की मुख्य मर्दें खाद्य और पेट्रोलियम सब्सिडियां थीं। घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं के बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण आरंभ करने के साथ-साथ अक्टूबर, 2014 में डीजल की कीमतों को नियंत्रण मुक्त करने तथा कच्चे तेल के वैश्विक मूल्य में गिरावट से पेट्रोलियम सब्सिडी बिल को नियंत्रित करने में सहायता मिलेगी। पेट्रोलियम उत्पादों पर 2013-14 के दौरान 139,869 करोड़ रुपए की तुलना में 2014-15 के दौरान 74,664 करोड़ रुपए होने की संभावना है (बॉक्स 2.3)।

2.20 खाद्य सब्सिडी को यौक्तिक बनाना अभी तक ऐसा क्षेत्र बना हुआ है, जहां और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है। हाल ही में भारतीय खाद्य निगम के पुनर्गठन के लिए उच्च स्तरीय समिति ने अनेक उपायों की सिफारिश की है, जिनमें सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभार्थियों को नकद अंतरण

चित्र 2.5: राजस्व आयोजना भिन्न व्यय में प्रवृत्तियाँ



स्रोत : बजट दस्तावेज एवं सीजीए

सारणी 2.6 : सब्सिडियों में प्रवृत्ति (करोड़ रुपए में)

सब्सिडी शीर्ष	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	अ.वा.	2014-15 ब.अ.
खाद्य	58443	63844	72822	85000	92318	115000	
उत्वरक	61264	62301	70013	65613	71280	72970	
पेट्रोलियम	14951	38371	68484	96880	83998	63427	
प्रमुख सब्सिडियां	134658	164516	211319	247493	247596	251397	
कुल सब्सिडियां	141351	173420	217941	257079	उ.न.	260658	
सघड के % के रूप में प्रमुख सब्सिडियां	2.08	2.11	2.35	2.45	2.18	1.95	
सघड के % के रूप में कुछ सब्सिडियां	2.18	2.22	2.42	2.54	उ.न.	2.02	

स्रोत : केन्द्रीय बजट दस्तावेज

बॉक्स 2.3 : कच्चे तेल के मूल्य में वैश्विक गिरावट और ईंधन नीति में सुधारों के प्रभाव

कच्चे तेल की कीमतों में हालिया प्रवृत्तियां: वर्ष 2010 से कच्चे तेल की वैश्विक कीमत प्रति बैरल 100 डालर पर स्थिर थी। तथापि, इन कीमतों में सितंबर 2014 से तेजी से गिरावट आई। उनमें जुलाई 2014 से गिरावट आ रही है। जब उनकी कीमतें प्रति बैरल 106.30 डालर थीं, वह गिरकर जनवरी, 2015 में प्रति बैरल 50 डालर से नीचे आ गई। इस तेजी से गिरावट के कारणों में एशिया के देशों में कमजूर मांग, विशेषकर चीन और यूरोप में कमजूर मांग को माना जा सकता है। इसके अतिरिक्त संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा जैसे देशों द्वारा तेल आयात पर उनकी निर्भरता कम करने के लिए शेल गैस का पता लगाने के कारण तेल की मांग कम हो गई। इसके परिणामस्वरूप डीजल की खुदरा कीमतें घरेलू एलपीजी और किरोसीन की कीमतों में कटौती हुई। 2014-15 के लिए माह-वार कीमत की प्रवृत्ति नीचे दर्शायी गई है।

विगत कुछ वर्षों के दौरान कम वसूली/सब्सिडी के लिए अंशदान काफी बढ़ गया, जिसने सरकार की वित्तीय स्थिति को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया इस प्रकार से स्फीतिकारी दबाव काफी बढ़ गया। तथापि, अक्टूबर, 2014 में तेल और गैस सेक्टर में सब्सिडी के ढांचे को योक्तिक बनाने के लिए सरकार ने प्रमुख मूल्यनिर्धारण सुधार आरंभ किया। डीजल की कीमतें नियंत्रणमुक्त की गई और बाजार तथा रिफाइनरी स्टर पर बाजार द्वारा निर्धारित होने लगी। नियंत्रणमुक्त करने से प्रतिस्पर्धा के बढ़ने के कारण सेवा प्रदायगी बेहतर हो सकती है। प्रत्यक्ष लाभ के अलावा डीजल की कम कीमत से भी उपभोक्ताओं को अप्रत्यक्ष फायदा हुआ है क्योंकि वस्तुओं की आवा-जाही की लागत कम हुई है।


कम वसूलियां: पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों को नियंत्रण में रखने के परिणामस्वरूप तेल विपणन कंपनियों के पास कम वसूली हुई क्योंकि उन्हें आयात के संगत मूल्य/व्यापार संगत मूल्य के आधार पर रिफाइनरी से उत्पादों की खरीद पर रिफाइनरी गेट कीमत चुकानी पड़ी परन्तु घरेलू कीमतों से उनकी वसूली नहीं कर सकी। सरकारी सेक्टर की तेल विपणन कंपनियां 18 अक्टूबर 2014 जब डीजल को नियंत्रणमुक्त किया गया था तक डीजल की खरीद के लिए अंतरराष्ट्रीय कीमतों पर आधारित व्यापार संगत कीमत और पीडीएस किरोसीन और घरेलू एलपीजी की खरीद के लिए आयात संगत कीमत रिफाइनरियों को चुकाती रही। आम जनता को इसके प्रभाव से बचाने के लिए सरकार पीडीएस किरोसीन और घरेलू एलपीजी की खुदरा बिक्री कीमतों को घटाती-बढ़ाती रही।

2014-15 के दौरान अनुमानित कम वसूली 74,664 करोड़ रुपए, जिसमें डीजल का योगदान 10,935 करोड़ रुपए पीडीएस किरोसीन का 24,412 करोड़ रुपए और घरेलू एलपीजी का 39,317 करोड़ रुपए है। 2013-14 में यह कम वसूली 1,39,869 करोड़ रुपए थी, जिसमें डीजल का योगदान 62,837 करोड़ रुपए पीडीएस किरोसीन 30,574 करोड़ रुपए और घरेलू एलपीजी का 46,458 करोड़ रुपए था। 2014-15 के दौरान डीजल पर से प्रशासनिक नियंत्रण हटाने और कच्चे तेल की कीमत कम होने से कम वसूली लगभग 47 प्रतिशत तक घट सकती है।

तेल विपणन कंपनियों द्वारा की गई कम वसूली को अग्रणी राष्ट्रीय तेल कंपनियों और सरकार द्वारा बहन किया गया। 2013-14 के दौरान राष्ट्रीय तेल कंपनियों ने 67,021 करोड़ रुपए प्रदान किया, जबकि कुल कम वसूली 1,39,869 करोड़ रुपए थी।

परिवारिक ईंधन अर्थात् पीडीएस किरोसीन (सार्वजनिक वितरण के अंतर्गत) और घरेलू एलपीजी के महत्व को देखते हुए, इसकी 2002 की स्कीम के तहत इन उत्पादों के लिए सब्सिडियां दी गई (ब.अ. 2014-15 में 2930 करोड़ रुपए)। इसके अतिरिक्त दूर दराज के क्षेत्रों में ईंधन ले जाने के लिए सहायता भी दी गई (ब.अ. 2014-15 में 23 करोड़ रुपए)।


स्रोत : पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय।

भारतीय वस्तु समूह कच्चे तेल का मूल्य (यूएसडी/बीबीएल)

भी शामिल है जो खाद्य सब्सिडी के यौक्तिकीकरण का मार्ग प्रशस्त करेगा।

ब्याज अदायगियां

2.21 राजकोषीय घाटे के परिवर्तनीय प्रवाह होते हैं, ब्याज अदायगियों को आकर्षित करते हुए इन्हें प्रत्येक वर्ष के विविध स्टाक (सरकारी ऋण और देनदारियों) में जोड़ा जाता है। वर्ष 2014-15 के बजट अनुमान में 4.27 लाख करोड़ रुपए की ब्याज देनदारियां थीं, जो आयोजना-भिन्न राजस्व व्यय का 38.31 प्रतिशत तथा सकल घरेलू उत्पाद का 3.3 प्रतिशत बैठती है। सकल घरेलू उत्पाद के भाग के रूप में, ब्याज देनदारियां एफ आर बी एम की अवधि के बाद कम होती जा रही थीं। तथापि, वैश्विक संकट के प्रतिकूल असर को कम करने के लिए राजकोषीय विस्तार नीति के कारण, संकट के बाद की स्थिति में किसी तरह स.घ.उ. के अनुपात में, ब्याज देनदारियों में कुछ बढ़ोतरी हुई (चित्र 2.6)। उधार की औसत लागत, जो वर्ष 2012-13 (सारणी 2.7) में 7.7 प्रतिशत थी, की तुलना में वर्ष 2014-15 (ब.अ.) में 8.4 प्रतिशत हो गई है।



टिप्पणी : एनपीआरई-आयोजना भिन्न राजस्व व्यय

सारणी 2.7 : उधार की औसत लागत

	ओआईएल	आईआईएल	एसीबी
करोड़ रुपए में			
2009-10	2874683	192567	7.50
2010-11	3212521	212707	7.40
2011-12	3765153	251634	7.83
2012-13	4295575	290278	7.71
2013-14(स.अ.)	4782585	355438	8.27
2014-15(ब.अ.)	5387174	402143	8.41

स्रोत : केन्द्रीय बजट दस्तावेज

ओआईएल=बकाया आंतरिक देनदारियां

आईआईएल=आन्तरिक देनदारियों पर ब्याज

एसीबी= उधार की औसत लागत

वर्ष 2014-15 के बजट अनुमान की तुलना में वर्ष 2014-15 के अनंतिम परिणाम

2.22 नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीजीए) ने 30 जनवरी, 2015 को अप्रैल-दिसम्बर 2014-15 के अनंतिम परिणाम जारी कर दिए। राजकोषीय घाटा 5.32 लाख करोड़ रुपए था जो बजट अनुमान का 100.2 प्रतिशत है और विगत पांच वर्ष के औसत 77.7 प्रतिशत (सारणी 2.8) की अपेक्षा अधिक है।

2.23 दिसंबर, 2014 तक जीटीआर ने 7.0 प्रतिशत की वृद्धि दर्शायी जो ब.अ. में परिकल्पित 17.7 प्रतिशत से बहुत कम है। बजट अनुमान के अनुपात के रूप में अप्रैल-दिसम्बर 2014 में संगृहीत प्रत्यक्ष कर व्यापक तौर पर उन्हीं स्तर पर हैं जैसेकि पिछले वर्ष की तदनुरूप अवधि में एकत्रित किए गए थे तथा अगर पिछले वर्ष की बात करें तो समग्र संग्रहण संशोधित अनुमान के काफी निकट था (बजट अनुमान की तुलना में 30,568 करोड़ रुपए ही कम), इससे यह स्पष्ट होता है कि यह इस वर्ष भी हासिल किया जा सकता है। वर्ष 2014-15 (अप्रैल-दिसम्बर) में अप्रत्यक्ष कर में 6.2 प्रतिशत की वृद्धि वर्ष 2013-14 के अनंतिम आंकड़ों मुकाबले 25.8 प्रतिशत से कहीं कम है। बजट अनुपान के अनुपात में संगृहीत कर-भिन्न राजस्व के सन्दर्भ में, अप्रैल-दिसम्बर 2014 में विगत वर्ष की तदनुरूप अवधि की तुलना में 69.7 प्रतिशत पद अधिक है। तथापि, बजट अनुमान में 12.9 प्रतिशत की तुलना में पिछले वर्ष की तदनुरूप अवधि की तुलना में अप्रैल-दिसम्बर 2014 में व्यय में 6.2 प्रतिशत की वृद्धि से चालू वित्त वर्ष की पहली तीन तिमाहियों में राजकोषीय घाटे को कम करने में मदद मिली। इससे स्पष्ट है कि राजकोषीय स्थिति को सुदूर बनाने के लिए इस वर्ष भी व्यय पर कतिपय दबाव बनाए जाने हैं। बड़े पैमाने पर व्यय को कम किए जाने के लिए सरकार ने, हालांकि, राजस्व में कतिपय बढ़ोतरी और इसे जुटाने के प्रयास किए हैं।

2.24 राजस्व को बढ़ाने के लिए किए गए कतिपय उपायों में तेल की वैश्विक कीमतों के कम होने पर पेट्रोल तथा डीजल पर उत्पाद शुल्क बढ़ाना शामिल हैं। नवम्बर 2014 से चार बार उत्पाद शुल्क बढ़ाने से इस वित्त वर्ष के राजस्व में 20,250 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होने की संभावना है। हाल ही में सरकार ने चार कंपनियों में शेयरधारिता की बिक्री की घोषणा की थी जिसमें कोल इण्डिया में 10 प्रतिशत शेयरधारिता की बिक्री करना भी शामिल है और जिससे वर्तमान बाजार मूल्य पर सरकार को 22,557 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त हुई है। सरकार को इस

सारणी 2.8 : वर्ष 2014-15 के अनंतिम परिणाम (दिसम्बर 2014 तक)

ब.अ. (करोड़ रुपए)	अप्रैल - दिसम्बर						
	वास्तविक सं. (करोड़ रुपए)		संबंधित बजट अनुमान का प्रतिशत		पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत बदलाव		
2014-15	2013-14	2014-15	2013-14	2014-15	2013-14	2014-15	
1. राजस्व प्राप्तियां	1189763	633933	693773	60.0	58.3	11.1	9.4
सकल कर राजस्व	1364524	743709	795686	60.2	58.3	9.2	7.0
कर (केन्द्र को निवल)	977258	517661	545714	58.6	55.8	6.9	5.4
कर-भिन्न राजस्व	212505	116272	148059	67.5	69.7	34.6	27.3
2. पूँजी प्राप्तियां	605129	529858	542615	87.0	89.7	26.0	2.4
ऋण की बसूली	10527	8038	8282	75.4	78.7	4.3	3.0
अन्य प्राप्तियां	63425	5430	1952	9.7	3.1	-33.6	-64.1
3. कुल प्राप्तियां	1794892	1163791	1236388	69.9	68.9	17.4	6.2
4. आयोजना-भिन्न व्यय	1219892	812528	883757	73.2	72.4	16.9	8.8
(क) राजस्व खाता	1114609	731159	813270	73.6	73.0	16.9	11.2
ब्याज देनदारियां	427011	248464	275220	67.0	64.5	23.0	10.8
प्रमुख संबिंदियां	251397	188899	212418	85.5	84.5	13.2	12.5
पेशन	81983	53890	68104	76.2	83.1	20.2	26.4
(ख) पूँजी खाता	105283	81369	70487	69.5	67.0	16.9	-13.4
5. आयोजना व्यय	575000	351263	352631	63.3	61.3	18.7	0.4
(क) राजस्व खाता	453503	274016	282278	61.8	62.2	12.8	3.0
(ख) पूँजी खाता	121497	77247	70353	68.9	57.9	46.0	-8.9
6. कुल व्यय	1794892	1163791	1236388	69.9	68.9	17.4	6.2
(क) राजस्व व्यय	1568112	1005175	1095548	70.0	69.9	15.7	9.0
(ख) पूँजी व्यय	226780	158616	140840	69.2	62.1	29.4	-11.2
7. राजस्व घाटा	378349	371242	401775	97.7	106.2	24.6	8.2
8. प्रभावी राजस्व घाटा	210245	275183	303912	134.1	144.6	23.0	10.4
9. राजकोषीय घाटा	531177	516390	532381	95.2	100.2	27.6	3.1
10. प्राथमिक घाटा	104166	267926	257161	155.9	246.9	32.2	-4.0

स्रोत : सीजीए मासिक खाता तथा बजट दस्तावेज

वित्त वर्ष में मार्च तक कोयला ब्लाक की नीलामी तथा स्पेक्ट्रम की बिक्री से राजस्व में तेजी से बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। व्यय प्रबंधन आयोग की आगामी सिफारिशों व्यय को फिर से प्राथमिकता देने तथा व्यय की निःसंरण को कम करने में सहायता होगी।

सरकारी ऋण

2.25 ऋण नीति में न्यूनतम संभावित लागत पर दीर्घकालीन और संपोषणीय ऋण संरचना को बनाए रखने पर जोर दिया जाता है और यह बाजारोन्मुखी सक्रिय ऋण प्रबंधन को उत्तरोत्तर सहायता प्रदान कर रही है। ऋण नीति के उद्देश्यों के

अनुसरण के लिए सरकार ने प्रतिभूतियों में नकदी बढ़ाने और आवर्ती जोखिम घटाने के साथ-साथ नकद अधिशेष का उपयोग करने के उद्देश्य से 2013-14 में प्रतिभूतियों का वापसी क्रय और अंतरण किया। केन्द्र सरकार की कुल बकाया देनदारियां 55.87 लाख रुपए की थी जो जीडीपी का 49.2 प्रतिशत बैठती है जिसमें 39 प्रतिशत सरकारी ऋण तथा मार्च 2014 के अंत तक (सारणी 2.9) 10.2 प्रतिशत अन्य देनदारियां शामिल हैं। कुल सरकारी ऋण में से आंतरिक ऋण 95.9 प्रतिशत बैठता है तथा शेष ऋण विदेशी ऋण (खाता मूल्य पर) था। ब.अ. 2014-15 में कुल बकाया देनदारियों के 62.22 लाख करोड़ रु. होने का अनुमान है।

सारणी 2.9 : स.घ.उ. के प्रतिशत के रूप में केन्द्र सरकार की बकाया देनदारियां (मार्चांत)

	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14(सं.अ.)	2014-15 (ब.अ.)
1. आंतरिक देयताएं (क) + (ख)	52.4	48.6	48.2	48.4	47.6	46.9
क) आंतरिक ऋण	35.9	34.3	35.9	37.2	37.4	37.1
i. बाजार उधार	27.0	26.6	27.9	29.5	30.3	30.4
ii. अन्य	9.0	7.6	7.9	7.7	7.1	6.7
ख अन्य आंतरिक देयताएं	16.5	14.3	12.4	11.2	10.2	9.8
2. विदेशी ऋण#	2.1	2.0	1.9	1.8	1.6	1.5
3. कुल बकाया देयताएं	54.5	50.6	50.1	50.1	49.2	48.3

स्रोत : केन्द्रीय बजट दस्तावेज

टिप्पणी : #विदेशी ऋण के आंकड़े केन्द्र सरकार द्वारा विदेशी स्रोतों से लिए गए उधारों के घोतक हैं और विगत में प्रचलित विनिमय दरों पर आधारित हैं।

वर्तमान बाजार मूल्यों पर स.घ.उ. अनुपात सीएसओ के राष्ट्रीय लेखा 2004-05 श्रृंखला पर आधारित है।

केन्द्रीय सरकार के विभागीय उद्यमों का कार्य-निष्पादन

डाक विभाग

2.26 2013-14 में डाक विभाग की सकल प्राप्तियां ₹ 10,730 करोड़ पर रहीं। वर्ष के दौरान सकल और निवल कार्य-चालन व्यय क्रमशः ₹ 16,797 करोड़ और ₹ 16,204 करोड़ था जो ₹ 5473 करोड़ घाटे में परिणत हुआ है। 2014-15 स.अ. के अनुसार, सकल प्राप्तियों के ₹ 10,902 करोड़ तक होने की बजटीय व्यवस्था की गई है, जिसमें सकल और निवल कार्य-चालन व्ययों के क्रमशः ₹ 18490 करोड़ तथा ₹ 17,846 करोड़ होने का अनुमान है। ₹ 6,944 करोड़ का घाटा अनुमानित किया गया है।

रेलवे

2.27 भारतीय रेल एक प्रभावशाली विविध रूपी यातायात प्रणाली का हिस्सा बनने के लिए धीरे-धीरे प्रगतिशील पथ पर आगे बढ़ रहा है जिससे वातावरण-अनुकूल तथा आर्थिक रूप से कुशल परिवहन सुविधा सुनिश्चित की जा सके। वर्ष 2013-14 के दौरान 93,906 करोड़ रुपए के माल ढुलाई अर्जन ने वर्ष 2012-13 के बाद 10.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की। वर्ष 2013-14 के दौरान यात्री अर्जन (अन्य कोचिंग अर्जन सहित) 17.0 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए 40,211 करोड़ रुपए रहे। वर्ष 2013-14 में रेलवे की सकल राजस्व प्राप्तियां वर्ष 2012-13 में 1.24 लाख करोड़ की तुलना में 1.39 लाख करोड़ ₹ 0.00 थीं।

वर्ष 2014-15 में सकल यातायात प्राप्तियों का बजट अनुमान तथा कुल कार्यचालन व्यय 1.60 लाख करोड़ तथा 14.80

लाख करोड़ रुपए था। रेलवे के संचालन अनुपात जो 2013-14 में 93.6 प्रतिशत था, वर्ष 2014-15 (बजट अनुमान) में 92.5 प्रतिशत का सुधार परिकल्पित किया गया। कार्यशील पूंजी और पूंजी निधि से निवेश के अनुपात के रूप में निवल राजस्व जो 2013-14 में 5.6 प्रतिशत के स्तर पर था, के 2014-15 के दौरान बढ़कर 6.3 प्रतिशत होने का अनुमान है।

राज्यों का राजकोषीय निष्पादन

2.28 हालिया वर्षों में हमारे स्वयं के कर राजस्व के साथ-साथ केन्द्र से प्राप्त वर्तमान अंतरण दोनों में हुई उल्लेखनीय वृद्धि के साथ राज्यों के राजकोषीय समेकन में मुख्यतः राजस्व प्रधानता थी जो बाद में 13वें वित्त आयोग की अनुरूपित बढ़ोतरी में प्रतिबिंबित हुई। हालांकि जहां वर्ष 2013-14 में राज्य सरकारों की वित्तीय स्थिति में विकृत स्थिति दिखी वहाँ वर्ष 2014-15 के बजट में सुधार दिखा। वर्ष 2013-14 (सं.अ.) के दौरान स.घ.उ. के अनुपात के रूप में, राजस्व अधिशेष पिछले वर्ष के 0.2 प्रतिशत की तुलना में नगण्य था। वर्ष 2013-14 (सं.अ.) के दौरान पूंजी परिव्यय-स.घ.उ. अनुपात, व्यय की गुणवत्ता में सुधार का संकेत देते हुए, पिछले वर्ष के मुकाबले मामूली सा 0.4 प्रतिशत बढ़ा। वर्ष 2014-15 में, समेकित राजस्व अधिशेष के स.घ.उ. के 0.4 प्रतिशत तक बढ़ने का पूर्वानुमान है। स.घ.उ. के अनुपात में, सकल राजकोषीय घाटा तथा प्राथमिक घाटा, राज्यों द्वारा किए गए राजकोषीय समेकन के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2013-14 (सं.अ.) में 2.4 प्रतिशत तथा 0.9 प्रतिशत से घटाकर वर्ष 2014-15 में क्रमशः 2.3 प्रतिशत तथा 0.8 प्रतिशत किए

² 26 राज्य सरकारों के बजट पर आधारित, जिनमें से पांच लेखानुदान पर आधारित हैं।

जाने की बजटीय व्यवस्था है। वर्ष 2014-15 में जीएफडी-जीडीपी अनुपात में अनुमानित कमी मुख्यतः केन्द्र द्वारा किए गए चालू अंतरणों के परिणामस्वरूप राजस्व प्राप्तियों में हुई वृद्धि के कारण है। यह व्यय संरचना दर्शाती है कि प्रतिबद्ध व्यय-स.घ.उ. अनुपात (इसमें व्याज देनदारियां, प्रशासनिक सेवाएं तथा पेंशन शामिल है) वर्ष 2014-15 (ब.अ.) के दौरान व्यापक रूप से अपरिवर्तनीय रहेंगीं, जबकि स.घ.उ. के अनुपात में समग्र व्यय को बढ़ाने की बजटीय व्यवस्था है।

समेकित सामान्य सरकार

2.29 केन्द्र का राजकोषीय घाटा 2013-14 के बजट अनुमान में स.घ.उ. का 4.8 प्रतिशत अनुमानित किया गया था जो 2013-14 के संशोधित अनुमान के अनुसार संशोधित होकर 4.6 प्रतिशत हो गया था। वर्ष 2013-14 के संशोधित अनुमान में स.घ.उ. के 2.4 प्रतिशत पर, राज्यों के राजकोषीय घाटे के साथ समेकित सामान्य सरकार (केन्द्र और राज्य दोनों को मिलाकर) का राजकोषीय घाटा वर्ष 2013-14 (सं.अ.) में स.घ.उ. का 7.0 प्रतिशत था और 2014-15 के बजट अनुमान में इसके स.घ.उ. के 6.4 प्रतिशत कम होने का अनुमान है।

संभावनाएं

2.30 घरेलू चुनौतियों तथा बाह्य असुरक्षाओं के बावजूद, सरकार ने वर्ष 2013-14 में राजकोषीय समेकन का अनुसरण

किया। विनिवेश में विलंब तथा राजस्व में कम वृद्धि के बावजूद वर्ष 2014-15 में 4.1 प्रतिशत के राजकोषीय घाटे के लक्ष्य हासिल होते प्रतीत होते हैं। इस वर्ष के लक्ष्य को पूरा करने के लिए सरकार को व्यय में कतिपय कमी लानी होगी। फिर भी, तेल की वैश्विक कीमतों में गिरावट के साथ डीजल की कीमतों को नियंत्रित करने तथा बैंक खातों में घरेलू एलपीजी सब्सिडियों के प्रत्यक्ष अंतरण से ईंधन सब्सिडी बिल कम होने की उम्मीद है। पेट्रोल और डीजल के उत्पाद शुल्क में बढ़ोतरी तथा कई विनिवेश प्रस्तावों के तैयार होने से राजस्व बढ़ने की उम्मीद है और आगे बढ़े राजस्व सृजन में बढ़ोतरी करना एक प्राथमिकता है। कुछ सीमा तक अर्थव्यवस्था की विकास दर बढ़ने से इससे मदद मिलेगी। उपयुक्त ढंग से तैयार की गई वस्तु एवं सेवा कर के कार्यान्वयन तथा अन्य कर सुधार भी इस संबंध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

सब्सिडी व्यवस्था की पूरी तरह जांच-पड़ताल करना जिससे ईंधन (एलपीजी तथा केरोसिन) सब्सिडी और अधिक कम होनी चाहिए। उर्वरक सब्सिडियों के विषय को समझने तथा खाद्य सब्सिडी के लिए आधार आधारित प्रत्येक कर अंतरण की ओर बढ़ने से व्यय को युक्तिसंगत बनाने का रास्ता खुलेगा। राजकोषीय समेकन आवश्यक है लेकिन समेकन की गुणवत्ता इसे सम्पोषणीय बनाने के लिए अत्यावश्यक है। इस मुकाम को हासिल करने के लिए स्पष्ट राजस्व व्यय तथा घाटे के लक्ष्यों के साथ मध्य से दीर्घावधिक राजकोषीय नीति संरचना को अस्तित्व में लाया जाना आवश्यक होगा।

मौद्रिक प्रबन्धन और वित्तीय मध्यस्थता

03

अध्याय

वर्ष 2014-15 में बैंकिंग और बीमा क्षेत्र में अनेक सुधार उपाय किए गए। इनमें 52 प्रतिशत तक सरकारी हिस्सा कम करके पूँजी पर्याप्तता मानदंडों को पूरा करने के लिए बाजार से पूँजी जुटाने हेतु बैंकों को अनुमति देना, प्रत्येक परिवार के लिए कम से कम एक साधारण बैंक खाते की बैंकिंग सुविधा व्यापक रूप से सुलभ करने के लिए प्रधानमंत्री जन धन योजना शुरू करना और बीमा क्षेत्र में विदेशी इक्विटी सीमा बढ़ाने के संबंध में अध्यादेश अधिसूचित किया जाना शामिल है। इक्विटी बाजार का अच्छा निष्पादन जारी रहा और प्राथमिक और द्वितीयक दोनों बाजारों के बेहतर कार्यकरण के लिए कारपोरेट अभिशासन के मानदंडों में सुधार और विदेशी परिस्थितियों संबंधी विनियमन ढांचे की स्थापना जैसे अनेक कदम सेबी ने उठाए। तथापि, वर्ष के दौरान बैंकों की आस्ति गुणवत्ता में दबाव के कुछ संकेत देखे गए। कुल अग्रिमों के प्रतिशत के रूप में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के सकल अनर्जक अग्रिमों में वर्ष के दौरान बढ़ोतरी देखी गई। इस वर्ष बैंक ऋण की वृद्धि में भी गिरावट आई।

2014-15 के दौरान मौद्रिक घटनाक्रम

3.2 भारतीय रिजर्व बैंक ने नीतिगत सम्प्रेषण के लिए अनुमानित स्थिरक के उपाय के रूप में नए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सम्मिश्रित) को अपनाया है। वर्ष के दौरान जनवरी, 2015 तक पॉलिसी दर अपरिवर्तित रखी गई। स्फीतिकारी दबाव कम करना जारी रखने की दृष्टि से 15 जनवरी, 2015 को भारतीय रिजर्व बैंक में नकदी समायोजन सुविधा के अंतर्गत पॉलिसी रेपो दर घटाकर 8.0 प्रतिशत से 7.75 प्रतिशत किया। सारणी 3.1 तथा चित्र 3.1 में 2013-2015 तक पालिसी दरों में संशोधन तथा घट-बढ़ को दर्शाया गया है।

मौद्रिक संग्रहणों में प्रवृत्ति

3.3 2014-15 के दौरान प्रारक्षित मुद्रा (एम०) और स्थूल मुद्रा (एम३) दोनों पिछले वर्ष की तुलना में कम हुए हैं। एम० में कमी मुख्यतया जमाराशि में वर्ष अन्त में अधिक अभिवृद्धि के कारण भारतीय रिजर्व बैंक में बैंकरों की जमाराशि का समायोजनों को दर्शाती है। स्रोत पक्ष में भारतीय रिजर्व बैंक

सारणी 3.1 : पॉलिसी दर में संशोधन


प्रभावी तिथि	बैंक दर/एमएस एफ वर (प्रतिशत)	रेपो दर (प्रतिशत)	रिवर्स दर (प्रतिशत)	एनडीटी एल का सीआर आर (प्रतिशत)	एनडीटी एल का एसएल आर (प्रतिशत)
19-03-2013	8.50	7.50	6.50	4.00	\$
03-05-2013	8.25	7.25	6.25		
15-07-2013	10.25				
20-09-2013	9.50	7.50	6.50		
07-10-2013	9.00				
29-10-2013	8.75	7.75	6.75		
28-01-2014	9.00	8.00	7.00		
14-06-2014					22.50
09-08-2014					22.00
15-01-2015	8.75	7.75	6.75		
7-02-2015					21.50

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक

टिप्पणी: * बैंक दर 13.02.2012 से एमएसएफ दर से सरेखित की गयी; \$: 09.02.2013 से।

एमएसएफ-सीमांत स्थायी सुविधा; सीआरआर-प्रारक्षित नकदी अनुपात; एसएलआर-संविधिक नकदी अनुपात; एनडीटीएल-निवल मांग तथा समय देयता।

चित्र 3.1: नीति दरों में घट-बढ़



स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक

की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियों में वृद्धि को अधिकांशतः एनडीए में कमी द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया, जो नकदी की जोरदार मांग के अभाव में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कम निवल नकदी अंतःक्षेपण को दर्शाता है (सारणी 3.4)। परिचलन में करेंसी का रूज्जान कमजोर आर्थिक क्रियाकलाप दर्शाया। (सारणी 3.2)

3.4 ऋण में गिरावट (सारणी 3.3) आर्थिक गिरावट, निधियों के वैकल्पिक स्रोतों की उपलब्धता बैंकों और विशेषकर सरकारी क्षेत्र के बैंकों की आस्ति की गुणवत्ता में गिरावट आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों को कुछ बैंकों द्वारा बलित ऋणों को बेचे जाने के कारण माना जा सकता है। सरकारी

विभागों और सरकारी उद्यमों द्वारा भुगतान प्राप्त करने वाले निकायों द्वारा ऋणों की अदायगी किए जाने और तेल विपणन कंपनियों द्वारा कम ऋण लेने के कारण निवल बैंक ऋण भी कम है।

नकदी प्रबंधन:

3.5 नकदी प्रबंधन प्रचलन में लचीलापन, पारदर्शिता और पूर्वानुमान योग्य संभावना सुनिश्चित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने 5 सितंबर 2014 से अपने नकदी प्रबंधन ढांचे में संशोधन किया है। मुख्य विशेषताओं में शामिल हैं: (क) बैंकवार एकाएक एनडीटीएल का 0.25 प्रतिशत नियत

सारणी 3.2 : प्रारक्षित मुद्रा में परिवर्तन के स्रोत (वृद्धि प्रतिशत में)

	वित्त वर्ष			
	2013-14	31 मार्च 2013 की तुलना में 3 जनवरी 2014 को	31 मार्च 2014 की तुलना में 2 जनवरी 2015 को	
आरक्षित मुद्रा				
घटक				
प्रचलन में मुद्रा	9.2		5.7	5.9
भा.रि.बैं. में बैंकरों की जमाराशियां	34.0		3.3	-15.7
आरक्षित मुद्रा के चुनिंदा स्रोत				
भा.रि.बैं. की निवल विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां	15.7		15.1	10.9
जनता के प्रति सरकार की मुद्रा संबंधी देनदारियां	13.0		15.1	8.1
भा.रि.बैं. की निवल गैर-मौद्रिक देनदारियां	21.8		26.6	0.6

स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक

सारणी 3.3 : मुद्रा स्टॉक (एम३) में परिवर्तन के स्रोत (प्रतिशत में)

	2013-14	31 मार्च 2013 से 27 दिसम्बर 2013 तक	31 मार्च 2014 से 26 दिसम्बर 2014 तक
स्थूल मुद्रा (एम३)			
जनता के पास उपलब्ध मुद्रा	13.2	9.9	7.9
बैंक के पास मांग जमाराशियां	9.4	6.4	6.2
बैंकों में सावधि जमाराशियां	6.8	2.7	7.7
भा.रि.बैं. के पास “अन्य” जमाराशियां	14.6	11.4	8.2
	-39.3	-23.2	314.2
मुद्रा भंडार (एम३) में परिवर्तन के स्रोत			
सरकार को प्राप्त निवल बैंक ऋण जिसमें से	12.2	9.3	1.5
सरकार के अन्य बैंक ऋण	10.5	10.2	10.1
वाणिज्यिक क्षेत्र को प्राप्त बैंक ऋण जिसमें से	13.7	9.1	5.7
वाणिज्यिक क्षेत्र के अन्य बैंक ऋण	13.6	9.1	5.8
बैंकिंग क्षेत्र की निवल विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां	17.6	16.0	9.5
जनता के प्रति सरकार की मुद्रा संबंधी देनदारियां	13.0	9.9	7.3
बैंकिंग क्षेत्र जमाराशियों के अलावा निवल मुद्रा भिन्न देनदारियां	17.4	12.3	-8.2
ज्ञापन मद्दें			
मुद्रा गुणक	5.5		
मुद्रा की गति	1.2		
निवल घरेलू परिसंपत्तियां	12.1	8.5	7.5
निवल घरेलू ऋण	13.2	9.2	4.3

स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक

दर रेपो और परिवर्तनीय दर 14 दिवसीय सावधि रेपों द्वारा एनडीटीएल (निर्यात - ऋण पुनर्वित्तपोषण को छोड़कर) के 1 प्रतिशत नकदी की आश्वासित सुलभता; (ख) पखवाड़े के दौरान सावधि रेपो (4 बार) की अधिक बारंबार नीलामी, बैंकों को अपना नकदी आकलन बदलने के लिए लचीलापन प्रदान करना; और (ग) भारतीय रिजर्व बैंक की एकाएक नकदी की सुलभता हेतु अधिक बारंबारता साथ-ही साथ

परिवर्तनीय दर ओवरनाइट रेपो/प्रारक्षित रेपो नीलामी/सावधि रेपो नीलामी की परिकल्पना प्रतिरोधात्मक नकदी प्रबंधन की मुख्य लिखत के रूप में विकसित होने के रूप में की गई है।

नकदी स्थितियां

3.6 अभी तक 2014-15 के दौरान नकदी स्थितियां मोटे तौर पर संतुलित रही हैं। केवल विलंब से सरकार द्वारा व्यय किए जाने के कारण अस्थायी रूप से स्थिति तंग थी। मार्च 2014 में नकदी की स्थिति तंग थी। सरकार के पास नकदी शेष में गिरावट आने के कारण 2014-15 की पहली तिमाही से नकदी की स्थिति में सुधार आया। जमा राशि जुटाने और सरकार के पास अधिक नकद राशि का आहरण द्वारा कम किए जाने की तुलना में ऋण लेने की धीमी गति से अगस्त से नकदी दबाव कम करने में सहायता मिली। ऋण और जमाराशि की वृद्धि के बीच कम होते अन्तर (जो अगस्त, 2014 में ऋणात्मक हो गया) से भी इस अवधि के दौरान नकदी पर दबाव कम करने में सहायता मिली। संशोधित नकदी प्रबंधन ढांचा 14 दिवसीय सावधि रेपो नीलामी में

सारणी 3.4 एनडीए और एनएफए की तिमाही अंत में वृद्धि (प्रतिशत)

	एनडीए	एनएफए
3/31/2013	9.1	5.8
6/28/2013	19.5	4.0
9/27/2013	24.9	10.6
12/27/2013	13.8	13.1
3/31/2014	18.3	15.7
6/27/2014	-2.1	12.7
9/26/2014	-21.5	13.7
12/26/2014	-19.0	11.5

स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक


42 आर्थिक समीक्षा 2014-15

भारांशित औसत दरों की कटौती करने में सहायता किया तथा ओवरनाइट परिवर्तनीय दर रेपो नीलामियों को रेपोदर के इर्द गिर्द बनाए रखने में सहायता किया। भारांशित औसत कॉल दर की अस्थिरता कम हुई। भारांशित औसत कॉल दरों और सरकार के लिए दीर्घावधिक लाभ और अगस्त 2014 के अंत में उच्च गुणवत्तावाले कारपोरेट निर्गमों से पता चलता है कि मौद्रिक स्थिति में कुछ सहजता आयी है।

सरकारी प्रतिभूति बाजार में घटनाक्रम


3.7 10 वर्ष का सरकारी बांड अधिक समय तक लाभों में कमी बेशी को दर्शाता है। 10 वर्षीय दरें सॉवरन के प्रोक्सी ऋण जोखिम भी है। लाभों में वृद्धि के लिए प्रमुख उत्तरदायी कारकों में केन्द्र में नई स्थिर सरकार से आशाओं के कारण सकारात्मक बाजार का रूझान दिसंबर 2014 में तीन में सबसे

चित्र 3.2: प्राप्ति वक्र



स्रोत : आरबीआई और भारतीय आर्थिक निगरानी केंद्र

चित्र 3.3: 10 वर्षीय सरकारी बांड से प्राप्ति (भारत तथा अमेरिका)



स्रोत : ब्लूमबर्ग

कम खुरदा मुद्रास्फीति रीडिंग, वस्तुओं के मूल्यों में महत्वपूर्ण सुधार और राजकोषीय मोर्चे पर सरकार द्वारा दर्शायी गई

पक्की वचनबद्धता, सॉवरन ऋण निर्धारण एजेंसी एस एंड पी आदि द्वारा संभावनाएं बढ़ाना हैं। (चित्र 3.2 तथा 3.3)

सारणी 3.5 : चुनिंदा बैंकिंग जमाराशियों में वृद्धि दर

		%परिवर्तन			
		2012-13	2013-14	2013-14 (13 दिसंबर की स्थिति के अनुसार)	2014-15 (12 दिसंबर, 2014 की स्थिति के अनुसार)
1.	बैंक ऋण	14.1	13.9	14.6	10.9
	(क) खाद्य क्षेत्र में ऋण	18.6	2.1	-1.1	-2.1
	(ख) गैर-खाद्य क्षेत्र में ऋण	14.0	14.2	14.9	11.1
2.	सकल जमाराशि	14.2	14.1	16.6	10.6
	(क) मांग जमा	5.9	7.8	12.3	7.6
	(ख) सावधि जमाराशि	15.2	14.8	17.0	10.9
3.	निवेश	15.4	10.3	14.0	10.4
	(क) सरकारी प्रतिभूतियाँ	15.5	10.4	14.0	10.5
	(ख) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	-11.5	-33.6	-5.8	-8.3


स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक (वर्ष 2014-15 के आंकड़े अनंतिम हैं।

बैंक ऋण

3.8 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में सरल जमाराशि में वृद्धि की दर में 2014-15 के दौरान दिसंबर महीने तक कमी देखी गई (सारणी 3.5) जिसका कारण आधार प्रभाव उत्पन्न

होना अर्थात् गत वर्ष सितंबर-नवंबर के दौरान एनआरआई जमाराशियों में उच्च वृद्धि होना और इस वर्ष के दौरान जमाराशि का कम मात्रा में प्राप्त होना है। गैर खाद्य क्षेत्र में ऋण में भी कमी आई है। (चित्र 3.4 भी देखें)

चित्र 3.4: वाणिज्यिक क्षेत्र तथा खाद्य भिन्न ऋण के लिए बैंक ऋणों में वर्षानुवर्ष वृद्धि



स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक।

44 आर्थिक समीक्षा 2014-15

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) की ब्याज दरें

3.9 पॉलिसी दर में परिवर्तन के कारण 2014-15 में बैंकों की जमा और ऋण दरों पर प्रभाव अब तक प्रदर्शित नहीं हुआ है जो ऋण बाजार में संरचनात्मक सुदृढ़ता का मौजूदा होना, बैंकों की दुर्बल मूल्य-निर्धारण क्षमता तथा आस्ति गुणवत्ता संबंधी चिंताओं को प्रतिबिंबित करता है। वर्ष 2014-15 के दौरान दिसंबर तक सभी परिपक्वता राशियों के संदर्भ में बैंकों की औसत मासिक जमा दरों में मामूली कमी आई (सारणी 3.6), जो नकदी की उपलब्धता की आसान स्थिति

और ऋण मांग में कमी आने को प्रदर्शित करती है। भारित औसत ऋण दर (डब्ल्यूएलआर) में मामूली गिरावट हुई है जो बैंकों की दुर्बल मूल्य निर्धारण क्षमता को सूचित करती है जिसका आंशिक कारण परिसंपत्ति गुणवत्ता संबंधी चिंताएं हैं जो बैंकों को उच्च जोखिम प्रीमियम वसूल करने के लिए प्रेरित करती हैं।

3.10 वर्ष 2007 के दौरान वास्तविक पॉलिसी ब्याज-दरों लगातार ऋणात्मक बनी रहीं (चित्र 3.5)। यह स्थिति 2013 अंत तक बदल गई जबकि वास्तविक ब्याज दरों में घनात्मक वृद्धि शुरू हुई और वर्तमान में ये दरें 2% से उच्च स्तर पर हैं (तिमाही अग्रदृष्टि आधार पर)।

सारणी 3.6 : अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़ कर) की जमा और ऋण दरें


मर्दें	औसत ब्याज दरें (%)					अंतर (प्रतिशतांक) मार्च की तुलना में दिसंबर में
	मार्च 14	जून 14	सितंबर 14	15 दिसंबर 2014		
अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की घरेलू सावधि जमा दरें - सभी परिपक्वता	7.69	7.65	7.62	7.54		-0.15
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	7.85	7.81	7.76	7.57		-0.28
निजी क्षेत्र के बैंक	7.67	7.57	7.56	7.50		-0.17
विदेशी बैंक	7.56	7.58	7.54	7.53		-0.03
डब्ल्यूएलआर (बकाया ऋण, रु में) अनुवां बैंक	12.19	12.20	12.11	12.14	नव. 2014 मार्च की तुलना में नव. में	-0.05
डब्ल्यूएलआर (नया ऋण, रु में) अनुवां बैंक (एमसीबी)	11.64	11.68	11.59	11.60		-0.04

स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक

टिप्पणी : एससीबी-अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक आरआरबी-क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक डब्ल्यू एएलआर: भारित औसत ऋण दर

डब्ल्यू एएलआर संबंधी आंकड़े अनंतिम हैं।

चित्र 3.5: वास्तविक पालिसी-दर (त्रैमासिक अग्र दृष्टि आधार पर)



स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का कार्य निष्पादन

3.11 मार्च 2014 (आधार स्तर-प्प) के अंत में प्रणाली स्तर पर पूँजी और जोखिम भारित आस्ति अनुपात (सीआरएआर) 13.02 प्रतिशत था। सितंबर 2014 में यह अनुपात घटकर 12.75 प्रतिशत हो गया। वित्त वर्ष 2015 में पूँजी और जोखिम भारित आस्ति अनुपात की विनियामक अपेक्षा 9% है। तथापि, सकल राशि के स्तर पर पूँजी में गिरावट सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की पूँजी स्थिति खराब होने के कारण हुई। जबकि सितंबर 2014 की स्थिति के अनुसार, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का पूँजी और जोखिम भारित आस्ति अनुपात (सीआरएएम) 12.75 प्रतिशत था, किंतु इससे आगे जाने पर बैंकिंग सेक्टर और विशेषकर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को अतिरिक्त पूँजी कोष के संदर्भ में विनियामक अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त पूँजी की आवश्यकता होगी।

3.12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की आस्ति गुणवत्ता हाल के समय में दबाव में आई है। भारतीय रिजर्व बैंक की वित्तीय स्थायित्व रिपोर्ट (दिसंबर, 2014) के अनुसार अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की कुल सकल अग्रिम राशियों के प्रतिशत के रूप में सकल अनर्जक अग्रिम राशियां मार्च 2014 के 4.1 प्रतिशत से बढ़कर सितंबर 2014 में 4.5 प्रतिशत हो गई। बलित अग्रिम राशियां मार्च और सितंबर 2014 के बीच के 10.0 प्रतिशत से बढ़कर कुल अग्रिम राशियों का 10.7 प्रतिशत हो गई। जून, 2014 की स्थिति के अनुसार पांच उप क्षेत्रों अर्थात् अवसंरचना, लोहा एवं इस्पात, वस्त्र, खनन (कोयला सहित), और विमानन क्षेत्रों में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की बलित अग्रिम राशि की 54% राशि लगी हुई थी। सितंबर 2014 की स्थिति के अनुसार अवसंरचना के प्रति बैंक समूहों में से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का ऋण जोखिम उनकी सकल अग्रिम राशि का 17.5% था। यह निजी क्षेत्र के बैंकों (9.6%) और विदेशी बैंकों (12.1%) की तुलना में पर्याप्त उच्च आंकड़ा था। दबाव परीक्षण से यह ज्ञात होता है कि बहुत आर्थिक दशाओं में प्रत्याशित सकारात्मक घटनाओं के अंतर्गत बैंकों की आस्ति गुणवत्ता में निकट भविष्य में सुधार हो सकता है और बैंक अपने प्रावधानों के मौजूदा स्तर पर प्रत्याशित हानि को पूरा करने की स्थिति में होंगे। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक विगत में प्रदान किए गए ऋण के कारण दबाव में बने रहेंगे। सकल अनर्जक आस्तियों जीएनपीए तथा पुनर्गठित अग्रिम राशियों को एक साथ रखने पर सितंबर 2014 की स्थिति के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों पर दबाव कुल अग्रिम राशियों का 12.57% है।

3.13 भारतीय रिजर्व बैंक ने अनर्जक आस्तियों से संबंधित मुद्रे का समाधान करने के लिए अनेक उपाय किए हैं।

जनवरी 2014 में “वित्तीय कठिनाइयों को शीघ्र अभिज्ञात करने, ऋणदाताओं की समस्याओं के समाधान और निष्पक्ष वसूली हेतु शीघ्र उपाय: अर्थव्यवस्था में कठिनाई में स्थित आस्तियों के पुनः प्रवर्तन हेतु ढांचा” के संबंध में इसने एक दिशानिर्देश जारी किए जिसमें उधार लेने वाले व्यक्ति के कार्यों में उसके दबाव पर होने की सूचना प्राप्त होने के तत्काल बाद बैंकों को कार्रवाई शुरू करनी होगी और बैंक इसके अनर्जक अस्ति (एनपीए) होने की प्रतीक्षा न करे। भारतीय रिजर्व बैंक की मौजूदा और नई दोनों प्रकार की अवसंरचना और प्रमुख उद्योग परियोजनाओं के लिए परियोजना ऋणों में लोच लाने के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। असहयोग कर रहे उधार प्राप्तकर्ताओं से वसूली की पद्धति को सुदूर बनाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने अगस्त, 2014 में आस्ति पुनर्गठन कंपनियों (एआरसी) के लिए मानदंडों को कड़ा किया है जिसमें प्रतिभूति प्राप्तियों में न्यूनतम निवेश 15% होना चाहिए जबकि पहले यह मानदंड 5% का था।

वित्तीय समावेशन

3.14 वित्तीय समावेशन सरकार की एक महत्वपूर्ण प्राथमिकता है। इसका उद्देश्य विभिन्न वित्तीय सेवाओं जैसे कि बुनियादी बचत बैंक खाते की उपलब्धता, आवश्यकता आधारित ऋण तक पहुंच, विप्रेषण सुविधा, समाज के वंचित वर्गों अर्थात् कमज़ोर तबकों और निम्न आय समूहों के लिए बीमा और पेंशन जैसी वित्तीय सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करना है।

3.15 प्रधानमंत्री जनधन योजना: देश के अब तक बड़ी संख्या में वंचित लोगों को वित्तीय सेवाएं प्रदान करने और वित्तीय समावेशन के उद्देश्य को प्राप्त करने और इसके विकसित होने की संभावनाओं को विस्तार प्रदान करने के लिए 28 अगस्त, 2014 को प्रधानमंत्री जनधन योजना (पीएमजेडीवाय) का शुभारंभ किया गया। इस योजना के अंतर्गत बैंकिंग सुविधाओं को सर्वसुलभ बनाने की परिकल्पना की गई है जिसमें प्रत्येक परिवार के लिए कम से कम एक बुनियादी बैंकिंग खाता, वित्तीय सक्षमता, ऋण और बीमा तक पहुंच की सुविधा उपलब्ध कराने की बात की गई है। लाभभोगी को एक रुपए डेबिट कार्ड प्रदान किया जाएगा जिसमें 1 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा अंतर्निहित होगा। इसके अतिरिक्त, 15 अगस्त, 2014 से 26 जनवरी 2015 के बीच पहली बार अपना खाता खुलवाने वाले तथा योजना की पात्रता संबंधी अन्य शर्तों को पूरा करने वालों के लिए 30,000 रुपए का जीवन बीमा कवर भी उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना को वित्तीय अभियान के हिस्से के रूप में 23 अगस्त,

46 आर्थिक समीक्षा 2014-15

2014 के सप्ताह के दौरान सर्वाधिक बैंक खाता खोलने के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकार्ड में शामिल किया गया है। 28 जनवरी, 2015 की स्थिति के अनुसार, 12.31 करोड़ बैंक खाते खोले गए हैं जिनमें से 7.36 करोड़ खाते ग्रामीण क्षेत्रों में और 4.95 करोड़ खाते शहरी क्षेत्रों में खोले गए हैं। पीएमजेडीवाई के अन्तर्गत 28 जनवरी 2015 की स्थिति के अनुसार 67.5 प्रतिशत खातों में शेष शून्य है। बैंकिंग क्षेत्र में किए गए प्रमुख उपाय बाक्स 3.1 में दिए गए हैं।

गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां

3.16 गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान (एनवीएफसी) ने विशेषरूप से लघु तथा खुदरा क्षेत्रों के लिए एक महत्वपूर्ण मध्यवर्ती वित्तीय संस्था विकसित की है। एनवीएफसी ने पूर्ण रूप से (31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार) बैंक की परिसम्पत्तियों में 13.1 प्रतिशत तथा बैंक जमाराशियों में 0.2 प्रतिशत हिस्सेदारी की। एनवीएफसी को उनके सार्वजनिक रूप से जमा राशि को आधार बनाकर, अर्थात् क्या वह सार्वजनिक रूप से जमा राशि ग्रहणकर्ता (एनवीएफसी-डी) है या नहीं (एनवीएफसी-एनडी) दो मुख्य श्रेणियों में विभाजित किया गया है। बृहत् आकार वाली एनवीएफसी के पादुर्भाव के साथ व्यवस्थात्मक रूप से महत्वपूर्ण एनवीएफसी (जमा न करने वाले) अर्थात् जिनके पास 500 करोड़ रुपए व उससे अधिक की परिसम्पत्तियां हैं, पर इस विनियामक केन्द्र बिन्दु में निरंतर वृद्धि हुई है। आरबीआई के साथ पंजीकृत कुल

एनवीएफसी (30 सितम्बर 2013 की स्थिति अनुसार) 12,158 से कम होकर (30 सितम्बर 2014 की स्थिति अनुसार) 11,932 रह गए। एनवीएफसी-डी की संख्या 253 से कम होकर 226 रह गई है जबकि 100 करोड़ तथा उससे अधिक की परिसम्पत्ति वाले एनवीएफसी-एनडी की संख्या उसी अवधि में 437 से बढ़कर 465 हो गई थी। 30 सितम्बर 2014 की स्थिति के अनुसार, व्यवस्थात्मक रूप से महत्वपूर्ण एनवीएफसी (एनवीएफसी-एनडी-एसआई) की संख्या 200 थी। वर्ष 2013-14 के दौरान एनवीएफसी द्वारा लिए गए ऋण तथा अग्रिम में 13.1 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई। निधियों को प्रयोग में लाने के दृष्टिकोण से ऋण और अग्रिम निधियों के प्रयोग का दो तिहाई हिस्सा बैठता है।

3.17 आरबीआई ने नवम्बर 2014 में एन बी एफ सी हेतु एक संशोधित रूपरेखा जारी की है। चूंकि वे तीव्रगति से प्रतिपक्ष असफलताओं, निधियन और परिसम्पत्ति संकेन्द्रण, ब्याज दर में घट-बढ़ और नकदी तथा ऋण चुकाने संबंधी जोखियों का पर्दाफाश कर रहे हैं।

पूंजी बाजार में घटनाक्रम

प्राथमिक बाजार

3.18 अप्रैल-दिसम्बर 2014 के अनुसार प्राथमिक बाजार के माध्यम से संसाधन जुटाने से इक्विटी और ऋण में गिरावट के मामलों तथा वर्षानुवर्ष आधार पर बढ़ते निजी नियोजनों से मिश्रित पद्धति प्रदर्शित हुई है। क्योंकि निजी नियोजन एक

बॉक्स 3.1 : बैंकिंग सेक्टर की प्रमुख पहलें

- (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने निजी क्षेत्र के नए बैंकों के लिए लाइसेंस जारी करने हेतु 22 फरवरी 2013 को दिशा निर्देश जारी किए जिसके परिणामस्वरूप दो आवेदकों को 18 महीने की अवधि के भीतर निजी क्षेत्र में नए बैंकों को खोलने के लिए अप्रैल 2014 में “सिद्धांत रूप में” अनुमोदन प्रदान किया गया।
- (ख) विशिष्ट हितों को पूरा करने के लिए विशिष्ट बैंकों, स्थानीय क्षेत्रीय बैंकों, भुगतान बैंकों, आदि को स्थापित करने के संबंध में 2014-15 की बजट घोषणा के अनुसरण में भारतीय रिजर्व बैंक ने निजी क्षेत्र में भुगतान बैंकों और लघु वित्त बैंकों को लाइसेंस प्रदान करने हेतु दिशानिर्देश तैयार किए और नवंबर 2014 में उन्हें जारी कर दिया गया। भारतीय रिजर्व बैंक ने छोटे बैंकों और भुगतान बैंकों को स्थापित करने के लिए आवेदन आमंत्रित किया है।
- (ग) भुगतान तथा निपटान पद्धति (संशोधन) विधेयक 2014: भुगतान तथा निपटान पद्धति अधिनियम, 2007 (पीएसएस अधिनियम) का अधिनियमन भारत में भुगतान प्रणाली के आरबीआई द्वारा विनियमन और पर्यवेक्षण हेतु एक ठोस कानूनी आधार उपलब्ध कराने की दृष्टि से किया गया था। व्यापार निक्षेपणार्थी और कानूनी निकाय अधिकार निर्गमकर्ताओं के विनियमन हेतु कानूनी ढांचा स्थापित करने के लिए पीएसएस अधिनियम को अधिक प्रभावी बनाने हेतु इस अधिनियम में संशोधन करना आवश्यक समझा गया। प्रस्तावित संशोधन एक केंद्रीय विरोधी पक्ष (पद्धति प्रदाता) और पद्धति में भाग लेने वालों के बीच केंद्रीय विरोधी पक्ष के दिवालियापन, विघटन या उसके समाप्त होने की स्थिति में भुगतान देयताओं के निर्धारण और निपटान हेतु अनुदेशों को अंतिम रूप प्रदान करेगा। इस विधेयक लोकसभा द्वारा वर्ष 2014 के शीतकालीन सत्र में पारित कर दिया गया है तथा फिलहाल यह विधेयक राज्य सभा में लिया गया है।
- (घ) सरकारी क्षेत्र के बैंकों की पूंजीगत आवश्यकता: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 10 दिसम्बर 2014 को चरणबद्ध रूप से सरकारी शेयरधारिता को 52 प्रतिशत तक कम करते हुए एफपीओ अथवा क्यूआईपी के जरिए सार्वजनिक बाजारों से पूंजी जुटाने के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों को उनकी पूंजीगत आवश्यकता, उनके स्टॉक निष्पादन, नकदी, बाजार प्रवृत्ति तथा ऐसी अन्य स्थितियों के अध्यधीन अनुमति देने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है।

सारणी 3.7 : प्राथमिक बाजार में संसाधन जुटाया (करोड़ रुपए)				
	2012-13	2013-14	2013-14#	2014-15#
ऋण	16982	42383	17436	7348
इक्विटी	15473	13269	8124	4292
जिनमें से आईपीओ	6528	1236	1166	1480
कारपोरे बांडों का निजी स्थापन	361462	276054	201838	269245
कुल	393917	331706	227398	280885

स्रोत : सेबी

टिप्पणी : वे इक्विटी निर्गम जिन पर विचार किया गया था केवल इक्विटी सार्वजनिक निर्गम है।


संबंधित वर्ष के 31 दिसम्बर को इंगित करता है।

बढ़ा हिस्सा है, इस अवधि में जुटाई गई कुल राशि में बढ़ोतरी हुई है। इस अवधि के दौरान एन एस ई तथा बी एस ई दोनों में निजी नियोजन की संख्या और महत्व बढ़ा है। (सारणी 3.7)

द्वितीयक बाजार

3.19 चालू वर्ष में अभी तक बेंचमार्क सूचकांकों बीएसई सेनसेक्स और निफ्टी में वर्षानुवर्ष (आंकड़े) 31.4 और 29.9 प्रतिशत तक तदनुरूप वृद्धि दरों के साथ 31 दिसम्बर 2014 को क्रमशः 27,499.4 और 8283 पर समाप्त होते हुए सामान्य बढ़त की प्रवृत्ति देखी गई थी (चित्र 3.6)। भारतीय सूचकांक विश्व के बेहतर प्रदर्शन सूचकांकों में हैं (सारणी 3.8)।

चित्र 3.6: निफ्टी और सेनसेक्स के सूचकांकों में घट-बढ़



सारणी 3.8 : विश्व के प्रमुख स्टॉक बाजारों का प्रदर्शन

सूचकांक	देश	सूचकांक मूल्य 2014#	2013 की तुलना में 2014 में प्रतिशत परिवर्तन	2013 की तुलना में (स्थानीय मुद्रा आधारित) (अमर्कीकी डालर की दर पर)
सेसेक्स	भारत	27499	29.9	27.1
निफ्टी	भारत	8283	31.4	28.5
एसपीएक्स	यूएसए	2059	11.4	11.4
डीएएक्स	जर्मनी	9806	2.7	-9.6
यूकेएक्स	इंग्लैण्ड	6566	-2.7	-8.5
एनकेवाई	जापान	17451	7.1	-5.8
एचएसआई	हांगकांग	23605	1.3	1.3
आइबीओवी	ब्राजील	50007	-2.9	-13.4
कोस्पी	कोरिया	1916	-4.8	-8.4
एफएसएसटीआई	सिंगापुर	3365	6.2	1.2
एसएचसीओएमपी	चीन	3235	52.9	49.1
सीएसी	फांस	4273	-0.5	-12.7

स्रोत : ल्यूपर्बर्ग

टिप्पणी : # संबंधित वर्ष के 31 दिसम्बर की स्थिति दर्शाता है।

सारणी 3.9 : मुद्रा और ब्याज दर व्युत्पन्न (करोड़ रुपए में)

एक्सचेंज	मुद्रा व्युत्पन्न में व्यापार मूल्य		ब्याज दर व्युत्पन्न में व्यापार मूल्य	
	2013-14#	2014-15#	2013-14#	2014-15#
एनएसई	3454979	2101567	30173	266607
एमसीएक्स-एसएक्स	2166528	534329	7191	20346
यू एस ई	185385	52185		
बी एस ई	17552	1073916	2580	1440

स्रोत : एनएसई, एमसीएक्स-एसएक्स, बी एस ई और यू एस ई।

टिप्पणी : # संबंधित वर्ष के 31 दिसम्बर को इंगित करता है।

3.20 मुद्रा और ब्याज दर व्युत्पन्न: मुद्रा व्युत्पन्न खण्ड (सारणी 3.9) में व्यापार में अधिकांश मुद्राओं में गिरावट देखी गई। जनवरी 2014 से 10 वर्षीय सरकारी प्रतिभूतियों पर व्यापार में भावी सर्विदाओं में नकद आधारित ब्याज दर आरम्भ की गयी।

3.21 विदेशी पोर्टफोलियो निवेश: 1 जून 2014 से एक पी आई व्यवस्था की शुरूआत के साथ, पूर्व एफ आई आई, उप-खातों तथा क्यू एफ आई को मिलाकर निवेशकों की एक नई श्रेणी “विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक” बनाई गई है। अप्रैल-दिसम्बर 2014 के दौरान कुल निवल एफ पी आइ अन्तर्वाह वर्ष 2013-14 की तदनुरूप अवधि में 539 मिलियन अमरीकी डालर के बहिर्वाह की तुलना में 32,943 मिलियन अमरीकी डालर था।

वर्ष के दौरान प्राथमिक और द्वितीय दोनों बाजारों के विकास के लिए सेबी ने अनेक नीतिगत उपाय किए हैं। प्रमुख नीतिगत घटनाक्रम बॉक्स 3.2 में दिए गए हैं।

बीमा क्षेत्र

3.22 भारत में बीमा प्रवेश वर्ष 2000 में 2.3 प्रतिशत (जीवन में 1.8 प्रतिशत तथा तथा गैर-जीवन 0.7 प्रतिशत) से बढ़कर वर्ष 2013 में 3.9 प्रतिशत (जीवन 3.1 प्रतिशत तथा गैर-जीवन 0.8 प्रतिशत हो गया है। जीवन बीमा प्रवेश स्तर उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं के साथ कदम मिलाए हुए है। वर्ष 2013-14 के दौरान, जीवन बीमा उद्योग ने 9.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए पिछले वित्त वर्ष में 2,87,202 करोड़ रुपए के मुकाबले 3,14,283 करोड़ रुपए की प्रीमियम आय दर्ज की है। जबकि निजी क्षेत्र के बीमा कर्ताओं ने अपनी प्रीमियम आय में 1.4 प्रतिशत की गिरावट दर्शाई है। जीवन बीमा निगम ने इस अवधि में 13.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की। कुल प्रीमियम आय के आधार पर,

एलआईसी का बाजार हिस्सा वर्ष 2012-13 में 72.7 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2013-14 में 75.4 प्रतिशत हो गया था।

3.23 बीमा कानूनों में अप्रचलित तथा अनावश्यक उपबंधों को ध्यान में रखते हुए एक भारतीय बीमा कंपनी में भारतीय स्वामित्व और नियंत्रण के साथ विदेशी इक्विटी निवेश सीमा 26 प्रतिशत से बढ़ाकर 49 प्रतिशत करके तथा और अधिक प्रभावशाली विनियम में इर्डा को समर्थ बनाने के लिए सशक्त किया गया है। सरकार ने 26 दिसम्बर 2014 को बीमा कानून (संशोधन) अध्यादेश, 2014 की घोषणा की है। इस अध्यादेश से बीमा अधिनियम, 1938, सामान्य बीमा कार्य (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 तथा बीमा विनियामक तथा विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 में संशोधन किया जाएगा।

पेंशन क्षेत्र

3.24 राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) जो आरंभ में एक जनवरी 2004 को केन्द्रीय सरकारी सेवा में भर्ती होने वाले नए कर्मचारियों (पहले चरण में सैन्य दल को छोड़कर) के लिए शुरू की गई थी बाद में स्वायत्त निकायों/राज्य सरकारों तथा असंगठित क्षेत्रों के लिए भी इसका विस्तार कर दिया गया। दो राज्यों को छोड़कर शेष सभी राज्य 1 मई 2009 से राष्ट्रीय पेंशन योजना की परिधि में आ गए हैं। इस राष्ट्रीय पेंशन योजना को भारत के सभी नागरिकों के लिए स्वैच्छिक आधार पर अपनाने के मार्ग खोले गए हैं। 31 दिसम्बर, 2014 तक इस राष्ट्रीय पेंशन योजना के अंतर्गत 73,097 करोड़ रुपए की निधि के साथ कुल 79.71 लाख सदस्यों को इस योजना के अंतर्गत नामांकित किया गया है। राष्ट्रीय पेंशन योजना में प्रबंधन के अंतर्गत आस्तियों में 49.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए 31.3.2014 में 48,136 करोड़ से 31 दिसम्बर, 2014 में 72,000 करोड़ रुपए की वृद्धि देखी गई है।

बॉक्स 3.2: नीतिगत घटनाक्रम (अप्रैल-दिसम्बर, 2014)

प्रतिभूति कानून (संशोधन) अधिनियम 2014: अगस्त 2014 में पारित इस अधिनियम द्वारा सेबी द्वारा प्रदत्त शक्तियों का विस्तार किया गया जिनमें शामिल हैं: गलत तरीकों से उठाए गए लाभ समाप्त करने जांच करवाने तथा उसे जब्त करने संबंधी सुस्पष्ट शक्तियां, प्रतिस्थापन, संयोजन और वसूली हेतु स्पष्ट शक्तियां, शास्त्रिय बढ़ाना, विशेष न्यायालयों की स्थापना आदि।

प्राथमिक बाजार

- कारपोरेट अधिशासन मापदण्डों को सुदृढ़ करने के लिए सेबी ने इक्विटी सूचीकरण करार के खण्ड 49 में संशोधन किया है, जिसमें व्यवस्था की गई है कि नामित निदेशक को स्वतंत्र निदेशक अनिवार्यतः संचेतक तंत्र आदि की परिभाषा से अलग रखा जाएगा।
- प्रतिभूति सर्विदा (विनियमन) नियमावली 1957 में तीन वर्ष के भीतर सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को जारी कुल शेयरों के लिए कम से कम 25 प्रतिशत सरकारी शेयरधारिता अनिवार्य करने के लिए संशोधन किया गया।

द्वितीयक बाजार

- 10 वर्षीय सरकारी प्रतिभूति वाली नकद आधारित भावी ब्याज दर की शुरूआत करने के लिए स्टाक एक्सचेन्ज की संरचना निर्धारित की गई थी।
- निबंधन और शर्तों के अध्यधीन मुद्रा व्युत्पन्न में व्यापार करने के लिए एफ पी आई की अनुमति दी गई।
- सेबी ने निक्षेपागारों के साथ डिमेट फॉर्म में घारित म्यूचुअल फण्डों और प्रतिभूतियों में एक निवेशक के सभी प्रभार के निवेशों के लिए एक एकल समेकित दृष्टिकोण बनाया।
- सेबी ने स्टाक ब्रोकर/क्लीयरिंग मेम्बर के लिए एक ही बार पंजीकृत होने की अनुमति दी। दोनों तरह के निक्षेपागारों को संचालित करने के लिए एकल पंजीयन प्रदान करने की नीति को मजूरी प्रदान की गई।
- सेबी ने अन्य विनियामकों के साथ अपने ग्राहक की जानकारी सांझा करने के लिए सेबी (केवाईसी रजिस्ट्रेशन एजेन्सी) (केआरए) विनियम 2011 में संशोधन किया।

विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक

- यह सेबी (विदेशी पोर्टफोलियो निवेश) विनियम, 2014, 1 जून 2014 से लागू किया गया। पदनामित निक्षेपागार भागीदार (डीडीपी) के लिए कार्यान्वयनात्मक दिशा-निर्देश जारी किए गए।
- अप्रैल 2014 से, सरकारी ऋण प्रतिभूतियों में एफआईआई/क्यूएफआई निवेशों के लिए निवेश स्थितियों में बदलाव किया गया, जिसके द्वारा टी-बिल में उनके निवेशों को परिपक्वता अवधि/विक्री के संबंध में कम करने की अनुमति दी गई।
- एफपीआई को एक भारतीय कंपनी तथा प्रसिद्ध भारतीय स्टाक एक्सचेन्जों में सूचीबद्ध कंपनी द्वारा जारी किए गए डिवेन्चर्स अथवा गैर-परिवर्तनीय/विमोचन योग्य अधिमान शेयर को देश में प्रत्यवर्तन आधार पर निवेश करने की अनुमति दी गई।

म्यूचुअल फण्ड कारपोरेट बॉण्ड्स, एआईएफ

- सितम्बर 2014 में सेबी (स्थावर संपदा निवेश न्यास) विनियम 2014 अधिसूचित किए गए।
- सितम्बर, 2014 में सेबी ने आधारभूत संरचना निवेश न्यास विनियम अधिसूचित किए जो भारत में एआईफ के पंजीकरण और विनियमन के लिए कार्यदांचा मुहैया करते हैं।
- सेबी (अनुसंधान विश्लेषण) विनियम 2014, 1 सितम्बर, 204 को अधिसूचित किया गया।

स्वावलंबन योजना के अंतर्गत असंगठित क्षेत्र में पेंशन के लिए वर्ष 2010 में आरंभ की गई सह-अंशदायी पेंशन योजना अब भारत के उन सभी नागरिकों के लिए भी खोली गई है जो किसी पेंशन/भविष्य निधि योजना के भाग नहीं है। वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान 31 दिसम्बर, 2014 तक इस योजना के अंतर्गत कुल 6.29 लाख अंशदाता पहले ही नामांकित कर लिए गए हैं।

3.25 पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) अधिनियम 2013 को सितम्बर, 2013 में संसद द्वारा पारित किए जाने के उपरांत 01 फरवरी 2014 से प्रभावी बना दिया गया है। पीएफआरडीए अधिनियम, 2013 में पीएफआरडीए को संवैधानिक स्तर की जिम्मेदारी देने का प्रयास है ताकि इस स्तर से वह अपनी विनियामक और विकासशील भूमिका को कारगर तरीके से निभा सके।

वैदेशिक क्षेत्र

चालू वर्ष में सामान्य व्यापार और चालू खाता घाटा, विपुल वित्तीय प्रवाह, विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि तथा स्थिर मुद्रा दर संचलन का सुदृढ़ वैदेशिक क्षेत्र परिणाम उस सामर्थ्य और लचीलेपन के पथ पर वापसी की ओर संकेत करता है जो वर्ष 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट से पूर्व विद्यमान था। इसके चलते पिछले वर्ष सुधार आया जिसे अत्यधिक दबाव के आरम्भिक चरण में ही तथा नीतिगत अनुक्रियाओं की सामर्थ्य पर हासिल किया गया था। चालू वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में कच्चे पेट्रोलियम के अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में सुधार, डीजल के मूल्यों के विनियंत्रण में सहायक हुआ है। समग्र व्यापार निष्पादन ने स्वर्ण आयात पर प्रतिबंध को हटाने के लिए उचित समय होने का संकेत दिया। लचीलापन, व्यापार विविधीकरण प्रक्रिया का भी भाग रहा। जबकि व्यापार और चालू खाता घाटा की स्थिति में भी परिवर्तन हुआ है, वित्तपोषण की अपेक्षा से अधिक वित्तीय अंतर्वर्ह की प्रचुरता के कारण विदेशी मुद्रा भंडार (जनवरी, 2015 के अन्त में 328.7 बिलियन अमरीकी डालर) को सुदृढ़ करने में मदद मिली है। ये कारक कमजोरी की उन चिन्ताओं को कम करने में सहायक हुए हैं जिनकी वजह से पिछले वर्ष अत्यधिक दबाव रहा था। तथापि, इन चिन्ताओं से एक प्रबल नकारात्मक खतरा रहता है, क्या किसी कारणवश वैश्विक वातावरण की स्थिति खराब होनी चाहिए। वैश्विक आर्थिक दृष्टिकोण कुछ अनिश्चित सा किन्तु स्थिर रहता है और इससे सामर्थ्य प्राप्त होने की संभावना होती है, यदि कच्चे पेट्रोलियम के निम्नतर मूल्यों के कारण महत्वपूर्ण उभरती बाजार की अर्थव्यवस्थाओं में मांग सुधार की प्रक्रिया शुरू होती है।

वैश्विक आर्थिक वातावरण

4.2 कच्चे पेट्रोलियम के अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में तेजी से आई हालिया गिरावट के साथ वैश्विक आर्थिक वातावरण का झुकाव बेहतर परिवर्तन की ओर प्रतीत होता है। इससे मौद्रिक समायोजन से क्रमिक आहरण के बावजूद अमरीकी अर्थव्यवस्था में वैश्विक समग्र मांग और तेजी से सुधार को प्रोत्साहन मिलने की आशा है। 2008 के वैश्विक संकट के पश्चात्, वैश्विक अर्थव्यवस्था पर अनिश्चितता और यूरो युग में, खासकर 2011 से, दीर्घकालिक कमजोरी का खतरा मंडराने लगा इससे अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष (आईएमएफ) ने अपने बल्ड इकॉनोमिक आउटलुक (डब्ल्यूईओ) में प्रायः वैश्विक विकास को अधोगामी संशोधित किया। 20 जनवरी, 2015 को प्रकाशित अपने अपडेट में, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने

वैश्विक अर्थव्यवस्था की विकास दर 2014 में 3.3 प्रतिशत से बढ़कर 2015 में 3.5 प्रतिशत होने और 2016 में और भी बढ़कर 3.7 प्रतिशत होने का अनुमान लगाया। अक्तूबर, 2014 के इसके अनुमानों से इस अधोगामी संशोधन का कारण चीन, रूस, यूरो क्षेत्र, जापान और तेल के मूल्यों में तेजी से आई गिरावट के कारण कुछ बड़े तेल निर्यातकों में कमजोर आर्थिक संभावनाएं रहीं। संयुक्त राज्य अमरीका ऐसी एक मात्र प्रमुख अर्थव्यवस्था है जिसके संबंध में 2015 के लिए विकास अनुमानों को 0.5 प्रतिशतांक बढ़ाकर 3.6 प्रतिशत कर दिया गया है।

4.3 उभरते बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं (ईएमडीई), जो मामूली घरेलू मांग और संरचनात्मक बाधाओं के चलते विपरीत परिस्थितियों से संघर्ष कर रही हैं, के

मामले में, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अपडेट, विकास अनुमानों को 2015 में 4.3 प्रतिशत और 2016 में 4.7 प्रतिशत पर स्थिर करता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुमान वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल के मूल्यों में गिरावट, निवल प्रभाव और निकटवर्ती दृष्टिकोण को केवल आंशिक रूप से प्रतिबिम्बित करते हैं। आगे चलकर, ईएमडीई के लिए इसके और अधिक अनुकूल होने की संभावना है। ये वैश्विक उत्पाद (क्रय-शक्ति की समानता के दृष्टिगत) का आधे से अधिक बैठते हैं और जिन्होंने मुद्रास्फीति उच्च रहने के साथ वैश्विक विकास में अत्यधिक योगदान दिया है। इसका परिणाम अनुमानित से बेहतर हो सकता है। तेल मूल्य आपूर्ति आघात प्रभाव की संभावित अवधि के साथ-साथ यूरो के क्षेत्र में संभावित और भी मंदी की संभावना के साथ वित्तीय बाजारों में अचानक सुधार और विकास संबंधी अधोगामी खतरे कुछ ऐसी चिन्ताएं हैं जो बढ़ती जा रही हैं।

4.4 वर्ल्ड इकॉनोमिक आउटलुक अपडेट वर्ष 2015 में भारत का सकल घरेलू उत्पाद विकास 6.3 प्रतिशत होने (इल्यूईओ के अक्तूबर, 2014 की तुलना में 0.1 प्रतिशतांक का अधोगामी संशोधन) और वर्ष 2016 के लिए विकास 6.5 प्रतिशत होने का अनुमान करता है, जो चीन के अनुमानित विकास 6.3 प्रतिशत से अधिक है। 30 जनवरी, 2015 को केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) द्वारा किए गए भारत के सकल घरेलू उत्पाद के हालिया ऊर्ध्वगामी संशोधन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के डब्ल्यूईओ के अनुवर्ती अनुमानों में प्रतिबिम्बित किए जा सकते हैं। वैश्विक आर्थिक कार्यकलाप के स्तर का, व्यापार माध्यमों के जरिए उभरती अर्थव्यवस्थाओं की विकास संभावनाओं से महत्वपूर्ण सीधा संबंध होता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के वर्ल्ड इकॉनोमिक आउटलुक अपडेट, जनवरी, 2015 के अनुसार, विश्व व्यापार खंड विकास का अनुमान वर्ष 2015 और 2016 के लिए क्रमशः 3.8 प्रतिशत और 5.3 प्रतिशत नियत किया गया है जो क्रमशः 1.1 प्रतिशतांक से 0.2 प्रतिशतांक तक कम है।

भारतीय व्यापारिक माल व्यापार

4.5 विगत दस वर्ष से, भारतीय व्यापारिक माल व्यापार (सीमाशुल्क आधार पर) 2004-05 में 195.1 बिलियन अमरीकी डालर से 2013-14 में बढ़कर 764.6 बिलियन अमरीकी डालर होकर कई गुना बढ़ गया है। विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के अनुसार, वैश्विक निर्यात और आयात में भारत का हिस्सा वर्ष 2004 में क्रमशः 0.8 प्रतिशत और 1.0 प्रतिशत से 2013 में बढ़कर क्रमशः 1.7 प्रतिशत

और 2.5 प्रतिशत हो गया है। प्रमुख निर्यातकों और आयातकों की दृष्टि से इसका स्थान वर्ष 2004 में क्रमशः 30 और 23 से सुधरकर 2013 में क्रमशः 19 और 12 हो गया है। जहां सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के अनुपात के रूप में कुल भारतीय व्यापारिक माल व्यापार 2004-05 में 29.0 प्रतिशत से बढ़कर 2013-14 में 41.8 प्रतिशत हो गया है, वहीं इन्होंने दो अवधियों के दौरान सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में भारतीय व्यापारिक माल निर्यात 12.1 प्रतिशत से बढ़कर 17.0 प्रतिशत हो गया है। इन दो अवधियों के भीतर विकास में अत्यधिक अंतर रहे, इसका काफी हद तक कारण वैश्विक अनिश्चितता, कुछ क्षेत्रों में दीर्घकालिक कमज़ोरी और 2008 से वैश्विक वस्तुओं की कीमतों में अस्थिरता रही। विशेष रूप से, वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल के मूल्य, व्यापारिक माल व्यापार घाटे के उच्च स्तरों की प्रक्रिया में एक प्रमुख कारक रहे (बॉक्स 4.1)।


4.6 2010-11 में 40.5 प्रतिशत की अत्यधिक उच्च वृद्धि को दर्ज करने के पश्चात्, 2011-12 में व्यापारिक माल निर्यात सामान्य अर्थात् 21.8 प्रतिशत रहा। दो वर्ष में उच्च वृद्धि से समग्र निर्यात 300 बिलियन अमरीकी डालर के निशान को पार कर गया। 2012-13 में, यद्यपि निर्यात अभी भी 300 बिलियन अमरीकी डालर के निशान से ऊपर था, किन्तु यह निर्यात वृद्धि जारी नहीं रखी सकी और इसमें 1.8 प्रतिशत की मामूली गिरावट आई [परिशिष्ट 7.1 (ख)]। तथापि, 2013-14 के दौरान, निर्यात वृद्धि में 4.7 प्रतिशत (314.4 बिलियन अमरीकी डालर) का सुधार हुआ। 2014-15 (अप्रैल-जनवरी) में निर्यात वृद्धि कुछ हद तक सामान्य 2.4 प्रतिशत (पिछले वर्ष की इसी अवधि में 258.7 बिलियन अमरीकी डालर की तुलना में 265.0 बिलियन अमरीकी डालर) रही।

4.7 2010-11 में भारत के व्यापारिक माल आयात में 28.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई और सोने तथा चांदी, पेट्रोलियम, पीओएल समूह और पीओएल-भिन्न तथा सोने और चांदी-भिन्न आयात में मोटे तौर पर हुई वृद्धि के आधार के चलते पूरे 2011-12 के दौरान उच्च विकास दर जारी रही। 2012-13 में, सोने और चांदी तथा पीओएल भिन्न आयात की वृद्धि दरों में केवल मामूली गिरावट आई, जिससे कुल आयात का लगभग 490 बिलियन अमरीकी डालर का उच्च स्तर जारी रहा। 2013-14 में, घरेलू और वैदेशिक कारकों के चलते रूपये के तीव्र अवमूल्यन के महेनजर, सरकार ने स्वर्ण आयात पर प्रतिबंध लगा दिया जिससे उसमें 46.4 प्रतिशत की तीव्र गिरावट आई। घरेलू कार्यकलाप के कमज़ोर रहने के साथ

बॉक्स 4.1 : वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल के मूल्य में घट-बढ़ के निहितार्थ

वैश्विक स्तर पर वस्तु खासकर कच्चे तेल के मूल्यों में किसी भी बढ़े परिवर्तन के वैदेशिक क्षेत्र के लिए निहितार्थ होते हैं क्योंकि भारत शेष विश्व के साथ तेजी से एकीकृत हो रहा है। यह स्पष्ट है कि विंगत दस वर्ष में जीडीपी के अनुपात में भारत का बढ़ता दुतरफा वैदेशिक क्षेत्र लेन-देन दुगने से भी अधिक हो गया है। व्यापार में खुलापन अधिक नियर्त के जरिए उच्चतर विकास के अवसर प्रदान करता है और वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी कीमतों पर बेहतर गुणवत्ता वाले उत्पाद घरेलू स्तर पर उपलब्ध कराता है। विशिष्ट रूप से आर्थिक भाषा में, चालू खाता घाटे को उस विदेशी बचत के रूप में देखा जाता है जो ईएमडीई में घरेलू बचतों के नियत स्तर से अपेक्षाकृत अधिक निवेश के जरिए विकास को बढ़ाता देता है; किन्तु भारत की तेल आयात पर व्यापक निर्भरता और वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल के मूल्यों में तेजी से बढ़ोतरी के संदर्भ में, 2011-12 और 2012-13 में चालू खाता घाटे का बढ़ना एक विशिष्ट परिणाम हो सकता है। कच्चे तेल के मूल्यों में परिवर्तन का भारत के चालू खाता घाटे से सीधा संबंध होता है। मूल रूप से, कच्चे तेल का आयात देश के कुल आयात का एक काफी बड़ा भाग बैठता है। हालिया वर्षों में पेट्रोलियम, ऑयल लुब्रिकेंट्स (पीओएल) आयात भारत के कुल आयात का एक-तिहाइ से अधिक बैठता है। 2013-14 में, पीओएल आयात कुल आयात का 36.6 प्रतिशत बैठता है। चालू वित्त वर्ष में अब तक (दिसम्बर 2014 तक) कुल आयात में पीओएल आयात का हिस्सा 33 प्रतिशत आंका गया है। हालिया वर्षों में व्यापार घाटे में परिवर्तन और चालू खाता घाटे के निहितार्थों को कच्चे तेल के मूल्यों में परिवर्तनों द्वारा व्यापक रूप से स्पष्ट किया गया है (चित्र 1)।

चित्र 1: तेल मूल्य (भारतीय समूह) पीओएल आयात और व्यापार घाटे में परिवर्तन (प्रतिशत)



टिप्पणी: वर्ष 2014-15 के संबंध में आंकड़े अप्रैल-दिसंबर से संबंधित हैं।

वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल का मूल्य (भारतीय समूह) जो 2014-15 की पहली तिमाही में 107.2 अमरीकी डॉलर प्रति बैरल था, वह 2014-15 की दूसरी तिमाही में घटकर 101.7 अमरीकी डॉलर प्रति बैरल और तीसरी तिमाही में घटकर 75.2 अमरीकी डॉलर प्रति बैरल रह गया है। तत्पश्चात, यह 50 अमरीकी डालर प्रति बैरल से नीचे आ गया है। 30 जनवरी, 2015 की स्थिति के अनुसार, भारतीय समूह का कच्चे तेल का मूल्य 46.7 अमरीकी डालर प्रति बैरल पर स्थिर रहा। कुछ सरलीकृत संभावनाओं के तहत, अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल के मूल्यों में 1 अमरीकी डॉलर प्रति बैरल की कमी आने पर निवल आयात बिल 0.9 बिलियन अमरीकी डालर प्रति बैरल वर्ष तक कम होने की संभावना है। अप्रैल, 2014 से जनवरी, 2015 की अवधि में तेल का औसत मूल्य लगभग 90 अमरीकी डॉलर प्रति बैरल था, जिसमें 2014-15 के लिए समग्र निवल तेल आयात में 9.5 बिलियन अमरीकी डालर तक कमी आने की संभावना है, इससे यह माना जाता है कि आयात की मात्रा में 6 प्रतिशत की वृद्धि होगी। मार्च, 2014 की तुलना में जनवरी, 2015 में भारतीय समूह के कच्चे तेल के मूल्य में लगभग 56 प्रतिशत की अत्यधिक गिरावट के दृष्टिगत, भारत के चालू खाता संतुलन को सुदृढ़ किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वर्ण की कीमत में 10 अमरीकी डॉलर प्रति द्राय आउंस तक की कमी आने से 2014-15 के लिए रत्न और आभूषण के निवल आयात में 130 मिलियन अमरीकी डालर वार्षिक की गिरावट आने की संभावना तो है, किन्तु इससे आयात की मात्रा में किसी परिवर्तन की संभावना नहीं है।

पीओएल-भिन्न और सोने तथा चांदी-भिन्न कारोबार में भी लगभग 7 प्रतिशत की गिरावट आई, जिसके चलते समग्र आयात घटकर 450 बिलियन अमरीकी डालर रह गया।

2014-15 (अप्रैल-जनवरी) में आयात 2013-14 (अप्रैल-जनवरी) में 375.3 बिलियन अमरीकी डालर की तुलना में 2.2 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 383.4 बिलियन

अमरीकी डालर हो गया। जबकि 2014-15 (अप्रैल-जनवरी) में पीओएल आयात मूल्य में 7.9 प्रतिशत की गिरावट आई, 2014-15 (अप्रैल-जनवरी) में सोने और चांदी के आयात में 8.0 प्रतिशत वृद्धि हुई, पीओएल-भिन्न और सोने तथा चांदी-भिन्न आयात, जो औद्योगिक कार्यकलाप के लिए आवश्यक आयात को व्यापक रूप से दर्शाता है, में 2014-15 (अप्रैल-जनवरी) में 7.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई, यह वृद्धि 2012-13 और 2013-14 में क्रमशः 0.7 प्रतिशत तथा 6.9 प्रतिशत की कमी दर्ज करने के पश्चात् हुई।

4.8 जबकि मामूली तौर पर उपर्युक्त गतिविधियां मोटे तौर पर प्रवृत्तियां प्रस्तुत करती हैं, गुणवत्ता और मूल्य, जिन्हें व्यापार की शर्तों को दर्शाने वाली मात्रा और इकाई मूल्य सूचकांकों द्वारा श्रेष्ठ तरीके से इंगित किया जाता है, में परिवर्तनों की दृष्टि से वृद्धि दरों पर विश्लेषण करना उपयोगी है (सारणी 4.1)। निर्यात संबंधी मात्रात्मक सूचकांक में मोटे तौर पर अमरीकी डॉलर में मामूली वृद्धि के चलते रूपये की अति अल्प दरों के साथ दिशात्मक रूप से इसके अनुरूप परिवर्तन होता है। 2012-13 इसका अपवाद रहा जब अमरीकी डालर के दृष्टिगत मात्रात्मक सूचकांक में उच्च सकारात्मक दरों के विपरीत वृद्धि दर प्रतिकूल रही। आयात

के मात्रात्मक सूचकांक के मामले में, अमरीकी डॉलर और रूपये में अभिव्यक्त मामूली वृद्धि दरों के साथ और अधिक दिशात्मक विविधता रही।

4.9 2009-10 के अपवाद के साथ, मोटे तौर पर सकारात्मक क्षेत्र में निर्यात और आयात के इकाई मूल्य सूचकांक में परिवर्तन हुआ। 2011-12 में व्यापार की दृष्टि से परिणाम की स्थिति बदहाली का साक्ष्य रही। इस बदहाली का कारण तेल मूल्य का आघात रहा जो 2014-15 की दूसरी छमाही में विपरीत हो सका था।

4.10 वृहत आयात निर्भरता के चलते तेल मूल्य का आघात जबरदस्त रहा जिसकी वजह से 2011-12 से आयात का स्तर उच्च रहा और सापेक्ष मंदी की वैश्विक मांग से समग्र निर्यात वृद्धि बाधित हुई। भारत के अनुवर्ती लचीलेपन के कारण ऐसी विभिन्न प्रक्रियाएं हुईं जिनके दायरे में पण्य संरचना और व्यापार की दिशा दोनों ही आते हैं।

व्यापार की संरचना

4.11 भारतीय व्यापार की वस्तुगत संरचना में उदारीकरण के समय से अनेक फेरबदल हो गए हैं और ये व्यापार नीति,

सारणी 4.1 : व्यापार निष्पादन: मात्रा और इकाई मूल्य सूचकांक

(प्रतिशत परिवर्तन)

	निर्यात				आयात				व्यापार की स्थिति	
	अमरीकी डालर	रूपये	मात्रा सूचकांक	इकाई मूल्य सूचकांक	अमरीकी डालर	रूपये	मात्रा सूचकांक	इकाई मूल्य सूचकांक	निवल	आय
2001-02	-0.6	2.7	0.8	1.0	2.9	6.2	4.0	2.8	-1.7	-0.9
2002-03	20.3	22.1	19.0	2.9	19.4	21.2	5.8	14.3	-10.0	7.2
2003-04	21.1	15.0	7.3	7.5	27.3	20.8	17.4	3.1	4.3	11.9
2004-05	30.8	27.9	11.2	14.9	42.7	39.5	17.2	18.9	-3.4	7.4
2005-06	23.4	21.6	15.1	6.1	33.8	31.8	16.0	14.0	-6.9	7.1
2006-07	22.6	25.3	10.2	13.7	24.5	27.3	9.8	15.1	-1.2	8.8
2007-08	29.0	14.7	7.9	5.1	35.5	20.4	14.1	1.9	3.1	11.2
2008-09	13.6	28.2	9.0	16.9	20.7	35.8	20.2	13.8	2.7	11.9
2009-10	-3.5	0.6	-1.1	1.0	-5.0	-0.8	9.9	-10.0	12.3	11.0
2010-11	40.5	35.2	15.2	13.8	28.2	23.4	8.0	13.0	0.7	15.9
2011-12	21.8	28.3	8.9	20.2	32.3	39.3	-20.9	74.9	-31.3	-25.2
2012-13	-1.8	11.5	7.9	6.0	0.3	13.8	6.1	8.0	-1.9	5.8
2013-14	4.7	16.6	5.9	9.9	-8.3	1.7	-10.7	12.9	-2.7	3.1
2014-15(अ)	3.4	5.0	4.8	3.6	1.5	3.9	0.8	3.3	0.2	5.0

स्रोत : वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआईएणडएस) के आंकड़ों के आधार पर संगणित।

टिप्पणी : वर्ष 2014-15 के लिए विकास दर अप्रैल-सितम्बर से संबंधित है। अ: अनंतिम

अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में घट-बढ़ और घरेलू मांग के बदलते स्वरूप से प्रेरित रहे हैं। हालिया वर्षों में विनिर्मित मालों के निर्यात का बड़ा हिस्सा 63 प्रतिशत से अधिक है। इसके बाद अशोधित और पेट्रोलियम उत्पादों (कोयला सहित) का निर्यात में हिस्सा 20 प्रतिशत है तथा कृषि और संबद्ध उत्पादों का हिस्सा 13.7 प्रतिशत है (परिशिष्ट सारणी 7.3(ख))। 2014-15 (अप्रैल-दिसम्बर) में, शीर्ष 7 उत्पाद समूहों में भारत के कुल निर्यात का हिस्सा लगभग 80.9 प्रतिशत बैठता है: पेट्रोलियम उत्पाद (19.4 प्रतिशत हिस्सा); रत्न और आभूषण (13.0 प्रतिशत हिस्सा); कृषि और संबद्ध उत्पाद (12.0 प्रतिशत हिस्सा); वस्त्र और सबद्ध उत्पाद (11.6 प्रतिशत हिस्सा); रसायन और संबद्ध उत्पाद (10.1 प्रतिशत हिस्सा); परिवहन उपकरण (8.5 प्रतिशत हिस्सा); और मशीनरी (6.3 प्रतिशत हिस्सा)।

4.12 पेट्रोलियम और कृषि तथा संबद्ध उत्पादों के निर्यातों में बढ़ोतरी जो विगत चार वर्षों में सकारात्मक रही थी, 2014-15 (अप्रैल-जनवरी) में नकारात्मक हो गयी। रत्न और आभूषण निर्यात जिनमें 2012-13 और 2013-14 में गिरावट के रूझान दिखे, 2014-15 (अप्रैल-जनवरी) में कमी के रूझान दर्ज किए गए। इलेक्ट्रॉनिक सामान के निर्यातों में, 2012-13 से निरंतर ह्यूस होता रहा है। 2014-15 (अप्रैल-जनवरी) के दौरान कुछ क्षेत्रों जैसे कि परिवहन उपकरण, मशीनरी, रसायनों और संबद्ध उत्पादों, वस्त्र और संबद्ध उत्पादों तथा बेस धातुओं के निर्यातों जैसे क्षेत्रों में सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई।

4.13 2012-13 और 2013-14 और 2014-15 (अप्रैल-जनवरी) के दौरान, समुद्री उत्पादों और चमड़े तथा चमड़ों से निर्मित सामानों में अपेक्षाकृत उच्च वृद्धि दर्ज हुई। यद्यपि मामूली निर्यात मूल्य की दृष्टि से निर्यातों का हिस्सा (आयातों के विपरीत) कुछ क्षेत्रों में अधिक हो सकता है, तथापि, आयात (निर्यात) घटक भी उच्च ही होगा और इसीलिए योजित मूल्य पर ध्यान देना लाभप्रद होगा (बाक्स 4.2)।

4.14 भारतीय आयात समूह की एक प्रधान मद पीओएल समूह है, जो 2013-14 में कुल भारतीय आयात का 36.6 प्रतिशत बैठता है। पीओएल के आयात में 2011-12 में 46.2 प्रतिशत की वृद्धि के साथ उछाल आया जिसका मुख्य कारण 2010-11 की तुलना में वैश्विक अशोधित तेल की कीमत में उल्लेखनीय वृद्धि रही। पीओएल के आयातों में सामान्य वृद्धि 2012-13 और 2013-14 में क्रमशः 5.9 प्रतिशत और 0.4 प्रतिशत तक रही। अंतर्राष्ट्रीय अशोधित तेल की कीमतें (ब्रेन्ट) 2014-15 की प्रथम तिमाही में

109.8 अमरीकी डालर प्रति बैरल से घटकर तीसरी तिमाही में 76.0 अमरीकी डालर प्रति बैरल रह गई, जिसके परिणामस्वरूप पीओएल आयातों का मूल्य 2014-15 (अप्रैल-जनवरी) में 7.9 प्रतिशत घट गया। पूँजीगत मालों का आयात अन्य प्रधान समूह है जो 2011-12 से लगातार घटता रहा। पूँजीगत मालों के अंतर्गत, मशीनरी के आयातों में 2014-15 (अप्रैल-जनवरी) में सकारात्मक वृद्धि दर्ज हुई। भारत के कुल आयातों में स्वर्ण और चांदी आयातों का हिस्सा 2012-13 में 11.4 प्रतिशत और 2013-14 में 7.4 प्रतिशत बैठता है। स्वर्ण और चांदी का आयात 2012-13 एवं 2013-14 में क्रमशः 9.0 प्रतिशत और 40.4 प्रतिशत घट गया, परंतु इनसे 2014-15 (अप्रैल-जनवरी) में 8.0 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि दर्ज हुई। मोतियों, बहुमूल्य और अर्ध मूल्यवान नगों के आयात 2013-14 में 5.4 प्रतिशत बढ़ गए, जबकि 2014-15 (अप्रैल-जनवरी) में 3.9 प्रतिशत घट गए।

व्यापार की दिशा

4.15 हालिया वर्षों में भारत के व्यापार में उल्लेखनीय बाजार विविधीकरण हुआ है। यह ऐसी प्रक्रिया है जिससे मंद वैश्विक मांग से निपटने की प्रक्रिया में मदद मिली है, जिसका बहुत हद तक कारण यूरो क्षेत्र में दुर्बलता का होना है। यूरोप और अमरीका को भारत के निर्यात का क्षेत्रवार हिस्सा 2004-05 में क्रमशः 23.6 प्रतिशत और 20.1 प्रतिशत से कई वर्षों में घटकर 2013-14 में क्रमशः 18.6 प्रतिशत और 17.2 प्रतिशत रह गया है। इसके विपरीत, एशिया और अफ्रीका में भारत के निर्यातों का हिस्सा 2004-05 में क्रमशः 47.9 प्रतिशत और 6.7 प्रतिशत से बढ़कर 2013-14 में क्रमशः 49.4 प्रतिशत और 9.9 प्रतिशत हो गया है। वैश्विक वित्तीय संकट के तुरंत पूर्व और 2010-11 के बाद इस दिशा में हुए परिवर्तन से जाहिर होता है कि विविधीकरण की प्रक्रिया चालू है। संकट से पूर्व (2004-05 से 2007-08) में और संकट के बाद (2010-11 से 2013-14 तक) भारत के व्यापार की तुलना करने से पता चलता है कि भारत का निर्यात और आयात यूरोप, संयुक्त राज्य अमरीका और सिंगापुर से घट गया है, जबकि भारत का व्यापार एशिया और अफ्रीका से बढ़ गया है (सारणी 4.2)।

4.16 2014-15 (अप्रैल-दिसम्बर) में, भारत का निर्यात यूरोपीय क्षेत्र में केवल 0.2 प्रतिशत बढ़ा। तथापि, यूरोपीय देशों में (जिसमें तुर्की, क्रोशिया आदि शामिल हैं) भारत का निर्यात 2014-15 (अप्रैल-दिसम्बर) में लगभग 38.1 प्रतिशत बढ़ा। अफ्रीका और अमरीका में 2014-15 में भारत का निर्यात (अप्रैल-दिसम्बर) क्रमशः 12.9 और 14.5 प्रतिशत

बाक्स 4.2 : भारतीय निर्यातों में योजित घरेलू मूल्य के श्रम एवं श्रमेतर घटकों के अनुमान

व्यापार की बदल रही रूपरेखाओं और वैश्विक उत्पादन श्रृंखलाओं के आविर्भाव के विकासशील देशों के लिए महत्वपूर्ण निहितार्थ होते हैं। आयातित वस्तुओं के बढ़ते उपयोग के कारण कुल निर्यातों के घरेलू मूल्य योजित हिस्से में सामान्यतया गिरावट आती है। पूँजी और विभिन्न प्रकार के श्रम से योजित मूल्य का अपघटन (डीकंपोजीशन) उत्पादन प्रक्रिया के वैश्विक विखंडन का महत्वपूर्ण पहलू है। प्रायः यह तर्क दिया जाता है कि व्यापार के बढ़ने और इसके परिणामतः विश्व बाजार एकीकृत होने से विकासशील देशों के मध्यम और अल्प कुशलता प्राप्त अपने अधिकांश श्रमिकों को नियोजित करने के नए अवसर मिलते हैं। घरेलू योजित मूल्य के उपर्युक्त अपघटन इस बात की जांच करने की अनुमति देते हैं कि वैश्वीकरण के लाभ पूँजी और विभिन्न प्रकार के श्रमिकों के बीच किस तरह बांट दिए जाते हैं।

भारतीय संदर्भ में, कुल निर्यातों में घरेलू योजित मूल्य के निर्यातों का हिस्सा 1998-99 में 86.9 प्रतिशत से गिरकर 2003-04 में 84.1 प्रतिशत और 2007-08 में और गिरकर 78.5 प्रतिशत तक रह गया है। किन्तु आयातों में विदेशी योजित मूल्य का हिस्सा बढ़ गया, जो अंतर्राष्ट्रीय उत्पादन के विखंडन की प्रक्रिया के गहनता का संकेत है। घरेलू श्रम घटक, भारतीय सेवा निर्यातों में व्यापारिक माल निर्यातों से अपेक्षाकृत उच्च है। इसके अलावा, चार घटकों (अकुशल, अर्धकुशल, कुशल श्रमिकों और श्रमेतर के आधार पर निर्यातों का घरेलू मूल्य यह दर्शाता है कि कुशलता प्राप्त श्रमिक एवं श्रमेतर घटकों का सम्बलित हिस्सा अत्यधिक उच्च है जिससे कुशल श्रम और पूँजी के उपयोग की और तरफदारी करने वाली प्रौद्योगिकी में व्यापक परिवर्तन किये जाने का संकेत मिलता है। घटक वस्तुओं के अनुसार भारतीय निर्यातों के घरेलू मूल्य के विश्लेषण से यह ज्ञात होता है कि व्यापारिक माल निर्यातों के लिए योजित घरेलू मूल्य में श्रम घटक 2007 में 28 प्रतिशत था जबकि यह कुल निर्यातों (सेवा सहित) के मामले में उसी वर्ष 39 प्रतिशत था। सेवा निर्यातों के लिए, तदनुरूप आंकड़े लगभग 51 प्रतिशत हैं जिससे यह संकेत मिलता है कि घरेलू श्रम घटक, व्यापारिक माल निर्यातों की अपेक्षा सेवा निर्यातों में उच्च है। घरेलू मूल्य योजन (सारणी 1) में श्रमिकों का योगदान 1998-99 से 2007-08 तक की अवधि के दौरान व्यापारिक माल निर्यातों में घट गया है (6 प्रतिशतांक से अधिक) और सेवा निर्यातों में (2 प्रतिशतांक तक) बढ़ गया है। विखंडित स्तर पर भारत के योजित घरेलू मूल्य निर्यात में श्रम घटक का अनुपात मुख्यतः कृषि खाद्य प्रसंस्करण और सेवा क्षेत्रों में बढ़ गया है; जबकि पूँजीगत अंशदान मशीनरी, धात्विक उत्पादों एवं अन्य अनेक विनिर्माण क्षेत्रों में बढ़ गया है।

सारणी 1 : घरेलू मूल्य योजित निर्माताओं का 1998-99 से 2007-08 तक कारक घटकों में अपसंधटन

(प्रतिशत प्रतिवर्ष)

क्षेत्र	श्रम घटक			श्रमेतर घटक			योजित घरेलू मूल्य		
	1998-99	2003-04	2007-08	1998-99	2003-04	2007-08	1998-99	2003-04	2007-08
व्यापारिक माल निर्यात	34.2	32.1	27.9	50.7	47.3	42.9	85.0	79.4	70.8
सेवा निर्यात	48.8	51.4	50.9	42.0	41.4	35.8	90.8	92.8	86.7
कुल निर्यात	39.2	38.9	39.1	47.8	45.2	39.5	86.9	84.1	78.5

टिप्पणी : डीबीए के श्रम और श्रमेतर घटक 100 तक नहीं जोड़े जाते क्योंकि शेष भाग विदेशी योजित मूल्य घटक है।

स्रोत : यह संगणना, सीएसओ, एएसआई, एनएसएस सर्वेक्षण चक्रों और सामाजिक लेखांकन मेट्राइस द्वारा प्रकाशित इनपुट आउटपुट सारणियों पर आधारित है।

श्रमिकों के कौशल के स्तर के अनुसार कारक घटकों का वितरण नीचे सारणी 2 में दर्शाया गया है। समग्र स्तर के अनुमानों से पता चलता है कि विनिर्माताओं के लिए अकुशल श्रम और पूँजी घटक का हिस्सा उच्च है जबकि सेवा निर्यातों एवं कुल निर्यातों में पूँजी तथा उच्च कुशल श्रमिकों का हिस्से से अत्यधिक उच्चतर है।

सारणी 2: घटक वस्तु और कुशल श्रम के स्तर 2007 के अनुसार भारत के निर्यातों के घरेलू मूल्य का वितरण (प्रतिशत में)

क्षेत्र	अकुशल श्रम घटक	अर्धकुशल श्रम घटक	कुशल श्रम घटक	श्रमेतर घटक	विदेशी मूल्य योजित हिस्सा
व्यापारिक माल निर्यात	10.9	8.8	8.0	43.1	29.2
निर्यात की शीर्ष मर्दें					
1. पैट्रोलियम उत्पाद	2.0	2.2	2.4	27.6	65.8
2. तेंगर वस्त्र	17.3	13.7	9.8	42.7	16.4
3. रत्न एवं आभूषण	10.0	10.3	7.8	35.2	36.6
4. औषध एवं दवाइयां	8.7	8.0	9.6	47.6	26.1
सेवा निर्यात	10.3	14.5	26.1	35.9	13.3
कुल निर्यात	10.6	11.6	16.8	39.6	21.5

स्रोत : यह संगणना, सीएसओ, एएसआई, एनएसएस सर्वेक्षण चक्रों और सामाजिक लेखांकन मेट्राइस द्वारा प्रकाशित इनपुट आउटपुट सारणियों पर आधारित है।

अनेक अन्य उभरते देशों के मामले में कारक घटकों में यही पैटर्न देखा गया है कि जहां पूँजी और उच्च कुशल श्रम के हिस्से बढ़ चुकने का निहितार्थ यह है कि वैश्विक मूल्य श्रमिकों से पूँजी और श्रम की प्रधानता बढ़ती जा रही है।

स्रोत : आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित 'एस्टीमेटिंग डॉमेस्टिक वेल्यू एडड एण्ड फॉरेन कान्टेन्ट आफ इंडियांज एक्सपोर्ट्स' पर देव कुम्हदास, श्री रूप सेन गुप्ता और पीलू चन्द्र दास द्वारा कृत अध्ययन पर आधारित।

सारणी 4.2 : भारतीय व्यापार में क्षेत्रों/देशों का निर्यात और आयात हिस्सा

क्षेत्र/ देश	निर्यात			आयात			आयात के अनुपात में निर्यात		
	2004-05 से 2007-08	2010-11 से 2013-14	हिस्से में परिवर्तन	2004-05 से 2007-08	2010-11 से 2013-14	हिस्से में परिवर्तन	2004-05 से 2007-08	2010-11 से 2013-14	हिस्से में
यूरोप	23.3	19.0	-4.3	21.6	18.0	-3.6	73.6	68.6	-5.0
जर्मनी	3.3	2.5	-0.7	3.9	3.0	-0.9	56.5	53.9	-2.5
बेल्जियम	2.7	2.1	-0.6	2.6	2.2	-0.3	73.4	62.4	-10.9
स्वीट्जरलैंड	0.4	0.4	0.0	4.5	6.2	1.7	6.7	4.2	-2.5
अफ्रीका	7.8	8.9	1.2	6.3	8.5	2.2	84.0	68.1	-15.9
नाईजेरिया	0.7	0.9	0.1	2.1	2.9	0.8	23.8	19.7	-4.1
अमेरीका	18.9	16.6	-2.3	10.3	11.0	0.7	124.9	98.3	-26.6
यूएसए	14.9	11.6	-3.3	7.1	5.1	-2.0	143.5	148.5	5.0
एशिया	48.5	50.2	1.7	48.9	60.2	11.3	67.7	54.4	-13.4
सिंगापुर	4.8	4.5	-0.3	2.8	1.7	-1.2	116.6	177.7	61.1
इंडोनेशिया	1.5	1.9	0.5	2.1	3.0	0.9	47.2	41.5	-5.8
यूनाइटेड अरब अमीरात	9.2	11.7	2.5	4.5	7.6	3.2	140.0	99.2	-40.8
सउदी अरब	2.0	2.8	0.8	5.1	6.8	1.7	26.6	26.3	-0.3
कुवैत	0.5	0.4	0.0	2.1	3.4	1.3	15.4	8.5	-6.9
कतर	0.3	0.2	0.0	0.9	2.8	2.0	22.0	5.6	-16.4
इराक	0.2	0.3	0.2	1.8	3.6	1.9	6.2	5.5	-0.6
चीन	6.6	5.3	-1.3	9.0	11.2	2.2	50.4	30.8	-19.6
हांगकांग	4.0	4.1	0.1	1.3	1.9	0.6	210.1	137.7	-72.5
कोरिया	1.7	1.4	-0.3	2.7	2.7	0.0	43.6	33.8	-9.8
कुल	100.0	100.0	—	100.0	100.0	—	68.2	65.1	-3.1

स्रोत : डीजीसीआईएंडएस के आंकड़े पर आधारित संगणन।

बढ़ा एशिया, जो भारत के निर्यातों (जो लगभग 50 प्रतिशत बैठता है) का प्रधान गंतव्य है, ने 2014-15 (अप्रैल-दिसम्बर) में 2.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की। एशिया के अंदर भारत का दक्षिण एशिया में निर्यात 23.8 प्रतिशत बढ़ गया (श्रीलंका, नेपाल और बांग्ला देश में निर्यात की उच्च वृद्धि के मुख्य कारण से) और यह निर्यात पश्चिम एशिया खाड़ी सहयोग परिषद् (यूएई, सउदी अरब और अन्य आदि) के मामले में 8.8 प्रतिशत बढ़ा। एशिया के दूसरे क्षेत्रों में भारत के निर्यात में 2014-15 (अप्रैल-दिसम्बर) में कमी दिखाई दी। उत्तर पूर्व एशिया (चीन, हांगकांग, जापान सहित) में 4.4 प्रतिशत की, एशियान (सिंगापुर, इंडोनेशिया, थाइलैंड, मलेशिया आदि) में 7.2 प्रतिशत की और अन्य पश्चिम एशिया (ईरान, इजरायल और अन्य) में 8.5 प्रतिशत की गिरावट थी। देशवार यूएसए और यूएई भारत के निर्यातों (2013-14 में कुल निर्यातों में 12.5 प्रतिशत, 9.7 प्रतिशत के हिस्से के साथ) के प्रधान गंतव्य हैं। इनका निर्यात 2014-15 (अप्रैल-दिसम्बर) में 11.2 प्रतिशत और 11.9 प्रतिशत बढ़ा। किंतु इसी अवधि

में चीन (4.7 प्रतिशत हिस्सा) और बेल्जियम (2.0 प्रतिशत) के लिए भारत का निर्यात 14.7 प्रतिशत और 10.7 प्रतिशत घट गया। 2012-13 से, सिंगापुर और इंडोनेशिया के लिए भारतीय निर्यातों में कमी रही है।

4.17 भारतीय आयातों में यूरोप का हिस्सा 2004-05 में 23.0 प्रतिशत से घटकर 2013-14 में 15.8 प्रतिशत रह गया जबकि एशिया और अफ्रीका का हिस्सा 2004-05 में 35.6 प्रतिशत और 3.6 प्रतिशत से पर्याप्त रूप से बढ़कर 2013-14 में क्रमशः 60.7 प्रतिशत और 8.1 प्रतिशत हो गया। इसी अवधि में भारतीय आयातों में अमरीकी हिस्सा 8.8 प्रतिशत से बढ़कर 12.8 प्रतिशत हो गया। चीन भारतीय आयातों का प्रधान स्रोत है। जिससे 2013-14 में किया गया आयात कुल भारतीय आयातों का 11.3 प्रतिशत बैठता है। इसके बाद सउदी अरब (8.1 प्रतिशत हिस्सा यूएई (6.5 प्रतिशत हिस्सा) और यूएसए (5.0 प्रतिशत हिस्सा), का स्थान है। 2014-15 (अप्रैल-दिसम्बर) में, चीन से

भारतीय आयात 18.7 प्रतिशत तक बढ़ गया। किंतु इसी अवधि में सऊदी अरब, यूएई और अमरीका से भारतीय आयातों में क्रमशः 14.2 प्रतिशत, 7.9 प्रतिशत और 7.9 प्रतिशत की कमी आई। स्विटजरलैंड और सिंगापुर से किए गए आयात भी 2012-13 और 2013-14 में घट गए, किंतु 2014-15 (अप्रैल-दिसम्बर) में सकारात्मक वृद्धि से बढ़ गए।

व्यापार घाटा

4.18 2013-14 में, भारत का व्यापार घाटा (सीमा-शुल्क आधार पर) आयातों की वृद्धि में गिरावट (8.3 प्रतिशत) के मुख्य कारण से 2012-13 में 190.3 बिलियन अमरीकी डालर के उच्च स्तर से घटकर 135.8 बिलियन अमरीकी डालर रह गया, यद्यपि निर्यातों में वृद्धि 4.7 प्रतिशत पर मंद गति से हुई। आयातों में गिरावट का कारण तेल आयातों में अल्प वृद्धि (0.4 प्रतिशत) तथा स्वर्ण और चांदी आयातों में नकारात्मक वृद्धि रही। तथापि, 2013-14 (अप्रैल-जनवरी) में व्यापार घाटा 116.5 बिलियन अमरीकी डालर के विपरीत 2014-15 (अप्रैल-जनवरी) में मामूली रूप से 1.6 प्रतिशत बढ़कर 118.4 बिलियन अमरीकी डालर हो गया। अल्प निर्यात वृद्धि (2.4 प्रतिशत) और आयातों में उछाल (2.2 प्रतिशत) के परिणामस्वरूप व्यापार घाटे में 1.8 बिलियन अमरीकी डालर की सीमित वृद्धि हुई। इसके बावजूद, स्तरों की दृष्टि से व्यापार घाटा जो विगत वर्ष के नजदीक है, व्यापार नीतियों सहित विदेशी क्षेत्रक नीतियों का ही प्रतिफल है।

व्यापार नीति

व्यापार संबंधी नीतिगत उपाय

4.19 2011-12 से वैश्विक और घरेलू कारकों के चलते उत्पन्न व्यापार घाटे के उच्च स्तर जो 2013-14 की प्रथम तिमाही में बना रहा, के परिणामस्वरूप विदेशी क्षेत्र के परिणाम पर गंभीर दबाव पड़ा जिसके विशाल वृहत आर्थिक निहितार्थ हुए। सरकार ने निर्यात क्षेत्रों के निष्पादन के संवर्धन के लक्ष्य वाले उपायों सहित विभिन्न प्रकार के उपाय किए जो बजट उद्घोषणाओं और विदेशी व्यापार नीति (एफटीपी) 2009 तथा इसके वार्षिक अनुपूरकों के पूरक थे। विभिन्न योजनाएं सुदृढ़ की गयी; जैसे, कि उत्पाद केंद्रित योजना (एफपीएस), बाजार केंद्रित योजना (एफएमएस), बाजार संबद्ध उत्पाद केंद्रित योजना (एमएलएफपीएस) और विशेष कृषि तथा ग्रामोद्योग योजना (वीकेजीयूवाई)। इसके अलावा,

उद्योग और व्यापार निकायों को बाजार अभिगम पहल (एमएआई) स्कीम और बाजार विकास सहायता (एमडीए) स्कीम के अंतर्गत विभिन्न देशों में क्रेता विक्रेता बैठकों (बीएसएम), व्यापार मेलों और प्रदर्शनियों में भाग लेने के लिए सहायता दी जाती है।

4.20 सरकार द्वारा किए गए कुछ हालिया उपाय बाक्स 4.3 में दिए गए हैं।

डंपिंग रोधी उपाय

4.21 देश के घरेलू उद्योग को समान अवसर प्रदान करने के विचार से, बड़े बाजारों द्वारा डंपिंग रोधी कार्रवाई का सहारा लिया जा रहा है ताकि वे उन विदेशी निर्यातकों से घरेलू बाजार में प्रभावी रूप से प्रतिस्पर्द्धा करने में सक्षम हो सकें जिनमें से कुछ डंपिंग का सहारा लेते हों। एंटी डंपिंग और संबद्ध ड्यूटी महानिदेशालय (डीजीएडी) देश में माल की डंपिंग के प्रथम दृष्ट्या साक्ष्य के साथ घरेलू उद्योग द्वारा दर्ज कराए गए आवेदनों, घरेलू उद्योग को हुई क्षति तथा डंपिंग और घरेलू उद्योग को हुई क्षति के बीच कारण कार्य संबंध के आधार पर डंपिंग रोधी जांच करता है। घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत की गई इन याचिकाओं पर सीमा-शुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 और इसके अंतर्गत बनी नियमावली के तहत विनिर्दिष्ट पद्धति के अनुसार और नियत समय सीमा के भीतर कार्यवाही की जाती है। डीजीएडी जांच संचालित करता है और, जहां उचित हो, अपने प्रारंभिक/अंतिम परिणाम जारी करते हुए राजस्व विभाग को शुल्क लगाने की सिफारिश करता है। डीजीएडी की इन सिफारिशों पर कार्रवाई करते हुए, राजस्व विभाग अनंतिम या स्थायी शुल्क लगा सकता है।

4.22 डंपिंग रोधी जांचें अन्य देशों द्वारा भी प्रारंभ की गई हैं और वर्ष 2013 में कुल लगभग 287 जांचें प्रारंभ की गई थीं (सारणी 4.3)। वर्ष 2012 में ब्राजील ने भारत को पीछे छोड़ते हुए भारत की तुलना में दोगुनी जांचें प्रारंभ की। वर्ष 2013 में भी ब्राजील की जांचें सर्वाधिक 54 थीं। इसके बाद अमरीका और भारत का स्थान था। वर्ष 2014 में जून के अंत तक भारत और अमरीका दोनों ने बराबर संख्या में जांचें आरंभ की हैं। 30 जून 2014 की स्थिति के अनुसार भारत द्वारा आरंभ 690 मामलों में से 533 में शुल्क लगा दिए गए हैं; चीन ने कुल आयातों को अधिकतम संख्या में जांचों का समाना किया और 166 मामलों में से 134 में शुल्क लगाया गया।

बाक्स 4.3 : व्यापार नीति संबंधी किए गए कुछ हालिया उपाय

- घरेलू विनिर्माण क्षमताओं के संवर्धन के लिए विभिन्न योजनाओं नामतः एफपीएस, एफएमएस, बीकेजीयूवाई, एमएलएफपीएस, सर्वड्रॉफ इंडिया स्कीम (एसएफआईएस), कृषि अवसरंचना प्रोत्साहन स्कीम (एआईआईएस) के अंतर्गत मालों के आयात के लिए जारी स्क्रिप्टों का उपयोग घरेलू खरीद के लिए उत्पाद शुल्क के भुगतान हेतु किया जा सकता है। यह आयात प्रतिस्थापन का महत्वपूर्ण उपाय है और इससे रोजगार सृजन के अलावा विदेशी मुद्रा बचाने में मदद मिलेगी।
- इसी प्रकार, एफपीएस, एफएमएस, विशेष कृषि और ग्राम उद्योग योजना स्कीम के तहत जारी स्क्रिप्टों का उपयोग सेवा कर के भुगतान के लिए किया जा सकता है।
- पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) से उत्पादों के निर्यात में सहयोग देने के लिए, निर्यातक एफटीपी के तहत अन्य लाभों के अलावा निर्यातों के एफओबी मूल्य के एक प्रतिशत के अतिरिक्त प्रोत्साहन के हकदार है यदि निर्यात एनईआर में अवस्थित थल सीमा शुल्क केंद्र से किए जाएं।
- भारत के निर्यातों के विविधीकृत करने के लिए, 7 नए बाजार (अलजीरिया, अरुबा, आस्ट्रिया, कंबोडिया, म्यांमार, नीदरलैंड, एन्टिलिस और यूक्रेन) एफएमएस से जोड़ दिए गए हैं, 7 नए बाजार (बिलिज, चिली, एल सलवाडोर, ग्वाटेमाला, होंडुरस, मोरक्को और उरुग्वे) (स्पेशल एफएमएस) में जोड़ दिए गए हैं, 46 नई मर्दें बाजार संबंद्ध उत्पाद कोंद्रित स्कीम से जोड़ी गयी है जिनमें उत्पाद कोंद्रित स्कीम की सूची में 12 नए बाजार पहली बार और 100 नई मर्दें भी जोड़ी गई हैं।
- सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, सरकार ने अभिज्ञात सेवा क्षेत्रों में सेवा कानूनों के दो संस्करण संगठित किए हैं जो भारत के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। इस कानूनों में, विशिष्ट सेवा क्षेत्रों की बाधाओं, यदि कोई हो, की पहचान की जाती है और आवश्यक सुधारों से संबंधित मुद्दों, उन क्षेत्रों में नियात बढ़ाने के लिए भारत की संघाव्यता और निर्यातक सेवाओं के लिए नए बाजारों इत्यादि पर चर्चा की जाती है। अप्रैल, 2015 में नई दिल्ली में एक वैश्विक सेवा प्रदर्शनी आयोजित की जाएगी, जो सेवा क्षेत्र के प्रतिस्पर्द्धियों और उनके वैश्विक प्रति स्थानियों के बीच रणनीतिक सहयोग बढ़ाने तथा सामंजस्य विकसित करने के लिए प्लेटफॉर्म का कार्य करेगी।
- भारतीय ट्रेड पोर्टल (www.indiantradeportal.in) को 8 दिसंबर, 2014 को प्रारंभ किया गया था। यह पोर्टल भारतीय उद्योग को लगभग 42 निर्यात बाजारों पर महत्वपूर्ण सूचना प्रदान करता है और विभिन्न क्षेत्रीय और द्विपक्षीय निःशुल्क व्यापार करारों और व्यापक आर्थिक सहयोग/साझेदारी करारों के माध्यम से प्रदत्त बढ़ी हुई बाजार अभिगम्यता का लाभ उठाने के लिए तंत्र भी उपलब्ध करता है। इस सूचना पोर्टल में जाने के लिए निर्यातकों और आयातकों को 4 आसान चरणों में प्रयोक्ता अनुकूल तरीके से सूचना प्रदान की जाती है, जो व्यापार और उद्योग के लिए व्यवसाय करने की सुगमता में सहयोग प्रदान करेगी। यह पोर्टल निर्यातकों और आयातकों के उपयोग के लिए एक ही स्थान पर उन देशों से संबंधित (प) एमएफएन प्रशुल्क, (पप) तरजीही प्रशुल्क, (पपप) उत्पत्ति नियमावली (आओओ) और गैर-प्रशुल्क उपाय जैसे महत्वपूर्ण आंकड़े प्रदान करता है, जिनके साथ हमारे विदेशी व्यापार करार (एफटीए) हैं। इसके फलस्वरूप, यह भारत के निर्यातों के लिए सुकर है और यह एफटीए का उपयोग करने में निर्यातकों की मदद करेगा और विभिन्न देशों में उन्हें प्रदान किए गए तरजीही प्रशुल्कों तक पहुंच के लिए भी सहायता प्रदान करता है ताकि वे निर्यात अवसरों का लाभ उठा सकें।
- राज्यों को मुख्य धारा में लाने के लिए, ताकि वे निर्यातों को बढ़ावा देने पर स्पष्ट रूप से बल दे सकें राज्यों द्वारा अपेक्षित रूप से आरंभ किए जाने वाले महत्वपूर्ण अवयवों/उपायों को त्रुटि रहित और सूचीबद्ध किया गया है। इन्मलिखित को शामिल करने के लिए एक 15 सूची कार्यक्रम तैयार किया गया है और इसे सभी राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों को भेज दिया गया है: (क) राज्य सरकार द्वारा निर्यात रणनीति का विकास, (ख) राज्य सरकारों द्वारा कोंद्र के साथ किए गए सभी नियात संबंधी क्रियाकलापों के समन्वय के लिए एक निर्यात आयुक्त की नियुक्ति, और (ग) राज्यों के अग्रणी निर्यातकों को प्रेरित करने के लिए निर्यात पुरस्कारों की स्थापना करना और उन्हें और अधिक निर्यात राजस्व अर्जित करने के लिए प्रोत्साहित करना।

विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) वार्ताएं और भारत

4.23 हालांकि उपर्युक्त उपाय उभरते वैश्विक क्षेत्र के बातावरण के प्रति मोटे तौर पर घरेलू नीति का समायोजन थे लेकिन भारत डब्ल्यूटीओ वार्ताओं में शामिल होता रहा। इनका समग्र अर्थव्यवस्था के साथ-साथ वैदेशिक क्षेत्र पर भी प्रभाव पड़ता है। डब्ल्यूटीओ का नौंवां मंत्रालयी सम्मेलन बाली में दिसंबर 3-7, 2013 के दौरान आयोजित किया गया। मत्रियों ने व्यापार सुगमीकरण, पर एक घोषणा और दस निर्णय जारी किए और कृषिगत व्यापार नियमावली विकास तथा अल्प

विकसित देशों (एलडीसी) से संबंधित मुद्दों पर चर्चा हुई। इन निर्णयों में, दो मंत्रालयी निर्णय अर्थात् व्यापार सुगमीकरण पर करार के लिए मंत्रालयी निर्णय और खाद्य सुरक्षा उद्देश्यों के लिए सरकारी स्टॉकधारिता पर मंत्रालयी निर्णय भारत के लिए विशेष महत्व के हैं।

4.24 व्यापार सुगमीकरण करार (टीएफए), जिसका नौंवं मंत्रालयी सम्मेलन में भारत द्वारा भी समर्थन किया गया था, का बुनियादी रूप से सीमा-शुल्क पद्धतियों की बेहतर पारदर्शिता और सरलीकरण, इलैक्ट्रॉनिक भुगतानों और जोखिम प्रबंधन तकनीकों के प्रयोग और बंदरगाहों पर तीव्र निकासी पर

सारणी 4.3: डंपिंग रोधी उपायों के शीर्ष दस प्रयोक्ताओं द्वारा प्रारंभ की गई जांचें

देश	2001	2011	2012	2013	जन.-जून	
					2013	2014
भारत	79	19	21	29	17	13
संयुक्त राज्य	77	15	11	39	7	13
यूरोपीय संघ	28	17	13	4	3	3
ब्राजील	17	16	47	54	17	29
अर्जेन्टिना	28	7	12	19	12	4
आस्ट्रेलिया	24	18	12	20	5	11
दक्षिण अफ्रीका	6	4	1	10	5	1
चीन	14	5	9	11	8	4
कनाडा	25	2	11	17	10	3
तुर्की	15	2	14	6	4	2
सभी देश	372	165	208	287	122	106

स्रोत : विश्व व्यापार संगठन

लक्ष्य रखा गया है। व्यापार सुगमीकरण को प्रमुखतः विकसित देशों द्वारा कार्य सूची में लाया गया था। खाद्य सुरक्षा उद्देश्यों के लिए सरकारी स्टॉक धारिता से संबंधित नियमावली के मुद्दे को भारत के प्रयासों के माध्यम से कार्य सूची में शामिल किया गया था।

4.25 डब्ल्यूटीओ के कृषि संबंधी करार में कृषिगत व्यापार नियमावली, खाद्य सुरक्षा के लिए सरकारी स्टॉक धारिता कार्यक्रमों को बाधित नहीं करती। तथापि, यदि ऐसे कार्यक्रमों के लिए बाजार कीमतों के स्थान पर निर्धारित कीमतों पर खाद्यान्न प्राप्त किया जाता है, तो इसे किसानों के लिए सहायता के रूप में माना जाता है। उरुग्वे दौर में चर्चित डब्ल्यूटीओ नियमावली के अनुसार, ऐसी सारी सहायता को विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन के मूल्य की 10 प्रतिशत की सीमा के भीतर रखा जाता है। यह उच्चतम सीमा विकासशील देशों में प्राप्त और खाद्य सहायता कार्यक्रमों को निरुद्ध कर सकती है। विकसित देशों के हितों को सर्वोच्च रखते हुए बनी डब्ल्यूटीओ नियमावली में विकासशील देशों के हितों की अनदेखी की गई है। दिसंबर 2008 के कृषि वार्ता पाठ के मसौदे में इसे बदलने की मांग की गई है। इसमें नियमावली को संशोधित करने का प्रस्ताव निहित है, परंतु चूंकि वार्ताओं का निष्कर्ष नहीं निकला है, इसलिए यह एक अपूर्ण कार्य सूची रह गई है। ‘जी-33’ नामक विकासशील देशों के संघ के हिस्से के रूप में भारत ने इन नियमों को बदलने के लिए डब्ल्यूटीओ के कृषि संबंधी करार में संशोधन का प्रस्ताव किया।

4.26 जी-33 प्रस्तावों और साथ ही इस समूह द्वारा सुझाए गए विभिन्न विकल्पों को विरोध का सामना करना पड़ा। बाली मंत्रालयी सम्मेलन के दौरान भी वार्ताएं जारी रहीं। मंत्रालयी निर्णय के अंतिम रूप से सहमति प्राप्त पाठ में सदस्यों के लिए एक अंतरिम तंत्र स्थापित करने और डब्ल्यूटीओ के 11वें मंत्रालयी सम्मेलन द्वारा अंगीकृत करने के लिए एक स्थायी समाधान हेतु करार पर वार्ता करने का प्रावधान किया गया है। जब तक स्थायी समाधान नहीं निकलता तब तक अंतरिम समाधान में, किंतु प्रयत्न कर्ताओं के अध्यधीन सदस्यों को खाद्य सुरक्षा उद्देश्यों के लिए सरकारी स्टॉक धारिता कार्यक्रमों के संबंध में कृषि संबंधी करार के तहत डब्ल्यूटीओ की चुनौती के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान की गई थी। विकसित देशों का विशेष ध्यान व्यापार सुगमीकरण करार के क्रियान्वयन पर ही रहा। इस असमान प्रगति से चिंतित भारत ने जुलाई 2014 में यह रुख अपनाया कि अन्य बाली निर्णयों पर परिणामों की दृढ़ प्रतिबद्धता के बिना, व्यापार सुगमीकरण करार (टीएफए) को डब्ल्यूटीओ करार के छत्र में शामिल करने के लिए संशोधन के प्रोटोकॉल पर सर्वसम्मति से भारत का सम्मिलित होना कठिन होगा।

4.27 टीएफए की अंतिम तिथि चूकने के बारे में आई मिथ्या सूचना की आम मुहिम और डब्ल्यूटीओ के भविष्य पर गतिरोध के प्रभाव के बावजूद, भारत दृढ़ रहा। अपनाए गए दृष्टिकोण के मूल में अंतर्निहित सरोकारों को स्पष्ट करने के लिए संयुक्त प्रयास किए गए और भारत ने आगे का रास्ता निकालने के लिए डब्ल्यूटीओ के अन्य सदस्यों के साथ कार्य

किया। 27 नवंबर, 2014 को डब्ल्यूटीओ की महापरिषद (जनरल कार्डिनल) ने खाद्य सुरक्षा उद्देश्यों के के लिए सार्वजनिक स्टॉक संचय पर निर्णय, व्यापार सुगमीकरण करार पर निर्णय और बाली के कार्य के पश्चात् (पोस्ट बाली वर्क) निर्णय को अपनाया। महापरिषद के खाद्य सुरक्षा उद्देश्यों के लिए सरकारी स्टॉक धारिता संबंधी निर्णय में यह स्पष्ट किया गया है कि ऐसा तंत्र, जिसके तहत डब्ल्यूटीओ सदस्य विकासशील सदस्य देशों के खाद्य सुरक्षा उद्देश्यों हेतु सरकारी स्टॉक धारिता कार्यक्रमों को चुनौती नहीं देंगे, कृषि संबंधी डब्ल्यूटीओ करार के अधीन करिपय दायित्वों के संबंध में तब तक स्थायित्व में बना रहेगा जब तक कि इस मुद्दे के संबंध में कोई स्थायी समाधान स्वीकृत और अंगीकृत नहीं हो जाता। इसमें सर्वोत्तम प्रयास के आधार पर 31 दिसंबर, 2015 तक खाद्य सुरक्षा उद्देश्यों के लिए सार्वजनिक स्टॉक धारिता पर स्थायी समाधान निकालने की प्रतिबद्धता भी शामिल है और इस कार्य के एक त्वरित कार्यक्रम के माध्यम से एक स्थायी समाधान संबंधी बातचीत में शामिल होने की भी दृढ़ प्रतिबद्धता है। इस निर्णय में खाद्य सुरक्षा उद्देश्यों के लिए सरकारी स्टॉक धारिता के मुद्दे पर भारत के सरोकारों का समाधान है। डब्ल्यूटीओ (एमसी10) का दसवां मंत्रालयी सम्मेलन 15 से 18 दिसंबर 2015 के दौरान नैरोबी, कीनिया में आयोजित किया जाएगा।

भुगतान संतुलन संबंधी गतिविधियां

भुगतान संतुलन का सिंहावलोकन

4.28 वर्ष 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट के बाद, वित्तीय संकट के प्रति नीति अनुक्रियाओं के समन्वय पर जी-20 के प्रयासों के बावजूद, ईएमडीई को विकसित अर्थव्यवस्थाओं की नीतियों और वित्तीय चैनलों के माध्यम से उत्पन्न होने वाले आवर्ती आघातों या दबावों का सामना करना पड़ा था। भारतीय अर्थव्यवस्था को भी इन आघातों को झेलना पड़ा था। ये आघात कमज़ोर वैदेशिक मांग और कच्चे तेल के आयातों, जिनकी कीमतों का स्तर चालू वित्तीय वर्ष की दूसरी छमाही तक ऊंचा बना हुआ था, पर अत्यधिक निर्भरता के चलते अपेक्षाकृत सुदृढ़ घरेलू मांग के मिले-जुले प्रभाव के कारण और भी अधिक बढ़ गए थे। इन आघातों के परिणामस्वरूप वर्ष 2011-12 में चालू खाता घाटा और बढ़ गया था जो वर्ष 2013-14 की प्रथम तिमाही तक बना रहा। वैदेशिक वित्तपोषण के स्रोत के अस्थिर रहने, इनके पर्याप्त मात्रा से कम रहने और उनकी घटती गुणवत्ता के कारण रूपये के मूल्य में तीव्र गिरावट आई। वर्ष 2013-14 में की गई

नीतिगत अनुक्रियाओं से चालू खाता घाटा (सीएडी) के स्तरों में गिरावट के माध्यम से इस दबाव पर काबू पाने में मदद मिली और इसके तथा प्रचुर वित्तपोषण के परिणामस्वरूप आरक्षित मुद्रा भंडारों में अनुवृद्धि हुई जिससे लोचशीलता बनाए रखने में मदद मिली और यह प्रक्रिया चालू वित्त वर्ष तक बनी रही।

4.29 वर्ष 2014-15 के पूर्वार्द्ध में, भारत के वैदेशिक क्षेत्र की स्थिति हितकर और आरामदायक रही (सारणी 4.4)। दो महत्वपूर्ण गतिविधियां (i) अदृश्य आयातों निर्यातों में सामान्य वृद्धि के साथ निम्न व्यापार घाटे के परिणामस्वरूप निम्न चालू खाता घाटा और (ii) उच्च पोर्टफोलियो निवेश, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और वैदेशिक वाणिज्यिक ऋण से समर्थ हुई पूंजी आवकों में अत्यधिक वृद्धि रही। उच्चतर पूंजी अंतर्वाह, वित्तपोषण की आवश्यकता या चालू खाता घाटा से अधिक थे और इनकी परिणति विदेशी मुद्रा भंडार में अधिवृद्धि के रूप में हुई। व्यापारिक माल व्यापार के संबंध में उपलब्ध प्रथम छमाही के बाद के आंकड़े जिन पर पूर्व के खंड में चर्चा की गई थी, यह दर्शाते हैं कि व्यापार घाटा मोटे तौर पर अपेक्षाकृत सामान्य स्तर पर बना रहा और वित्तीय अंतर्वाहों तथा विदेशी मुद्रा भंडार से संबंधित उपलब्ध मासिक आंकड़े सुस्पष्ट ढंग से आरक्षित अनुवृद्धि को इंगित करते हैं और वैदेशिक वित्तपोषण की प्रचुर मात्रा की ओर संकेत करते हैं। सामान्य व्यापार के परिणाम का एक कारण अशोधित पेट्रोलियम की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में आई वर्तमान गिरावट है। उपर्युक्त घटनाक्रमों को देखते हुए और वर्तमान अनुमान को समयोचित मानते हुए, सरकार ने 19 अक्टूबर, 2014 को हाई स्पीड डीजल की कीमतों पर से अपना नियंत्रण हटा लिया और 29 नवम्बर 2014 को सोने के आयात पर लगे हुए प्रतिबंध हटा लिए।

वर्ष 2014-15 में (अप्रैल-सितम्बर) में चालू खाता संबंधी गतिविधियां

4.30 भुगतान संतुलन (बीओपी) संबंधी आंकड़े, जो लगभग एक तिमाही पश्चात उपलब्ध हुए हैं, यह संकेत करते हैं कि वर्ष 2014-15 के पूर्वार्द्ध में आयातों में निम्न वृद्धि के परिणामस्वरूप व्यापार संतुलन खाते (भुगतान संतुलन के आधार पर) में वर्ष दर वर्ष सुधार हुआ जिससे व्यापारिक माल निर्यात वृद्धि में नरमी को दूर करने में सफलता मिली। वर्ष 2014-15 (अप्रैल-सितम्बर) में व्यापारिक माल निर्यात 7.6% बढ़कर 167.0 बिलियन अमरीकी डालर तक पहुंच गया। तथापि, दूसरी तिमाही में, तेल की कीमतों में नरमी के कारण निर्यात वृद्धि में कुछ गिरावट वर्ष 2013-14 (दूसरी

सारणी 4.4 : भुगतान संतुलन : सार

(मिलियन अमरीकी डालर)

	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2013-14	2014-15
	(आं.सं)			(अ.)		पूर्वार्ध (अप्रैल-सितं 2013(अ.)	पूर्वार्ध (अप्रैल-सितं 2014(अ.)
I चालू खाता							
1. नियांत	182442	256159	309774	306581	318607	155152	166974
2. आयात	300644	383481	499533	502237	466216	238941	240188
3. व्यापार संतुलन	-118202	-127322	-189759	-195656	-147609	-83789	-73214
4. अदृश्य आयात-नियांत (निवल)	80022	79269	111604	107493	115212	56830	55272
क. सेवाएं	36016	44081	64098	64915	72965	35239	36069
ख. अंतरण	52045	53140	63494	64034	65276	32744	32757
ग. आय	-8038	-17952	-15988	-21455	-23028	-11153	-13554
	-38181	-48053	-78155	-88163	-32397	-26959	-17942
II चालू खाता शेष							
i. बाह्य सहायता	2890	4941	2296	982	1032	130	606
ii. बाह्य वाणिज्यिक उधार	2000	12160	10344	8485	11777	2455	3429
iii. अल्पावधि ऋण	7558	12034	6668	21657	-5044	589	69
iv. बैंकिंग पूँजी	2083	4962	16226	16570	25449	11487	-542
जिसकी अनिवासी							
जमा	2922	3238	11918	14842	38892	13700	6473
v. विदेशी निवेश	50362	42127	39231	46710	26386	7762	38385
क. प्रत्यक्ष विदेशी निवेश	17966	11834	22061	19819	21564	14589	16183
ख. पोर्टफोलिया निवेश	32396	30293	17170	26891	4822	-6827	22202
vi. अन्य प्रवाह	-13259	-12484	-7008	-5105	-10813	-6619	-3407
पूँजी खाता शेष	51634	63740	67755	89300	48787	15806	38539
III भूल-चूक	-12	-2636	-2432	2689	-882	453	-2522
पूँजी खाता	51622	61104	65323	91989	47905	16259	36017
(भूल-चूक सहित)							
IV समग्र शेष	13441	13050	-12831	3826	15508	-10701	18076
V आरक्षित निधि परिवर्तन	-13441	-13050	12831	-3826	-15508	10701	-18076
(-) बढ़त को दर्शाता है, (+) घटत को दर्शाता है							

स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक

टिप्पणी : पी.आर.: आंशिक संशोधन पी: अनंतिम

तिमाही) में औसत 105.1 अमरीकी डॉलर प्रति बी.बी.एल. से गिरकर वर्ष 2014-15 (दूसरी तिमाही) में 98.9 अमरीकी डालर प्रति बीबीएल रही। आयातों के संबंध में विगत वर्ष की तुलना में चालू वित्तीय वर्ष के पूर्वार्द्ध की दो तिमाहियों में परिणाम पुनः कुछ मिला-जुला रहा। यह प्रमुखतः 2013-14 की प्रथम तिमाही में सोने के उच्च आयातों के मूल प्रभाव और वर्ष 2014-15 की प्रथम तिमाही में स्थिर वृद्धि के विपरीत वर्ष 2013-14 की दूसरी तिमाही में इन निर्यातों में

तीव्र सुधार के कारण हुआ जिसके बाद दूसरी तिमाही में आयात में वृद्धि हुई। परिणामतः मौसमी मांग में तेजी आई और सोने के आयातों पर प्रतिबंधों में ढील दी गई। यह मिला-जुला परिणाम भी वर्ष 2013-14 में दबाव के चलते वर्ष 2014-15 में गैर-सोना गैर-पीओएल आयातों में वृद्धि के कारण रहा। अदृश्य आयात-नियांत खाते में (क) सेवाएं, (ख) अंतरण और (ग) आय शामिल हैं। इनमें अधिशेष, एक बड़ा कारक रहा है जिससे बड़े व्यापार घाटे को चालू खाता घाटे में जमा

होने से नियंत्रित किया गया। सेवाओं (निवल) पर सॉफ्टवेयर निर्यातकों का वर्चस्व बना रहा और इसमें पिछले वर्ष की उसी अवधि में 35.2 बिलियन अमरीकी डॉलर के मुकाबले वर्ष 2014-15 (अप्रैल-सितम्बर) में 2.4% वृद्धि के साथ वृद्धि 36.0 बिलियन अमरीकी डालर रही। अंतरण (निवल) अधिकांश विप्रेषित धन 2013-14 और 2014-15 दोनों वर्षों के पूर्वार्द्ध में लगभग 32.7 बिलियन अमरीकी डॉलर रहा। जबकि सॉफ्टवेयर सेवाएँ और विप्रेषित धन अधिशेष प्रदान करते हैं, निवल आय एक व्यय है जो देय ब्याज/लाभांश को प्रतिबिंबित करता है और इसका निवल अंतर्गत्तीय स्थिति के स्तर पर बहुत बड़ा संबंध है। आय (निवल) पर निवेश आय का वर्चस्व है और यह 2013-14 (अप्रैल-सितम्बर) में 13.4 बिलियन अमरीकी डॉलर के मुकाबले 2014-15 (अप्रैल-सितम्बर) में 13.8 बिलियन अमरीकी डॉलर थी। उपर्युक्त गतिविधियों के परिणामस्वरूप, चालू खाता घाटा वर्ष 2013-14 की उसी अवधि में (अप्रैल-सितम्बर) 26.9 बिलियन अमरीकी डॉलर के मुकाबले 2014-15 (अप्रैल-सितम्बर) में 17.9 बिलियन अमरीकी डॉलर रहा। जीडीपी के समानुपात में, चालू खाता घाटा वर्ष 2013 के पूर्वार्द्ध में 3.1% से घटकर 2014-15 के पूर्वार्द्ध में 1.9% रह गया।

वर्ष 2014-15 (अप्रैल-सितम्बर) में पूंजी/वित्त खाता संबंधी गतिविधियां

4.31 वर्ष 2014-15 के पूर्वार्द्ध में मात्रा और गुणवत्ता दोनों मानदंडों के अनुसार निवल पूंजी/वित्तीय आवकों में अच्छा-खासा सुधार था। वर्ष 2013-14 के पूर्वार्द्ध में निवल वित्तीय प्रवाह 16.3 बिलियन अमरीकी डॉलर की तुलना में वर्ष 2014-15 के पूर्वार्द्ध में 36.0 बिलियन अमरीकी डॉलर था। निवल विदेशी निवेश एक महत्वपूर्ण वित्तीय प्रवाह है जो वर्ष 2013-14 (अप्रैल-सितम्बर) में 7.8 बिलियन अमरीकी डॉलर से वर्ष 2014-15 (अप्रैल-सितम्बर) में अत्यधिक बढ़कर 38.4 बिलियन अमरीकी डालर हो गया। निवल बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) भुगतान संतुलन के पूंजी/वित्त खाते की अन्य महत्वपूर्ण मद थी जो 2013-14 (अप्रैल-सितम्बर) में 2.5 बिलियन अमरीकी डालर से सुधर कर 2014-15 (अप्रैल-सितम्बर) में 3.4 बिलियन अमरीकी डालर हो गई। निवल बैंकिंग पूंजी में गिरावट देखी गई जो 11.5 बिलियन अमरीकी डालर से गिरकर उसी अवधि में (-) 0.5 बिलियन अमरीकी डालर रह गई।

4.32 वित्तीय खाते पर प्रत्यक्ष और पोर्टफोलियो निवेशों का वर्चस्व था जो कि ऋण-भिन्न सृजक प्रकृति के हैं। इस

अवधि के दौरान विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और पोर्टफोलियो निवेश के रूप में निवल प्रवाह चालू खाता घाटे के वित्तपोषण के लिए पर्याप्त से अधिक थे। हालांकि उच्चतर निवल एफडीआई प्रवाह घरेलू अर्थव्यवस्था की वृद्धि संभाव्यता के बारे में सकारात्मक दृष्टिकोण प्रतिबिंबित करते हैं, 2014-15 में सुदृढ़ पोर्टफोलियो अंतर्वाहों को घरेलू अर्थव्यवस्था के बाह्य क्षेत्र की कम भेदयात्राओं और यूरोपीय केन्द्रीय बैंक की अतिरिक्त सुगमता की प्रत्याशा से बनी हितैषी वैश्विक वित्तीय परिस्थितियों का आधार मिला था। निवल पूंजी प्रवाहों और चालू खाता घाटा के स्तरों को देखते हुए मुद्रा भंडार में 2013-14 (अप्रैल-सितम्बर) में 10.7 बिलियन अमरीकी डालर की गिरावट के मुकाबले 2014-15 के पूर्वार्द्ध में विदेशी मुद्रा भंडार में अधिवृद्धि (बीओपी आधार पर) 18.1 बिलियन अमरीकी डालर हुई। वर्ष 2014-15 (दिसम्बर 2014 तक) में, विदेशी संस्थागत निवेशकों में 28.5 बिलियन अमरीकी डालर का निवल अंतर्वाह रहा जबकि इसकी तुलना में वर्ष 2013-14 की तत्संगत अवधि में 4.5 बिलियन अमरीकी डालर का बहिर्वाह था। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अंतर्वाह (निवल) पर उपलब्ध नवीनतम आंकड़े अप्रैल-दिसम्बर 2014 की अवधि के लिए हैं जो वर्ष 2013-14 में उसी अवधि में 20.7 बिलियन अमरीकी डालर के मुकाबले 24.2 बिलियन अमरीकी डालर पर थे। जहां तक अनिवासी भारतीय की जमा राशियों का संबंध है, बन-ऑफ स्वैप स्कीम के लिए समायोजित किये जाने पर यह अप्रैल-दिसम्बर 2013 (35.1 बिलियन अमरीकी डालर) के सापेक्ष अप्रैल-दिसम्बर 2014 में 10.0 बिलियन अमरीकी डालर के निम्न स्तर बहुत कुछ वही रहीं। चालू और पूंजी खातों में उपर्युक्त गतिविधियां चालू वित्तीय वर्ष के पूर्वार्द्ध के बाद भुगतान संतुलन आधार पर मुद्रा भंडार में आगे और अनुवृद्धि की ओर संकेत करती हैं।

विदेशी मुद्रा भंडार

4.33 हालांकि वर्ष 2013-14 में, आरक्षित निधि में काफी गिरावट के चलते वर्ष की शुरूआत में रुपये का तीव्र मूल्यह्रास देखा गया, फिर भी सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा उठाए गए कदमों के परिणामस्वरूप विदेशी मुद्रा भंडार के संचय में वृद्धि हुई जो मार्च, 2013 के अंत में 292.0 बिलियन अमरीकी डालर के स्तर की तुलना में मार्च 2014 के अंत में 304.2 बिलियन अमरीकी डालर था। 2014-15 के पूर्वार्द्ध में, भारत के विदेशी मुद्रा भडार में भुगतान संतुलन के आधार पर (अर्थात् मूल्यांकन प्रभाव को

सारणी 4.5 : विदेशी मुद्रा भंडार में परिवर्तनों का सार (बिलियन अमरीकी डॉलर)

क्रम सं. वर्ष	वित्त वर्ष के अंत में विदेशी मुद्रा भंडार (मार्च के अंत में)	आरक्षित निधि में कुल वृद्धि (+)/ कमी (-) आरक्षित निधि	बीओपी के आधार पर आरक्षित निधि में वृद्धि/कमी	मूल्यांकन प्रभाव के कारण में वृद्धि/कमी	
1	2007-08	309.7	110.5	92.2	18.3
2	2008-09	252.0	-57.7	-20.1	-37.6
3	2009-10	279.1	27.1	13.4	13.7
4	2010-11	304.8	25.7	13.1	12.6
5	2011-12	294.4	-10.4	-12.8	2.4
6	2012-13	292.0	-2.4	3.8	-6.2
7	2013-14	304.2	12.2	15.5	-3.3
8	2014 सित. के अंत में	313.8	9.6	18.1	-8.5

स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक

सारणी 4.6: कुछ प्रमुख देशों का विदेशी मुद्रा भंडार

क्रम सं.	देश	दिसम्बर, 2014 के अंत में विदेशी मुद्रा भंडार (बिलियन अमरीकी डॉलर)
1.	चीन	3840.0#
2.	जापान	1312.1
3.	स्विट्जरलैंड*	526.6
4.	रूस महासंघ	388.5
5.	ब्राजील	363.6
6.	कोरिया गणराज्य*	363.2
7.	चीन, पी.आर. हांग-कांग*	344.6
8.	भारत	320.6
9.	जर्मनी	192.7
10.	थाईलैंड	163.7
11.	फ्रांस*	161.6
12.	इटली*	143.3

स्रोत : भारत और चीन को छोड़कर आईएमएफ

टिप्पणी : *नवीनतम आंकड़े केवल नवम्बर, 2014 माह के लिए उपलब्ध है। wwwpbc.gov.in

छोड़कर) 18.1 बिलियन अमरीकी डॉलर की वृद्धि हुई। तथापि, नामात्ररूप से (अर्थात् मूल्यांकन प्रभाव सहित), सितम्बर के अंत में 313.8 बिलियन अमरीकी डॉलर में केवल 9.6 बिलियन अमरीकी डॉलर को वृद्धि थी। (सारणी 4.5)

4.34 चालू खाता घाटे वाली बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में, ब्राजील के बाद भारत दूसरा सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार धारक है (सारणी 4.6)। जनवरी अंत में, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 328.7 बिलियन अमरीकी डॉलर का है जिसमें 303.3 बिलियन अमरीकी डॉलर राशि की विदेशी मुद्रा


आस्तियां शामिल हैं जो कुल का 92.3 प्रतिशत बैठती हैं। वर्ष 2014-15 की पहली छमाही में आरक्षित निधि में वृद्धि के साथ, आरक्षित निधि आधारित सभी पारम्परिक बाह्य क्षेत्र की दुर्बलताओं के संकेतकों में सुधार आया है। उदाहरण के लिए, आरक्षित निधि के अनुपात में अल्पावधि विदेशी ऋण मार्च, 2014 के अंत में 29.3 प्रतिशत से घट कर सितम्बर, 2014 के अंत में 27.5 प्रतिशत रह गया है। आयात हेतु आरक्षित निधि का दायरा भी मार्च, 2014 के अंत में 7.8 माहों से बढ़कर सितम्बर, 2014 के अंत में 8.1 माहों का हो गया है।

विनिमय दर

4.35 2013-14 में, यूएस फेडरल द्वारा मात्रात्मक सुगमता को वापस लेने की इसकी मंशा के बारे में मई, 2013 में की गई घोषणा के बाद आयी वैश्विक अतनिश्चितता के फलस्वरूप चालू खाता घाटा (सीएडी) के स्तरों द्वारा यथा इंगित बाह्य वित्तपोषण अपेक्षा के आधार पर विभिन्न घटत-बढ़त के साथ उभर रहे बाजारों की मुद्राओं में मूल्यहास हुआ। चूंकि भारत में 2011-13 में सीएडी का स्तर बढ़ा हुआ था, जो 2013-14 की प्रथम तिमाही तक बना रहा, अंतः अमरीकी डॉलर की तुलना में रूपए की मासिक विनिमय दर अप्रैल 2013 के 54.38 रु. प्रति अमरीकी डॉलर से सितम्बर, 2013 में 63.75 रु. प्रति अमरीकी डॉलर होकर 14.7 प्रतिशत के मूल्यहास को दर्शाती है। तत्पश्चात्, मार्च, 2014 के अंत में यह दर स्थिर होकर 60.10 रु. तक पहुंची तथा अप्रैल, 2014 में यह 60.36 रु. प्रति अमरीकी डॉलर रही।

4.36 वर्ष के दौरान, रूपए-अमरीकी डॉलर की विनिमय दर, इक्विटी और बॉन्ड के बाजारों में हुए विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और विदेशी संस्थागत निवेशकों के विशाल अंतर्वाह के

चित्र 4.1: यूएस डॉलर, यूरो और नाममात्र प्रभावी विनिमय दर की तुलना में रूपये में उत्तर-चढ़ाव



स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक

कारण मोटे तौर पर स्थिर बनी रही। यूरोप और जापान में कमजोर आर्थिक निष्कर्षों के कारण, अमरीकी डॉलर की तुलना में यूरो और येन की परस्पर लेन-देन की मौद्रिक गतिविधियों के आगे-पीछे रहते हुए, सितम्बर, 2014 से इन दोनों के मुकाबले रूपये में मूल्यवृद्धि हुई है। 28 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार बिन्दु-दर-बिन्दु आधार पर रूपया 60.10 रु. प्रति अमरीकी डॉलर के स्तर से गिरकर 13 फरवरी, 2015 को 62.14 रु. प्रति अमरीकी डॉलर रह गया जो 3.3 प्रतिशत के मूल्यहास को दर्शाता है। 30 दिसम्बर, 2014 की स्थिति के अनुसार, रूपया 63.75 रु. प्रति अमरीकी डॉलर के निम्न स्तर पर पहुंचा और 19 मई, 2014 को 58.43 रु. प्रति अमरीकी डॉलर के शीर्ष स्तर तक पहुंचा। माह-दर-माह आधार पर मार्च, 2014 में रूपया 61.01 रु. प्रति अमरीकी डॉलर के स्तर से लुढ़ककर जनवरी, 2015 में 62.23 रु. प्रति अमरीकी डॉलर रह गया जो 2.0 प्रतिशत के मूल्यहास को दर्शाता है। (चित्र 4.1)। फिर भी, रूपये में मार्च, 2014 से जनवरी, 2015 के बीच पाउंड स्टर्लिंग, यूरो और जापानी येन के मुकाबले क्रमशः 7.3 प्रतिशत, 16.1 प्रतिशत और 13.6 प्रतिशत की मूल्यवृद्धि हुई है। अप्रैल, 2014 से प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मुद्राओं के मुकाबले रूपए की माह-वार विनिमय दर और आरबीआई की विदेशी मुद्रा बाजार में विदेशी मुद्रा का क्रय/विक्रय सारणी 4.7 में दिया गया है।

4.37 कुल मिलाकर, रूपए ने ऊपर उल्लिखित बाह्य क्षेत्र के सुदृढ़ परिणामों के महेनजर वैश्विक घटनाओं के प्रति

लचीलेपन का प्रदर्शन किया है। मई, 2013 में, यूएस फेडरल के टैपर टॉक का प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका से रूपए में भारी गिरावट आयी जबकि वास्तव में टैपर टॉप होने के पश्चात् रूपया स्थिर हो गया। 8 जनवरी, 2015 की स्थिति के अनुसार, भारतीय रूपए में मार्चांत, 2014 पर रूसी रूबल (40.4 प्रतिशत), ब्राजील रियाल (14.2 प्रतिशत), मेक्सिकन पेसो (10.7 प्रतिशत), इंडोनेशियाई रूपियाह (10.4 प्रतिशत) और दक्षिण अफ्रीकी रैंड (8.5 प्रतिशत) की तुलना में अमरीकी डॉलर के मुकाबले 4.6 प्रतिशत का मामूली मूल्यहास हुआ। (परिशिष्ट सारणी 6.4)।

4.38 प्रभावी विनिमय दरें व्यापार के विभिन्न सांझेदार देशों के विविध मुद्रा समूह की तुलना में घरेलू मुद्रा की विनिमय दर में उत्तर-चढ़ाव की संक्षिप्त संकेतक होती हैं तथा इन्हें अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मकता का सूचक माना जाता है। वास्तविक प्रभावी विनिमय दर (आरईआर) सूचकांक एक समयावधि के दौरान देश की बाह्य प्रतिस्पर्धात्मकता के संकेतक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। नाममात्र प्रभावी विनिमय दर, (एनईआर) विदेशी मुद्राओं के संबंध में घरेलू मुद्रा की द्विपक्षीय नाममात्र विनिमय दरों की भारित ज्यामितीय औसत होती है। वास्तविक प्रभावी विनिमय दर को सोपेक्ष कीमत भिन्नता हेतु समायोजित विदेशी मुद्राओं के संबंध में घरेलू मुद्रा की नाममात्र विनिमय दरों के भारित ज्यामितीय औसत के रूप में परिभाषित किया जाता है। हालांकि, रूपए में अमरीकी डॉलर की तुलना में मूल्यहास हुआ है, फिर भी, नाममात्र प्रभावी विनिमय दर (एनईआर) (36 मुद्राएं) के अनुसार इसमें मार्च, 2014 की

तालिका 4.7 : वर्ष 2014-15 के दौरान विदेशी मुद्रा के मुकाबले रुपए की विनिमय दरें तथा आरबीआई द्वारा किया गया अमरीकी डॉलर का क्रय/विक्रय

माह	औसत विनिमय दर (रुपए प्रति विदेशी मुद्रा)क					(मिलियन अमरीकी डॉलर)
	अमरीकी डॉलर	पाउंड स्टर्लिंग	यूरो	जापानी येनख	आरबीआई का निवल विक्रय(-) क्रय(+)	
1	2	3	4	5	6	
2013-14 (वार्षिक औसत)	60.50	96.31 (-10.1)	81.17 (-10.7)	60.40 (-13.7)		8992 (9.0)
2014-15 (मासिक औसत)						
अप्रैल, 2014	60.36 (1.1)	101.08 (0.3)	83.35 (1.2)	58.86 (1.3)		5870
मई, 2014	59.31 (1.8)	99.94 (1.1)	81.49 (2.3)	58.28 (1.0)		1786
जून 2014	59.73 (-0.7)	100.98 (-1.0)	81.24 (0.3)	58.53 (-0.4)		2642
जुलाई 2014	60.06 (-0.5)	102.62 (-1.6)	81.39 (-0.2)	59.07 (-0.9)		5453
अगस्त, 2014	60.90 (-1.4)	101.81 (0.8)	81.14 (0.3)	59.17 (-0.2)		-511
सितम्बर, 2014	60.86 (0.05)	99.31 (2.5)	78.60 (3.2)	56.77 (4.2)		1437
अक्टूबर, 2014	61.34 (-0.8)	98.72 (0.6)	77.91 (0.9)	56.87 (-0.2)		2703
नवम्बर, 2014	61.70 (-0.6)	97.28 (1.5)	76.99 (1.2)	53.05 (7.2)		3081
दिसम्बर, 2014	62.75 (-1.7)	98.11 (-0.8)	77.36 (-0.5)	52.60 (0.9)		6739
जनवरी, 2015	62.23 (0.8)	94.54 (3.8)	72.77 (6.3)	52.54 (0.1)		—

स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक

टिप्पणियाँ : उ.प.: उपलब्ध नहीं हैं

क भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (एफईडीएआई) बाजार संकेतक दरें। मई, 2012 से आगे के आंकड़े आरबीआई की संदर्भ दरें हैं।

ख प्रति 100 येन

कोण्ठकों में आंकड़े पूर्व माह/वर्ष के दौरान मूल्यवृद्धि(+) और मूल्यह्रास(-) प्रतिशतता में दर्शाते हैं।

पूर्णांक के कारण आंकड़े भिन्न हो सकते हैं।


तुलना में दिसम्बर, 2014 में 2.8 प्रतिशत की मूल्यवृद्धि हुई है। इसी तरह, इसी अवधि के दौरान वास्तविक प्रभावी विनिमय दर (आरईआई) में भी 5.8 प्रतिशत की मूल्यवृद्धि हुई (चित्र 4.2)

विदेशी ऋण

4.39 1991 के भुगतान संतुलन (बीओपी) संकट के बाद, स्थिरता, ऋण चुकाने की क्षमता और नकदी पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत की विवेकपूर्ण विदेशी ऋण नीतियों एवं प्रबंध ने विदेशी ऋण के बढ़ते आकार को सामान्य स्तर

तक लाने में मदद की है तथा यह बड़ी अवधि की परिपक्वता प्रोफाइल के साथ मुद्रासंयोजन के रूप से बेहतर है। मार्च, 2014 की समाप्ति पर भारत का कुल विदेशी ऋण भंडार 442.3 बिलियन अमरीकी डॉलर का था जो मार्चात, 2013 के स्तर की तुलना में 32.8 बिलियन अमरीकी डॉलर (8.0 प्रतिशत) की वृद्धि दर्शाता है। इस अवधि के दौरान, कुल विदेशी ऋण में हुई वृद्धि दोषावधि ऋण विशेषकर अनिवासी भारतीय जमाओं के कारण हुई थी। बाह्य वित्तपोषण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सितम्बर से नवम्बर, 2013 के दौरान स्वैप स्कीम के अंतर्गत

चित्र 4.2: वास्तविक प्रभावी विनिमय दर व्यापार आधिकृत (36 मुद्राएं) 2004 - 05 = 100



स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक

जुटाई गई नई विदेशी मुद्रा अनिवासी खातों (बैंकों) (एफसीएनआर(बी)) जमाओं के चलते अनिवासी भारतीय जमाओं में काफी तेजी से वृद्धि हुई। मार्चात, 2013 के स्तर के मुकाबले 12.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज कराते हुए मार्चात 2014 में दीर्घावधि विदेशी ऋण 353.0 बिलियन अमरीकी डॉलर रहा, जबकि अल्पावधि ऋण ने 7.7 प्रतिशत की गिरावट दर्शाई। परिशिष्ट 8.4(क) और 8.4 (ख) क्रमशः भारतीय रूपए और अमरीकी डॉलर में भारत के बकाया विदेशी ऋण के संबंध में अलग-अलग घटकों में आंकड़े प्रस्तुत करते हैं।

4.40 नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, भारत का विदेशी ऋण घंडार मार्च, 2014 के अंत के स्तर से 13.7 बिलियन अमरीकी डॉलर (3.1 प्रतिशत) बढ़कर सितम्बर, 2014 के अंत में 455.9 बिलियन अमरीकी डॉलर हो गया। विदेशी ऋण में वृद्धि का कारण अधिक दीर्घावधि ऋण विशेषकर वाणिज्यिक उधारों और एनआरआई जमाएं थीं। भारत के विदेशी ऋण का परिपक्वता प्रोफाइल दीर्घावधि उधारों की

अधिकता की ओर संकेत करता है। मार्च, 2014 के अंत में 79.8 प्रतिशत की तुलना में सितम्बर, 2014 के अंत में दीर्घावधि ऋण, कुल विदेशी ऋण का 81.1 प्रतिशत बैठता था। कुल विदेशी ऋण में अल्पावधि ऋण का हिस्सा मार्च, 2014 के अंत में 20.2 प्रतिशत से घटकर सितम्बर, 2014 के अंत में 18.9 प्रतिशत रह गया। भारत के विदेशी ऋण के संयोजन का औरा सारणी 4.8 में दिया गया है।

4.41 भारत के कुल विदेशी ऋण का मुद्रा संयोजन यह दर्शाता है कि विदेशी ऋण भंडार में सितम्बर, 2014 के अंत में सबसे अधिक हिस्सा 60.1 प्रतिशत अमरीकी डॉलर का है, जिसके बाद भारतीय रुपया (24.2 प्रतिशत), विशेष आहरण अधिकार (एसडीआर) (6.5 प्रतिशत), जापानी येन (4.5 प्रतिशत) और यूरो (3.0 प्रतिशत) का हिस्सा आता है। सरकारी (सॉवरेन) ऋण का मुद्रा संयोजन दर्शाता है कि एसडीआर मुद्रा वाला ऋण का (33.5 प्रतिशत) पहले से बड़ा हिस्सा रहता आया है जो अंतर्राष्ट्रीय विकास एसोसिएशन (आईडीए) से उधार यानि बहुपक्षीय एजेंसियों के तहत विश्व

सारणी 4.8: विदेशी ऋण के संघटक

(कुल विदेशी ऋण की तुलना में प्रतिशतता)

क्रम सं.	संघटक	मार्च, 2012	मार्च, 2013आ.सं.	मार्च, 2014आ.सं.	सितम्बर 2014त्व.अ.
1	2	3	4	5	6
1.	बहुपक्षीय	14.0	12.6	12.1	11.7
2.	द्विपक्षीय	7.4	6.1	5.6	5.1
3.	अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष	1.7	1.5	1.4	1.3
4.	नियंत्रित ऋण	5.3	4.3	3.5	3.4
5.	वाणिज्यिक उधारें	33.3	34.2	33.5	35.4
6.	एनआरआई जमाएं	16.2	17.3	23.5	23.8
7.	रुपया ऋण	0.4	0.3	0.3	0.3
8.	दीर्घावधि ऋण (1 से 7)	78.3	76.4	79.8	81.1
9.	अल्पावधि ऋण	21.7	23.6	20.2	18.9
10.	कुल विदेशी ऋण (8+9)	100.0	100.0	100.0	100.0

स्रोत : वित्त मंत्रालय एवं भारतीय रिज़र्व बैंक

आ.सं.: आंशिक संशोधन, त्व.अ.- त्वरित अनुमान

बैंक की सॉफ्ट ऋण विंडो और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा एसडीआर के आबंटनों के कारण है। सितम्बर, 2014 के अंत में, सरकारी (सॉवरेन) विदेशी ऋण 88.4 बिलयन अमरीकी डॉलर था। यह भारत के कुल विदेशी ऋण का 19.4 प्रतिशत बैठता था। गैर-सरकारी विदेशी ऋण 367.5 बिलयन अमरीकी डॉलर बैठता था जो सितम्बर, 2014 के अंत में, कुल विदेशी ऋण का 80.6 प्रतिशत था।

4.42 इन वर्षों में, भारत के विदेशी ऋण के भंडार में संयोजन संबंधी संरचनात्मक बदलाव आए हैं। कुल ऋण में रियायत का अनुपात 1991-2000 की अवधि के दौरान के 42.9 प्रतिशत (औसत) से गिरकर 2001-2010 में 28.1 प्रतिशत हो गया और सितम्बर, 2014 के अंत में और गिरकर 9.8 प्रतिशत हो गया। कुल विदेशी ऋण में गैर-सरकारी हिस्से के ज्यादा होने का इस तथ्य का पता चलता है कि ऐसा ऋण ही 1990 दशक में 45.3 प्रतिशत के मुकाबले 2000 के दशक के दौरान कुल बजट का 65.6 प्रतिशत हिस्सा था। गत पांच वर्षों में, गैर-सरकारी ऋण कुल ऋण का 70 प्रतिशत से अधिक था जो सितम्बर, 2014 के अंत में 80.6 प्रतिशत रहा। विदेशी ऋण के प्रमुख संकेतकों को तालिका 4.9 में दर्शाया गया है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार मार्च, 2014 के अंत में 68.8 प्रतिशत की तुलना में सितम्बर, 2014 के अंत में कुल विदेशी ऋण भंडार का 68.9 प्रतिशत बैठता है। विदेशी मुद्रा भंडार के अनुपात में अल्पावधि विदेशी ऋण मार्च, 2014 के अंत में 29.3 प्रतिशत के मुकाबले सितम्बर, 2014 के अंत में 27.5 प्रतिशत था। कुल विदेशी ऋण के

अनुपात में रियायती ऋण में धीरे-धीरे लगातार गिरावट आई और यह मार्च, 2014 के अंत में 10.5 प्रतिशत की तुलना में दिसम्बर, 2014 के अंत में 9.8 प्रतिशत रह गया।

4.43 2013-14 में के स.घ.उ. के अनुपात में विदेशी ऋण 23.5 प्रतिशत होने तथा ऋण सेवा अनुपात का 5.9 प्रतिशत होने से यह इंगित होता है कि भारत का विदेशी ऋण हमेशा प्रबंधनीय सीमाओं के अंदर बना रहा है। भारत सरकार की विवेकपूर्ण विदेशी ऋण की प्रबंध नीति ने विदेशी ऋण की बढ़ोतरी को सीमित करने और विदेशी ऋण की सुविधाजनक स्थिति बनाए रखने में मदद की है। इस नीति में दीर्घ एवं अल्पावधि ऋण पर नजर रखने, लम्बी परिपक्वताओं के साथ रियायती शर्तों पर सॉवरेन ऋण जुटाने, अंतिम उपयोग, समग्र-लागत और परिपक्वता प्रतिबंधों के माध्यम से विदेशी वाणिज्यिक उधारों को विनियमित करने तथा अनिवासी भारतीय जमाओं की व्याज दरों को तर्कसंगत बनाने पर ध्यान दिया जाता रहा है।

अंतर्राष्ट्रीय तुलना

4.4 वर्ष 2013 हेतु, विदेशी ऋण के आंकड़ों वाला, विश्व बैंक अंतर्राष्ट्रीय ऋण सांख्यिकी 2015 प्रकाशन के आधार पर विदेशी ऋण के संबंध में देशों की परस्पर तुलना यह दर्शाती है कि भारत अभी भी कम भेदनीय देशों में बना हुआ है। भारत के ऋण के प्रमुख संकेतक अन्य ऋणी विकासशील देशों के मुकाबले बेहतर हैं। सकल राष्ट्रीय आय के अनुपात

सारणी 4.9 : भारत के विदेशी ऋण के प्रमुख संकेतक

(प्रतिशतता)

वर्ष	विदेशी ऋण (बिलियन यूएस डॉलर)	स.घ.उ. कुल विदेशी	ऋण सेवा अनुपात	कुल विदेशी ऋण के विदेशी विनियम	कुल विदेशी ऋण में रियायती ऋण प्रारक्षित निधि	विदेशी विनियम प्रारक्षित निधि में	कुल ऋण में अल्पावधि विदेशी ऋण अल्पावधि विदेशी ऋण
1	2	3	4	5	6	7	8
2010-11	317.9	18.2	4.4	95.9	14.9	21.3	20.4
2011-12	360.8	20.9	6.0	81.6	13.3	26.6	21.7
2012-13 PR	409.5	22.3	5.9	71.3	11.1	33.1	23.6
2013-14 PR	442.3	23.5	5.9	68.8	10.5	29.3	20.2
सित. 2014 अंत में त्व.अ.	455.9	-	-	68.9	9.8	27.5	18.9

टिप्पणी : आं.स.-आंशिक संशोधित; त्व.अ.- त्वरित अनुमान

- : वर्ष के भाग हेतु नहीं निकाला गया

* : अल्पावधि ऋण मूल परिपक्वता पर आधारित है।

ऋण-सेवा अनुपात, विदेशी चालू प्राप्तियों को किया जाने वाला सकल ऋण सेवा संदाय का अनुपात होता है। (सरकारी हस्तांतरणों का निवल)

में भारत का विदेशी ऋण भंडार 23.0 प्रतिशत रहते हुए छठे स्थान पर है। विदेशी ऋण में विदेशी मुद्रा भंडार द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाली राशि के अनुसार, भारत का स्थान 64.7

प्रतिशत के साथ ऊपर से छठे स्थान पर था। (अतिरिक्त विवरण हेतु कृपया <http://www.finmin.nic.in/reports/indExtdebt.asp> वेबसाईट देखें)

मूल्य, कृषि और खाद्य प्रबंधन

लम्बी अवधि तक उच्च स्तर पर रहने के बाद, अंत में मुद्रास्फीति का स्तर नीचे आ रहा है। 2013-14 के दौरान 6 प्रतिशत के औसत के मुकाबले, वर्ष 2014-15 (अप्रैल-दिसंबर) में औसत थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यू पी आई) 3.4 प्रतिशत कम हुआ है। डब्ल्यू पी आई मुद्रास्फीति ने, नवम्बर 2014 में शून्य प्रतिशत के कल्पित स्तर को छू लिया है। केन्द्रीय सांखिकी कार्यालय द्वारा जारी कंज्यूमर प्राइस इंफ्लेशन (आधार 2012 = 100) जनवरी 2015 को 5.1 प्रतिशत के स्तर पर पहुंच चुका था, जोकि भारतीय रिजर्व बैंक के नए मौद्रिक नीति ढांचे में दिए गए जनवरी 2015 के 8 प्रतिशत के लक्ष्य और जनवरी 2016 के 6 प्रतिशत के लक्ष्य से कम है। मुख्य वस्तु समूह जिनके मूल्यों से उच्च मुद्रास्फीति को बढ़ावा मिलता है वे हैं, 'अण्डा, मांस और मछली', 'फल और सब्जियाँ' और ईंधन इन सभी में कमी आई है। वह प्रमुख कारक जिनसे सख्त मुद्रास्फीति नीचे गिर रही थी वह है, वैश्विक वस्तु मूल्यों में गिरावट, विशेष रूप से कच्चे तेल में, ग्रामीण मजदूरी विकास दर में गिरावट, चूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में कम मात्रा में वृद्धि के रूप में अर्थव्यवस्था में सुस्त गतिविधि। अब तक उच्च खाद्य मुद्रास्फीति ने बढ़ी हुई मुद्रास्फीति में योगदान दिया है, नीति का केन्द्र बिन्दु कृषि क्षेत्र के समुत्थान को बढ़ाने और कमियों को खत्म करने, त्रुटियों को पहचानने तथा अवर्जन और निचली मुद्रास्फीति की स्थिरता के लिए वर्तमान खाद्य नीति द्वारा विभिन्न विकृतियों को दूर करने पर होना चाहिए कृषि क्षेत्र में विकास में बढ़ोत्तरी गैर-मूल्य कारकों के कारण हुई है। कृषि वस्तुओं के बाजारों को निर्माताओं और उपभोक्ताओं, दोनों के हित के लिए अधिक प्रतिस्पर्धी बनाना होगा। शांता कुमार की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति द्वारा खाद्य नीति में प्रस्तावित परिवर्तनों पर उपयोगी सिफारिशें दी गई हैं। मुद्रास्फीति को जोखिम, अनिश्चितताओं जैसे मानसून, अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतें और रुपए के मूल्य में स्थिरता, मुख्यतया यूएस फैडरेशन द्वारा मौद्रिक तंगी से उत्पन्न होती है।

डब्ल्यूपीआई और सीपीआई मुद्रास्फीति के रुझान

थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यू पी आई)

5.2 थोक मूल्य सूचकांक के रूप में मापी गई शीर्ष-मुद्रास्फीति (मूल वर्ष 2004-05=100) खाद्य और ईंधन मूल्यों के निचले स्तर पर होने के कारण वर्ष 2011-13 के दौरान 6-9 प्रतिशत के लगभग उच्च स्तर पर बनी रही और वर्ष

2014-15 (अप्रैल-दिसंबर) में सामान्य स्तर पर 3.4 प्रतिशत कम रही। वर्ष 2014-15 की पहली तिमाही के दौरान, मुख्यतया खाद्य और ईंधन के बढ़े हुए मूल्यों के कारण शीर्ष-मुद्रास्फीति 5.8 प्रतिशत थी। वर्ष 2014-15 के दूसरी और तीसरी तिमाहियों में डब्ल्यू पी आई मुद्रास्फीति कम होकर क्रमशः 3.9 प्रतिशत और 0.5 प्रतिशत हो गयी। (सारणी 5.1)। डब्ल्यूपीआई खाद्य मुद्रास्फीति (भार 24.3 प्रतिशत), जोकि वर्ष 2013-14 के दौरान 9.4 प्रतिशत के

सारणी 5.1 : डब्ल्यू पी आई में तिमाही-वार मुद्रास्फीति के विस्तृत समूह (प्रतिशत) में

बाट	2013-14				2014-15		
	क्यू 1	क्यू 2	क्यू 3	क्यू 4	क्यू 1	क्यू 2	क्यू 3 (पी)
सभी वस्तुएं	100.0	4.8	6.6	7.1	5.4	5.8	3.9
I. मुख्य वस्तुएं	20.1	6.5	12.4	13.6	6.8	7.5	4.1
II. ईधन और ऊर्जा	14.9	7.7	11.9	10.8	10.1	9.6	4.4
III. निर्मित उत्पाद	65.0	3.3	2.4	2.9	3.3	3.8	2.0
सभी खाद्य	24.3	7.7	11.8	11.9	6.2	6.9	5.0
मुख्य मुद्रास्फीति	55.0	2.6	2.4	3.1	3.7	4.0	2.0

स्रोत : आर्थिक सलाहकार का कार्यालय (डीआईवीपी) पी. : अनंतिम

उच्च स्तर पर रही, अनाज, अण्डा, मांस और मछली के मूल्यों में मामूली गिरावट आने के कारण और दिसंबर 2013 (मार्च 2014 के अलावा) से सब्ज़ियों के मूल्यों में भारी गिरावट आने से अप्रैल-दिसंबर 2014 में 4.8 प्रतिशत के संतुलित आंकड़े पर आ गई। क्योंकि ईधन डब्ल्यू पी आई का बड़ा हिस्सा है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) (मूल वर्ष 2010=100) के मुकाबले ईधन मूल्यों के गिरने से डब्ल्यू पी आई में भारी गिरावट लेके आई। वर्ष 2013-14 से अब तक निर्मित उत्पादों में मुद्रास्फीति सीमित बनी रही। डब्ल्यूपीआई हेडलाइन मुद्रास्फीति (अनंतिम) जनवरी, 2015 को -0.4 प्रतिशत रही। वित्तीय वर्ष में बिल्ड-अप मुद्रास्फीति पर जनवरी, 2015 तक -1.1 प्रतिशत रहा जबकि गत वर्ष की इसी अवधि में 5.2 प्रतिशत का बिल्ड-अप पर रहा।

5.3 केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन ने 2010 से 2012 तक आधार वर्ष का संशोधन किया (बॉक्स 5.1) और जनवरी, 2015 की मुद्रास्फीति आंकड़े के साथ 12 फरवरी, 2015 को संशोधित शृंखला जारी की। संशोधित शृंखला के संदर्भ में सीपीआई मुद्रास्फीति जनवरी, 2015 को 5.1 प्रतिशत रही। केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने जनवरी 2011 से, ग्रामीण शहरी और मिश्रित राज्य-वार और अखिल भारतीय उपभोक्ता

मूल्य सूचकांक जारी करना शुरू कर दिया है। पिछले 2 वर्षों से सीपीआई (मिश्रित) (मूल वर्ष 2010=100) द्वारा मापी गई खुदरा मुद्रास्फीति बराबर 9-10 प्रतिशत के आसपास बनी रही। डब्ल्यू पी आई मुद्रास्फीति की भाँति, वर्ष 2014-15 की दूसरी तिमाही से सी पी आई भी संतुलित अर्थपूर्ण रही। वर्ष 2014-15 की तीसरी तिमाही (सारणी 5.2) में सीपीआई (मिश्रित) मुद्रास्फीति पिछले समय से अब तक के न्यूनतम अर्थात् 5 प्रतिशत तक गिर गई। आरबीआई ने अप्रैल 2014 से शीर्ष सीपीआई मुद्रास्फीति के लिए मौद्रिक नीति का आश्रय लेने की घोषणा की है। खुदरा कीमतों में निरंतर संतुलन का ध्यान रखते हुए, 15 जनवरी 2015 को अपने मौद्रिक रूख में नरमी लाते हुए, नीति रेपो दरों को 25 आधार बिंदु कम करने से यह 8 प्रतिशत से 7.75 प्रतिशत हो गया है।

5.4 अभी के वर्षों में खाद्य मुद्रास्फीति का स्थायित्व होना एक मुख्य कारक रहा है, जिसका योगदान उच्च शीर्ष मुद्रास्फीति के बने रहने में है। सभी राज्यों के खाद्य उप-समूह के अंदर, सभी वस्तुओं में और मौसमों में हुई वस्तुओं की मुद्रास्फीति में बड़ी भिन्नता रही है जो आपूर्ति की कमी दर्शाती है। ग्रामीण मजदूरी के विकास की उच्च दरों के

सारणी 5.2 : सीपीआई (मूल 2010=100) में तिमाही-वार मुद्रास्फीति के विस्तृत समूह (प्रतिशत) में

बाट	2013-14				2014-15		
	क्यू 1	क्यू 2	क्यू 3	क्यू 4	क्यू 1	क्यू 2	क्यू 3 (पी)
सभी वस्तुएं	100.0	9.5	9.7	10.4	8.4	8.1	7.4
I. खाद्य और पेय और तम्बाकू	49.7	11.0	11.1	12.9	9.2	8.9	8.6
II. ईधन और रोशनी	9.5	8.4	7.9	7.0	6.3	5.2	4.0
III. अन्य	40.8	7.9	8.2	8.0	7.9	7.6	6.7
खाद्य (सीएफपीआई)	42.7	11.1	11.4	13.6	9.3	9.1	8.8
मुख्य मुद्रास्फीति (गैर-खाद्य और गैर-ईधन)	42.9	8.0	8.2	8.1	8.0	7.7	6.8

स्रोत : सीएसओ पी. : अनंतिम

बॉक्स 5.1 : सीपीआई की नई शृंखलाओं में परिवर्तन

केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन, सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय ने पूरे भारत और राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए आधार वर्ष (2010 = 100) के साथ मासिक आधार पर अलग से ग्रामीण, शहरी और संयुक्त सीपीआई जनवरी, 2011 से जारी करता रहा है। इसके अतिरिक्त, अलग से पूरे भारत के लिए ग्रामीण, शहरी और संयुक्त उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांकों (सीएफपीआई) को मई, 2014 में जारी किया था। नए सीपीआई शृंखलाओं के लिए भारित डायग्राम को राष्ट्रीय प्रतिदर्श समीक्षा (एनएसएस) के 61वें दौर के उपभोक्ता व्यव समीक्षा आंकड़ा (2004-05) से प्राप्त शहरी/ग्रामीण के औसत मासिक उपभोक्ता व्यव के आधार पर लिया गया था। केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन ने 2010 = 100 से 2012 = 100 तक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार वर्ष को संशोधित किया था। एनएसएस ने 68वें दौर के उपभोक्ता व्यव समीक्षा 2011-12 के संशोधित मिश्रित संदर्भ अवधि (एमएमआरपी) आंकड़े का प्रयोग करते हुए संशोधित शृंखलाओं के लिए मदों और भारित डायग्राम के बास्केट को तैयार किया गया है।


कारण मांग दबाव, ज्यादातर प्रोटीन के मूल्यों वाली चीजों से हुआ है जैसे, दूध, अण्डे, मांस, मछली और फल व सब्जियां।

5.5 2014-15 के दौरान मुख्य रूप तिमाही में आंशिक रूप से आधारभूत प्रभाव, मौसमी फलों और सब्जियों के मूल्यों में नरमी होने के कारण, पिछले वर्ष की तुलना में सी पी आई खाद्य मुद्रास्फीति में विचारणीय रूप से गिरावट आई है। बाद में, मानसून के आने पर जून-अगस्त 2014 के दौरान देखा

जाए तो सब्जी के मूल्य पर कुछ दबाव आया लेकिन बाद में मूल्य में गिरावट आयी जिसके कारण संपूर्ण सी पी आई मुद्रास्फीति के नवीनीकरण में महत्वपूर्ण रूप से मदद मिली है। अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल के मूल्यों में तेजी से गिरावट निम्नलिखित रूप से 2014-15 के दौरान तीसरी तिमाही में 3.4 प्रतिशत के अंक को छूते हुए ईंधन एवं प्रकाश ग्रुप में सी पी आई मुद्रास्फीति में अनुकूल गिरावट अंकित की गयी। मुख्य मुद्रास्फीति (गैर-खाद्य, गैर-ईंधन मुद्रास्फीति) अर्थिक क्रियाकलाप में गिरावट मुख्यतः पिछले वर्ष में पत्राचार तिमाही में 8.1 प्रतिशत की तुलना में 2014-15 की तीसरी तिमाही में 5.7 प्रतिशत तक गिरावट हुई।


आवास एवं यातायात, ने मुद्रास्फीति की गिरावट में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। आवास में मुद्रास्फीति, 2012 और 2013 के दौरान दोगुने अंक में रहने के बाद 2014-15 की तीसरी तिमाही में इसमें 8 प्रतिशत की गिरावट आई। विविध श्रेणी के तहत उप-ग्रुप 'यातायात एवं सम्प्रेषण' में मुद्रास्फीति, कच्चे तेल मूल्यों के अनुकूल बने रहने के साथ 2014-15 की तीसरी तिमाही के दौरान इसमें 1.8 प्रतिशत की महत्वपूर्ण गिरावट अंकित की गयी। उप-श्रेणी में "अन्य" जिसमें अधिकांश रूप से सेवाओं को मिलाते हुए, 2012 और 2013 के माध्यम से मुद्रास्फीति के दोगुने आंकड़े के अनुभव के बाद समान अवधि के दौरान मुद्रास्फीति 8.5 प्रतिशत तक गिर गई डब्ल्यू पी आई एवं सी पी आई मुद्रास्फीति शीर्षों में सभी प्रवृत्तियां निम्नानुसार चित्र 5.1 में दी गई हैं।

चित्र 5.1: थोक मूल्य सूचकांकों और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में मुद्रास्फीति



स्रोत : डीआईपीपी, सीएसओ

चित्र 5.2: एसएएआर आधारित गति



5.6 मौसम समायोजित वार्षिक दर (एसएएआर), तीन माह से तीन माह (3एम-03एम) पर आधारित मुद्रास्फीति गति में विगत कुछ माह के दौरान तीव्र गिरावट के बाद दिसंबर, 2014 में तेजी आई (चित्र 5.2)

कारक जिनसे मुद्रास्फीति में नरमी आती है


5.7 वर्ष के दौरान मुद्रास्फीति में गिरावट वर्ष के प्रारंभिक महीनों में प्रत्याशित गिरावट की अपेक्षा कहीं अधिक तेजी से आई है। वैश्विक कारकों नामतः कच्चे तेल की कीमतों में लगातार गिरावट, व्यापार योग्य वैश्विक कीमतों में नरमी, विशेष रूप से खाद्य तेलों और यहां तक की कोयले से, शीर्ष मुद्रास्फीति में नरमी लाने में मदद मिली है। सख्त मौद्रिक

नीति के चलते मांग दबावों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है, जो बाहरी झटकों के लिए बफर की स्थिति सृजित करता है और रूपये के मूल्य में अस्थिरता को भी नियंत्रित करता है। पिछले एक वर्ष के दौरान, रूपए में अपेक्षाकृत स्थिरता रही और उभरते हुए सहभागी देशों में भी, जिसका मुद्रास्फीति पर बहुत ही कम प्रभाव रहा। मजदूरी विकास दर में नरमी के कारण, प्रोटीन-आधारित मदों ने मांग संबंधी दबावों को कम कर दिया। शीर्ष मुद्रास्फीति की गिरावट में मूल प्रभाव का भी योगदान है।


वैश्विक मुद्रास्फीति

5.8 वर्ल्ड बैंक पिंक शीट के आंकड़ों के अनुसार, 2014 के दौरान वैश्विक वस्तु मूल्यों में गिरावट का रूख रहा है।

चित्र 5.3: विश्व बैंक मूल्य सूचकांक में घट-बढ़



चित्र 5.4: डब्ल्यूपीआई की घट-बढ़ (परिवर्तित 2010=100)



स्रोत : डीआईपीपी


ऊर्जा मूल्य सूचकांकों में जून, 2014 से दिसंबर, 2014 तक 40% की कमी आई है। इसी अवधि के दौरान, खाद्य सूचकांक और आधार धातु सूचकांक में क्रमशः 8% और 3% उत्पाद मूल्यों में रुझान निम्नलिखित चित्र 5.3 में दर्शाया गया है।

5.9 वैश्विक ऊर्जा मूल्यों में 40 प्रतिशत की गिरावट की तुलना में, जून-दिसंबर 2014 के अवधि के दौरान डब्ल्यू पी आई ईंधन और ऊर्जा के संदर्भ में मापा गया भारतीय ऊर्जा मूल्य सूचकांक केवल 10 प्रतिशत गिरा। चित्र 5.4 में डब्ल्यूपीआई मूल्य की घट-बढ़ दर्शायी गई है। हालांकि अंतरराष्ट्रीय तेल मूल्यों में गिरावट जुलाई 2014 से शुरू हो गई थी, लेकिन अक्टूबर 2014 से डीजल से नियंत्रण हटाने

के बाद अंतरराष्ट्रीय और घरेलू कीमतों में अधिक सरेखण हुआ है।

5.10 खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ), खाद्य सूचकांक यह दर्शाता है कि मार्च 2014 से खाद्य सूचकांक में लगातार गिरावट आई है जो मुख्यतः बहुत अधिक उत्पादन और कमजोर पड़ती मांग के कारण है। जबकि एफ ए ओ खाद्य सूचकांक मार्च-दिसंबर 2014 के दौरान लगभग 13 प्रतिशत तक गिर कर उसी अवधि के दौरान भारतीय खाद्य सूचकांक (डब्ल्यू पी आई) 6 प्रतिशत के करीब बढ़ गया था। चित्र 5.5 में घरेलू और एफएओ सूचकांक की तुलना की गई है। घरेलू खाद्य और एफ ए ओ सूचकांक दोनों में

चित्र 5.5: एफएओ बनाम डब्ल्यूपीआई खाद्य (परिवर्तित 2010=100)



स्रोत : एफएओ और डीआईपीपी

अंतर इँगित करता है कि घरेलू खाद्य बाजार अंतरराष्ट्रीय बाजार के साथ एकीकृत नहीं है। घरेलू और अंतरराष्ट्रीय खाद्य मूल्यों में विचलन, या किसानों और उपभोक्ताओं के संरक्षण हेतु, खाद्य और व्यापार नीति में लगी हुई विभिन्न बहिस्तों के कारण है।

मज़दूरी की कम वृद्धि दर

5.11 ग्रामीण क्षेत्रों में वेतन/मज़दूरी में उच्च वृद्धि दरों में से प्रोटीन वस्तुओं और अण्डे, मांस और मछली की मांगों पर दबाव बना है। न्यूनतम सहायता मूल्यों में पर्याप्त बढ़ोत्तरी और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी स्कीम ने ग्रामीण वेतन/मज़दूरी में विकास दरों को बढ़ावा दिया है। कृषि वस्तुओं में बढ़ती उत्पादन लागत के जरिए उच्चतम मज़दूरी संचालित की गई है, जिससे न्यूनतम सहायता मूल्यों में वृद्धि आई है। चूंकि कृषि में फलों और सब्जियों एवं सहबद्ध क्रियाएं एक ही श्रम वर्ग द्वारा की जाती है, सभी खाद्य उत्पादों में उच्चतर मज़दूरी के कारण लागत-प्रेरित मुद्रास्फीति देखी गई थी। आयात किए जाने वाले लिए खाद्य तेल और दालों के मूल्य नियंत्रित मुक्त बने हुए हैं।


सरकार द्वारा मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए किए गए उपाय

5.12 सरकार द्वारा किए गए तीव्र निर्णयात्मक उपायों से लंबे समय से बरकरार महांगई मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में मदद मिलती है— मुख्यतः खाद्य मुद्रास्फीति को। मुद्रास्फीति में गिरावट उन वस्तुओं में काफी अधिक पाई गयी है, जिनके

लिए सरकार द्वारा प्रभावी उपाय किए गए हैं। सरकार ने खाद्यान्धों की उपलब्धता में सुधार करने के लिए और वितरण चैनलों में बाधा को हटाने के कई उपाय किए। इस संबंध में हाल ही में उठाए गए कुछ प्रमुख उपायों में शामिल हैं:

- (क) राज्यों में बीपीएल और एपीएल परिवारों के लिए 5 मिलियन टन अतिरिक्त चावल, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का लंबित कार्यान्वयन और वर्ष 2014-15 के लिए खुले बाजार बिक्री के तहत 10 मिलियन टन गेहूं का आबंटन।
- (ख) पिछले और वर्तमान दौर में न्यूनतम सहायता मूल्य में बढ़ोत्तरी में कमी।
- (ग) सभी राज्यों को यह सलाह देना कि फलों एवं सब्जियों को एपीएमसी अधिनियम की सूची से हटाकर उनकी मुक्त आवाजाही की अनुमति देना;
- (घ) प्याज़ और आलू को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की परिधि के भीतर लाना और इस तरह राज्य सरकारों को व्यवसायी समूहन और जमाखोरी से निपटने के लिए स्टाक सीमाएं लगाने तथा स्टाक सीमाओं के उल्लंघन को गैर जमानती अपराध बनाने की अनुमति देना।
- (ङ) आलू के लिए न्यूनतम नियात मूल्य (एम ई पी) 26.6.2014 से 450 अमरीकी डालर प्रति मी. टन और प्याज़ के लिए 21.8.2014 से 300 अमरीकी डालर प्रति मी. टन तय किया गया।

चित्र 5.6: ग्रामीण मज़दूरी वृद्धि



5.13 खाद्य मुद्रास्फीति को संपोषणीय तरीके से नियंत्रित रखने के लिए अधिक कठोर उपाय किए जाने होंगे ताकि कृषि और खाद्य क्षेत्र के उत्पादन, भंडारण, विपणन और वितरण जिसमें पी डी एस और एन एफ एस ए शामिल हैं, का पुनरुद्धार किया जा सके।

गृहस्थी सम्बन्धी मुद्रास्फीति की संभावना

5.14 भारतीय रिज़र्व बैंक सितम्बर, 2005 से त्रैमासिक आधार पर पारिवारिक इकाइयों का मुद्रास्फीति की संभावनाओं से संबंधित सर्वेक्षण कर रहा है। 16 शहरों के पारिवारिक इकाइयों का नवीनतम मुद्रास्फीति सर्वेक्षण दिसंबर 2014 में जारी किया गया जिसमें 5000 शहरी परिवार शामिल थे। इस सर्वेक्षण में अगले तीन महीने और अगले एक वर्ष की नवीनतम दौर में वर्तमान स्फीतिकारी संभावनाओं और अनुमानों को दर्शाया गया है। चालू मुद्रास्फीति अनुमानों और मुद्रास्फीति में अंतिम दौर में नरमी आई है (चित्र 5.7)।

5.15 जैसाकि उपर्युक्त चित्र 5.7 से देखा जा सकता है, नवीनतम सर्वेक्षण (दिसंबर 2014) में, अगले तीन महीनों और एक वर्ष की अवधि में माध्यिका स्फीतिकारी संभावनाएं काफी अधिक सुधरकर पूर्ववर्ती तिमाही के क्रमशः 14.6 से सुधरकर 8.3 प्रतिशत और 16 प्रतिशत से 8.9 प्रतिशत हो गई। 38वें दौर में इन संभावनाओं में तीव्र सुधार और मुद्रास्फीति संबंधी वास्तविक आंकड़ों से सामान्य विचलन


अत्यधिक निराशाजनक है जैसाकि मुद्रास्फीति संबंधी पारिवारिक संभावनाओं के सर्वेक्षण में दिखाई दे रहा है।

5.16 इस संभावना के प्रति बढ़ता जोखिम इस तथ्य से उद्भूत होता है कि कच्चे तेल की कीमतों को इन स्तरों से नीचे लाना होगा, हालांकि यह संभावना नहीं है कि ये बहुत कम समय में बढ़ जायेगी। इसके अलावा चालू रबी फसल के मौसम में तिलहनों और दालों में का क्षेत्र कम होने से आपूर्ति पर दबाव पैदा हो सकता है। भाण्डागारण और शीत भण्डारण की क्षमता संबंधी अड़चनों के चलते मौसमी वस्तुएं में भी मुद्रास्फीति का खतरा बढ़ सकता है।

कृषि और खाद्य प्रबंधन


5.17 कृषि क्षेत्र में वास्तविक मूल्यों (2004-05 से 2011-12 के दौरान 31%) में वृद्धि की पृष्ठभूमि में 2004-05 के दशक में मूल्य वृद्धि में 3.8% वार्षिक वृद्धि हुई है। कृषि मंत्रालय द्वारा प्रोफेसर एस. महेन्द्र देव की अध्यक्षता में कृषि और कृषि इतर के बीच व्यापार की स्थितियों का हिसाब करने के लिए अद्यतन प्रविधि तैयार करने के लिए स्थापित समिति ने पाया है कि 2004-05 और 2013-14 के दौरान व्यापार की स्थिति कृषि के पक्ष में थीं। थोक मूल्य सूचकांक कृषि और डब्ल्यूपीआई (कृषि-भिन्न) के अनुपात में 2005-06 के बाद तीव्र बढ़ोत्तरी हुई है। (चित्र 5.8)।

चित्र 5.7 पारिवारिक मुद्रास्फीति अनुमान



स्रोत : आरबीआई

चित्र 5.8: डब्ल्यूपीआई कृषि, कृषि-भिन्न और कृषि सघड डिफ्लेटर की घट-बढ़



स्रोत : डीआईपीपी, सीएसओ

5.18 हॉल ही में प्याज, टमाटर और आलू जैसे कुछ खाद्य उत्पादों की मुद्रास्फीति, मौसमी और अल्पकालिक मूल्य बढ़ोत्तरी अत्यधिक चिंता का कारण बन गई है जो अब अक्सर, अधिक अवधि तक उपभोक्ता के लिए कष्टकारी बन गया है व इससे आर्थिक अस्थिरता होती है। अतः, मूल्य-प्रेरित विकास स्थिर वहीं है और साथ ही वधि त बुआई क्षेत्र के जरिए उत्पादन बढ़ाने की गुंजाईश आभासी

तौर पर मौजूद नहीं है। अतः, कृषि विकास की कार्यनीति मूल्य-भिन्न कारकों अर्थात् पैदावार और उत्पादकता पर अधिक निर्भर है।

कृषि क्षेत्र का सिंहावलोकन

5.19 केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) द्वारा जारी राष्ट्रीय आय की नईशृंखला के अनुसार, 2011-12 के मूल्यों

सारणी 5.3 : कृषि क्षेत्र-मुख्य संकेतक (2011-12 की कीमत पर प्रतिशत)

क्र.सं.	मद	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
1	कृषि एवं सहबद्ध क्षेत्रोंमें सघड वृद्धि कुल सघड में कृषि तथा सहबद्ध क्षेत्र का हिस्सा	-	1.2	3.7	1.1
	फसल	18.4	18.0	18.0	
	पशुधन	12.0	11.7	11.8	
	वानिकी तथा लागिंग	4.0	4.0	3.9	
	फिशिंग	1.6	1.5	1.4	
		0.8	0.8	0.9	
2	कुल सघड में कृषि तथा सहबद्ध क्षेत्र का हिस्सा	8.6	7.7	7.9	उ.न.
	फसल	7.4	6.5	6.6	
	पशुधन	0.8	0.7	0.7	
	वानिकी तथा लागिंग	0.1	0.1	0.1	
	फिशिंग	0.4	0.4	0.5	
3	सेक्टर के सघड के प्रतिशत के अनुसार कृषि तथा सहबद्ध क्षेत्रों में जीसीएफ	18.3	15.5	14.8	

स्रोत : सीएसओ

टिप्पणी: जीसीएफ सकल पूँजी निर्माण

पर कुल स.घ.ड. में कृषि की हिस्सेदारी 2013-14 में 18% है 12वीं योजना में कृषि और सहबद्ध क्षेत्र हेतु 4 प्रतिशत के वृद्धि लक्ष्य के मुकाबले निर्धारित वृद्धि प्रथम वर्ष में 1.2% और दूसरे वर्ष में 3.7% रही है और 2014-15 में 1.1 प्रतिशत (सारणी 5.3)।

क्षेत्र, उत्पादन और उपज

5.20 सारणी 5.4 में, 2013-14 में विभिन्न फसलों संबंधी क्षेत्र, उत्पादन और उपज के आंकड़े दिए गए हैं। द्वितीय अग्रिम अनुमानों (ई) के अनुसार, 2013-14 में कुल खाद्यान्नों के उत्पादन में 265.6 मिलियन टन अनुमानित है, जो 2012-13 के उत्पादन की अपेक्षा 8.5 मिलियन टन अधिक और विगत 5 वर्षों के दौरान औसत खाद्य उत्पादन से 22.1 मिलियन टन अधिक है।

5.21 विगत वर्ष 2014-15 में दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार, कुल खाद्यान्न उत्पादन 257.07 मिलियन टन होने का अनुमान है जो देश में चौथी सर्वाधिक वार्षिक उत्पादन मात्रा है। उल्लेख किया जाए कि वर्ष के दौरान मानसून वर्षापात में 12 प्रतिशत की कमी के बावजूद हानि विगत वर्ष

की तुलना में लगभग 3 प्रतिशत तक सीमित रही है और विगत 5 वर्षों के दौरान औसत खाद्यान्न उत्पादन से 8.15 मिलियन टन अधिक है।

5.22 पिछले वर्ष के 265.57 मिलियन टन के उत्पादन की तुलना में वर्तमान वर्ष में खाद्यान्न का उत्पादन 8.5 मिलियन टन कम है। चावल, मोटे अनाज, अनाज और दालों में कम उत्पादन के कारण उत्पादन में गिरावट आई है। 2014 के दौरान मानसून की विपरीत स्थितियों के कारण हुआ है।

5.23 उपलब्धता और आसान पहुंच सहित- कृषि क्षेत्र के लचीलेपन में सुधार लाने और खाद्य सुरक्षा बढ़ाने के लिए, हमारी रणनीति उपज और उत्पादकता पर अपना ध्यान केन्द्रित करने की है। यद्यपि, 2000 के बाद खाद्यान्नों व दालों की उपज/उत्पादकता में बढ़ोतरी हुई है, फिर भी उपज अंतराल अन्य देशों की अपेक्षा अधिक थे और विभिन्न राज्यों तक में उपज में काफी भिन्नताएं थीं जो संकेत करती हैं कि अधिकांश फसलों में बढ़ोतरी करके उत्पादन में वृद्धि करने के अवसर मौजूद हैं जिसके लिए आवश्यक नहीं, कि मूल्यों में ही वृद्धि की जाए (सारणी 5.5)

सारणी 5.4 : क्षेत्र, उत्पादन और उपज (2013-14)

समूह/उत्पादन वस्तु	क्षेत्र	क्षेत्र में प्रतिशत बदलाव	उत्पादन	क्षेत्र में प्रतिशत बदलाव	उपज	उपज में प्रतिशत बदलाव
कृषि	126.0	4.3	264.8	3.0	2101	-1.3
चावल	43.9	2.7	106.5	1.3	2424	-1.5
गेहूं	31.2	4.0	95.9	2.6	3075	-1.3
जवार	5.8	-6.1	5.4	1.7	850	-8.2
मक्का	9.4	8.3	24.4	9.2	2566	-0.7
बाजरा	7.9	8.0	9.2	5.5	1198	2.9
दाले	25.2	8.3	19.3	5.3	764	-3.2
चना	10.2	20.3	9.9	12.3	967	-6.7
तूर	3.9	0.0	3.3	9.7	848	9.2
तिलहन	28.5	7.6	32.9	6.4	1153	-1.3
मूंगफली	5.5	17.6	9.7	105.8	1750	75.9
रैपसीड और सरसों	6.7	4.7	8.0	-0.5	1188	-5.9
कपास	11.7	-2.3	36.7	7.2	532	9.4
गन्ना ^a	5.0	0.0	350.0	2.6	70	0.0

स्रोत : आर्थिक और सांचियकी निवेशालय, कृषि और सहकारिता विभाग

टिप्पणी: *चौथा एई

क अनाज, मोटे अनाज और दाले

ख 170 किलों की गांठे

सारणी 5.5 : 2013-14 की मुख्य फसले, औसत, अधिकतम, और न्यूनतमक उपज

उपज (किलो/हेंड)

फसले	अखिल-भारतीय औसत	अधिकतम	न्यूनतम
चावल	2416	पंजाब (3952)	मध्य प्रदेश (1474)
गेहूं	3145	पंजाब (5017)	आंध्र प्रदेश (500)
मक्का	2676	तमिलनाडु (5372)	असम (898)
जवार	957	आंध्र प्रदेश (1661)	पश्चिम बंगाल (280)
चना	960	आंध्र प्रदेश (1439)	तमिलनाडु (653)
तूर	813	बिहार (1667)	आंध्र प्रदेश (542)
मूँगफली	1764	गुजरात (2668)	हिमाचल प्रदेश (600)
रैपसीड और सरसों	1185	गुजरात (1723)	तमिलनाडु (241)
सोयाबीन	1012	आंध्र प्रदेश (1612)	उत्तर प्रदेश (577)
गन्ना	70522	पश्चिम बंगाल (114273)	जम्मू और कश्मीर (1000)
कपास#	510	पंजाब (750)	महाराष्ट्र (358)

स्रोत: आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय, कृषि और सहकारिता विभाग

टिप्पणी: # 170 किलोग्राम प्रत्येक की 1000 गांठे

5.24 समय के साथ-साथ उपज में बढ़ोतरी और वास्तविक दशाओं में विभिन्न फसलों के उत्पादन की औसत लागत के बीच विलोम संबंध होता है। उदाहरणार्थ, रबी फसलों के मामले में, उपज में 10% की वृद्धि के परिणामतः वास्तविक दशाओं में विभिन्न फसलों के उत्पादन की औसत लागत में 2.1% से 8.1% की की कमी हुई है। खरीफ फसलों की मूल्य नीति, फरवरी, 2014 से पृष्ठ 67 से 69)। इससे इस तथ्य का स्पष्ट संकेत मिलता है कि उत्पादकता में वृद्धि, विशेषकर कम उत्पादकता वाले राज्यों/क्षेत्रों में उत्पादकता में वृद्धि से लागत प्रेरित खाद्य मुद्रास्फीति कम करने में काफी मदद मिल सकती है।

5.25 पैदावार, विभिन्न कारकों जैसे बीजों की किस्म और गुणवत्ता, मुद्रा की गुणवत्ता, सिंचाई-जल, उर्वरकों की गुणवत्ता, सहित- उनके अनुपात, कीटनाशकों, श्रम, विस्तार सेवाओं आदि पर निर्भर करती है। किसानों को प्राप्त मूल्य और कोई खास मूल्य पाने के निश्चितता या आश्वासन से भी किसानों को विशेष फसल उगाने और खेती में गुणवत्तापूर्ण आगतों के उपयोग की प्रेरणा मिलती है। भारत में ऐसे कुछ किसानों की स्थिति निम्नलिखित पैराग्राफों में वर्णित है।

वृद्धि के प्रेरक

कृषि अनुसंधान और शिक्षा

5.26 भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईआईएआर) लक्ष्य कृषि परिस्थितियों के लिए समान फसल उत्पादन

और उत्पादन तकनीकों के अलावा विभिन्न जैविक एवं अजैविक दबावों के प्रति सहनशीलता/प्रतिरोधकता के साथ-साथ पैदावार एवं पोषक गुणवत्ता में इजाफा करने वाली विशिष्ट विशेषताओं वाली नई फसलें विकसित करने के कार्य में लगा हुआ है। विभिन्न कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों के लिए कुल 104 विभिन्न किस्में जारी की गई थीं। किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीज मुहैया कराने के लिए प्रभावी बीज शृंखला सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न फील्ड फसलों की संस्तुत किस्मों को 11835 टन तक प्रजनन बीज विकसित किए गए थे। उन्नत किस्मों और फसलों प्रबंधन तकनीकों को अपनाने से अनाजों, दालों और अन्य फील्ड फसलों के उत्पादन एवं उत्पादकता में इजाफा हुआ है।

5.27 जबकि प्रायोगिक अनुसंधान, शिक्षा और विस्तार पर अधिक परिव्यय से औसत लागत में कमी एवं औसत पैदावार/उत्पादकता में बढ़ोत्तरी व वृद्धि के मामले में अधिक भरोसेमंद परिणाम मिलते हैं, द्वितीय हरित क्रांति के लिए पैदावार/उत्पादकता में प्रतिमान बदलाव के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईएस) और भारतीय विज्ञान संस्थानों (आईआईएस) की तर्ज पर अनुसंधान संस्थानों का सृजन कर आधारभूत शोध पर अधिक परिव्यय करके हासिल किया जा सकता है “तकनीकी सुस्ती” को दूर कर विभान-प्रेरित भारतीय कृषि विकास करने की अत्यावश्यकता है। बजट 2014-15 में असम और झारखण्ड में ₹ 100 करोड़ की आरंभिक राशि से

दो उत्कृष्ट संस्थानों की स्थापना का प्रावधान किया गया है।


कृषि विस्तार

5.28 एनएसएसओं के 70वें दौर के सर्वेक्षण पता चलता है कि लगभग 59% किसानों को सरकार द्वारा वित्तपोषित फार्म अनुसंधान संस्थानों और विस्तार सेवाओं से बहुत तकनीकी सहायता एवं जानकारी नहीं मिलती। अतः उन्हें तकनीकी मदद के लिए प्रगतिशील किसानों, मीडिया और निजी व्यावसायिक एजेंटों जैसे बीजों उर्वरकों एवं कीटनाशकों जैसी फार्म आगतों के डीलरों पर निर्भर रहना पड़ता है। अंतिम छोर तक संपर्क सुनिश्चित करने के लिए उभरती तकनीकी एवं सूचना जरूरतें पूरी करने हेतु विस्तार सेवाओं को सुदृढ़ करना होगा। सूचना तकनीक और ई-एवं मोबाइल (एम) अनुप्रयोगों से लाभ उठाकर, व्यावसायिक गैर सरकारी संगठनों की भागीदारी आदि से 'प्रयोगशाला से खेत तक' कार्यक्रम के प्रभाव क्षेत्र को बढ़ाया जा सकता है। बजट 2014-15 में किसानों को नई खेती तकनीकों, जल संरक्षण, जैविक खेती आदि संबंधी वास्तविक समय की सूचना का प्रचार-प्रसार करने के लिए किसान टीवी को 100 करोड़ रु. आवंटित कर की गई पहल से प्रत्येक से लगभग 800 से 1000 किसानों के लिए एक विस्तार श्रमिक का मौजूदा प्रतिकूल अनुपात आंशिक रूप से दूर होगा और कृषि विशेषज्ञों से सीधी बातचीत हो सकेगी।

सिंचाई

5.29 केन्द्रीय सरकार ने अपूर्ण सिंचाई स्कीमों को पूरा करने के लिए सहायता देने के लिए 1996-97 में त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) शुरू की है। एआईबीपी के अंतर्गत, 31 दिसंबर, 2014 तक 67195.47 करोड़ रु. की केंद्रीय ऋण सहायता (सीएलए)/अनुदान जारी किया जा चुका है। राज्यों द्वारा 31 मार्च, 2013 तक एआईबीपी के तहत बड़ी/मध्यम/लघु सिंचाई परियोचनाओं से 85.03 लाख हैक्टेयर की सिंचाई क्षमता सृजित की गई है। सृजित और प्रयुक्त सिंचाई क्षमता के बीच अंतराल को कम करने के लिए एआईबीपी के साथ कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम को मिला लिया गया है। समय-समय पर जल की अधिकता वाले क्षेत्रों से जल-अभाव ग्रस्त क्षेत्रों में पानी के स्थनांतरण के लिए राष्ट्रीय जल ग्रिड बनाने जाने के सुझाव दिए जाते रहे हैं। इन स्कीमों के बावजूद भारतीय कृषि काफी हद तक वर्षा पर निर्भर है, लगभग 35% कृषक क्षेत्र सिंचित हैं और राज्यों में सिंचाई के साधनों का वितरण भी काफी असमान है। ड्रिप और स्प्रिंकलर जैसी सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियों पर ध्यान केंद्रित करने से जलोपयोग कुशलता और उत्पादकता में काफी वृद्धि होगी। उत्पादकता, उत्पादन और लचीलेपन में बढ़ातरी के लिए सकल खेती क्षेत्र और सकल सिंचित क्षेत्र के अंतर को पाठना होगा जिसमें पहली पंचवर्षीय योजना

चित्र 5.9: सकल सिंचित क्षेत्र बनाम सकल बुआई क्षेत्र



स्रोत : कृषि एवं सहकारिता विभाग (डीएसी)।

अवधि से लेकर अभी तक बहुत कम सुधार हुआ है।

बीज

5.30 बीज कृषि उत्पादन और उत्पादन बढ़ाने का आधारभूत आगत है। अन्य सभी कृषि आगतों जैसे उर्वरकों, कीटनाशकों, और सिंचाई आदि की प्रभाव कारिता के साथ ही कृषि पर जलवायु स्थितियों का प्रभाव काफी हद तक प्रयुक्त बीजों द्वारा निर्धारित होता है। अनुमान है कि गुणवत्तापूर्व बीजों से उत्पादकता 20-25% तक बढ़ जाती है। 2014-15 में प्रभावित/गुणवत्तापूर्ण बीजों (खरीफ व रबी) की राज्यों द्वारा कुल जरूरत 343.55 लाख किवंटल अनुमानित है। इस प्रकार 2014-15 में कुल 8.21 लाख किवंटल अतिरिक्त बीज उपलब्ध है। 2014-15 के दौरान, चने, दाल, मटर, सोयाबीन और आलू के प्रभावित/गुणवत्तापूर्ण बीजों की उपलब्धता में कमी है। तेलों और दालों पर हमारी आयात निर्भरता और आलू की मुद्रास्फीति की संवेदनशीलता को देखते हुए, इन उत्पादों के प्रभावित बीजों की कमी दूर करने के उपाय करने जरूरी हैं। बी1 और अन्य जीएम फसलों से नकारात्मक परिणामों संबंधी प्रभाव के अभाव, पर्याप्त संभाग्य उत्पादकता, खाद्य सुरक्षा एवं स्थिरता लाभ को देखते हुए, सदृश नियामक रूपरेखा और उनके कार्यान्वयन पर पुनः विचार करना लाजमी है।

उर्वरक

5.31 2014-15 में सरकार की उर्वरक नीति में की गई प्रमुख पहलें निम्नानुसार हैं:- (i) वर्ष 2002-03 के स्तर पर फ्रीजिंग फिक्स्ड कॉस्ट के कारण मौजूदा यूरिया इकाइयों की कम वसूली के मुद्दे का समाधान करने के लिए 2 अप्रैल, 2014 को मौजूदा यूरिया इकाइयों के लिए संशोधित एनपीएस-iii की अधिसूचना। संशोधित नीति, अधिसूचना की तारीख से एक वर्ष की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए कार्यान्वित की गई है। (ii) इसके अलावा, सरकार ने भारत को यूरिया क्षेत्र में स्वावलंबी बनाने के लिए नए निवेश को आसान, बनाने के लिए 2 जनवरी, 2013 को नई निवेश नीति, 2012 अधिसूचित की थी। इसके अलावा, इस विभाग द्वारा 7 अक्टूबर, 2014 को नई निवेश नीति 2012 में संशोधन को

अधिसूचित किया गया है। अप्रैल-नवम्बर 2014, के लिए नाइट्रोजन और फास्फेट के 89.68 लाख टन तथा 33.51 लाख टन घरेलू उत्पादन के लक्ष्य की तुलना में वास्तविक उत्पादन क्रमशः 82.86 लाख टन तथा 25.05 लाख टन था।

ऋण

5.32 कृषि ऋण प्रवाह में सुधार करने और खेती संबंधी ऋणों पर ब्याज दर में कमी लाने के लिए निम्नांकित उपाय किए गए हैं: (i) 2013-14 का कृषि ऋण प्रवाह का लक्ष्य 7,00,000 करोड़ रु निर्धारित किया गया था और 2012-13 में 6,07,375 करोड़ रु. के मुकाबले 7,30,765 करोड़ रु. (अनंतिम) का हासिल किया गया है। 2014-15 के लिए कृषि ऋण प्रवाह 8,00,000 करोड़ रु. निर्धारित किया गया है जिसमें से 30 सितंबर 2014 तक 3,70,82860 करोड़ रु. (अनंतिम) हासिल कर लिया गया है। (ii) किसानों को फसल ऋण पर 3,00,000 रु. तक की मूलधन राशि 7% ब्याज दर पर प्रदान की जा रही है। 2014-15 के दौरान उन किसानों के लिए प्रभावी ब्याज दर 4% प्रतिवर्ष है जो अपने ऋण की तत्परता चुकौती कर रहे हो। (iii) किसानों को हताशा में अपनी फसलों को बेचने से बचाने फसलोंपरांत के लिये उन छोटे और सीमांत किसानों अगले छः महीने के लिए ब्याज सहायता दी जाती है जिनके पास किसान क्रेडिट कार्ड होता है यह सहायता एन डब्ल्यू आर पर तथा उस दर से दी जाती है जो फसल ऋण पर लागू होता है। सहायता एवज में फसलोंपरांत ऋण वाणिज्यिक अन्य किसानों को एनडब्ल्यूआर के दर पर दिया जाता है। (iv) 2014-15 से, प्राकृतिक आपदाएं आने पर किसानों को राहत देने के लिए प्राकृतिक आपदाओं के कारण पुनःरचित ऋण राशि पर पहले वर्ष के लिए बैंकों को 2% ब्याज सहायता जारी रहेगा और ऐसे पुनःरचित ऋणों पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बनाई गई नीति के अनुसार, दूसरे वर्ष से सामान्य ब्याज दर लागू की जाएगी।

5.33 भारत सरकार द्वारा 2006-07 से शुरू की गई अल्पावधि उत्पादन ऋण (फसल ऋण) के लिए ब्याज सहायता स्कीम का 2013-14 से निजी बैंकों में भी विस्तार किया गया है। वर्तमान में कुल ऋण 5.72 करोड़ रु. है। भारतीय रिजर्व बैंक और नाबार्ड द्वारा किए गए अध्ययन दर्शाते हैं कि फसल ऋण वांछित लाभार्थियों को वहाँ मिल रहे हैं और बैंकों की कुछ शाखाओं में धन के

अंतिम उपभोग की निगरानी की कोई व्यवस्था या प्रक्रिया नहीं है। इसके अलावा, हालांकि समय के साथ-साथ कृषि को कुल ऋण प्रवाह बढ़ा है। कृषि में दीर्घावधिक ऋण हिस्सेदारी अथवा निवेश क्रेडिट 2006-07 में 55% से घटकर 2011-12 में 39% रह गया है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) के 70वें दौर के आंकड़ों के अनुसार हॉल के वर्षों में कृषि को संस्थागत क्रेडिट के प्रवाह में बढ़ोत्तरी के बावजूद किसानों के 40% तक अनौपचारिक स्रोतों से है। सूदखोर ऋण दाताओं से भी कुल कृषि क्रेडिट का 26% है।

5.34 लाभार्थियों के अपर्याप्त लक्ष्य और दीर्घावधिक उपज ऋणों के अंतिम उपयोग की निगरानी/पर्यवेक्षण के मुद्रों का प्राथमिक आधार पर समाधान करने की जरूरत है जिसके लिए व्याज आर्थिक सहायता स्कीम प्रयोजनीय है और कृषि में दीर्घावधिक निवेश में कमी को दूर करना जरूरी है।

मशीनीकरण


5.35 कृषि मशीनीकरण से खेती के कर्याकलाप समय पर पूरे होने से और प्रति इकाई समय में कार्य के परिव्यय में वृद्धि से भूमि और श्रम की उत्पादकता बढ़ जाती है। विविध फसलें उगाने और कृषि के विविधीकरण इसके अत्यधिक योगदान के अलावा मशीनीकरण से बीज, उर्वरक और सिंचाई जल जैसी कृषि आगातों का कुशल उपयोग हो पाता है।

हालांकि भारत कृषि उत्पादन करने वाली शीर्ष देशों में है खेती मशीनीकरण का मौजूदा स्तर की औसत विकसित देशों में 90% की अपेक्षा 40% है जो राज्य-दर-राज्य भिन्न-भिन्न है। भारत में मशीनीकरण पिछले दो दशकों से 5% से कम दर से बढ़ रहा है। खेती मशीनीकरण की मुख्य चुनौतियां, प्रथम विभिन्न प्रकार की मुद्रा और जलवायु जोन वाली अत्यधिक वैविध्यपूर्ण कृषि जिसके लिए अनुकूल खेती मशीनी और उपकरण आवश्यक होते हैं और दूसरे सीमित संसाधन युक्त बड़ी एवं छोटी जोते। खेती मशीनीकरण का ऋण प्रवाह कृषि क्षेत्र के कुल ऋण प्रवाह के 3% से कम है बारहवीं पंचवर्षीय योजना में कृषि मशीनीकरण पर समर्पित उप-मिशन शुरू किया गया है जिसे छोटे और उपेक्षित किसानों एवं विद्युत की कम आपूर्ति वाले क्षेत्रों तक खेती मशीनीकरण का विस्तार करने पर ध्यान केन्द्रित किया गया है।

कृषि और संबद्ध क्षेत्र में सकल पूँजी निर्माण

5.36 इस क्षेत्र में कृषि सघड के सापेक्ष कृषि और संबद्ध क्षेत्र में सकल पूँजी निर्माण में 2004-05 में 13.5% से 2004-05 के मूल्यों पर 2012-13 में 21.2% का सुधार आया है (चित्र 5.10)। इस क्षेत्र की व्यापक निवेश जरूरतों को देखते हुए अधिक सरकारी निवेश पे केवल निजी निवेश को बढ़ाने में मदद मिलेगी।

चित्र 5.10: कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में सकल पूँजी निर्माण (2004-05 की कीमतें)



सरकार की प्रमुख योजनाएं

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई)

5.37 सरकार ने XIIवीं योजना के दौरान आरकेवीवाई को जो जारी रखने का अनुमोदन किया है जिसके अनुसार, आरकेवीवाई का वित्तपोषक तीन धाराओं अर्थात् उत्पादन वृद्धि, अवसंरचना व आस्तियों और उप-स्कीमों एवं फ्लैक्सी निधि द्वारा होगा। 2015-16 के दौरान इस स्कीम के कार्यान्वयन हेतु आबंटन प्रस्ताव 18,000 करोड़ रु. है। अधिक पूँजी निर्माण और निवेश के उच्चतर रिटर्न के मद्देनजर, राज्यों का अवसंरचना और आस्ति सृजन धारा में कुल परिव्यय के 100% तक खर्च करने की छूट दी गई है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन

5.38 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एमएफएसएम) का कार्यान्वयन, XIIवीं पंचवर्षीय योजना (2016-17) के अंत तक 25 मिलियन टन अतिरिक्त खाद्य उत्पादन के नए लक्ष्य से किया जा रहा है जिसमें 10 मिलियन टन चावल, 8 मि. टन गेहूं, 4 मि. टन दालों, 3 मि. टन मोटा आनाज है। 2014-15 से 28 राज्यों के 619 जिलों में नवीकृत एनएफएसएम कार्यान्वित की जा रही है। 2014-15 से चावल के अलावा गेहूं, दालों और मोटे अनाज जैसी फसलों एवं व्यावसायिक फसलों (गन्ना, कपास व जूट) को शामिल किया गया है। इस मिशन के तहत किसान उत्पादक प्रोन्ति संगठन (एफपीओ), मल्य वृद्धि, दाल मिल और परंपरागत हॉयरिंग प्रभारों के लिए सहायता भी की गई है। दालों की ओर विशेष ध्यान दिया गया है। एनएफएसएम के तहत, दालों का उत्पादन बढ़ाने के लिए दाल घटक के लिए कुल निधियों का पच्चास प्रतिशत आबंटित किया गया है। जैव-उर्वरकों के उपयोग को बढ़ावा देने हेतु जैव-उर्वरकों पर सब्सिडी रु. 100/है से रु. 300/है कर दी गई है।

एकीकृत बागवानी विकास कार्यक्रम (एनआईडीएच)

5.39 2014-15 से एकीकृत बागवानी विकास कार्यक्रम (एनआईडीएच) शुरू किया गया है जिसमें बागवानी की सभी वर्तमान स्कीमों को एक ही मिशन के तहत लाया गया है गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्री का उत्पादन एवं वितरण, संरक्षित कृषि के जरिये उत्पादकता सुधार के उपाय, सूक्ष्म सिंचाई के उपयोग, एकीकृत कटाई उपरांत प्रबंधक और विपणन हेतु अवसंरचना सृजन के साथ-साथ एकीकृत

कीट रोग प्रबंधन और एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन को अपनाने पर एमआईडीएच में ध्यान केन्द्रित किया गया है।

प्रगतिशीलता और अनुकूलता

5.40 वर्तमान फसल पैटर्न के बरकरार न रहने और जल संसाधनों के उपयोग संबंधी चिंताओं को कुछ समय तक उठाया गया। पिछले बजट में की गई निम्नलिखित घोषणाओं से टिकाऊपन और जलवायु अनुकूलन का मुद्दा आगे आया है:-

- 1,000 करोड़ रु. के आबंटन से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना।
- नीरीचल, जो कि देश में पनधारा विकास को अतिरिक्त प्रोत्साहन देने के लिए 2014 में 2142 रुपये के प्रारम्भिक व्यय से शुरू किया गया एक कार्यक्रम है।
- 100 करोड़ रु. की आरंभिक धनराशि से राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन अनुकूलन कोढ़;
- 100 करोड़ रु. के आबंटन से प्रत्येक किसान को मिशन मोड पर मृदा स्वास्थ्य कार्ड, प्रदान करने की स्कीम। देशों में 100 मोबाइल मृदा परिक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित करने के लिए 56 करोड़ रु. की अतिरिक्त राशि आबंटित की गई है।

सहबद्ध क्षेत्र: पशुपालन, दुग्ध उत्पादन और मत्स्यपालन

5.41 भारतीय कृषि प्रणाली प्रमुखतः मिश्रित फसल-पशुधन कृषि प्रणाली है, जिसमें पशुधन क्षेत्र, रोजगार, सूखा पसन्द पशुओं और खाद से खेती की आय में मदद मिलती है। दुग्ध उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है और यह विश्व उत्पादन का 17% उत्पादन करता है। वर्ष 2013-14 के दौरान, दुग्ध उत्पादन 137.69 मि. टन के शीर्ष पर था, और इस प्रकार यह दुग्ध-उत्पादन करने वाले 70 मिलियन ग्रामीण परिवारों की आय का दूसरा प्रमुख स्रोत बन गया है। 2.2% विश्व औसत के मुकाबले 4.18 प्रतिशत की औसत वर्षानुवर्ष वृद्धिदर बढ़ती आबादी के लिए दुग्ध और दुग्ध-उत्पादों की उपलब्धता में सत्रृत वृद्धि दर्शाती है।

5.42 सरकार का ध्यान, व्यावसायिक कृक्कुट उत्पादन बढ़ाने के लिए उपयुक्त नीतियां बनाने के अलावा, परिवार कृक्कुट प्रणाली को मजबूत करने पर है जो आजीविका के मुद्दे का हल करती है। 2013-14 में अंडे का उत्पादन लगभग 73.89 मिलियन था, जबकि कृक्कुट मीट उत्पादन 2.68 मिलियन टन होने का अनुमान है।

5.43 देश के स.घ.उ. में मत्स्यपालन का हिस्सा लगभग 1% और कृषि उत्पादन में इसकी हिस्सेदारी 4.75% है। 2013-14 में कुल मछली उत्पादन 9.58 मिलियन टन था, जो 2012-13 के मुकाबले 5.96% की वृद्धि है। 2014-15 की पहली दो तिमाहियों के दौरान मछली उत्पादन में बढ़ोत्तरी का रुझान है और इसके 4.37 मिलियन टन (अनंतिम) होना अनुमानित है।

5.44 दुग्ध उत्पादन और कृक्कुट क्षेत्र में प्रजातियों व क्षेत्रों में हासिल सफलता का अनुगमन करते हुए आजीविका क्षेत्र की स्थिर और निरंतर वृद्धि के लिए XIIवीं योजना के दौरान 2014-15 में 28,00 करोड़ रु. के अनुमोदित परिव्यय से राष्ट्रीय आजीविका मिशन शुरू किया गया है। इस मिशन को गुणवत्तापूर्ण फीड और चारे की उपलब्धता के सुधार, जोखिम कवरेज, प्रभावी विस्तार, ऋण के उन्नत प्रवाह और पशु धन संगठनों, किसानों/चरवाहों आदि पर फोकस करते हुए स्थायी विकास के उद्देश्य से बनाया गया है। मुद्रास्फीति में प्रोटीन मदों के उच्च योगदान को देखते हुए इस क्षेत्र की वृद्धि दर उपभोग व्यय

में इन मदों के बढ़ते हिस्से में प्रतिबिंबित बढ़ती मांग के बराबर होनी चाहिए।


खाद्य प्रबंधन

5.45 खाद्य प्रबंधन का मुख्य नीतिगत लक्ष्य खाद्यान्नों की समय पर और कुशल खरीद व वितरण के माध्यम से खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है, खासतौर पर वर्चित लोगों के लिए। इसमें खाद्यान्नों की किसानों से लाभप्रद मूल्यों पर खरीद, बफर स्टॉक बनाना अनुरक्षित रखना, भंडारण, परिवहन और उपभोक्ताओं तक खाद्यान्नों की वाजिब दामों पर वितरण, और खाद्यान्नों के मूल्यों में स्थिरता आते हैं। प्रयुक्त मूल्य लिखत अधिकतम बिक्री मूल्य और केंद्रीय निर्गमन मूल्य (सीआईपी) हैं।

कृषि उपज की मूल्य नीति

5.46 जैसाकि अनिवार्य है, कृषि लागत और मूल्य आयोग (सीएसीपी) तेरेस फसलों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) संस्तुत करता है, लेकिन प्रभावी मूल्य सहायता मुख्यतः गेहूं और चावल के पक्ष में संचालित की जाती है और वह भी चुनिंदा राज्यों में। इससे गेहूं व चावल के पक्ष में अत्याधिक असमान प्रोत्साहन संरचना सृजित होती है। जबकि देश दालों और तिलहनों (खाद्य तेल) के लिए आयात पर निर्भर है, उनकी कीमतें अक्सर न्यूनतम बिक्री मूल्य से कम होते हैं क्योंकि इनकी कोई प्रभावी मूल्य सहायता नहीं होती।

चित्र 5.11: एमएसपी वृद्धि दर में परिवर्तन



स्रोत : कर्मीशन फार एग्रीकल्चरल कास्ट्स एण्ड प्राइसेस (सीएसीपी)।

84 आर्थिक समीक्षा 2014-15

2012-13 से विभिन्न फसलों के एमएसपी की वृद्धि में नरमी आई है।

खरीद

5.47 खरीद और जन वितरण की कुशलता बढ़ाने और स्थानीय किसानों को एमएसपी के लाभ देने के लिए कुछ राज्य सरकारों द्वारा विकेन्द्रीयकृत खरीद स्कीम (डीसीपी) अपनाई गई है। केन्द्रीय सरकार सभी राज्य सरकारों से उनके द्वारा डीसीपी स्कीम अपनाने का आग्रह कर रही है ताकि वितरण की लागत बचाई जा सके और अब तक कमजोर क्षेत्रों में किसानों के मूल्य सहायता तंत्र की आउटरीच में सुधार किया जा सके। दैनिक आधार पर खरीद संचालनों संबंधी सूचना के प्रवाह में अंतर की समस्या दूर करने के लिए देश में दैनिक आधार पर गेहूं, धान और मोटे अनाज की खरीद कियाओं की रिपोर्टिंग और निगरानी के लिए ऑनलाइन खरीद निगरानी प्रणाली (ओपीएमएस) विकसित की गई है।

5.48 दो निर्णय जिनके परिणामस्वरूप: खरीफ विपणन ऋतु (के-एसएस) 2014-15 रबी विपणन ऋतु (आरएमएस) 2015-16 से चावल व गेहूं की खरीद और स्टॉक सीमित होंगे: (क) ऐसे राज्यों से सीमित खरीद जो टीपीडीएस/ओडब्ल्यूएस जरूरतों की हद तक एमएसपी के

अलावा बोनस की घोषणा कर रहे हैं। बोनस की घोषणा करने वाले गैर-डीसीपी राज्यों के मामले में भारतीय खाद्य निगम इन राज्यों में एमएसपी क्रियाओं में हिस्सा नहीं लेगा। (ख) चावल पर अधिकतम 25% का प्रभार लगाना।

5.49 इस निर्णय से के-एमएस 2014-15 में छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में धान के बारएमएस 2015-16 के उपर बोनस देने के चलन में कमी लाने में सफलता मिली है और उम्मीद है कि इस नीति के महेनजर, मध्य प्रदेश और राजस्थान राज्य सरकारें भी गेहूं के लिए बोनस देने से बचेंगी। के-एमएस 2014-15 में खरीद के स्तर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, दोनों में विगत वर्ष की अपेक्षा कम है और बाजार में प्रतिस्पर्धा फिर से उभर रही है। सारणी 5.6 में प्राप्ति, कुल खरीद तथा स्टॉक संबंधी आंकड़े 2003 से दिए गए हैं।

बफर स्टॉक

5.50 केन्द्रीय पूल में अप्रैल, 2005 से मौजूद खाद्यान्नों हेतु बफर मानदंडों में विगत कुछ वर्षों में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) के तहत खाद्यान्नों की अधिक खरीद और 5.7.2013 से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू होने की पृष्ठभूमि में संशोधन किया गया है। संशोधित बफर मानदंड सारणी 5.7 में दर्शाए गए हैं:

सारणी 5.6 : सार्वजनिक वितरण प्रणाली: प्राप्ति, आफ-टेक तथा स्टॉक

(मिलियन टन)

वर्ष	प्राप्ति			आफ-टेक			स्टॉक		
	चावल	गेहूं	जोड़	चावल	गेहूं	जोड़	चावल	गेहूं	जोड़
2003-04	22.9	15.8	38.7	25.0	24.3	49.3	13.1	6.9	20.7
2004-05	24.7	16.8	41.5	23.2	18.3	41.5	13.3	4.1	18.0
2005-06	27.6	14.8	42.4	25.1	17.2	42.3	13.7	2.0	16.6
2006-07	25.1	9.2	34.3	25.1	11.7	36.8	13.2	4.7	17.9
2007-08	28.7	11.1	39.9	25.2	12.2	37.4	13.8	5.8	19.8
2008-09	34.1	22.7	56.8	24.6	14.9	39.5	21.6	13.4	35.6
2009-10	32.0	25.4	57.4	27.4	22.4	49.7	26.7	16.1	43.3
2010-11	34.2	22.5	56.7	29.9	23.1	53.0	28.8	15.4	44.3
2011-12	35.0	28.3	63.4	32.1	24.2	56.3	33.4	20.0	53.4
2012-13	34.0	38.2	72.2	32.6	30.1	62.8	35.5	24.2	59.8
2013-14	31.3	25.1	56.4	29.2	28.2	57.4	30.6	17.8	49.5
2014-15*	16.2	28.0	44.2	4.5	3.8	8.3	23.5	37.3	61.6

स्रोत: खाद्य, उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक वितरण, भारत सरकार

नोट: * 9.1.2015 के अनुसार

सारणी 5.7 : बफर स्टॉक मानदण्ड में संशोधन (मिलियन टन)

के अनुसार	अप्रैल 2005 से मौजूद	संशोधित
1 अप्रैल	21.2	21.04
1 जुलाई	31.9	41.12
1 अक्टूबर	21.2	30.77
1 जनवरी	25.0	21.41

5.51 चावल और गेहूं के 21.41 मिलियन टन के बफर स्टॉक से (प्रत्येक वर्ष 1 जनवरी की स्थिति) 1 जनवरी, 2015 को 61.6 मिलियन टन कुल केंद्रीय पूल स्टॉक इस पर विचार करते हुए कि भारतीय खाद्य निगम की खाद्यानों की खरीद, भंडारण और वितरण की आर्थिक लागत लगभग 40-50% खरीद मूल्य से थोड़ा अधिक है, अतिरिक्त स्टॉक में तालाबंद स्टॉक, विशेषकर पिछले पांच वर्षों से लगातार बंद स्टॉक खाद्य नीति में खामियों को दर्शाता है। इसके कारण भरपूर पैदावार और अतिरिक्त स्टॉक के बावजूद अनाजों की कीमतें बढ़ी हैं।

भारतीय खाद्य निगम पर खाद्यानों की आर्थिक लागत

5.52 खाद्यानों की आर्थिक लागत में तीन घटक नामतः केंद्रीय बोनस, यदि लागू हो, सहित न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) जो मूल्य किसानों का दिया जाता है, खरीद की संख्याओं और वितरण की लागत होते हैं। विगत पांच वर्षों के दौरान एमएसपी में वृद्धि और खरीद की संख्याओं में अनुपातिक वृद्धि और खरीद की संख्याओं में अनुपातिक वृद्धि जैसा सारणी 5.8 में दर्शाया गया है, के कारण गेहूं और चावल दोनों की आर्थिक लागत में काफी बढ़ोत्तरी हुई है।

5.53 उच्च आर्थिक लागत के लिए खुले सिरे की खरीद नीति के व्यापक समीक्षा जरूरी हो गई खासकर उन राज्यों में जो एमएसपी के ऊपर अधिक बोनस देते हैं और जो अधिक कर एवं संविधिक प्रभार लगाते हैं। और साथ ही ऐसी भंडारण एवं वितरण नीतियां जो देश को महंगी पड़ रही हैं। इस संबंध में सरकार ने इसकी संचालन दक्षता और वित्तीय प्रबंधन में सुधार करने की दृष्टि से अन्य बातों के साथ-साथ भारतीय खाद्य निगम की पुन संरचना पर विधित करने के सुझाव देने के लिए श्री शांता कुमार की अध्यक्षता में अगस्त, 2014 को उच्च स्तरीय समिति (एचसीएल) स्थापित की है। उच्च स्तरीय समिति की मुख्य सिफारिशों का सार बॉक्स 5.2 में दिया गया है।

खुला बाजार बिक्री स्कीम (घरेलू)

5.54 भारतीय खाद्य निगम, भारत सरकार की ओर से खुले बाजार के मूल्यों पर नरमी को और अधिशेष स्टॉकों को कम करने पर 2014-15 के दौरान खुले बाजार से बिक्री स्कीम (घरेलू) के तहत घरेलू बाजार में बिक्री के लिए 100 लाख टन गेहूं आर्बिट दिया गया है। सरकार ने इस वर्ष पूर्व परिणामी से हटकर पहले पुराने स्टॉक की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए विभेदक मूल्य नीति अपनाई है। सरकार, जानकर आरक्षित मूल्य, एमएसपी से अधिक निर्धारित कर रही है लेकिन यह गेहूं की अधिग्रहण लागत या आर्थिक लागत से उपयुक्त तौर पर कम है ताकि कटाई के मौसम के दौरान खरीदारों में से जिसमें से गेहूं खरीदने के लिए आकर्षण बना रहे और बाजार में प्रतिस्पधा बनी रहे। इसी के साथ कम खरीद-फरीख्त के मौसम में बाजार के मूल्यों में अधिक बढ़ोत्तरी नहीं होती और मुद्रास्फीति नियंत्रित रहती है।

सारणी 5.8 : चावल तथा गेहूं की आर्थिक लागत

(₹ कुन्तल)

वर्ष	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14(पी)	2014-15 (स.अ.)
चावल					
खाद्यान की पूल की गई लागत	1446.53	1512.20	1633.83	1788.96	1925.52
प्रासंगिक के प्राप्ति	313.09	350.00	383.76	435.13	462.13
वितरण लागत	223.49	260.74	287.28	374.26	430.26
आर्थिक लागत	1983.11	2122.94	2304.87	2598.35	2817.91
गेहूं					
खाद्यान की पूल की गई लागत	1064.32	1119.18	1219.41	1273.57	1346.64
प्रासंगिक के प्राप्ति	212.38	235.68	263.35	331.81	339.00
वितरण लागत	217.65	240.39	269.81	326.87	361.92
आर्थिक लागत	1494.35	1595.25	1752.57	1932.25	2047.56

बाक्स 5.2: एफसीआई की पुनर्संरचना के संबंध में उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशें

खरीद संबंधी मुद्दे

- एफसीआई को गेहूं, धान और चावल की सभी खरीद क्रियाएं राज्यों को सौंप देनी चाहिए ताकि उन्हें इसमें पर्याप्त अनुभव हो और खरीद के लिए उचित अवसंरचना बनाएँ। एफसीआई इन राज्यों मिल मालिक नहीं से केवल अधिशेष (एनएफएसए) के तहत राज्यों की जरूरतें घटाने के बाद लेगा जिसे अभावग्रस्त राज्यों को हस्तांतरित किया जाएगा। एफसीआई को उन राज्यों की मदद के लिए आगे आना चाहिए जहां किसान हताश होकर एमएसपी से काफी कम मूल्य पर बिक्री करते हैं और जिनमें छोटी जोतों की बहुतायत है।
- केंद्र को राज्यों को स्पष्ट करना चाहिए यदि उनके द्वारा एमएसपी से उपर बोनस दिया जाता है केन्द्र अपने पीडीएस और पीडब्ल्यूएस के लिए राज्य द्वारा आवश्यक परिणाम से अधिक खाद्यान्न केंद्रीय पूल में नहीं लेगा।
- कमीशनों सहित सार्विधिक प्रभारों को एमएसपी के 3% अथवा अधिकाधिक 4% तक एक स्थान कम करने की जरूरत है और यह स्वयं एमएसपी में शामिल किया जाना चाहिए। (प्रभारों की इस मितव्यिता के कारण राजस्व में हानि उठाने वाले राज्यों के अगले 3-5 वर्षों के वैविध्यकरण पैकेज के जरिये प्रतिपूर्ति की जा सकती है।)
- भारत सरकार को दालों व तिलहनों तथा व्यापार नीति के साथ उनकी एमएसपी नीति डोवटेल के लिए बेहतर मूल्य समर्थन उपलब्ध कराना चाहिए ताकि उनकी लागत उनके एमएसपी से कम न रहे।
- कवर और पिलंथ (सीएपी) भंडारण को चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया जाना चाहिए, जिससे कोई खाद्यान्न स्टॉक अवधि तक सीएपी में न रहे।

पीडीएस और एनएफएसए संबंधी मुद्दे

- पीडीएस और 40 से 50 प्रतिशत की रेंज के लीकेज को देखते हुए भारत सरकार का राज्यों में एनएफएसए हठ जाना चाहिए क्योंकि पूरी तरह से व्यापक लाभार्थियों से किसी की सूची नहीं है ताकि सत्यापन किया जा सके और पीडीएस सीरीसाव को रोकने के लिए सतर्कता समितियां गठित नहीं की हैं।
- जनसंख्या के कवरेज को 40 प्रतिशत के आस-पास लाए जाए।
- बीपीएल परिवार और कुछ उससे ऊपर के परिवारों को 7 किलो प्रति व्यक्ति दिया जाए।
- केन्द्र द्वारा जारी कीमतों पर अन्तर्योदया परिवारों को ₹ 3/2/1 किलो पर अनाज कुछ समय के लिए दिया जा सकता है लेकिन प्राथमिकता प्राप्त परिवारों के लिए कीमत को एमएसपी से जोड़ा जाए।

भण्डारण एवं आवा-जाही संबंधी मुद्दे:

- एफसीआई को अपने भण्डारण संबंधी प्रचालन विभिन्न एजेंसियों से आउटसोर्स करने चाहिए।
- कवर्ड एण्ड प्लिंथ (कैप) भण्डारण को चरणबद्ध रूप से समाप्त किया जाना चाहिए और कैप में तीन महीने से ज्यादा कोई खाद्यान्न भण्डार नहीं रहना चाहिए।
- जहां भी संभव हो कैप के स्थान पर सिलो बैग प्रौद्योगिकी और परंपरागत भंडारण इस्तेमाल किया जाना चाहिए।

बफर स्टॉक क्रियाओं और नकदीकरण नीति के संबंध में

- डीएफपीडी/एफसीआई को ओएमएसएस अथवा निर्यात बाजारों में स्टॉक के नकदीकरण के सहयोग में काम करना होगा क्रियाएं करनी चाहिए और अपनी एमएसपी नीति या व्यापार नीति से तालमेल करना चाहिए ताकि उनकी बाजार में उतारने की कीमत एमएसपी से कम न हो।
- एफसीआई को ओएमएसएस और निर्यात बाजारों में संचालन के लिए व्यवसाय उन्मुखीकरण के साथ अधिक लचीलेपन की जरूरत है।

किसानों को प्रत्यक्ष सब्सिडी संबंधी : किसानों को प्रत्यक्ष नकद सब्सिडी (लगभग ₹ 7000 रु/हेक्टेएर) ही जाए और तदोपरांत उर्वरक क्षेत्र को नियंत्रण मुक्त किया जाए।

एंड टू एंड कंप्यूटरीकरण संबंधी:

- एचसीएल पूरी खाद्य प्रबंधन प्रणाली की कुल एंड टू एंड कंप्यूटरीकरण की सिफारिश करती है जो किसानों से खरीद से शुरू कर, स्टॉकिंग आवाजाही और अंतत टीपीडीएस के जरिये वितरण तक किया जाए।

एफसीआई का नया चेहरा:

- एफसीआई का नया चेहरा खाद्य प्रबंधन प्रणाली में नवाचारों हेतु किसी एजेंसी के सदृश होगा जिसका प्रमुख फोकस खरीद से स्टॉकिंग और उससे आवाजाही व अंतत: टीपीडीएस में वितरण की खाद्य-खाद्यान्न आपूर्ति श्रृंखला के प्रत्येक क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा सुरक्षित करना है। ताकि प्रणाली की समग्र लागतों में काफी कमी आए, हानि समाप्त हो और इससे काफी अधिक किसानों व उपभोक्ताओं का लाभ मिले।

खाद्य सब्सिडी:

5.55 खाद्य सुरक्षा प्रणाली के दोहरे उद्देश्य हैं; सब्सिडीकृत खाद्यान्नों के जरिये गरीबों को न्यूनतम पोषण सहायता की व्यवस्था करना और विभिन्न राज्यों में मूल्य स्थिरता सुनिश्चित करना। वितरण संबंधी तर्क संगतता के अपने दायित्व को पूरा करते हुए सरकार खाद्य सब्सिडी देती है। इस कार्यक्रम में 4,50,000 उचित दर दुकानों के माध्यम से सेवाप्राप्त 65 मिलियन से अधिक बीपीएल परिवार कवर है। जबकि गेहूं और चावल की आर्थिक लागत काफी बढ़ी है, 1 जुलाई 2002 से निर्गत मूल्य में कोई बदलाव नहीं हुआ है। एनएफएसए के कार्यान्वयन के कारण एपीएल और बीपीएल श्रेणियों के लिए केंद्रीय निर्गम मूल्य (सीआईपी) में और अधिक कमी आई है। अतः सरकार ने टीपीडीएस/एनएफएसए और अन्य पोषण आधारित कल्याण स्कीमों और खुले बाजार की क्रियाओं के तहत वितरण हेतु खाद्यान्नों पर भारी और अधिकाधिक सब्सिडी देना जारी रखा है। विगत कुछ वर्षों से खाद्य सब्सिडी विधेयक से इसमें काफी बढ़ोत्तरी हुई है जिससे सरकार खजाने पर काफी दबाव पड़ा है (सारणी 5.9)

भण्डारण

5.56 30 नवम्बर 2014 के अनुसार खाद्यान्न भण्डारण हेतु उपलब्ध कुल क्षमता 727 लाख मीट्रिक टन थी, जिसमें से कवर गोदाम की 567 लाख मीट्रिक टन की क्षमता तथा 160 लाख मीट्रिक टन क्षमता की सुविधा कवर की गई एवं टिलंथ (सीएपी) को मिलाकर। भंडार

गृह क्षमता न केवल क्षमता के संदर्भ में सीमित है वरन् कतिपय फसलों के लिए भी सीमित है। भंडारण क्षमता में काफी समय से उत्पादन व मांग में वृद्धि के साथ तालमेल नहीं रहा है। इस पर विचार करते हुए 36 मिलियन टन केवल कवर और भंडारण (सीएपी) है, जिसे वैज्ञानिक भंडारण नहीं माना जा सकता, हमारी सरकारी एजेंसियों के पास उनके द्वारा खरीदे गए गेहूं चावल की आधी मात्रा के लिए भी उपयुक्त भंडारण सुविधा नहीं है। फलते व सब्जियों जैसे जल्दी खराब होने वाली मदों में प्रचलित मौसमी मुद्रास्फीति के मद्देनजर मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने की कोई प्रभावी कार्यनीति नहीं है। सभी प्रकार की खाद्य मदों के लिए शीत भंडारण क्षमता महज 29 मिलियन टन है। (योजना आयोग 2012)। अकेले आलू का उत्पादन लगभग 35 मिलियन टन है। भारत में उत्पादित 10% फसलों व सब्जियों के लिए ही शीत भंडारण सुविधा उपलब्ध है (योजना आयोग 2011)। बजट 2014 में वैज्ञानिक भंडारण गृह विकसित करने के लिए 5000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त भंडारण क्षमता से 16 मिलियन टन की अतिरिक्त क्षमता सृजित हो सकती है। वैज्ञानिक भंडारण क्षमता की जरूरत और उपलब्धता के बीच अंतर को पाठने के लिए वैज्ञानिक भंडारण में निजी निवेश को बढ़ावा देने की नीति महत्वपूर्ण है।

कृषि-विपणन सुधार

5.57 बॉक्स 5.3 : में कृषि विपणन में हाल में की गई पहलें दी गई हैं। बजट 2014-15 में राष्ट्रीय बाजार स्थापित करने की जरूरत को स्वीकार किया गया है और कहा गया है कि राज्य सरकारें निजी बाजार मार्गों/निजी बाजारों की स्थापना के लिए व्यवस्था करने हेतु अपने संबंधित एपीएमसी अधिनियम का पुनः उद्देश्य परक बनायेंगी। बजट में भी घोषणा की गई है कि राज्य सरकारों को उनकी पैदावार सीधे बेचने में किसानों को समर्थ बनाने के लिए शहरी क्षेत्रों में किसान बाजार विकसित करने के लिए प्रेरित किया जाएगा।

वस्तु वायदा बाजार

5.58 वर्तमान में 113 वस्तुओं में से केवल 43, जो वायदा व्यापार के लिए अधिसूचित हैं, का 4 राष्ट्रीय विनियम केन्द्रों और 6 वस्तु विशेष विनियम केन्द्रों में सक्रिय रूप से व्यापार होता है। कृषि वस्तुओं में वायदा व्यापार 2014-15 में दिसम्बर, 2014 तक कुल टर्नओवर का 18.37 प्रतिशत रहा, इसमें खाद्य मदों (रिफाइन्ड सोया

सारणी 5.9 : जारी खाद्य सब्सिडियों का परिणाम

वर्ष	खाद्य सब्सिडी (करोड़ रुपए)	वार्षिक वृद्धि (प्रतिशत)
2005-06	23071.00	-10.39
2006-07	23827.59	3.28
2007-08	31259.68	31.19
2008-09	43668.08	39.69
2009-10	58242.45	33.37
2010-11	62929.56	8.05
2011-12	72370.90	15.00
2012-13	84554.00	16.83
2013-14	89740.02	6.13
2014-15	107823.75*	20.15

स्रोत: खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

टिप्पणी: * 9 जनवरी 2015 तक के आंकड़े

बॉक्स 5.3 : कृषि विपणन में नई पहल

- (i) डीएसी ने मॉडल अधिनियम के उपबंधों के परे कार्य करने के लिए राज्यों को एक व्यापक सलाह जारी की है और समस्त राज्य को एक ही बाजार घोषित किया है जिसके तहत समस्त राज्य में एक ही लाइसेंस वैध है और राज्य के भीतर कृषि उत्पाद को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने संबंधी सभी अड़चनों को समाप्त करने की सलाह दी गई है।
- (ii) ई-प्लेटफार्म के माध्यम से कृषि वस्तुओं के लिए राष्ट्रीय सामूहिक बाजार विकसित करने को बढ़ावा देने के लिए 200 करोड़ रुपए की कृषि तकनीकी अवसरण्चना कोष एग्री-टेक अवसरण्चना कोष) के माध्यम से “राष्ट्रीय कृषि मण्डी को बढ़ावा” देने संबंधी एक केन्द्रीय सेक्टर की स्कीम का विभाग ने अनुमोदन किया है, जिसका क्रियान्वयन 2014-15 से 2016-17 के दौरान किया जाना है। इस स्कीम के अंतर्गत सभी राज्यों में कृषि विपणन के लिए सामूहिक ई-प्लेटफार्म के क्रियान्वयन के जरिए राष्ट्रीय बाजार की ओर अग्रसर होने के लिए एटीआईएफ का उपयोग करने का प्रस्ताव है।
- (iii) केन्द्र सरकार के अनुरोध पर अनेक राज्य सरकारों ने फलों और सब्जियों के बाजार को एपीएमसी अधिनियम के दायरे से बाहर रखा है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली ने 02.09.2014 को अधिसूचना जारी करके फलों और सब्जियों के संबंध में इस दिशा में प्रयास किया है, जिसके द्वारा फलों और सब्जियों के विनियमन को पुनःपरिभाषित बाजार के दायरे/एपीएमसी, एमएनआई, आजादपुर, एपीएमसी, केशोपुर और एपीएमसी शाहदरा के यदि/उपयार्ड क्षेत्र से हटा दिया गया है। कृषि मण्डी, लघु कृषक एग्री विजनेस कन्सीर्टियम विकास ने प्रक्रिया में अनावश्यक मध्यस्थता को पूरी तरह हटाने या कम करके संभावित क्रेताओं के अन्ते उत्पादों को सीधे बेचने के लिए कृषक उत्पादक संगठनों को एक मंच प्रदान करने की दृष्टि से दिल्ली में कृषक मण्डी विकसित करने के लिए पहल की है।

स्रोत : डीएसी।

आयल, सोयाबीन, चना, रैपसीड/सरसों बीज तथा कोरिएन्डर) 50.01 प्रतिशत और खाद्य-भिन्न मदं (अरण्डी के बीज तथा कपास) 24.14 प्रतिशत था। बाकी (81.63) प्रतिशत कारोबार सोना-चांदी, धातुओं ऊर्जा संविदाओं का था। वित्त मंत्रालय द्वारा एक समिति गठित की गई, जिसने अप्रैल, 2014 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें पाया गया कि वस्तु वायदा बाजार की बचाव करने की क्षमता कम है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि वस्तुओं के वायदा बाजार

का विनियमन अच्छा हो और भारत वस्तु वायदा बाजार अंतर्राष्ट्रीय विनियामक अपेक्षाओं का पालन करे, वस्तु वायदा बाजार के लिए विनियमाक ढांचे को यथाशीघ्र सुदृढ़ करने की आवश्यकता है।

व्यापार नीति

5.59 कृषि वस्तुओं के संबंध में व्यापार नीति घरेलू उपलब्धता और मूल्य स्थिति के प्रत्युत्तर में समय-समय पर बदलती रहती है। मूल्य बद्धित उत्पादों के घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहित करने, रोजगार का सृजन करने और निर्यात को प्रतिस्पर्धात्मक बनाने के लिए कुछ घरेलू उत्पादों में आधारभूत सीमा-शुल्क को कम कर दिया/हटा दिया गया था। अवमूल्यन का सामना करने और घरेलू किसानों एवं उद्योगों के हितों का संरक्षण करने के लिए चीनी और खाद्य तेल जैसे कुछ कृषि उत्पादों का आधारभूत सीमा-शुल्क (बीसीडी) बढ़ा दिया गया। घरेलू खाद्य तेल बीज/पार्म के उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। इससे तिलहन की कीमतें एमएसपी से नीचे आएंगी जिनका सरकारी एजेंसियों द्वारा भण्डारण अपेक्षित होता है। सीमा शुल्क विभाग की दिनांक 21 अगस्त, 2014 की अधिसूचना के तहत चीनी पर शुल्क 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत तथा सीमा शुल्क विभाग की दिनांक 24 दिसंबर, 2014 अधिसूचना के तहत कच्चा तेल एवं रीफाइंड खाद्य तेलों पर आयात शुल्क को क्रमशः 2.5 प्रतिशत से 7.5 प्रतिशत और 10 प्रतिशत से 15 प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया है।

5.60 दालों के निर्यात की मांग लगातार बढ़ रही है। इससे किसानों को दाल की खेती में निवेश करने का प्रोत्साहन मिलेगा। साथ ही अत्यधिक आयात को रोकने के लिए उपयुक्त शुल्क ढांचा बनाना होगा।

5.61 कृषकों को फायदा पहुंचाने तथा कृषि प्रसंस्करण सेक्टर के विकास को प्रोत्साहित करने एवं कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए हाल के वर्षों में निम्नलिखित नीतिगत परिवर्तन किए गए:

- 5 कि.ग्रा. तक ब्रांडिड उपभोक्ता पैक में खाद्य तेल के निर्यात को दिनांक 30 अप्रैल, 2014 की डीजीएफटी की अधिसूचना द्वारा 1100 अमरीकी डालर प्रति मीट्रिक टन के न्यूनतम निर्यात मूल्य पर अनुमति दी गई थी।

- काबुली चना का निर्यात और प्रतिवर्ष 10,000 अमरीकी डालर प्रति मीट्रिक टन की दर से जैविक दालों का निर्यात अनुमति किया गया।
- 2011 से, चावल और गेहूं का निर्यात करने की अनुमति दी गयी।
- फरवरी, 2013 से प्रसंस्कृत और/या मूल्यवर्धित कृषि उत्पादों का निर्यात सीमित करने/प्रतिबंधों से छूट दी गई यहां तक कि उनका आधार उत्पादन निर्यात प्रतिबंध के अधीन है।
- कपास का निर्यात बिना किसी प्रतिबंध के मुक्त है।

5.62 कृषि के लिए निर्यात नीति बहुधा मूल्य समर्थन और मूल्य स्थिरीकरण के साधन के रूप में माना जाता है। तदर्थ आधार पर मूल्य गिरने के प्रत्युत्तर में कृषि उत्पादों के लिए टैरिफ में वृद्धि करने की अनुशंसा की जाती है। कृषि उत्पादों की आयात नीति में सुधार की अवश्यकता है। आयात के लिए प्रयुक्त टैरिफ को अन्तर्राचक्रीय तरीके से अंतरराष्ट्रीय मूल्य के साथ जोड़ा जाना चाहिए ताकि आयातित वस्तुओं के लिए बढ़े हुए मूल्य गिरकर ज्ञात दायरे में आ जाए। यह कृषकों को वस्तुओं के मूल्य में तेजी से गिरावट के प्रतिकूल प्रभाव से संरक्षण प्रदान करेगा और कृषि में दीर्घावधिक निवेश सुसाध्य बनाएगा। जबकि व्यापार नीति को स्थिर होना चाहिए, इसे तेजी से निर्यातक देशों के निर्यात शुल्क संरचना में परिवर्तन प्रत्युत्तर में फुर्तीला होना चाहिए, जो मूल्यवर्धित उत्पादों को कच्ची सामग्री और तैयार उत्पादों के बीच हमारे शुल्क विभेदक को निरस्त करते हुए बेचने का लक्ष्य रखते हैं।

कृषि व्यापार

5.63 भारत कुछ फसलों अर्थात् कपास, चावल, मांस तेल, काली मिर्च और शर्करा में महत्वपूर्ण कृषि निर्यातक के रूप में उभरा है। विश्व व्यापार संगठन की व्यापार सांख्यिकी के अनुसार भारत के कृषि का निर्यात का हिस्सा और विश्व व्यापार में निर्यात 2013-14 में क्रमशः 2.69% तथा 1.31% था। कृषि सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में कृषि निर्यात 2008-09 के 9.10% से बढ़कर 2013-14 में 14.05% हो गया है। इसी अवधि के दौरान कृषि स.घ.उ. के प्रतिशत के रूप में कृषि आयात 3.94% से बढ़कर 5.50% हो गया है।

संभावनाएं और चुनौतियां

5.64 मुद्रास्फीति के वर्तमान स्तर से बहुत ज्यादा बढ़ने की संभावना नहीं है क्योंकि:

- (क) कमजोर वैश्विक मांग एवं वर्धित आपूर्ति के कारण आगामी महीनों में तेल की कीमतें सुखद स्थिति में रह सकती हैं।
- (ख) वैश्विक वस्तु मूल्य, हाजिर और वायदा दोनों सामान्य तौर पर गिर रहे हैं। वैश्विक वस्तु मूल्य कम अंतरराष्ट्रीय मांग और सुखद आपूर्ति के कारण 2015 में कमजोर रह सकता है।
- (ग) अधिक ग्रामीण मजदूरी, एमएसपी का उच्च स्तर, और निविष्टि लागत में वृद्धि जैसे कारक पिछले कुछ वर्षों में उच्च मुद्रास्फीति के कारण थे। वर्तमान में, इन सभी प्रेरकों की वृद्धि काफी धीमी पड़ गई है और इसके परिणामस्वरूप खाद्य मुद्रास्फीति को सीमाओं के भीतर रखा जा सकता है।

5.65 कृषि और खाद्य सेक्टर के लिए अनुसंधान, शिक्षा, विस्तार, सिंचाई उर्वरक और मृदा जल और वस्तुओं के परीक्षण के लिए प्रयोगशालाओं, भण्डागारण, शीतल भण्डागरण में बढ़े निवेश करने की आवश्यकता है। सब्सिडियों का यौक्तिकीकरण और लाभार्थियों को बेहतर लक्ष्य बनाने से सरकारी निवेश के संसाधनों का अंश सृजित होगा। राज्यों में फसल की उपजों में बढ़ा अंतर है। यहां तक कि सबसे अच्छे राज्यों का विभिन्न फसलों में बहुत कम उपज है। जब हम विश्व के श्रेष्ठ राज्य से तुलना की जाती है। यह जलवायु क्षेत्र में व्यावहार्य सीमा तक फसल-उपज के अन्तर को समाप्त करके उत्पादन बढ़ाने का सुअवसर प्रदान करता है।

5.66 अभी तक कृषि के लिए सरकारी व्यय को फोकस सब्सिडियों के प्रावधान पर रहा है (कृषि में सरकारी खर्च खाद्य और उर्वरक सब्सिडियों महज एक चौथाई है, सीएसपी खरीफ रिपोर्ट 2014-15) और अब समय आ गया है कि इसे उत्पादकता में बढ़ातेरी के लिए निवेश हेतु अंतरित किया जाए। शान्ता कुमार समिति की सिफारिशें खाद्य नीति की भावी योजना के लिए उपयोगी सुझाव प्रदान करती हैं। कृषि वस्तुओं के लिए राष्ट्रीय सामूहिक बाजार बनाने के लिए सभी राज्यों को राजी करने हेतु हर प्रयोग किया जाना चाहिए। विभिन्न नीतियों से उभरने वाली विकृतियों में बिजली और पानी के लिए प्रयोक्ता प्रभार से छूट को हटा दिया जाना चाहिए।

औद्योगिक, कारपोरेट और अवसंरचना निष्पादन

पिछले तीन वर्षों में हुए धीमे औद्योगिक विकास के संबंध में पूर्ववर्ती धारणा, सकल घरेलू उत्पाद के नवीनतम अनुमानों से भिन्न है जो नई क्रियापद्धति पर आधारित है और जिसका आकलन आधार-वर्ष 2011-12 पर किया गया है। सकल घरेलू उत्पाद के नवीनतम अनुमान खनन और विनिर्माण क्षेत्र द्वारा प्रेरित औद्योगिक पुनरुद्धार का संकेत देते हैं। लेकिन, चालू वर्ष में ऋण वृद्धि, कारपोरेट निष्पादन और औद्योगिक उत्पादन सूचकांक धीमें औद्योगिक विकास की ओर लगातार इशारा कर रहे हैं। आठ प्रमुख उद्योगों के संदर्भ में अवसंरचना विकास वर्ष 2011-12 से औद्योगिक विकास से अधिक रहा है और इस रूझान के जारी रहने की संभावना है। आशा है कि औद्योगिक विकास में सुधार लाने के लिए वृहत स्तर पर क्षेत्रगत स्तर पर किए गए अनेक उपायों से कुछ समय के बाद अच्छे परिणाम हासिल होंगे।

6.2 वर्ष 2011-12 को आधार वर्ष मानते हुए, राष्ट्रीय खातों के संबंध में हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2012-13, 2013-14 तथा 2014-15 में क्रमशः 2.4 प्रतिशत, 4.5 प्रतिशत तथा 5.9 प्रतिशत औद्योगिक विकास हुआ है जो आधार वर्ष के रूप में 2004-05 में इसी तरह के आंकड़ों के अनुसार हुई वृद्धि दर की अपेक्षा काफी बेहतर है। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2013-14 में उद्योग में सकल पूंजी निर्माण में 1.4 प्रतिशत की वृद्धि यह दर्शाती है कि औद्योगिक विकास में सुधार पिछले साल शुरू हो गया था। इसके मुकाबले, औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक (आईआईपी) के अनुसार औद्योगिक क्षेत्र में धीरे-धीरे सुधार हो रहा है जो यह संकेत देता है कि अप्रैल-दिसंबर 2014-15 में औद्योगिक विकास पिछले वर्ष की समान अवधि में 0.1 प्रतिशत की तुलना में 2.1 प्रतिशत था। अवसंरचना क्षेत्रों अर्थात् विद्युत, कोयला और सीमेंट में सबसे ज्यादा सुधार हुआ। खनन क्षेत्र में विकास सकारात्मक रहा जबकि विनिर्माण क्षेत्र में वृद्धि शिथिल बनी रही। उपयोग आधारित वर्गीकरण के अर्थ में, मूलभूत तथा पूंजीगत वस्तुएं सुधार के पथ पर प्रतीत होती हैं, मध्यवर्ती वस्तुएं अभी कठिनाइयों से उभरनी बाकी हैं तथा उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं से प्रेरित उपभोक्ता वस्तुओं के क्षेत्र में हास जारी है।

6.3 बिक्री और निवल लाभ में वृद्धि के संदर्भ में निजी क्षेत्र में सूचीबद्ध विनिर्माण कंपनियों के कारपोरेट क्षेत्र के निष्पादन में वर्ष 2014-15 की पहली तिमाही में आमूल-चूल परिवर्तन हुआ है। तथापि, वर्ष 2014-15 की दूसरी तिमाही में निष्पादन ने सतत सुधार की आशाओं को कम किया है। भारतीय रिजर्व बैंक की आदेश बही, वस्तु-सूची तथा क्षमता उपयोग सर्वेक्षण के सत्ताईसवें दौर के अनुसार वर्ष 2014-15 की पहली दो तिमाहियों में क्षमता उपयोग में कोई सुधार दिखायी नहीं दे रहा है।

6.4 व्यावसायिक समुदाय में विश्वास बहाल करने और औद्योगिक विकास को प्रेरित करने के लिए नई सोच के साथ एक नई व्यवस्था पहले हुई गड़बड़ी को ठीक करने का प्रयास कर रही है। बॉक्स 6.1 में औद्योगिक क्षेत्र में नई सरकार की कुछ पहले दी गई हैं। कारोबार करने में आसानी को तेजी से सुधारने तथा मेक इंडिया, डिजीटल इंडिया, राष्ट्रीय औद्योगिक कोरिडोर प्राधिकरण का सृजन, पर्यावरण और वन संबंधी स्वीकृतियों को सुचारू बनाना तथा श्रम सुधार जैसी नई पहलों को शुरू करने पर दबाव रहा है। भूमि के प्रयोग तथा प्राकृतिक संसाधनों को रोकने वाली महत्वपूर्ण कठिनाइयों पर काबू पाने के लिए; भूमि अधिग्रहण, निजी कंपनियों के लिए कोल ब्लाकों की ई-नीलामी तथा लोह

बाक्स 6.1 : औद्योगिक विकास को प्रेरित करने के लिए हालिया उपाय

- व्यवसाय करने में आसानी:** व्यवसाय करने में आसानी संबंधी सूचकांक में भारत का दर्जा काफी नीचे है और अपने दर्जे में सुधार लाने के लिए इस सूचकांक के उन अनेक मापदण्डों में सुधार किए जाने की जरूरत है जो सूचकांक बनाते हैं। इनमें व्यवसाय शुरू करने, निर्माण परमिट संबंधी कार्रवाई करने, संपत्ति का पंजीकरण, विद्युत आपूर्ति, करों का भुगतान, संविदाएं लागू करने, दिवालियापन का समाधान आदि जैसे मुहूर शामिल हैं। किए गए महत्वपूर्ण उपायों में लाइसेंसिंग का उदारीकरण और विनियंत्रण, लाइसेंस धारकों को भूमि प्राप्त करने और प्राधिकरणों से आवश्यक स्वीकृतियाँ/अनुमोदन लेने के लिए पर्याप्त समय देने के लिए लाइसेंसों की वैधता अवधि को बढ़ाना, खुदरा/एमआरआई/ईओयू विदेशी निवेशों से संबंधित मामलों में विदेशी निवेशकों द्वारा प्रस्तुत सभी आवेदनों पर कार्रवाई करने के लिए विशिष्ट समय सीमाओं वाली एक जांच सूची अपनाना, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और कर्मचारी राज्य बीमा निगम में पंजीकरण की प्रक्रियाओं का ऑटोमेशन, पर्यावरण और वन संबंधी स्वीकृतियाँ पर ऑनलाइन कार्रवाई करना, निर्यात संबंधी दस्तावेजों की संख्या में कमी लाना, स्वीकृतियाँ देने में राज्यों द्वारा सर्वोत्तम परिपाठियाँ अपनाना और सहकर्मी मूल्यांकन, स्वतः प्रमाणन इत्यादि के जरिए अनुपालन सुनिश्चित करना।
- मेक इन इण्डिया:** मेक इन इण्डिया कार्यक्रम का उद्देश्य है-निवेश को बढ़ावा देना, नवोन्मेष को प्रोत्साहित करना, कौशल विकास का संवर्धन, बौद्धिक संपदा का संरक्षण और बेहतरीन विनिर्माण अवसंरचना का निर्माण। पच्चीस क्षेत्रों से संबंधित जानकारी वेब पोर्टल पर एफडीआई नीति, राष्ट्रीय विनिर्माण नीति, औद्योगिक संपदा अधिकार, दिल्ली-मुंबई औद्योगिक गलियारा और अन्य राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारों के विवरण के साथ दी गई है। निवेशकों को मार्गदर्शन, उनकी सहायता और मदद करने के लिए 'इन्वेस्ट इण्डिया' में एक निवेशक सुविधा केन्द्र स्थापित किया गया है।
- ई-बिज परियोजना :** इस परियोजना के अंतर्गत 'सरकार से व्यवसाय की ओर' (गवर्नमेंट टू बिजनेस-जी2बी) पोर्टल स्थापित किया जा रहा है जो निवेशकों को सेवाएं प्रदान करने के लिए वन स्टॉप शॉप का कार्य करेगा और व्यवसाय और उद्योग क्षेत्र की सभी जरूरतों को व्यवसाय के सम्पूर्ण जीवन चक्र के दौरान शुरूआत से अंत तक पूरा करेगा। औद्योगिक लाइसेंस और औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन हेतु आवेदन करने की प्रक्रिया ऑन-लाइन कर दी गई है और अब यह सेवा उद्यमियों के ई-बिज वेबसाईट पर 24 ग 7 आधार पर उपलब्ध है। केन्द्र सरकार की अन्य सेवाओं को भी उच्च प्राथमिकता देते हुए समेकित किया जा रहा है।
- कौशल विकास:** कौशल और उद्यमशील कार्यकलापों को बढ़ावा देने के लिए कौशल विकास और उद्यमिता का नया मंत्रालय स्थापित करने के बाद विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों में कौशल प्रशिक्षण से संबंधित सामान्य मापदण्ड तय करने का कार्य किया जा रहा है। उद्योग/नियोक्ता के नेतृत्व में इकतीस क्षेत्र कौशल परिषदें (एसएससी) अब प्रचालनरत हैं और उन्हें 'मेक इन इण्डिया' के पच्चीस क्षेत्रों के साथ एकीकृत कर दिया गया है। देश में कौशल प्रशिक्षण और प्रमाणन के एक समान मानक तय करने के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (एनसीबीटी), स्कूल बोर्डों और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) आदि को समान रूप करने के प्रयास किए जा रहे हैं।
- पर्यावरण और वन संबंधी स्वीकृतियों को सुप्रभावी बनाना:** पर्यावरण, तटीय विनियमन क्षेत्र (सीआरजेड) और वन संबंधी स्वीकृतियों के आवेदनों को ऑनलाइन जमा करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। संघवाद को मजबूत बनाकर निर्णय लेने की प्रक्रिया का विकेन्द्रीकरण किया गया है। औद्योगिक/शैक्षिक विकास सुनिश्चित करने के लिए ऐसे औद्योगिक शेडों के निर्माण की परियोजना में पर्यावरण संबंधी स्वीकृति लेने की शर्त हटा दी गई है, जहां संयंत्र और मरीनी, शैक्षिक संस्थाएं और छात्रावास हों।
- श्रम क्षेत्र सुधार:** एक श्रम सुविधा पोर्टल शुरू किया गया है ताकि यूनिटों का ऑनलाइन पंजीकरण, यूनिटों द्वारा स्वतः प्रमाणित, सरलीकृत एकल ऑनलाइन रिटर्न जमा करना, जोखिम आधारित मापदण्डों के अनुसार कम्प्यूटरीकृत प्रणाली के जरिए पारदर्शी श्रम निरीक्षण योजना की शुरूआत करना तथा बहतर घंटों के भीतर निरीक्षण रिपोर्टों को अपलोड किया जाना संभव हो सके तथा शिकायतों का यथा समय समाधान हो सके। कर्मचारी को अपने भविष्य निधि खाते को सुवाहय, निर्बाध और सब जगह पहुंच वाला करने में मसर्थ बनाने के लिए सार्वभौम खाता नंबर शुरू किया गया है। प्रशिक्षु अधिनियम, 1961 को अधिक लचीला तथा उसे युवा वर्ग एवं उद्योग जगत के लिए अधिक आकर्षक बनाने के लिए उसमें संशोधन किया गया है और प्रशिक्षुओं को नियोजित करने के लिए विनिर्माण क्षेत्र में एमएसएमई की सहायता हेतु प्रशिक्षु प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है।

अयस्क एवं अन्य नई कोयला खानों को सुचारू बनाने के लिए अध्यादेश पास करके विनियामक अनिश्चितता दूर करने हेतु कार्रवाई की गई है।

6.5 अवसंरचना में, गैस का मूल्य निर्धारण करने, कोयले और खनिजों की पारदर्शी नीलामी हेतु प्रक्रिया और पद्धतियाँ स्थापित करने तथा विद्युत उत्पादन और वितरण को सुधारने जैसे लंबे समय से पड़े हुए मुद्दों को सुलझाने पर ध्यान दिया गया है। रेलवे में, नीतिगत घोषणाओं जैसे रेल अवसंरचना की

एक किस्म तैयार करने के लिए 100 प्रतिशत एफडीआई, बुलेट/सेमी हाई स्पीड ट्रेन जैसी नई पहलें, स्टेशनों का आधुनिकीकरण तथा डेंडिकेटिड फ्रेट कोरीडोर जैसी मुख्य परियोजनाओं को समय से पूरा करने की कड़ी निगरानी की जा रही है। सड़क क्षेत्र में, उन परियोजनाओं से जुड़ी समस्याओं को हल करने के लिए प्रयास किए गए हैं जिन्हें अभी पूरा किया जाना है और पूर्वोत्तर में राजमार्ग परियोजना के शीघ्र क्रियान्वयन हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिंक की स्थापना की गई।

आईआईपी-आधारित औद्योगिक निष्पादन

6.6 औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक (आईआईपी) मौसमी समायोजन को अनदेखा करते हुए मुख्य औद्योगिक क्षेत्रों के निष्पादन के त्वरित अनुमान प्रदान करता है। आईआईपी के अनुसार, औद्योगिक उत्पादन जो मंदा होकर 2008-09 में 2.5 प्रतिशत हो गया था, अगले दो वर्षों में बढ़कर 2010-11 में 8.2 प्रतिशत हो गया और लगातार अगले तीन वर्षों में गिरता रहा। 2014-15 में यह रुख पलट गया। धीरे होते औद्योगिक विकास के मुख्य कारण हैं:- लगातार बनी मुद्रास्फीति से निपटने के लिए उच्च व्याज दरें, निवेश में व्याप्त मंदी और कारोबारी विश्वास में कमी।

6.7 अप्रैल-दिसंबर, 2014-15 के दौरान खनन क्षेत्र में सुधार तथा विद्युत क्षेत्र में प्रभावशाली विकास के कारण औद्योगिक उत्पादन ने 2.1 प्रतिशत की वृद्धि प्राप्त की है (सारणी 6.1)। विनिर्माण क्षेत्र ढीला रहा है, और उसने अप्रैल-दिसंबर, 2014-15 में 1.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है। विनिर्माण क्षेत्र में कम वृद्धि मुख्यतः व्याज की उच्च दर, अवसंरचना संबंधी अड़चनों तथा कम क्षेत्रीय और विदेशी मांग के कारण है।

6.8 अप्रैल-दिसंबर, 2014-15 के दौरान वर्ष 2013-14 की समान अवधि की तुलना में उपयोग आधारित वर्गीकरण के संदर्भ में, बुनियादी वस्तुओं तथा पूँजीगत वस्तुओं ने

निष्पादन में काफी सुधार दर्शाया है तथा 6.9 प्रतिशत और 4.8 प्रतिशत की वृद्धि दर दर्ज की है, मध्यवर्ती वस्तुएं 1.7 प्रतिशत बढ़ी है जबकि उपभोक्ता वस्तुएं 4.9 प्रतिशत कम हुई है। उपभोक्ता वस्तुओं की वृद्धि में कमी उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं में (-)15.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

संशोधित स.घ.उ. के अनुमानों पर आधारित औद्योगिक क्षेत्र का निष्पादन

6.9 हाल ही में जारी राष्ट्रीय खातों की नई श्रृंखला के अनुसार, आधार वर्ष 2004-05 को संशोधित करके 2011-12 करके तथा प्रक्रिया में परिवर्तन करके, जिनका ब्लौरा अभी तक उपलब्ध नहीं है, औद्योगिक क्षेत्र में विकास 2004-05 श्रृंखला पर आधारित अनुमानों की तुलना में वर्ष 2012-13 और 2013-14 में पर्याप्त रूप से बढ़ा है (सारणी 6.2)। यह मुख्यतः नई श्रृंखला के अनुसार खनन और विनिर्माण क्षेत्रों में बेहतर निष्पादन के कारण है। वर्ष 2013-14 में विनिर्माण क्षेत्र में वृद्धि 2004-05 श्रृंखला में अनुमानित (-)0.7 प्रतिशत की तुलना में 5.3 प्रतिशत अनुमानित की गई है। वर्ष 2014-15 के अग्रिम अनुमान यह दर्शाते हैं कि 2011-12 के आधार वर्ष के अनुसार औद्योगिक विकास 5.9 प्रतिशत हुआ है। वर्ष 2013-14 की तुलना में विनिर्माण विद्युत और निर्माण क्षेत्रों में काफी वृद्धि हुई है

सारणी 6.1 : औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक-वृद्धि दर (प्रतिशत)

	भार	2012-		2013-			अप्रैल-	2013-14			2014-15		
		13	14	क्यू1	क्यू2	क्यू3		क्यू1	क्यू2	क्यू3	अप्रैल-	दिसंबर	
सामान्य		100.00	1.1	-0.1	-1.0	1.9	-0.8	0.1	4.5	1.3	0.5	2.1	
क्षेत्रीय													
खनन		14.16	-2.3	-0.6	-4.7	-0.2	0.5	-1.5	3.0	0.5	1.7	1.7	
विनिर्माण		75.53	1.3	-0.8	-1.1	1.4	-1.6	-0.4	3.9	0.4	-0.8	1.2	
बिजली		10.32	4.0	6.1	3.5	8.4	5.0	5.6	11.3	9.4	9.3	10.0	
उपयोग आधारित													
बुनियादी वस्तुएं		45.68	2.5	2.1	-0.2	2.8	1.8	1.5	8.7	7.0	5.1	6.9	
पूँजीगत वस्तुएं		8.83	-6.0	-3.6	-3.7	2.2	0.0	-0.4	13.6	-0.5	2.5	4.8	
मध्यवर्ती वस्तुएं		15.69	1.6	3.1	1.6	3.8	3.9	3.1	3.1	1.6	0.3	1.7	
उपभोक्ता वस्तुएं		29.81	2.4	-2.8	-2.1	-0.2	-6.1	-2.9	-3.2	-5.4	-6.4	-4.9	
उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं		8.46	2.0	2.8	-12.7	-9.5	-16.5	-12.9	-9.5	-15.5	-20.9	-15.2	
उपभोक्ता गैर-टिकाऊ वस्तुएं		21.35	-12.2	4.8	7.1	8.2	2.3	5.8	1.4	2.3	3.1	2.2	

स्रोत : केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ)

सारणी 6.2 : स्थिर मूल्यों पर उद्योग में वृद्धि में परिवर्तन (प्रतिशत)

मद	2012-13		2013-14		2014-15 (अ. अनुमान)	
	2004-05 श्रृंखला	2011-12 श्रृंखला	2004-05 श्रृंखला	2011-12 श्रृंखला	2004-05 श्रृंखला	2011-12 श्रृंखला
i खनन और खदान	-2.2	-0.2	-1.4	5.4	उ.न.	2.3
ii विनिर्माण	1.1	6.2	-0.7	5.3	उ.न.	6.8
iii विद्युत, गैस आदि	2.3	4.0	5.9	4.8	उ.न.	9.6
iv निर्माण	1.1	-4.3	1.6	2.5	उ.न.	4.5
उद्योग	1.0	2.4	0.4	4.5	उ.न.	5.9

स्रोत : सीएसओ

टिप्पणी : उ.न. : उपलब्ध नहीं।

जबकि खनन क्षेत्र में वृद्धि कम हुई है। विनिर्माण क्षेत्र में उन्नत निष्पादन, प्रक्रिया में परिवर्तन तथा नए आंकड़ों के स्रोतों के प्रयोग के कारण है। पिछले दो वर्षों की तुलना में वर्ष 2013-14 में विद्युत, गैस, जलापूर्ति तथा निर्माण में वृद्धि ने काफी सुधार दर्शाया है।

आठ मुख्य उद्योगों का कार्य निष्पादन

6.10 आठ मुख्य उद्योगों अर्थात् कोयला, उर्वरक, विद्युत, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, इस्पात और सीमेंट, का मासिक सूचकांक, जिसमें आईआईपी में मदों के भारांश का 38 प्रतिशत शामिल है, समग्र आर्थिक कार्यकलापों के प्रभाव को आंकने के लिए जारी किया गया है। वर्ष 2011-12 से आठ मुख्य उद्योगों तथा आईआईपी में वार्षिक


औसत वृद्धि दर के बीच तुलना (चित्र 6.1) यह दर्शाती है कि 2011-12 से आठ मुख्य उद्योगों की वार्षिक वृद्धि आईआईपी वार्षिक वृद्धि से ज्यादा है जो उपभोक्ता वस्तुओं की वृद्धि में मंदी को दर्शाती है।

6.11 अप्रैल-दिसंबर 2014-15 के दौरान आठ मुख्य उद्योगों में समग्र वृद्धि पिछले वर्ष की समान अवधि में 4.1 प्रतिशत की तुलना में मामूली सी बढ़कर 4.4 प्रतिशत हो गयी थी। विद्युत (9.7 प्रतिशत), कोयला (9.1 प्रतिशत) तथा सीमेंट (7.9 प्रतिशत) ने कार्य निष्पादन को बढ़ाया है जबकि प्राकृतिक गैस (-5.1 प्रतिशत), उर्वरक (-1.4 प्रतिशत), कच्चे तेल (-0.9 प्रतिशत), रिफायनरी उत्पाद (0.2 प्रतिशत) तथा इस्पात (1.6 प्रतिशत) वृद्धि में कमी के कारण रहे हैं। बिजली में सुधार हुआ निष्पादन, ताप विद्युत उत्पादन में उच्च वृद्धि; कोयला खनन में कोल इंडिया लि. द्वारा उच्च उत्पादन व कैपिटल खनन और सीमेंट में क्षमतावर्धन के कारण है। बड़ी खोज और पुराने तेल फील्डों में समस्या के कारण प्राकृतिक गैस और कच्चे तेल का उत्पादन गिरा है। घरेलू मांग में कमी और सस्ते आयात के कारण घरेलू इस्पात का उत्पादन प्रभावित हुआ है। उर्वरक का उत्पादन भी घटा है जो मुख्यतया गैस की उपलब्धता नहीं होने और विगत कुछ वर्षों में कोई महत्वपूर्ण क्षमतावर्धन न होने के कारण हुआ है।

भारत और विश्व विनिर्माण की तुलनात्मक स्थिति

6.12 विश्व के विनिर्माण उत्पाद में भारत का हिस्सा 1.8 प्रतिशत है तथा भारत के निष्पादन की तुलना वैश्विक स्थिति से करना रुचिकर है। विश्व विनिर्माण उत्पादन

चित्र 6.1: आईआईपी और बड़े आठ उद्योगों की वृद्धि



स्रोत : सीएसओ तथा आर्थिक सलाहकार, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग (डीआईपीपी)

संबंधी यूएनआईडीओ की तिमाही रिपोर्ट के अनुसार विश्व विनिर्माण वृद्धि वर्ष 2014-15 की प्रथम तिमाही में 3.4 प्रतिशत तथा दूसरी तिमाही में 3.0 प्रतिशत थी। विनिर्माण के क्षेत्र में कम वृद्धि दर पूरी दुनिया में आम बात है क्योंकि औद्योगीकृत अर्थव्यवस्थाएं मंदी का सामना कर रही हैं और उदीयमान अर्थव्यवस्थाओं का विकास बनाए रखना मुश्किल है क्योंकि ये वैश्विक बाजार में और अपनी संबंधित घरेलू अर्थव्यवस्था में कम मांग का सामना कर रही हैं। तंबाकू उत्पाद, अन्य परिवहन उपस्कर, मूलभूत धातुएं, रेडियो, टीवी तथा संचार संबंधी उपस्कर तथा मशीनरी, वे मुख्य मर्दें हैं जिन्होंने विश्व विनिर्माण उत्पाद को बढ़ाया है।

6.13 भारत का विनिर्माण उत्पाद पहली तिमाही में 3.9 प्रतिशत तथा दूसरी तिमाही में 0.4 प्रतिशत बढ़ा है। कुछ मर्दें, जिन्होंने वर्ष 2014-15 (अप्रैल-दिसंबर) में उच्च सकारात्मक वृद्धि दर्शायी हैं, वे हैं- विद्युत मशीनरी तथा उपकरण और मूलभूत धातुएं। ये सामान्य मर्द हैं जो विश्व विनिर्माण क्षेत्र में सकारात्मक वृद्धि दर्शाते हैं। तथापि, भारत के मामले में, रेडियो, टीवी और संचार उपस्कर और उपकरण, कार्यालय, लेखांकन और अभिकलन मशीनरी जैसे मर्दों ने नकारात्मक वृद्धि दर्शायी है जबकि पूरे विश्व में इन मर्दों में सकारात्मक वृद्धि हुई है। इन मर्दों में विकास का लाभ उठाने के लिए भारत को वैश्विक विनिर्माण शृंखला का हिस्सा बनना होगा और घरेलू उत्पादन सुविधाएं स्थापित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक उद्योग को प्रोत्साहन दिए जाने की जरूरत है।

कारपोरेट क्षेत्र का निष्पादन

6.14 बिक्री तथा निवल लाभ में वृद्धि के संदर्भ में निजी क्षेत्र में सूचीबद्ध विनिर्माण कंपनियों के कारपोरेट क्षेत्र के निष्पादन में वर्ष 2014-15 की पहली तिमाही में आमूल-चूल परिवर्तन हुआ है (चित्र 6.2)। तथापि, वर्ष 2014-15 की दूसरी तिमाही के निष्पादन ने सतत सुधार की आशाओं को कम किया है। उपर्युक्त कंपनियों की वर्षानुवर्ष बिक्री में वृद्धि उत्तरोत्तर तिमाही दर तिमाही घटी है, वर्ष 2012-13 की पहली तिमाही में 13.1 प्रतिशत से वर्ष 2013-14 पहली तिमाही में 0.8 प्रतिशत तक तथा बाद में वर्ष 2013-14 की अंतिम दो तिमाहियों में लगभग 5.0 प्रतिशत कम हुई है। वर्ष 2014-15 की पहली तिमाही तथा दूसरी तिमाही में क्रमशः 8.9 प्रतिशत तथा 4.2 प्रतिशत की बिक्री


की रिकार्ड वृद्धि हुई है। इसी प्रकार, विनिर्माण क्षेत्र में व्यय वृद्धि वर्ष 2012-13 की पहली तिमाही से वर्ष 2013-14 की पहली तिमाही तक उत्तरोत्तर कम हुई है और बाद में वर्ष 2014-15 की दूसरी तिमाही तक इसमें उत्तर-चढ़ाव हुए हैं, जब यह वर्ष 2014-15 की पहली तिमाही में 8.2 प्रतिशत से गिरकर 3.8 प्रतिशत हो गयी। निवल लाभ वृद्धि वर्ष 2013-14 की चौथी तिमाही में 4.6 प्रतिशत से वर्ष 2014-15 की पहली तिमाही में 34.7 प्रतिशत तक तेजी से बढ़ी तथा वर्ष 2014-15 की दूसरी तिमाही में 24.1 प्रतिशत रही। हालांकि निजी क्षेत्र की विनिर्माण कंपनियों के मामले में, पिछले दो वर्षों में बिक्री में वृद्धि अवरुद्ध रही है, फिर भी 2013-14 की अंतिम तिमाही से निवल लाभ में बढ़ोत्तरी शुरू हो गयी है जिससे यह बात पता चलती है कि कंपनियों की कार्यदक्षता बढ़ गयी है। यह भारत में विनिर्माण क्षेत्र के विकास के लिए शुभ संकेत है।

6.15 भारतीय रिजर्व बैंक के “आदेश बही, वस्तु-सूची और क्षमता उपयोग सर्वेक्षण (ओबीक्स) के सत्ताईसवें दौर में यथामापित क्षमता उपयोग में पूर्ववर्ती तिमाही की तुलना में 2014-15 की दूसरी तिमाही में वृद्धि दर्ज की गई, हालांकि यह एक वर्ष पूर्व के स्तर से कम थी। नए आदेशों में वृद्धि (वर्षानुवर्ष) 2014-15 की पहली तिमाही के 12.0 प्रतिशत से कम होकर 2014-15 की दूसरी तिमाही में 5.6 प्रतिशत रह गयी। परिष्कृत माल सूची और बिक्री का अनुपात 2014-15 की दूसरी तिमाही में 18.0 प्रतिशत के स्तर पर रहता हुआ पिछली तिमाही के ही समान था लेकिन एक वर्ष पूर्व के स्तर से कम था। कच्चा माल सूची और बिक्री का अनुपात तिमाही दर तिमाही और वर्षानुवर्ष दोनों आधारों पर 2014-15 की दूसरी तिमाही में कम हो गया।

औद्योगिक क्षेत्र में सकल पूंजी निर्माण

6.16 वर्ष 2011-12 के स्थिर मूल्यों पर राष्ट्रीय आय, खपत व्यय और पूंजी निर्माण के संबंध में उपलब्ध अद्यतन आंकड़ों के अनुसार, सकल पूंजी निर्माण (जीसीएफ) की दर वर्ष 2012-13 में 37.2 प्रतिशत से गिरकर वर्ष 2013-14 में 33.4 प्रतिशत रह गयी है। उद्योग में जीसीएफ की वृद्धि दर वर्ष 2012-13 में (-)0.7 प्रतिशत की वृद्धि से वर्ष 2013-14 में 1.4 प्रतिशत तक बढ़ गयी है जो उद्योग में निवेश में थोड़ी वृद्धि दर्शाती है (सारणी 6.3)।

चित्र 6.2: निजी क्षेत्र में सूचीबद्ध विनिर्माण कंपनियों की बिक्रियों, व्यय और निबल लाभ में वृद्धि



स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक

वर्ष 2011-12 से वर्ष 2013-14 की अवधि में समग्र जीसीएफ में क्षेत्रवार हिस्सा यह दर्शाता है कि खनन और विद्युत क्षेत्रों का हिस्सा धीरे-धीरे बढ़ा है, विनिर्माण क्षेत्र का हिस्सा स्थिर रहा है तथा निर्माण क्षेत्र का हिस्सा घटा है।

सारणी 6.3 : स्थिर मूल्यों (2011-12) पर उद्योग के प्रयोग से सकल पूँजी निर्माण (प्रतिशत)

	2011-12	2012-13	2013-14
उद्योग में जीसीएफ की वृद्धि की दर		-0.7	1.4
समग्र जीसीएफ में क्षेत्रवार हिस्सेदारी			
i. खनन	2.1	2.4	3.1
ii. विनिर्माण	19.7	21.0	19.6
iii. विद्युत	9.0	9.8	10.2
iv. निर्माण	6.5	5.8	5.5

स्रोत : सीएसओ

औद्योगिक क्षेत्रों को प्राप्त ऋण का प्रवाह

6.17 विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों को दिए गए सकल बैंक ऋणों के नियोजन में हुई वृद्धि संबंधी आंकड़ों से निवेश के बारे में कुछ जानकारी मिलती है (सारणी 6.4)। खनन क्षेत्र को छोड़कर 2013-14 की तुलना में अन्य सभी प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों में 2014-15 में ऋण-वृद्धि में कमी देखी गई है। विनिर्माण क्षेत्र में 2014-15 में 13.3 प्रतिशत के स्तर पर ऋण प्रभाव में हुई वृद्धि 2013-14 की 25.4 प्रतिशत की वृद्धि से कम है जो उस क्षेत्र में हो रही धीमी वृद्धि को प्रतिबिम्बित करती है। रसायन, खाद्य प्रसंस्करण और वस्त्र उद्योग में 2014-15 में ऋण वृद्धि में तीव्र गिरावट देखी गई है। 2014-15 में सूक्ष्म और लघु उद्योगों को मिलने वाले ऋण में 13.3 प्रतिशत की दर पर वृद्धि हुई, जबकि मध्यम और बड़े उद्योगों को प्राप्त ऋण में वृद्धि क्रमशः 0.7 प्रतिशत और 6.1 प्रतिशत रही।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र

6.18 3.61 करोड़ सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) देश की जीडीपी में 37.5 का अंशदान करते हैं, जिसकी औद्योगिक विकास और 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम को मजबूत बनाने में अहम भूमिका है। नए

सारणी 6.4: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा उद्योग को दिए गए ऋण में वृद्धि (प्रतिशत)

क्षेत्र	2013-14*	2014-15**
उद्योग	14.1	6.8
विनिर्माण	25.4	13.3
खनन	1.2	3.5
विनिर्माण उप-क्षेत्र		
स्वास्थ्य परिष्करण	31.0	12.1
वस्त्र	14.0	3.1
पेट्रोलियम और नाभिकीय इंधन	-3.1	-7.4
सीमेंट और सीमेंट उत्पाद	18.6	5.6
रसायन और रसायन उत्पाद	19.6	-8.9
बुनियादी धातु और धातु उत्पाद	15.1	7.3
आधारभूत धातु और धातु उत्पाद	16.3	6.5
सभी इंजीनियरिंग	15.6	5.0
परिवहन उपस्कर	-2.5	-3.1

स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक।

टिप्पणी: * दिसंबर अंत 2012 की तुलना में दिसंबर-अंत 2013 में

** दिसंबर अंत 2013 की तुलना में दिसंबर अंत 2014 में।

एमएसएमई को स्थापित करने और विद्यमान एमएसएमई की वृद्धि व विकास के लिए अनेक स्कीमें कार्यान्वित की जा रही हैं। इनमें (क) प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (ख) सूक्ष्म और लघु उद्यम-समूह विकास कार्यक्रम (ग) लघु और मध्यम उद्यमों के लिए ऋण गारंटी फंड (घ) निष्पादन और ऋण रेटिंग स्कीम (ङ) प्रशिक्षण संस्थाओं को सहायता और (च) परम्परागत उद्योगों को उन्नत करने के लिए फंड स्कीम।

केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

6.19 विभिन्न उद्योगों और अवसंरचना क्षेत्र में फैले केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की अर्थव्यवस्था के विकास में बड़ी भूमिका जारी है। 31 मार्च 2014 को विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के प्रशासनिक नियंत्रण में कुल 290 सीपीएसई विद्यमान हैं। इनमें 234 चल रहे हैं और 56 निर्माणाधीन थे। 31 मार्च 2014 के अनुसार सभी सीपीएसई में वित्तीय निवेश (चुकता पूंजी+लम्बी अवधि के ऋण) 9,92,971 करोड़ रुपये थे जो 2012-13 से 17.46 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। 2013-14 में 163 लाभ

कमाने वाले सीपीएसई का कुल लाभ 1,49,164 करोड़ रुपये था। हानि उठाने वाले 71 सीपीएसई की कुल हानि 20,055 करोड़ रु. थी। तेल और प्राकृतिक गैस निगम लि., कोल इण्डिया लि., एनटीपीसी, भारतीय तेल निगम लि. और एनएमडीसी लि., वर्ष 2013-14 के दौरान सर्वाधिक लाभ अर्जन करने वाले पांच सीपीएसई थे। भारत संचार निगम लि., एयर इण्डिया लि., हिन्दुस्तान फोटो फिल्म मैनुफैक्चरिंग केबल लि. और स्टेट ट्रेडिंग कार्पोरेशन आफ इण्डिया लि. सर्वाधिक घाटे वाले 5 सीपीएसई थे। सीपीएसई का लाभांश भुगतान, सरकारी ऋण पर ब्याज और करों व शुल्कों के भुगतान से सरकारी राजकोष में अंशदान 2012-13 के 1,63,207 करोड़ रुपए से बढ़कर 2013-14 में 2,20,161 करोड़ रुपए था। यह मुख्यतः लाभांश भुगतान, उत्पाद शुल्क, कारपोरेट कर और लाभांश कर के अंशदान में वृद्धि के कारण हुआ।

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

6.20 प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए निवेशक-अनुकूल नीति बनाई गई है, जिसके अंतर्गत आटोमेटिक रूट के अधीन सभी क्षेत्रों/गतिविधियों में 100 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति है। वर्ष 2014 में एफडीआई नीति को और अधिक उदार बनाया गया। रक्षा उद्योग में सरकार के माध्यम से 49 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति प्रदान की गई। इसके अलावा, मामला दर मामला आधार पर भी अधिक एफडीआई की अनुमति दी गई है। रेल परिवहन की निर्धारित अवसंरचना के निर्माण, प्रचालन और रख-रखाव में स्वचालित मार्ग के माध्यम से 100 प्रतिशत तक एफडीआई की अनुमति दी गई है। निधियों के पूंजीकरण और प्रत्यावर्तन तथा न्यूनतम भू-क्षेत्र से संबंधित निर्माण विकास परियोजनाओं में एफडीआई संबंधी मापदण्डों को और उदार बनाया गया है।

6.21 अप्रैल-नवम्बर 2014-15 के दौरान कुल एफडीआई अन्तर्वाह (इक्विटी अन्तर्वाह, पुनः निवेशित अर्जन और अन्य पूंजी सहित) 27.4 बिलियन अमरीकी डालर रहे जबकि एफडीआई इक्विटी अन्तर्वाह 18.9 बिलियन अमरीकी डालर के थे। अप्रैल 2000 से नवम्बर 2014 तक संचयी एफडीआई अन्तर्वाह 350.9 बिलियन अमरीकी डालर रहे। सेवाओं, निर्माण, दूर-संचार, कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, औषधि और भेषज, आटोमोबाईल उद्योग, रसायन, विद्युत आदि की कुल अंतर्वाहों में आनुपातिक उच्च वृद्धि हुई।

अवसंरचना क्षेत्र का कार्य निष्पादन-विशिष्ट क्षेत्र

विद्युत

6.22 वर्ष 2019 तक, देश में 24 x 7 विद्युत आपूर्ति करने के लिए, विद्युत उत्पादन बढ़ाने, पारेषण और वितरण प्रक्रिया को मजबूत बनाने, फीडर के पृथक्करण और उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति की मीटिंग के संबंध में अनेक निर्णय लिए गए हैं। विद्युत क्षेत्र में सुधार शुरू करने, प्रचालन में प्रतिस्पर्धा और कार्यदक्षता को बढ़ावा देने और बिजली की आपूर्ति के स्तर में सुधार लाने के लिए लोक सभा में बिजली (संशोधन) विधेयक, 2014 पेश किया गया है।

उत्पादन

6.23 विद्युत संयंत्रों द्वारा किया गया बिजली का उत्पादन अप्रैल-दिसम्बर 2014 के दौरान लक्ष्य से अधिक हुआ। जबकि लक्ष्य 765.39 बिलियन यूनिट था और उपलब्धि 793.73 बिलियन यूनिट रही। अप्रैल-दिसम्बर 2014-15 के दौरान तापीय क्षेत्र में विद्युत उत्पादन में हुई वृद्धि 9.9 प्रतिशत थी जो ट्वी-अंकीय वृद्धि से प्रेरित थी (सारणी 6.5)। 2014-15 के दौरान जल विद्युत उत्पादन में हुई ऋणात्मक वृद्धि मुख्यतः खराब मानसून के कारण थी।

6.24 अप्रैल-दिसम्बर 2014-15 में तापीय विद्युत श्रेणी में कोयले, लिग्नाइट और गैस आधारित विद्युत केन्द्रों में उत्पादित बिजली क्रमशः 14.41 प्रतिशत, 9.64 प्रतिशत और (-)3.89 प्रतिशत रही थी। समग्र संयंत्र भार कारक (पीएलएफ) जो तापीय विद्युत केन्द्रों की कार्यदक्षता का एक पैमाना है, अप्रैल-दिसम्बर 2014 के दौरान 65.09 प्रतिशत

था जबकि अप्रैल-दिसम्बर 2013 के दौरान 64.57 प्रतिशत का पीएलएफ रहा था।

क्षमता वर्धन

6.25 बाहरवीं योजना अवधि के दौरान 88,537 मेगावाट की क्षमता वर्धन का लक्ष्य रखा गया है जिसमें क्रमशः केन्द्रीय क्षेत्र में 26,182 मेगावाट, राज्य क्षेत्र में 15,530 मेगावाट और निजी क्षेत्र में 46,825 मेगावाट है। 2014-15 में 17,830.3 मेगावाट के क्षमता वर्धन लक्ष्य की तुलना में दिनांक 31.12.2014 तक 11,610.41 मेगावाट (चालू की गई 1,000 मेगावाट की परमाणु क्षमता सहित) का क्षमता वर्धन किया गया है। इस तरह 31.12.2014 की स्थिति के अनुसार, संचयी क्षमता वर्धन 50,058.22 मेगावाट रहा है, जो बाहरवीं योजना में परिकल्पित लक्ष्य का 56.5 प्रतिशत है। इस अवधि में केन्द्रीय, राज्य और निजी क्षेत्रों द्वारा हासिल किए गए अलग-अलग लक्ष्य क्रमशः 39.2 प्रतिशत, 64.5 प्रतिशत और 63.6 प्रतिशत हैं।

वितरण

6.26 समग्र तकनीकी और वाणिज्यिक (एटी एण्ड सी) हानियों को कम करने, आईटी समर्थित ऊर्जा लेखांकन/लेखा परीक्षा की व्यवस्था स्थापित करने और सामूहिक कार्य दक्षता में सुधार लाने के लिए नई योजना अर्थात् समेकित विद्युत विकास योजना (आईपीडीएस) शुरू की गई है जिसमें “पुनर्संरचित त्वरित विद्युत विकास और सुधार कार्यक्रम” (आर-एपीडीआरपी) को शामिल कर लिया गया है। आईपीडीएस के लिए 32,612 करोड़ रुपए का परिव्यय रखा गया है। आईपीडीएस की मुख्य विशेषताएं हैं – शहरी क्षेत्रों में उप-पारेषण और वितरण नेटवर्क को मजबूत बनाना, शहरी क्षेत्रों में वितरण/फीडर/ट्रांसफार्मर/उपभोक्ताओं को मीटर व्यवस्था से जोड़ना और छतों पर सौर पैनल लगाना।

सारणी 6.5 : संयंत्रों द्वारा विद्युत उत्पादन (बिलियन यूनिट)

श्रेणी	अप्रैल-मार्च			अप्रैल-दिसम्बर		
	2012-13	2013-14	वृद्धि प्रतिशत	2013-14	2014-15	वृद्धि प्रतिशत
विद्युत उत्पादन	912.06	967.15	6.04	722.11	793.73	9.91
पन बिजली#	113.72	134.85	18.58	110.76	106.73	-3.64
ताप	760.68	792.48	4.18	580.81	657.06	13.13
नाभिकीय	32.87	34.27	4.14	25.11	25.04	-0.28
भूटान से आयात	4.80	5.60	16.75	5.44	4.90	-9.91

स्रोत : विद्युत मंत्रालय

टिप्पणी : #25 मेगावाट से अधिक उत्पादन वाले पन बिजली स्टेशन।

6.27 'दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना' (डीडीयू-जीजेवाई) नामक एक नई योजना शुरू की गई है। इसके उद्देश्य हैं (क) कृषि एवं गैर कृषि उपभोक्ताओं के लिए विवेकपूर्ण ढंग से बिजली की आपूर्ति के लिए वितरण कंपनियों को सुविधा मुहैया कराने के लिए कृषि तथा गैर-कृषि उपभोक्ताओं को अलग-अलग रखना (ख) ग्रामीण क्षेत्रों में उप-पारेषण एवं संवितरण अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण और संवर्धन (ग) ग्रामीण क्षेत्रों में मीटरिंग। मौजूदा राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरपीपीवीवाई) को नई योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है। इस नई योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए निजी क्षेत्र की वितरण कंपनियों के साथ-साथ सभी वितरण कंपनियां भी पात्र हैं।

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस

उत्पादन

6.28 विगत चार वर्षों में कच्चे तेल का वार्षिक घरेलू उत्पादन 38 मिलियन टन पर स्थिर बना रहा है। अप्रैल-दिसम्बर 2014-15 के दौरान, कच्चे तेल का घरेलू उत्पादन 28.171 मिलियन मीट्रिक टन था जो विगत वर्ष की उसी अवधि में

28.423 एमएमटी के आस-पास था। आरजे-ओ एन-90/1 में संचालनात्मक समस्या, आंध्र प्रदेश में गेल पाइपलाइन में आग दुर्घटना और असम में दीर्घकालीन बंद तथा अवरोधों के कारण उत्पादन प्रभावित हुआ।

6.29 अप्रैल-दिसम्बर 2014-15 के दौरान गैस उत्पादन 2013-14 की तदनुरूप अवधि के दौरान 26.698 बीसीएम की तुलना में 25.320 बीसीएम था जिसमें 5.1 प्रतिशत की गिरावट देखी गई। प्राकृतिक गैस के उत्पादन में आई गिरावट का कारण बसेन तथा सेटेलाइट फील्ड में हुआ कम उत्पादन, एम एण्ड एस ताप्ती में छह नए ड्रिल किए कुओं का कम निष्पादन, के जी-डी 6 में एक कुआं बंद होने तथा गेल पाइपलाइन दुर्घटना के कारण असंबद्ध गैस के कुएं का बंद होना है।

6.30 विदेश में भारतीय कंपनियों द्वारा अधिगृहीत तेल तथा गैस आस्तियों से घरेलू उत्पादन को पूरा किया जाता है। अप्रैल-दिसम्बर 2014-15 के दौरान आस्तियों से कच्चे तेल तथा प्राकृतिक गैस का उत्पादन क्रमशः 4.135 एमएमटी तथा 2.417 बीसीएम था। बॉक्स 6.2 में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस उत्पादन बढ़ाने के लिए कुछ उपाय सूचीबद्ध किए गए हैं।

बाक्स 6.2 : कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के उत्पादन को बढ़ाने के लिए हाल ही में की गई नीतिगत पहलें

- गैस के मूल्य-निर्धारण का नया सूत्र: सरकार ने गैस के मूल्य निर्धारण का नया सूत्र 18 अक्टूबर, 2014 को अनुमोदित कर दिया तथा गैस के मूल्य निर्धारण के नए दिशा-निर्देश, 2014 जारी कर दिए। देश में उत्पादित प्राकृतिक गैस की कीमत में बढ़ोतरी, निवेशकों की उम्मीदों और उपभोक्ताओं के हित में अच्छा संतुलन स्थापित करती है।
- अन्वेषण में निवेश को बढ़ाने के लिए उत्पादन साझा करारों में सुधार: सरकार ने उत्पादन साझा करारों में मौजूद अनेक जटिलताओं को दूर किया है ताकि निवेशकों का हौसला बना रहे तथा यह सुनिश्चित हो सके कि जो कार्य कई ब्लाकों में रुक गए थे, तत्काल तथा आगे किसी विलंब के बिना पूरे हों।
- हाइड्रोकार्बन क्षमता का पुनःमूल्यांकन: भारतीय तलहटीय बेसिन में हाइड्रोकार्बन संसाधनों का पुनःमूल्यांकन करने के लिए एक विस्तृत योजना तैयार की गई है। बेसिन की संभावनाओं के संबंध में भावी निवेशकों को और स्पष्ट जानकारी प्रदान करेगी।
- भारत के मूल्यांकन न किए गए तलहटीय बेसिनों की सर्वेक्षण परियोजना: चौबीस तलहटीय बेसिनों, जहां पर छुट्पुट भू-वैज्ञानिक आंकड़े उपलब्ध हैं, के लगभग 1.5 मिलियन वर्ग किमी का मूल्यांकन करने के लिए एक परियोजना शुरू की गई है। इस परियोजना के अंतर्गत एकत्र किए गए आंकड़े, राष्ट्रीय आंकड़ा कोष (एनडीआर), जिसे हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय में गठित किया जा रहा है, में रखे जाएंगे, इनका रख-रखाव किया जाएगा तथा इनका वैधीकरण किया जाएगा।
- साधारण बहु-ग्राहक माडल के माध्यम से आंकड़े एकत्र करना: साधारण बहु ग्राहक माडल के माध्यम से भू-वैज्ञानिक आंकड़े एकत्रित करने की नीति लागू की जा रही है। यह माडल, परियोजना शुल्क के एकबारगी भुगतान से लागत की वसूली करने के पश्चात, लाभ की साझेदारी वाली पूर्व की राजकोषीय शब्दावली का स्थान लेगा।
- पूर्वोत्तर क्षेत्र में गैस प्रचालन के लिए समान अवसर देना: पूर्वोत्तर क्षेत्र में अन्वेषण और उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए, इस क्षेत्र में कार्यरत गैर-सरकारी कंपनियों को भी गैस आप्रेशन पर 40 प्रतिशत आर्थिक सहायता दी गई है।
- गैस ग्रिड की आधारभूत संरचना: मौजूदा 15,000 किमी के गैस पाइपलाइन नेटवर्क के अतिरिक्त, गैस ग्रिड नेटवर्क के पूरा किए जाने के लिए 15,000 किमी के और नेटवर्क की योजना बनाई गई है।

परिशोधन क्षमता

6.31 भारत वैश्विक परिशोधन क्षेत्र में एक प्रमुख भागीदार है। 1.4.2014 की स्थिति के अनुसार, इसकी परिशोधन क्षमता 215.066 एमएमटीपीए है। अप्रैल-दिसम्बर 2014-15 के दौरान, उत्पादित कच्चा तेल 166.685 एमएमटी था जो अप्रैल-दिसम्बर 2013-14 के 166.362 एमएमटी की अपेक्षा मामूली सा अधिक था।

अपरंपरागत स्रोतों की खोज

6.32 कोल बेड मीथेन (सीबीएम): देश में सीबीएम की खोज के लिए उपलब्ध 26,000 वर्ग कि.मी. के कोयले वाले कुल क्षेत्र में से, 17,000 वर्ग कि.मी. में खोज शुरू कर दी गई है। देश में सीबीएम के अनुमानित संसाधन, लगभग 92 ट्रिलियन क्यूबिक फीट (टीसीएफ) हैं जिसमें से अभी तक केवल 9.9 ट्रिलियन क्यूबिक फीट की पुष्टि की गई है। लगभग 0.60 मिलियन मीट्रिक मानक क्यूबिक मीटर प्रतिदिन के वर्तमान उत्पादन के कारण भारत में सीबीएम का वाणिज्यिक उत्पादन अब एक वास्तविकता बन पाया है।

6.33 शैल तेल और गैस : शैल तेल और गैस के मूल्यांकन के प्रथम चरण में ओएनजीसी को तथा ओआईएल को पच्चास पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन लीज़ (पीईएल) पेट्रोलियम माइनिंग लीज़. (पीएमएल) ब्लॉक आबंटित किए गए हैं। यह ब्लाक असम (6 ब्लाक), अरुणाचल प्रदेश (1 ब्लॉक), गुजरात (28 ब्लॉक), राजस्थान (1 ब्लॉक), आन्ध्र प्रदेश (10 ब्लॉक) और तमिलनाडु (09 ब्लॉक) में अवस्थित हैं। ओएनजीसी ने कैम्बे बेसिन की शैल गैस/शैल तेल के भण्डार का मूल्यांकन करने के लिए कैम्बे बेसिन, गुजरात में एक कुआं ड्रिल किया है और एक की खुदाई की है।

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा

6.34 देश में सौर ऊर्जा को आगे बढ़ाने के लिए दो नई योजनाएं अर्थात् ‘सौर पार्कों और अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा परियोजनाओं के विकास की योजना’ और ‘नहर किनारों और नहर के ताप पर ग्रिड से जुड़े सौर पी.वी. पावर प्लान्टों के विकास की ‘पायलट-सह-प्रदर्शन परियोजना’ दिसम्बर, 2014 से शुरू की गई थी। सिंचाई और पेयजल के लिए सोलर पम्पिंग कार्यक्रम की मौजूदा योजना के अंतर्गत अनुपूरक दिशा-निर्देश जारी किए गए थे ताकि चालू वर्ष के दौरान देश भर में निर्धारित लक्ष्य वाले ऐसे एक लाख पम्पों के सौर ऊर्जा से चलाया जा सके।

6.35 ग्रिड से जुड़े सौर पी.वी. पावर प्लान्टों के विकास की पायलट सह प्रदर्शन योजना’ के अंतर्गत नहर-टॉप की 34 मेगावाट की परियोजनाओं और नहर के किनारों की 35 मेगावाट की परियोजनाओं को अब तक सिद्धान्तः अनुमोदन दिया गया।

कोयला

6.36 घरेलू कोयले के उत्पादन में अत्यधिक बढ़ोतरी इस समय बेहद जरूरी है, जब देश आर्थिक विकास की बहाली करने के प्रयास कर रहा है। अतः, इस समय कोयले की मात्रा, गुणवत्ता और परिवहन के आयामों का समयबद्ध तरीके से निवारण करने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है ताकि उभरती अर्थव्यवस्था की ईंधन की आवश्यकताएं पूरी हो सके।

उत्पादन

6.37 वर्ष 2014-15 के लिए कोयले के उत्पादन का वार्षिक लक्ष्य 630.25 मीट्रिक टन है। अप्रैल-दिसम्बर, 2014 के दौरान कच्चे कोयले का 426.7 मीट्रिक टन का उत्पादन, वर्ष 2013-14 की तदनुरूपी अवधि की 1.5% वृद्धि की तुलना में 9.1% बढ़ गया। हालांकि पिछले कई वर्षों से कोयले के उत्पादन में बढ़ोतरी हो रही है, फिर भी ईंधन के अभाव से ग्रस्त विद्युत केन्द्रों से अर्थव्यवस्था में कोयले की अधिक मांग के कारण कोकिंग एवं गैर कोकिंग कोयले के आयात सहित कुल आयात में वृद्धि हो रही है (सारणी 6.6)।

कोयला खनन (विशेष प्रावधान) अध्यादेश, 2014

6.38 कतिपय कोयले के ब्लाकों के आवंटन को रद्द करने और कोयले के ऐसे ब्लाकों के बारे में निर्देश जारी करते हुए उच्चतम न्यायालय के दिनांक 20 अगस्त, 2014 के निर्णय और दिनांक 24 सितम्बर, 2014 के आदेश से, कोयला क्षेत्र में उत्पन्न अनिश्चितताओं को दूर करने के लिए सरकार ने शीघ्र निर्णय लिए हैं। केन्द्र सरकार ने, दिनांक 21.10.2014 को कोयला खनन (विशेष प्रावधान) अध्यादेश, 2014 जारी किया तथा इसके पश्चात दिनांक 26.12.2014 को कोयला खनन (विशेष प्रावधान) द्वितीय अध्यादेश, 2014 जारी किया। इन अध्यादेशों को जारी करने का मुख्य उद्देश्य विकास के लिए इस्पात, सीमेंट और विद्युत सेवाओं को कोले की खानों का आबंटन करने की व्यवस्था करना तथा नीलामी अथवा आबंटन (सरकारी कम्पनियों को), के माध्यम से

सारणी 6.6 : कोयले का उत्पादन, आपूर्ति तथा आयात

(मिलियन टन)

वर्ष	अखिल भारतीय कोयला		सीआईएल		आयात		कुल आयात
	उत्पादन	ऑफटेक/आपूर्ति	उत्पादन	ऑफटेक/आपूर्ति	कोकिंग	नॉन-कोकिंग	
2008-09	492.76	489.17	403.73	400.72	21.08	37.92	59.00
2009-10	532.04	513.79	431.26	415.22	24.69	48.57	73.26
2010-11	532.70	523.47	431.32	423.78	19.48	49.43	68.91
2011-12	539.95	535.30	435.84	432.62	31.80	71.05	102.85
2012-13	556.40	567.14	452.21	464.54	35.56	110.22	145.78
2013-14	565.77	571.25	462.41	470.91	37.19	131.25	168.44
2014-15*	485.38	497.12	388.98	398.29	27.6#	110.0#	137.6#

स्रोत : कोयला मंत्रालय

टिप्पणी : *जनवरी, 2015 तक

#आयात संबंधी आंकड़े नवम्बर, 2014 तक है। सीआईएल कोल इंडिया लिमिटेड है।

चयन किए जाने वाले नए आबंटियों को भूमि और इससे सम्बद्ध खनन आधारभूत संरचना के साथ-साथ खानों/ब्लाकों के संबंध में अधिकारों, हकदारी और हितों का कारगर अंतरण सुनिश्चित करना है। अब कोयला ब्लाकों का आबंटन, उपर्युक्त अध्यादेश और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसरण में किया जाएगा तथा कोयला ब्लाकों की नीलामी, ई-नीलामी प्रक्रिया से की जाएगी ताकि प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जा सके। नीलामी के लिए फ्लोर/रिजर्व मूल्य के निर्धारण तथा इन कोयला खानों/ब्लाकों के आबंटन की क्रिया विधि भी सरकार द्वारा निर्धारित की गई है। सरकार ने कोयले के परिवहन के लिए महत्वपूर्ण रेलवे परियोजनाओं को जल्दी पूरा किए जाने की भी उच्च प्राथमिकता तय की है।

खनिज

6.39 सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में खनन और उत्खनन का हिस्सा 2010-11 में 2.8% से कम होकर 2013-14 में 2.1% हो गया है (अनन्तिम अनुमान)। इस अवधि के दौरान, विभिन्न न्यायिक निर्णयों तथा न्यायमूर्ति शाह आयोग की रिपोर्ट के आलोक में खनन के कई पट्टों को या आस्थगित कर दिया गया अथवा बंद कर दिया गया। खनन क्षेत्र में व्याप्त समस्याओं पर काबू पाने के लिए पारदर्शिता तथा दक्षता के दृढ़ सिद्धांतों पर आधारित एक सक्षम पर्यावरण का निर्माण किया जा रहा है ताकि घरेलू तथा विदेशी निवेशकों द्वारा को लिए समान अवसर प्रदान किए जा सकें।

नीतिगत ढांचे का निर्धारण

6.40 खनन क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के लिए खनन तथा खनिज (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1957 (एमएमडीआर) के प्रावधानों को संशोधित करने का निर्णय, इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किया गया है। (क) खनन पट्टों के नीलामी द्वारा आबंटन में व्यापक पारदर्शिता; (ख) आसान हस्तांतरण को प्रोत्साहित करके उच्च प्रौद्योगिकी तथा निजी निवेश को आकर्षित करना; (ग) राज्य सरकारों के लिए अधिक हिस्सा प्राप्त करना। इस आशय प्रभाव से 12.1.2015 को एक अध्यादेश प्रख्यापित किया गया है। खनन तथा खनिज (विकास विनियमन) (संशोधन अध्यादेश 2015) में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित प्रमुख विशेषताएं सम्मिलित हैं:-

(क) **उचित मूल्य की वसूली के लिए नीलामी:** खनिज संसाधनों की खोज में पारदर्शिता को सुधारने तथा खनिज संसाधनों के उचित मूल्य की वसूली के लिए प्रतियोगी बोली के ही माध्यम से खनिज रियायतें प्रदान करने के प्रावधान किये गए हैं। तथापि सार्वजनिक क्षेत्र की संस्था के संबंध में व्यवस्था को अलग से निर्धारित किया जाना होगा।

(ख) **विवेकाधिकार को समाप्त करना और संभावित बाधाओं का समाधान करना:** नवीनीकरण प्रदान करने में विवेकाधिकार को समाप्त करने के लिए

खनन पट्टों के नवीनीकरण के प्रावधानों को समाप्त किया गया है। खनन पट्टे को बढ़ाकर पचास वर्ष कर दिया गया है। पचास वर्षों के पश्चात पट्टे की नीलामी की जाएगी।

(ग) योजना से प्रभावित लोगों/जिलों को राहत:

खनन द्वारा प्रभावित व्यक्तियों के लाभ के लिए निधियां निर्धारित करने के लिए खनन से प्रभावित प्रत्येक जिले में जिला खनिज प्रतिष्ठानों की स्थापना की घोषणा की गई है। प्रतिष्ठान के लिए संसाधन अतिरिक्त उगाही के माध्यम से जुटाए जाएंगे जो कि रॉयलटी के एक-तिहाई से अधिक और जैसा भी भारत सरकार समय-समय पर निर्धारित करे, नहीं होने चाहिए। राज्य सरकारों को प्रतिष्ठान की शासन संरचना तथा इसकी निधियों के प्रभावी प्रयोग के लिए नियम बनाने की आवश्यकता है।

(घ) अन्वेषण को प्रोत्साहन: क्षेत्रीय तथा विस्तृत खोज के उद्देश्य से राष्ट्रीय अन्वेषण न्यास की स्थापना का प्रस्ताव किया गया है। इसकी रायलटी, जो कि 2 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए, की अतिरिक्त उगाही के माध्यम से निधि प्रदान की जाएगी।

(ङ) निजी क्षेत्र की सहभागिता को प्रोत्साहित करने के लिए सुगम हस्तांतरण की सुविधा: आधुनिक प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहित करने तथा निजी संस्थाओं को आकर्षित करने के लिए खनिज रियायतों के सुगम हस्तांतरण के लिए प्रावधान किए गए जो कि नीलामी के माध्यम से प्रदान किए गए हैं।

(च) मामलों का समय से निर्दान: प्रशासन में विलंब का उन्मूलन करने तथा खनिज संसाधनों के इष्टतम तथा शीघ्र विकास को बढ़ावा देने के लिए केन्द्र सरकार को खनन पट्टे या संभावित पट्टे एवं खनन पट्टे के अनुदान के लिए आवेदनों पर कार्रवाई करने के लिए विभिन्न चरणों में समय-सीमा निर्धारित करके नियमावली बनाने के लिए सशक्त बनाने के लिए प्रावधान किए गए हैं।

(छ) अवैध खनन के खिलाफ निवारक कार्रवाई: अवैध खनन के संकट के उन्मूलन के सम्बन्ध में, जिन मामलों में अवैध खनन सिद्ध हो गया है, पांच

वर्ष का कारावास या 5 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर के जुर्माने का प्रस्ताव है।

6.41 नई खनन व्यवस्था के लिए निर्बाध अंतरण हेतु सरकार और विभिन्न अन्य एजेंसियों द्वारा अनेक उपाय करने की जरूरत है। इनमें संसद में संशोधन विधेयक आगे बढ़ाना एमएमडीआर अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन के चलते खनिज रियायत नियमावली, 1960 और खनिज संरक्षण व विकास नियमावली 1988 में संशोधन के नियम बनाना, मानक बोलीकरण दस्तावेज बनाने सहित नीलामी प्रक्रिया निर्धारित करना, जिला खनिज फाउंडेशन व राष्ट्रीय खनिज खोज न्यास की स्थापना करना और सबसे महत्वपूर्ण रूप से राज्य सरकारों की सहायत करना और महत्वपूर्ण खनिजों के उत्पादन में बिना अवरोध के नीलामी व्यवस्था का अंतरण पूरा करने के लिए उनकी क्षमता सुदृढ़ करना।

रेलवे

6.42 भारतीय रेलवे के सामने साधारण विकास के बातावरण में भारी यातायात वहन करने की चुनौतियां हैं। भारतीय रेलवे के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में, क्षमता निर्माण, नेटवर्क का आधुनिकीकरण, परिसम्पत्ति उपयोगिता तथा उत्पादकता में सुधार, रोलिंग स्टाक का आधुनिकीकरण एवं रख-रखाव कार्य तथा सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करना शामिल है। डीएफसी, उच्च गति की रेल, उच्च क्षमता वाला रोलिंग स्टाक, अंतिम मील रेल सम्पर्क तथा बंदरगाह संयोजकता जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को प्राथमिकता प्रदान की जा रही है। बॉक्स 6.3 में भारतीय रेलवे द्वारा की गई कुछ पहलें सूचीबद्ध की गई हैं।

माल भाड़ा निष्पादन

6.43 वर्ष 2013-14 के दौरान, भारतीय रेलवे की माल लदाई 1051.64 मिलियन टन रही, जबकि पिछले वर्ष 2012-13 में 1008.09 मिलियन टन थी। जो 4.32 प्रतिशत वृद्धि का द्योतक है। अप्रैल-दिसम्बर 2014-15 के दौरान भारतीय रेलवे ने राजस्व अर्जक माल-भाड़े से 806.38 मिलियन टन भार वहन किया। जबकि इस अवधि के इस लक्ष्य के लिए बजट लक्ष्य 807.18 टन था। माल भाड़ा छुलाई पिछले वर्ष 2013-14 की इसी अवधि में, 39.15 मिलियन टन की वृद्धि प्रदर्शित करते हुए, 5.1% की वृद्धि दिखाती है।

बाक्स 6.3 : 2014-15 के दौरान भारतीय रेलवे (आईआर) द्वारा उठाए गए कुछ नए कदम

- (i) उधमपुर-कटरा ब्रॉड गेज लाइन का पूरा किया जाना: इंजीनियरी में एक चमत्कार के रूप में भारतीय रेलवे ने जम्मू कश्मीर में उधमपुर-कटरा ब्रॉड गेज लाइन पूरी की है जिससे कि यह राज्य शेष राष्ट्र के और समीप आ गया है। जुलाई 2014 से कटरा तक चार रेलों की सुविधाएं भी प्रारंभ हो गई हैं।
- (ii) मेघालय को रेल सुविधा प्राप्त हुई: अगस्त 2014 में दुभर्नौई-मेंदीपाथर की नई लाइन के पूरा होने से, मेघालय को रेल की सुविधा प्राप्त हुई। मेघालय में मेंदीपाथर से गुवाहाटी, असम तक नया मार्ग नवंबर, 2014 में रेल से जुड़ गया।
- (iii) उच्च गति की बुलेट ट्रेनें: देश के मुख्य महानगरों और विकास केन्द्रों को जोड़ने वाली उच्च गति वाली रेल के डायमंड चतुर्भुजीय नेटवर्क के एक भाग के रूप में, देश में मुम्बई-अहमदाबाद गलियारे पर उच्च गति की बुलेट ट्रेन चलाए जाने के लिए प्रयास जारी हैं।
- (iv) अत्याधुनिक ई-टिकटिंग अनुप्रयोग: केन्द्रीय रेलवे सूचना केन्द्र द्वारा विकसित अत्याधुनिक ई-टिकटिंग से ऑनलाइन टिकट बुकिंग की क्षमता, प्रति मिनट पूछताछ और समवर्ती कार्य करने की क्षमता में भारी वृद्धि हुई है।
- (v) प्रीमियम विशेष ट्रेनें: साधारण किरायों पर चलने वाली ट्रेनों की तुलना में यात्रियों को पर्याप्त बर्थ उपलब्ध कराने के लिए, तथा अतिरिक्त राजस्व कमाने के लिए, भारतीय रेलवे ने, गतिशील किराया प्रणाली में प्रीमियम विशेष ट्रेनों की शुरूआत की है।
- (vi) सौर ऊर्जा को काम में लाना: रेल कोच फैक्टरी, रायबरेली, वर्तमान में, पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा पर कार्य कर रही है। 30 किलोवॉट का एक सौर संयंत्र नई दिल्ली, रेल भवन की छत पर लगाया गया है और सरकारी निजी-भागीदारी मॉडल के तहत अभिमानतः अन्य रेल इमारतों पर शीघ्रता से सौर संयंत्र लगाने के प्रावधान किया जा रहा है।
- (vii) चुनिंदा रेलवे स्टेशनों पर वाई-फाई ब्रॉडबैंड सेवा: बांगलुरु तथा नई दिल्ली रेलवे स्टेशनों पर वाई-फाई ब्रॉडबैंड सुविधा प्रदान की गई है।
- (viii) ट्रेनों में ई-कैटरिंग सुविधा: भारतीय रेलवे भोजन प्रबंध तथा पर्यटन निगम को ट्रेनों में ई-कैटरिंग सुविधा के कार्यान्वयन का कार्य सौंपा गया है।
- (ix) चीन के साथ सहयोग: रेलवे क्षेत्र में तकनीकी सहयोग के संर्वधन के लिए भारत तथा जनवादी चीन की सरकारों ने एक समझौता ज्ञापन तथा एक कार्ययोजना पर हस्ताक्षर किए। समझौता ज्ञापन में संभावित सहयोग के क्षेत्र इस प्रकार है (i) हैवी हॉल माल-भाड़ा यातायात में प्रशिक्षण, (ii) वर्तमान मार्गों पर ट्रेनों की गति को बढ़ाना, (iii) स्टेशन पुनर्विकास, (iv) उच्च गति की ट्रेनें तथा (v) रेलवे विश्वविद्यालय की स्थापना।
- (x) कोयला परिवहन परियोजनाओं का शीघ्र समापन: झारखण्ड, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में कोयले की आवाजाही के लिए तीन रेल संपर्कता परियोजनाओं को फास्ट ट्रैक पर रखा गया है।

सेमी-हाई स्पीड ट्रेनें

6.44 नौ गलियारों को, 160/200 किलोमीटर प्रति घंटा की अर्ध उच्च गति वाली रेलों के लिए चुना गया है, जो इस प्रकार है (i) दिल्ली-आगरा (ii) दिल्ली-चंडीगढ़, (iii) दिल्ली-कानपुर, (iv) नागपुर-बिलासपुर, (v) मैसूर-बंगलुरु-चैन्नई (vi) मुम्बई-गोवा (vii) मुम्बई-अहमदाबाद (viii) चैन्नई-हैदराबाद तथा; (ix) नागपुर-सिकंदराबाद। 160 किमी प्रति घंटा की गति वाली वाणिज्यिक सेवाओं संचालन के लिए नई दिल्ली-आगरा गलियारे पर सभी आवश्यक साधन प्रदान कर दिए गए हैं तथा गलियारा सेवा प्रारंभ करने के लिए तैयार है। चैन्नई-बंगलुरु-मैसूर गलियारे पर गति बढ़ाने पर व्यवहार्यता अध्ययन, चीन के साथ हुए सहयोग समझौते के अंतर्गत किया जा रहा है।

सड़कें

6.45 भारत के पास विश्व के सबसे बड़े नेटवर्क में से एक है जो 48.65 लाख कि.मी. से अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है। इसमें राष्ट्रीय राजमार्ग, एक्सप्रैस वे, राज्य राजमार्ग, मुख्य जिला सड़कें, अन्य जिला सड़कें तथा ग्रामीण सड़कें शामिल हैं। 96,214 कि.मी. की कुल लंबाई वाले राष्ट्रीय राजमार्ग देश के मुख्य नेटवर्क के रूप में काम करते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना (एनएचडीपी) नामक महत्वाकांक्षी परियोजना क्रियान्वित की जा रही है। दिनांक 31.12.2014 को एनएचडीपी की स्थिति सारणी 6.7 में दी गई है।

एनएचडीपी का वित्तपोषण

6.46 एनएचडीपी के वित्तपोषण के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को पेट्रोल और डीजल पर प्रभारित ईंधन उपकर का एक अंश आवंटित किया जाता है। एनएचएआई इसे

सारणी 6.7 : दिनांक 31.12.2014 को एनएचडीपी की स्थिति

क्रम सं	एनएचडीपी घटक	कुल लंबाई (कि.मी.)	पूरे किए गए 4/6 लेन (कि.मी.)	कार्यान्वयनाधीन		दिया जाने वाला शेष सिविल कार्य (कि.मी.)
				लंबाई (कि.मी.)	ठेकों की संख्या	
1.	एनएचडीपी चरण I (जी क्यू, पत्तन संपर्कता, अन्य)	7,522*	7,519	3	1	-
2.	उत्तर दक्षिण-पूर्व पश्चिम कारोड़ेर	6,647	5,836	441	45	370
3.	एनएचडीपी चरण III	12,109	6,352	4,708	125	1,049
4.	एनएचडीपी चरण IV	20,000	907	7,759	114	11,334
5.	एनएचडीपी चरण V	6,500	1,973	2,107	27	2,420
6.	एनएचडीपी चरण VI	1,000	0	0	0	1,000
7.	एनएचडीपी चरण VII	700	22	19	1	659
जोड़		54478	22609	15037	313	16832

टिप्पणी : *चेन्नई- इनोर पत्तन की दो परियोजनाएं (24 कि.मी.) पुनः प्रदान की गई हैं। ये दोनों परियोजनाएं चरण-7 में दूसरी परियोजना (6 कि.मी.) से मिला दी गई थी जिससे कुल लंबाई 24 कि.मी. बढ़ गई।

बाजार से अतिरिक्त निधि उधार लेने के लिए उपयोग करता है। अभी तक 54 ईसी (पूंजीगत लाभ कर छूट) बाण्ड और कर मुक्त बाण्ड के माध्यम से उगाही गई निधियों तक ऐसा उधार सीमित है।

6.47 विगत कुछ वर्षों में देखी गई आर्थिक मंदी यातायात की वृद्धि में गिरावट और परिणामतः बीओटी के अंतर्गत सड़क परियोजनाओं हेतु कम राजस्व की उगाही कर रहा है। यह समस्या खनन पर प्रतिबंध लगाने, विनिर्माण और निर्यात आदि में गिरावट के कारण बढ़ गई थी। घटे हुए राजस्व संग्रहण ने ग्राहियों द्वारा ऋणशोधन को विपरीत रूप से प्रभावित किया। इसके कारण ऋण खातों में व्यापक चूक हुई। ग्राहियों द्वारा ऋण अदायगी में असमर्थ रहने पर उन्हें ऋणदाताओं से ऋणों की पुनर्संरचना का अनुरोध करना पड़ा। ऋण अदायगी के आस्थगन के कारण बढ़ती ऋण देनदारियों के चलते क्षेत्राभाग भुगतान बढ़ गया जो सड़क क्षेत्र में उच्चतम भुगतान मानदण्ड तक पहुंच गया। सड़क क्षेत्र के ऋण पोर्टफोलियों की चूक को अनुमानित रूप से उच्च स्तर का सामना करना पड़ा। इसके परिणामस्वरूप, बीओटी पीपीपी परियोजनाओं की मांग कम हो गई क्योंकि डेवलपरों के पास लगाने को इक्विटी नहीं थी और ऋणदाता ऋण निधियां उपलब्ध कराने में अनिच्छुक थे। बाजार में विश्वास की बहाली के लिए सरकार को आगे आना पड़ा और अनेक पहलों की गई। यह सुनिश्चित करने के लिए कि नकदी प्रवाहों में रुकावटों के कारण परियोजना कार्यान्वयन बीओटी परियोजनाओं में किश्त अदायगी के पुनर्निर्धारण की अनुमति दी गई जो भारी राजस्व गिरावट वाले ग्राहियों को दी जाएगी।

वामपंथी चरमपंथ से प्रभावित क्षेत्रों में सड़क संपर्कता का विकास

6.48 सरकार ने लगभग 7300 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से विशेष परियोजना के तौर पर वामपंथी चरमपंथ से प्रभावित क्षेत्रों में लगभग 1126 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग और 4351 किलोमीटर राज्य सड़कों के विकास के लिए योजना अनुमोदित की है। दिसम्बर 2014 तक 3299 किलोमीटर लम्बी सड़कें बनकर तैयार हो गई हैं और अब तक इन पर 4374 करोड़ रुपये तक संचयी व्यय हुआ है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में निर्माण कार्यों को गति देने के लिए निगम का सृजन

6.49 पूर्वोत्तर क्षेत्र और सीमा क्षेत्रों में राजमार्गों के विकास की गति बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड सृजित किया गया है।

नागर विमानन

6.50 नागर विमानन क्षेत्र की महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक उपलब्धि यह है कि हवाई अडडों पर पीपीपी माडल की शुरूआत से अवसंरचना में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है और राजस्व के संग्रहण में वृद्धि हुई है।

यात्री और माल ढुलाई का संचालन

6.51 वर्ष 2014-15 के दौरान भारतीय हवाई अडडों पर अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों और माल के संचालन में अच्छी बढ़ातरी

104 आर्थिक समीक्षा 2014-15

हुई है। अप्रैल-दिसम्बर 2014-15 के दौरान भारतीय हवाई अड्डों पर 101.34 मिलियन घरेलू यात्री और 36.74 मिलियन अंतर्राष्ट्रीय यात्री संभाले गये थे। अप्रैल-दिसम्बर 2014-15 के दौरान 2013-14 की इस अवधि की तुलना में घरेलू यात्री परिवहन 7.1 प्रतिशत बढ़ा और अंतर्राष्ट्रीय यात्री परिवहन 10.3 प्रतिशत बढ़ा। अप्रैल-दिसम्बर 2014-15 के दौरान भारतीय हवाई अड्डों पर अंतर्राष्ट्रीय माल परिवहन 1.17 मिलियन मीट्रिक टन जबकि घरेलू माल परिवहन 0.74 मिलियन मीट्रिक टन रहा। अप्रैल-दिसम्बर 2014-15 के दौरान पिछले वर्ष की तदनुरूप अवधि की तुलना में अंतर्राष्ट्रीय माल परिवहन 8.3 प्रतिशत बढ़ा और घरेलू माल परिवहन 19.3 प्रतिशत बढ़ा।

विमानपत्तन अवसंरचना

6.52 भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) देश में 125 वायुपत्तनों का प्रबंधन कर रहा है। यह जमीन के साथ-साथ हवाई यातायात सेवाओं के प्रबंधन की अपनी अवसंरचना को संवर्धित और उन्नत कर रहा है। एएआई ने देश में दूरवर्ती क्षेत्रों में आर्थिक विकास और हवाई संपर्क में सुधार लाने के लिए स्पष्ट वायुपत्तन माडल पर निर्णय लिया है। एएआई ने 2014-15 के दौरान बीकानेर और जैसलमेर (राजस्थान), बठिंडा (पंजाब), कुड्डपा (आंध्र प्रदेश) स्थित हवाईअड्डों का विकास कार्य पूरा कर लिया है।

पहलें

6.53 देश भर में बेहतर वायुपत्तन अवसंरचना सुदृढ़ करने के उपाय निम्नानुसार हैं: (क) सरकारी निजी भागीदारी (पीपीपी) परियोजनाओं का कार्यान्वयन: भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के चुनिंदा चार वायुपत्तनों नामतः चेन्नई, कोलकाता, अहमदाबाद और जयपुर में पीपीपी परियोजनाएं कार्यान्वित की जाएं। (ख) ग्रीनफिल्ड वायुपत्तनों नामतः गोवा में

मोपा; महाराष्ट्र में नवी मुंबई; शिरडी और सिंधुदुर्ग; कर्नाटक में शिमोगा, गुलबर्गा, हासन और बीजापुर, कर्नाटक में कन्नूर और अर्नामूला, पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर, सिक्किम में पेक्यांग, मध्यप्रदेश में दतिया, ग्वालियर (कार्गो), उत्तर प्रदेश में कुशीनगर और पुदुचेरी में कड़ाइकल की स्थापना करना और (ग) टियर-II और टियर-III के शहरों नामतः कर्नाटक में हुबली और बेलगाम, राजस्थान में किशनगढ़, ओडीशा में झारसुगुडा और अस्सणाचल प्रदेश में तेजू का विकास करना।

पत्तन

भारतीय पत्तनों पर माल ढुलाई

6.54 अप्रैल-दिसम्बर 2014-15 के दौरान वृहद और वृहद-भिन्न पत्तनों ने 2013-14 की इसी अवधि की तुलना में 6.8 प्रतिशत की वृद्धि प्रतिबिंबित करते हुए 775.17 मिलियन टन के कुल माल की घराई-उत्तराई का लक्ष्य प्राप्त किया है (सारणी 6.8)। वृहद-भिन्न पत्तनों पर माल में 9.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि वृहद पत्तनों पर यह वृद्धि 5.0 प्रतिशत थी।

दूरसंचार

6.55 दूरसंचार क्षेत्र निरंतर तेजी से प्रगति कर रहा है। अप्रैल-नवम्बर 2014-15 के दौरान 31.2 मिलियन नये टेलीफोन कनैक्शन जोड़े गए थे जो 2013-14 की तदनुरूप अवधि में 12.13 मिलियन नए कनैक्शनों से काफी आगे है। समग्र टेलिफोन घनता अप्रैल 2014 के शुरू में 75.23 प्रतिशत से बढ़कर नवंबर 2014 के अंत में 77.12 प्रतिशत हो गई जबकि कुल ब्राउबैंड कनैक्शनों ने 82.22 मिलियन का आंकड़ा छू लिया है।

सारणी 6.8 : पत्तनों पर माल की ढुलाई

(मिलियन टन)

पत्तनों की श्रेणी	2012-13	2013-14	अप्रैल-दिसम्बर	
			2013-14	2014-15
वृहद् पत्तन	545.83	555.49 (1.8)	413.06	433.86
वृहद्-भिन्न पत्तन	387.92	420.24 (8.3)	312.84	341.31
सारे पत्तन	933.75	975.73 (4.5)	725.90	775.17

स्रोत : पोत परिवहन मंत्रालय

टिप्पणी : कोष्ठकों में आंकड़े पिछले वर्ष की अवधि की तुलना में वृद्धि दर्शाते हैं।

राष्ट्रीय आप्टिकल फाईबर नेटवर्क परियोजना

6.56 पहुंच में समानता और ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक आर्थिक विकास में तेजी लाया जाना सुनिश्चित करने के लिए दूरसंचार विभाग ने देश में सभी 2,50,000 ग्राम पंचायतों को राष्ट्रीय आप्टिकल फाईबर नेटवर्क परियोजना के अंतर्गत न्यूनतम 100 एमबीपीएस बैंडविथ से जोड़ने की योजना बनाई है। लगभग 5000 गांवों में केबल डालने का काम पूरा हो चुका है और यह परियोजना संभवतः 31.12.2016 तक पूरी हो जाएगी।

स्पेक्ट्रम नीलामी

6.57 दूरसंचार विभाग ने 2100 मेगाहर्ट्ज, 1800 मेगाहर्ट्ज, 900 मेगाहर्ट्ज और 800 मेगाहर्ट्ज बैंडों में स्पेक्ट्रम की नीलामी करने की योजना बनाई है। राष्ट्रीय दूरसंचार नीति 2012 के अनुसार सस्ती और विश्वसनीय संचार सेवाओं के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए आम जनता के हितों को पूरा करने के लिए अधिक स्पेक्ट्रम उपलब्ध कराने हेतु एक कार्य योजना भी बनाई जाएगी।

शहरी अवसंरचना

6.58 भारत में शहरीकरण महत्वपूर्ण और न बदली जाने वाली प्रक्रिया बन गया है जो राष्ट्रीय आर्थिक विकास और गरीबी कम करने का महत्वपूर्ण निर्धारक है। शहरीकरण की यह बढ़ती हुई गति समुचित अवसंरचना उपलब्ध कराने,

संपर्क में सुधार करने के बारे में चुनौतियां प्रस्तुत करेगी। शहरीकरण का स्तर 2001 के 27.78 प्रतिशत से बढ़कर 2011 में 31.18 प्रतिशत हो गया है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के कम से कम पैंतीस शहरों ने एक मिलियन से अधिक की जनसंख्या का आंकड़ा छू लिया था। वृद्धि की वर्तमान दर पर भारत में शहरी जनसंख्या 2030 तक 575 मिलियन पहुंचने की संभावना है।

नई योजनाएं

6.59 शहरी अवसंरचना के विकास हेतु तीन नई योजनाओं की घोषणा की गई है। ये हैं – स्वच्छ भारत मिशन, धरोहर शहर विकास और सुदृढ़ीकरण योजना (हृदय) और स्मार्ट सिटी योजना। सभी वैधानिक शहर स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत कवर किए जाएंगे जो 2 अक्टूबर 2019 तक लागू रहेगा। स्वच्छ भारत मिशन के लक्ष्य खुले में शौच को समाप्त करना, हाथ से मल की सफाई को समाप्त करना, आधुनिक और वैज्ञानिक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन तथा स्वच्छता और जनस्वास्थ्य से इसके संबंध के बारे में जागरूकता पैदा करना हैं। हृदय का उद्देश्य धरोहर शहर की आत्मा का चरित्र चित्रण सुरक्षित रखना और निजी क्षेत्र की भागीदारी सहित विभिन्न संभावनाएं खोजते हुए समावेशी धरोहर से जुड़े शहरी विकास को सुसाध्य बनाना है। निर्धारित मानदण्डों के आधार पर पहचाने गए 100 स्मार्ट शहरों का विकास करने का प्रस्ताव है। इन शहरों में जनसेवाएं सुधारने के लिए स्मार्ट (बुद्धिमान), भौतिक, सामाजिक संस्थागत और आर्थिक अवसंरचना होगी।

सेवा क्षेत्र

भारत के गतिशील सेवा क्षेत्र में विगत दशक में तेजी से विकास हुआ है और 2014-15 में भारत की स.घ.उ. का लगभग 72.4 प्रतिशत सेवा क्षेत्र से आया है। अन्य विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के विपरीत, भारत की विकास गाथा की अगुवाई सेवा क्षेत्र द्वारा की गई है जिसकी विकास-दर अब दो अंकों में है।

अंतरराष्ट्रीय तुलना

विश्व सेवाएं स.घ.उ.

7.2 2013 में 75.6 ट्रिलियन अमेरिकी डालर विश्व स.घ.उ. (वर्तमान मूल्यों पर) सेवाओं की हिस्सेदारी थोड़ी अधिक बढ़कर 66.0 प्रतिशत हो गयी, जबकि वृद्धि दर (स्थिर मूल्यों पर) कुछ कम होकर 2012 के बाद 2.1 प्रतिशत हो गयी। तथापि, विगत 12 वर्षों के दौरान विश्व स.घ.उ. में सेवा के हिस्से में 2.8 प्रतिशत बिंदु (पीपी) की गिरावट आई है। यूएस का सेवा स.घ.उ. के साथ ही समग्र स.घ.उ. में भी प्रथम स्थान है और चीन व जापान काफी दूर तथा द्वितीय व तृतीय स्थान पर हैं। 2013 में स.घ.उ. की दृष्टि से विश्व के शीर्ष 15 देशों में भारत का 10वां स्थान और सेवा स.घ.उ. की दृष्टि से 11वां स्थान है। तथापि, 2001-2013 की अवधि में इन शीर्ष 15 देशों में स.घ.उ. की सेवा हिस्सेदारी में अधिकतम बढ़ोत्तरी स्पेन (8.6 पीपी) द्वारा दर्ज की गई, इसके बाद भारत (5.7 पीपी) और चीन (3.6 पीपी) की बारी आती है। इस अवधि के दौरान सीएजीआर के 8.7 प्रतिशत रहने पर भारत तेजी से बढ़ रहे सेवा क्षेत्र में दूसरे स्थान पर था, जो चीन 10.7 प्रतिशत के ठीक नीचे है। इन शीर्ष 15 देशों में कुल स.घ.उ. में, सेवा क्षेत्र में केवल चीन का हिस्सा 50 प्रतिशत से कम है। (सारणी 7.1)।

विश्व सेवा रोजगार

7.3 2014 संबंधी रिपोर्ट के अनुसार, सेवा क्षेत्र का 2012 की तुलना में 2013 में 1.4 प्रतिशत की कुल

वैश्विक वृद्धि का आधे से भी अधिक योगदान है। विश्व भर में सेवा की हिस्सेदारी 2001 में 68.8 प्रतिशत से घटकर 2013 में 66 प्रतिशत रह गई है जबकि रोजगार में इसकी हिस्सेदारी 39.1 प्रतिशत से बढ़कर 45.1 प्रतिशत हो गई है। भारत और चीन को छोड़कर 15 शीर्ष देशों के लिए सेवा स.घ.उ. और सेवा रोजगार, दोनों का हिस्सा काफी अधिक और एक-दूसरे के काफी पास है। भारत में सेवा क्षेत्र की आय में हिस्सेदारी अधिक और रोजगार में अपेक्षाकृत कम है। लेकिन इन दोनों देशों में, विगत 12 वर्षों में स.घ.उ. और रोजगार, दोनों में सेवा क्षेत्र में हिस्सेदारी में बढ़ोत्तरी हुई है।

विश्व सेवा व्यापार

7.4 2001-13 के दौरान विश्व व्यावसायिक सेवाओं के निर्यात का सीएजीआर 10 प्रतिशत था और भारत का 20.1 प्रतिशत पर 15 शीर्ष सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शीर्ष स्थान था, जिसके बाद 16.5 प्रतिशत पर चीन का स्थान था। 2013 में, 4.6 ट्रिलियन अमेरिकी डालर विश्व व्यावसायिक सेवाओं के निर्यातों में 5.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई। व्यावसायिक सेवाओं के सबसे बड़े निर्यातक, संयुक्त राष्ट्र के सेवा निर्यातों में 5 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि भारत और चीन, दोनों देशों में परिवहन सेवाओं के निर्यात में 3 प्रतिशत तक की गिरावट के कारण चीन में 7.5 प्रतिशत और भारत में 3.6 प्रतिशत की कमी हुई। भारत और चीन के सेवा आयातों में क्रमशः 2.7 और 17.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

सारणी 7.1: सेवाओं में प्रदर्शन: अंतराष्ट्रीय तुलना

देश	स.घ.उ. में		सेवा वृद्धि दर				सेवाओं का हिस्सा				सेवा निर्यात वृद्धि			
	समग्र	सेवा	प्रतिशत सीएजीआर		स.घ.उ.		रोजगार		कुल		(प्रतिशत)सीएजीआर			
			वर्षानुवर्ष	2001-13	2001	2013	2001	2013	2001	2013	वर्षानुवर्ष	2001-13	2001	2013
यूएस	1	1	2.1	1.7	1.8	77.6	78.6	75.0	81.2	27.2	29.5	-3.6	5.0	7.7
चीन	2	2	10.3	8.3	10.7	40.5	46.1	27.7	35.7	11.0	8.5	9.1	7.5	16.5
जापान	3	3	1.3	0.8	0.7	69.0	72.4	63.9	69.7	13.6	16.9	-6.9	2.0	7.1
जर्मनी	4	4	3.1	0.1	0.9	68.8	68.4	64.6	70.2	12.8	16.5	5.6	7.8	10.7
फ्रांस	5	5	2.0	0.6	1.4	74.7	78.5	69.9	74.9	19.8	29.0	-0.5	9.7	9.5
यूके	6	6	3.4	2.0	2.2	73.6	79.2	73.8	78.9	30.1	35.1	-0.8	1.5	7.9
ब्राजील	7	8	1.8	2.1	3.5	67.1	69.4	59.4	62.7	13.0	13.4	-2.7	-1.7	12.9
इटली	8	7	2.3	-1.3	0.2	70.5	74.4	63.1	68.5	18.9	17.6	2.1	6.1	5.6
रूस	9	10	3.3	2.0	5.1	55.6	59.8	58.6	62.3	9.9	11.0	17.3	11.2	4.0
भारत	10	11	7.5	6.7	8.7	51.3	57.0	24.0	28.1	27.9	32.5	4.8	3.6	20.1
कनाडा	11	9	3.5	1.8	2.5	65.9	70.4	74.7	76.5	12.7	14.6	-3.6	0.0	6.2
आस्ट्रेलिया	12	12	3.7	2.5	3.0	69.9	69.7	74.2	75.5	21.8	17.1	-8.9	-0.1	9.4
स्पेन	13	13	4.0	-1.1	2.3	65.3	73.9	62.0	74.9	32.2	31.5	6.0	6.1	8.4
दक्षिण कोरिया	14	15	5.0	2.9	3.7	59.0	59.1	62.6	76.4	16.3	16.6	-4.9	1.3	15.7
मैक्सिको	15	14	1.1	2.4	3.2	57.7	58.9	56.1	61.9	7.2	4.9	-7.5	21.3	11.8
विश्व			2.5	2.1	2.5	68.8	66.0	39.1	45.1	19.4	19.8	0.1	5.6	9.9

स्रोत : स.घ.उ. के लिए संयुक्त राष्ट्र राष्ट्रीय लेखा से परिगणित आंकड़े, रोजगार के लिए विश्व बैंक एवं अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के डाटाबेस और सेवा व्यापार के लिए विश्व व्यापार संगठन डाटाबेस से परिगणित।

टिप्पणियां : रैक और हिस्सेदारी, चालू मूल्यों (2013) पर आधारित है; वृद्धि दरों अचल मूल्यों (अमेरिकी डालर) पर आधारित हैं; निर्माण क्षेत्र में सेवा स.घ.उ. शामिल नहीं है; 2013 में रोजगार डाटा के लिए निकटतम पूर्व वर्षों के उपलब्ध आंकड़ों का उपयोग किया गया है। *2012 आंकड़े।

7.5 2014 की पहली तिमाही, दूसरी तिमाही और तीसरी तिमाही में विश्व सेवा निर्यातों में क्रमशः 5.7 प्रतिशत, 6.4 प्रतिशत और 4.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। भारत के सेवा निर्यात वृद्धि में पहली तिमाही में 7.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई लेकिन दूसरी और तीसरी तिमाही में 2.8 प्रतिशत और 2.7 प्रतिशत की कमी हुई है। इसकी सेवा आयात में वृद्धि पहली तिमाही में ऋणात्मक 3.9 प्रतिशत, दूसरी तिमाही में 0.3 प्रतिशत और तीसरी तिमाही में 2.7 की वृद्धि प्रतिशत थी।

विश्व सेवा क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश

7.6 2014 में संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन (यूएनसीटीएडी) के अनुसार वैश्विक अर्थव्यवस्था में कमजोर नीतिगत अनिश्चितता और विश्व-कूटनीतिक जोखिमों के कारण वैश्विक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) अंतर्वाह में अनुमानित 1.3 ट्रिलियन अमेरिकी डालर, 8 प्रतिशत की गिरावट आई। चीन विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में विश्व का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश बन गया जिसमें सेवा क्षेत्र में एफडीआई द्वारा प्रेरित 3 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि विनिर्माण में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में गिरावट आई। भारतीय प्रत्यक्ष विदेशी

निवेश में शीर्ष सेवा क्षेत्र में अंतर्वाह के कारण भी लगभग 26 प्रतिशत की गिरावट आई जो अनुमानित 35 बिलियन अमेरिकी डालर है जैसी भारतीय आंकड़ों से पुष्टि होती है।

भारत का सेवा क्षेत्र

7.7 देश और राज्यों की आय, व्यापार अंतर्वाह विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अंतर्वाह और रोजगार में योगदान के संदर्भ में भारत का सेवा क्षेत्र, प्रमुख क्षेत्र के रूप में उभर रहा है।

सेवा स.घ.उ. और सकल पूंजी निर्माण

7.8 भारत के राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी की नई विधि के अनुसार, 2013-14 आधार मूल्यों (चालू मूल्यों) पर भारत के सकल मूल्य वर्धित (जीबीए) का 51.3 प्रतिशत बैठता है जो कुल जीबीए वृद्धि की 6.6 प्रतिशत और बाजार मूल्यों पर 6.9 स.घ.उ. की तुलना में 9.1 प्रतिशत तक बढ़ा। एक बार्डर लाइन सेवा निर्माण सहित सेवा की हिस्सेदारी 59.6 प्रतिशत और वृद्धि 8.1 प्रतिशत है (सारणी 6.2)।

7.9 दिलचस्प है कि 2013 में सकल पूंजी निर्माण (जीसीएफ) में 35.4 लाख रु. के सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी

सारणी : 7.2 भारत के सेवा क्षेत्र का हिस्सा और वृद्धि (आधार मूल्य पर जीवीए)

(प्रतिशत)

	जीवीए			जीसीएफ	
	2012-13	2013-14	2014-15*	2012-13	2013-14
कुल सेवाएं	50.0 (8.0)	51.3 (9.1)	53.0(10.6)	53.8 (-1.9)	54.6 (3.1)
व्यापार, मरम्मत, होटल व रेस्तरां	11.3 (10.3)	12.0(13.3)	18.7 (8.4)*	9.6 (46.9)	11.5 (21.2)
व्यापार व मरम्मत सेवाएं	10.2 (11.1)	11.0(14.3)		8.6 (59.9)	10.6 (23.5)
होटल और रेस्तरां	1.1 (3.3)	1.1 (3.9)		0.9 (-15.6)	0.9 (-0.3)
परिवहन, भंडारण और प्रसारण संबंधी	6.6 (8.4)	6.6 (7.3)		6.8 (-4.1)	5.5(-16.4)
सेवाएं (जिनमें से)					
रेलवे	0.8 (18.0)	0.8 (9.3)		1.1 (11.0)	1.2 (5.6)
सड़क परिवहन	3.3 (7.5)	3.2 (5.0)		2.5 (-16.6)	1.6(-35.8)
हवाई अड्डा	0.1 (-5.9)	0.1 (6.0)		0.2 (-11.4)	0.0(-72.4)
वित्तीय सेवाएं	5.9 (6.7)	5.8 (6.4)	20.9(13.7)^	1.3 (-9.8)	1.1(-10.6)
रियल एस्टेट, रिहाइश और व्यावसायिक सेवाएं	13.6 (9.8)	14.0 (8.5)		22.7 (-15.1)	20.1(-10.2)
सरकारी प्रशासन और रक्षा	6.0 (3.2)	6.0 (4.9)	13.4 (9.0)@	8.5 (1.7)	10.6 (26.3)
अन्य सेवाएं	6.6 (6.2)	6.9(10.7)		4.9 (4.2)	5.8 (20.3)
निर्माण	8.7 (-4.3)	8.3 (2.5)	8.0 (4.5)	5.8 (-11.5)	5.4 (-4.4)
कुल सेवाएं (+निर्माण)	58.7 (6.0)	59.6 (8.1)	61.0 (7.1)	59.6 (-3.0)	60.0 (2.4)
कुल जीवीए/जीएफसी	100.0 (4.9)	100.0 (6.6)	100.0 (7.5)	100.0 (-0.7)	100.0 (1.4)
स.घ.उ. (2011-12 के स्थिर बाजार मूल्य)	(5.1)	(6.9)	(7.4)		

झोत : केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन (कें सां सं)

नोट: हिस्सेदारी चालू मूल्यों और वृद्धि 2011-12 स्थिर मूल्य में है; कोष्ठक में आंकड़े वृद्धि दर दर्शाते हैं; # 2014-15 हेतु अग्रिम अनुमान। *में परिवहन, संचार और प्रसारण संबंधी सेवाएं शामिल हैं, ^ में रियल एस्टेट और व्यावसायिक सेवाएं शामिल हैं, @ में अन्य सेवाएं भी शामिल हैं। यह केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा अपनाई गई नई विधि पर आधारित है।

सर्वाधिक (54.6 प्रतिशत) रही है। ऐसा “वास्तविक एस्टेट”, रिहाइश और पेशेवर सेवाओं के 20.1 प्रतिशत में सकल पूँजी निर्माण के कारण है हालांकि इसके हिस्से में विगत दो वर्षों में गिरावट आई है, जिसके बाद व्यापार और मरम्मत क्षेत्र (10.6 प्रतिशत) और “सरकारी प्रशासनिक और रक्षा” (10.6 प्रतिशत) की बारी आती है जहां हिस्सेदारी में सुधार आया है। सेवा सकल पूँजी निर्माण की 3.1 की प्रतिशत वृद्धि दर कुल सकल पूँजी निर्माण की अपेक्षा 1.4 प्रतिशत अधिक है। वास्तव में सेवा में धनात्मक सकल पूँजी निर्माण से कुल सकल पूँजी निर्माण में धनात्मक वृद्धि हुई क्योंकि कृषि और उद्योग में सकल पूँजी निर्माण क्रमशः -0.3 प्रतिशत और -0.6 प्रतिशत ऋणात्मक

रहा है। विनिर्माण में जीसीएफ वृद्धि और अधिक नकारात्मक -5.4 प्रतिशत थी।

7.10 कारक लागत पर सकल घरेलू उत्पाद का अनुमान लगाने की पुरानी विधि के अनुसार सेवा क्षेत्र, स.घ.उ. का 57 प्रतिशत था, जो 2013-14 में वित्त, बीमा, रियल एस्टेट और व्यवसायिक सेवाओं में 12.9 प्रतिशत की मजबूत वृद्धि के बावजूद व्यापार, होटल और रेस्तरां और परिवहन, भंडारण एवं संचार की मिश्रित श्रेणी की वृद्धि दर में गिरावट के कारण है जो 2012-13 में 5.1 प्रतिशत से 3.0 प्रतिशत रह गई। इन दो विधियों के तहत सेवा वृद्धि में कुछ भिन्न परिणाम आधार मूल्य पर कारक लागत से स.घ.उ. में अवधारणात्मक परिवर्तन और नवीनतम आंकड़ों

के स्रोतों को अपनाने के कारण है। नई विधि में सेवा के हिस्से में अत्यधिक गिरावट भी थी। व्यापार, मरम्मत, होटलों और रेस्टरां के हिस्से में प्रमुख परिवर्तन हुए क्योंकि पुरानी लागत कारक विधि में यह हिस्सा 2012-13 में 17.2 प्रतिशत था, जबकि आधार मूल्य पद्धति में यह गिरकर 11.3 प्रतिशत हो गया। ऐसा इस कारण है क्योंकि विनिर्माण कंपनियों द्वारा किया गया व्यापार से विनिर्माण में अंतरित हो गया है और असंगठित व्यापार उद्यमों के आंकड़े 1999-2000 सर्वेक्षण की बजाय 2010-11 के साथ अद्यतन किया गया है लेकिन इस क्षेत्र की वृद्धि, पुरानी विधि के विपरीत नई विधि में कहीं अधिक हुई थी।

7.11 अग्रिम अनुमानों के अनुसार, सेवाओं क्षेत्र की वृद्धि 2013-14 में 9.1 प्रतिशत की अपेक्षा 2014-15 में और अधिक 10.6 प्रतिशत तक वृद्धि हुई। ऐसा मुख्यतः पूर्व वर्ष में वित्तीय, रियल एस्टेट और व्यावसायिक सेवाओं में 13.7 प्रतिशत से 7.9 प्रतिशत और लोक प्रशासन, रक्षा और अन्य सेवाओं में 13.7 प्रतिशत से 7.9 प्रतिशत की वृद्धि होने के कारण है। यह 2014-15 में व्यापार, होटलों, परिवहन, संचार और संबंधित सेवाओं में 8.4 प्रतिशत की अच्छी वृद्धि थी यद्यपि 2013-14 में यह 11.1 प्रतिशत पर निम्नतर था।


सेवाओं की राज्य-वार तुलना

7.12 यह सेवा क्षेत्र भारत के अधिकांश राज्यों में प्रमुख है। 2013-14 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) में सेवाओं की हिस्सेदारी, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम को छोड़कर 40 प्रतिशत से अधिक है। (चित्र 7.1)। चंडीगढ़ का स्थान 88.4 प्रतिशत की हिस्सेदारी के साथ सबसे शीर्ष पर है जिसके बाद 87.7 प्रतिशत पर दिल्ली का स्थान है। अधिकांश राज्यों में प्रमुख सेवाओं में, व्यापार, होटल और रेस्टरां की हिस्सेदारी है और इसके बाद रियल एस्टेट, रिहायश के स्वामित्व और व्यावसायिक सेवाओं की बारी आती है। दिल्ली, महाराष्ट्र और चंडीगढ़ जैसे कुछ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में भी बैंकिंग और बीमा की महत्वपूर्ण हिस्सेदारी है। 2013-14 में बिहार का 17.3 प्रतिशत की उच्चतम सेवा वृद्धि थी और उत्तराखण्ड की सबसे कम 5.5 प्रतिशत है। व्यापार, होटलों और रेस्टरां में उच्च वृद्धि के कारण विगत पांच वर्षों में सेवा क्षेत्र में बिहार में लगातार दो अंकीय वृद्धि दिखाई गई है।

भारत के सेवा क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश

7.13 सेवा क्षेत्र के तहत विभिन्न गतिविधियों में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के वर्गीकरण में असंदिग्धता बरकरार है। भारतीय प्रत्यक्ष निवेश की वित्तीय और गैर-वित्तीय सेवाओं,

चित्र 7.1: 2013-14, में सेवा क्षेत्र का हिस्सा और वृद्धि



स्रोत : केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के आंकड़ों से परिणित।

टिप्पणी : हिस्सेदारी चालू मूल्यों पर वृद्धि दर स्थिर मूल्यों (2004-05) पर;

* 2012-13 के आंकड़े दर्शाता है।

सारणी 7.3: सेवा क्षेत्र में एफ डी आई इक्विटी अंतर्वाह

रेंक	क्षेत्र	मूल्य (यूएस मिलियन में)			कुल प्रतिशत	वृद्धि दर 2013-14 (अप्रैल नवम्बर)
		2013-14	2014-15 (अप्रैल नवम्बर 2014)	सेवाओं		
			(अप्रैल 2000-नवम्बर 2014)			
1	सेवा क्षेत्र (वित्तीय व गैर वित्तीय)	2225	1847	41307	17.5	-54.0 24.9
2	निर्माण विकास #	1226	703	24009	10.2	-8.0 -20.9
3	दूरसंचार *	1307	2472	16635	7.0	329.9 7390.9
4	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्ड वेयर	1126	862	13679	5.8	131.7 62.9
5	होटल व पर्यटन	486	544	7662	3.2	-85.1 180.4
	कुल 5 शीर्ष सेवाएं	6370	6428	103291	43.7	-37.6 105.8
	कुल एफडीआई अंतर्वाह	24299	18884	236465	100	8.4 22.2

स्रोत : औद्योगिक नीति और प्रोन्टिविभाग के आंकड़ों पर आधारित

टिप्पणी : # टाउनशिप, हाऊसिंग, निर्मित अवसंरचना को दर्शाता है; * रेडियो पेजिंग, सेलुलर मोबाइल, आधारभूत टेलीफोन सेवाओं को दर्शाता है।

निर्माण विकास, दूरसंचार कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर और होटलों एवं पर्यटन की साझा हिस्सेदारी को सेवा एफडीआई-के सर्वश्रेष्ठ अनुमान के तौर पर देखा जा रहा है, यद्यपि इसमें कुछ सेवा भिन्न तत्व भी शामिल हो सकते हैं। यह हिस्सेदारी अप्रैल 2000-नवम्बर, 2014 की अवधि के दौरान संचयी एफडीआई इक्विटी अंतर्वाह की 43.7 प्रतिशत है। यदि व्यापार, सूचना और प्रसारण, निर्माण (अवसंरचना) गतिविधियों, परामर्श सेवाओं, अस्पताल और निदान केंद्रों, बंदरगाहों, कृषि सेवाओं, शिक्षा, हवाई भाड़े सहित वायु परिवहन और खुदरा व्यापार जैसी कुछ अन्य सेवाओं अथवा सेवा-संबंधी क्षेत्रों की हिस्सेदारी को शामिल किया जाए, तथा सेवा क्षेत्र को संचयी एफडीआई अंतर्वाह की कुछ हिस्सेदारी बढ़कर 53.8 प्रतिशत हो जाएगा। 2013-14 में, सेवा क्षेत्र (निर्माण सहित शीर्ष पांच क्षेत्र) में एफडीआई अंतर्वाह 8.4 प्रतिशत एफडीआई अंतर्वाह में समग्र वृद्धि में 6.4 बिलियन अमेरीकी डालर की 22.2 प्रतिशत की तीव्र गिरावट हुई। तथापि, 2014-15 (अप्रैल-नवम्बर) के दौरान, समग्र एफडीआई अंतर्वाह 32.6 प्रतिशत वृद्धि की अपेक्षा बढ़कर 105.8 प्रतिशत हो गया। इस वर्ष के प्रथम आठ माह में शीर्ष 5 सेवाओं के कुल एफडीआई अंतर्वाह, दूरसंचार में प्रमुख अंतर्वाह के कारण 2013-14 में पूरे वर्ष की अपेक्षा उच्चतर रहा। (सारणी 7.3)

भारत का सेवा व्यापार

7.14 व्यावसायिक सेवाओं के वैश्विक निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 2000 में 1.2 प्रतिशत से बढ़कर 2013 में 3.2 प्रतिशत हो गई है। 2013 में अग्रणी निर्यातकों में इसका

छठा स्थान है। 2002-03 से 2008-09 के 31.2 प्रतिशत की उच्च वृद्धि और वैश्विक वित्तीय संकट के बाद के प्रभाव में 2010-11 और 2011-12 में रफ्तार पकड़ने एवं अच्छी वृद्धि देखने के बाद सेवा की निर्यात वृद्धि गिर कर 2012-13 में 3.4 प्रतिशत रह गई थी 2013-14 में सेवाओं के निर्यात में 4.0 प्रतिशत की वृद्धि हुई और यह 151.5 प्रतिशत बिलियन अमेरीकी डालर हो गया और सेवाओं के निर्यात में 2.8 प्रतिशत की गिरावट आने से यह 78.5 प्रतिशत बिलियन अमेरीकी डालर हो गया जिससे निवल सेवाएं 73.0 बिलियन हो गई जो 12.4 प्रतिशत वृद्धि है। 2014-15 के पूर्वार्ध में, सेवा निर्यात 3.7 प्रतिशत बढ़कर 75.9 बिलियन अमेरीकी डालर और सेवा आयात 5 प्रतिशत बढ़कर 39.9 बिलियन अमेरीकी डालर हो गया जिसके परिणामतः निवल सेवाओं में महज 2.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई (सारणी 7.4)। हाल ही के वर्षों में निवल सेवाएं, भारत के व्यापार घाटे को पूरा करने का मुख्य स्रोत रही हैं। वित्तीय सेवाओं के अधिशेष से 2013-14 में और 2014-15 की पहली तिमाही में क्रमशः 49.4 प्रतिशत और 49.3 प्रतिशत जींस व्यापार घाटा पूरा किया गया है। भारत के निर्यात क्षेत्रों में हाल ही में हुए दो घटनाक्रम बढ़ती व्यापार मूल्य वर्धित घटक और सेवा मूल्य वर्धित घटक हैं (बॉक्स 7.1)।

7.15 2013-14 में भारत के प्रमुख सेवा निर्यात कंप्यूटर (45.8 प्रतिशत हिस्सा), पेशेवर और परामर्श सेवाओं (10.2 प्रतिशत) सहित व्यावसायिक तथा अन्य सेवाएं (18.8 प्रतिशत) हिस्सा और तकनीकी व व्यापार से संबंधित सेवाएं (10.2 प्रतिशत हिस्सा) अनुसंधान और

सारणी 7.4: प्रमुख सेवाओं में निर्यात का निष्पादन


	मूल्य (यूएस बिलियन में) 2013-14	हिस्सा (प्रतिशत) 2013-14	निर्यात वृद्धि दर (प्रतिशत)			
			2012-13	2013-14	2013-14 H1	2014-15 H1
कुल सेवा निर्यात	151.5	100	3.4	4.0	3.4	3.7
परिवहन	17.4	11.5	-5.1	0.3	-2.1	8.5
यात्रा	17.9	11.8	-2.5	-0.4	4.8	18.0
निर्माण	1.3	0.9	24.9	33.3	37.2	36.0
वित्तीय, बीमा और पेंशन सेवाएं	8.8	5.8	-16.5	22.2	23.3	-11.8
दूरसंचार सेवाएं	2.4	1.6	2.0	43.0	38.4	-22.2
कंप्यूटर सेवाएं	69.4	45.8	5.9	5.4	5.6	5.1
अन्य व्यवसाय सेवाएं	28.5	18.8	15.8	0.1	-0.1	-3.9
अनुसंधान और विकास सेवाएं	1.1	0.8	17.0	24.0	9.7	6.3
पेशेवर और परामर्श सेवाएं	15.5	10.2	26.0	10.4	7.1	-6.7
तकनीकी, व्यापार संबंधी व अन्य	11.8	7.8	6.8	-12.2	-8.6	-1.4
निवल सेवा निर्यात	73.0	—	1.4	12.4	12.6	2.4

स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक के भुगतान संतुलन संबंधी आंकड़े

बॉक्स 7.1 : भारत के निर्यात में सेवा सकल मूल्य वृद्धि घटक

ओईसीडी के मूल्य वर्धित व्यापार के आंकड़ों के अनुसार, भारत के सकल निर्यातों में घरेलू मूल्य वर्धित घटक 2009 में 78 प्रतिशत था, जो ओईसीडी के औसत (76 प्रतिशत) से थोड़ा अधिक किंतु 1995 की अपेक्षा 12 बिंदु (पीपी) कमतर है। जो वैश्विक मूल्य वृद्धि श्रृंखलाओं के साथ उत्पादन और एकीकरण में बढ़ते विखंडन को दर्शाता है। दिलचस्प है कि 2009 में भारत के निर्यात कर सेवा मूल्य वर्धित घटक 52.4 प्रतिशत है जो ओईसीडी के औसत (48 प्रतिशत) से कुछ अधिक है। भारत का अपने निर्यातों में सेवाओं में मूल्य वर्धित घटकों के मायने में हांगकांग, आइसलैण्ड, सिंगापुर और इयू-27 के बाद पांचवा स्थान है। इसमें 1995 की तुलना में 15.4 प्रतिशत पीपी की वृद्धि भी है (चित्र 1)। यह सेवाओं के बढ़ते प्रत्यक्ष निर्यात द्वारा प्रेरित है और निर्यात के विदेशी सेवा घटक के दोगुने से भी अधिक होने से वैश्विक मूल्य श्रृंखला की अधिक एकीकरण का संकेत मिलता है।

चित्र 1: सकल निर्यात के मूल्ययोजित सामग्री सेवाएं (%)



आईसीआरआईआर द्वारा वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया गया अध्ययन भारत के निर्यातों में विदेशी मूल्य वृद्धि की बढ़ती हिस्सेदारी को दर्शाता है। यह बढ़ोत्तरी 1995 के जींस निर्यात में 11.2 प्रतिशत से 2011 में अधिक 25.7 प्रतिशत थी जबकि सेवा निर्यात में यह 6.4 प्रतिशत से बढ़कर 8.5 प्रतिशत हो गयी।

स्रोत : ओईसीडी और आईसीआरआईआर की रिपोर्ट पर आधारित

विकास सेवाएं (0.8 प्रतिशत), यात्रा (11.8 प्रतिशत) और परिवहन (11.5 प्रतिशत हिस्सा) और वित्तीय, बीमा एवं पेंशन सेवाएं (5.8 प्रतिशत हिस्सा) है। 2013-14 में, सॉफ्टवेयर सेवाओं की निर्यात वृद्धि में 5.4 प्रतिशत की गिरावट, यात्रा में (-)0.4 प्रतिशत की ऋणात्मक वृद्धि, परिवहन (0.3 प्रतिशत) और अन्य व्यावसायिक सेवाओं (0.1 प्रतिशत) में मामूली वृद्धि थी। तथापि, वित्तीय सेवाओं के वैशिक निर्यातों के साथ तालमेल में, भारत की वित्तीय सेवाओं के निर्यात में 34.4 प्रतिशत की उच्च वृद्धि दर्ज हुई है। 2014-15 की पहली छमाही में, निर्यात वृद्धि में कंप्यूटर सेवाओं में और अधिक गिरावट आई (5.1 प्रतिशत) और अन्य व्यावसायिक सेवाओं (-3.9 प्रतिशत) और वित्तीय, बीमा और पेंशन सेवाओं (-11.8 प्रतिशत) में यह ऋणात्मक थी। लेकिन यात्रा में मजबूत वृद्धि (18.0 प्रतिशत) थी और

विदेशी पर्यटक आगमन (एफटीए और विदेशी विनिमय आय (एफईई) के डालर के मायने में रफ्तार पकड़ी। और पिछले पूर्व वर्ष में 0.8 प्रतिशत की तुलना में 2014-15 की पहली तिमाही में भारत के विदेशी व्यापार में 2.5 प्रतिशत की तेजी के कारण परिवहन के लिए अच्छा संकेत रहा (8.5 प्रतिशत)।

7.16 भारत के सेवा क्षेत्र में बाजार तक पहुंचने में बहुत से अवरोधक और घरेलू नियम हैं (देखें आर्थिक सर्वे 2012-13 और 2013-14)। भारत की सेवा क्षेत्र की संभावना को देखते हुए, इन दोनों ही घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय अवरोधों को दूर करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। अतः बहुपक्षीय और द्विपक्षीय/क्षेत्रीय अर्थात् दोनों ही स्तरों पर सेवा क्षेत्र में बातचीत किया जाना भारत के लिए विशेष महत्व रखता है। (देखें बाक्स 7.2)

बाक्स 7.2 : द्विपक्षीय समझौता वार्ताएं, सेवा व्यापार सहित विश्व व्यापार संगठन वार्तालाप

विश्व व्यापार संगठन : भारतीय स्थिति

- बाली बातचीत के पश्चात् जो भी कार्यक्रम तैयार होगा उसे दोहा डेवलपमेंट (डीडीए) के परमादेश के भीतर ही तैयार किया जायेगा और हांगकांग मिनिस्टीरियल डिक्लेरेशन (एचकेएमडी) की सेवा संबंधी अनुबंध ग जैसे महत्वपूर्ण कदमों, जिसमें दोहा दौर की वार्ता का मार्गदर्शन भी शामिल है, के मद्देनजर भी तैयार किया जायेगा।
- भारत दोहा दौर की वार्ता के नाम पर छोटे मोटे लाभ और कतिपय अर्थव्यवस्थाओं के हित क्षेत्रों का समर्थन नहीं करता है और वार्तालाप के सभी स्तम्भों जिसमें महत्वाकांक्षा का स्तर भी शामिल है, पर कृषि को ही प्रधानता दी जायेगी।
- चूंकि दोहा वार्तालाप का केन्द्र बिन्दु विकास है अतः विकासशील और अल्पमत विकसित देशों के निर्यात हितों के क्षेत्र में प्रतिबद्धता इस दौर की सफलता के लिए खास महत्व रखते हैं। विगत में मोड 4 आफर्स में जो नगण्य प्रगति हुई है उससे भारत हताश हो गया है।
- डब्ल्यू.टी.ओ. में अल्पतम विकसित देशों को विशेष वरीयता देने के लिए मोस्ट फेर्वर्ड नेशन्स को दी जाने वाली छूट- 5 फरवरी 2015 को होने वाली डब्ल्यू.टी.ओ. सेवा परिषद की उच्च स्तरीय बैठक में अल्पतम विकसित राज्यों के लिए छूट दिये जाने के मुद्दे पर विचार विमर्श हुआ था। भारत अल्पतम विकसित देशों के लिए एक उदार सहभागी बना रहा है और इसने अनुबंधित सेवा प्रदाताओं और स्वतंत्र व्यवसायिकों (मोड 4) को इंजीनियरिंग सेवा, कंप्यूटर और इससे संबंधित सेवा तथा प्रबंधन और परामर्श सेवा में बाजार मुहैय्या कराया है। अल्पतम विकसित देशों से पर्यटन मार्गदर्शकों के लिए केवल 250 कोटा दिया गया था। भारत इन देशों के उन आवेदकों को वीजा शुल्क माफ करने पर सहमत हो गया है जो भारत में व्यापार या रोजगार के लिए वीजा के लिए आवेदन कर रहे हैं।

द्विपक्षीय करार: स्थिति

- भारत ने सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, जापान और मलेशिया के साथ बृहद् द्विपक्षीय करारों पर हस्ताक्षर किये हैं। एशियान देशों के साथ सेवा और निवेश के क्षेत्र में सितम्बर 2014 में एफटीए पर हस्ताक्षर किये गये थे।
- भारत एक बहुपक्षीय वार्तालाप रिजनल कम्प्रॉन्सिव इकोनामिक पार्टनरशिप (आरसीईपी) में शामिल हो गया है और कनाडा, इजराइल, थाईलैण्ड, ईएफटीए आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैण्ड और यूरोपीय समुदाय के साथ व्यापार सेवा के क्षेत्र में द्विपक्षीय एफटीए वार्तालाप में लगातार संलग्न है। थाईलैण्ड के साथ वार्तालाप काफी आगे तक हो गया है और ईएफटीए के साथ होने वाला वार्तालाप कमोवेश पूरा हो गया है। भारत इण्डिया-यूएस ट्रेड पालिसी फोरम (टीपीएफ) के अंतर्गत आस्ट्रेलिया के साथ, इण्डिया-चाइना वर्किंग ग्रुप आन सर्विसेज के अंतर्गत चीन के साथ और इण्डिया ब्राजील ट्रेड मानीटरिंग मेकेनिज्म (टीएमएम) के अंतर्गत ब्राजील के साथ भी द्विपक्षीय व्यापार वार्तालाप के कार्य में लगा हुआ है।

सारणी 7.5: क्षेत्रवार रोजगार का रुख (यूपीएस)

	समग्र संख्या (मिलियन) (प्रतिशत का हिस्सा कोष्ठक में दिया गया है)					रोजगार में लोच			
	1993-94	1999-00	2004-05	2009-10	2011-12	1993-94 से 1999-00	1999-00 से 2004-05	2004-05 से 2009-10	2009-10 से 2011-12
कृषि	204.3 (61.1)	214.7 (58.5)	226.8 (54.5)	220.5 (51.6)	204.4 (47.1)	0.3	0.7	-0.2	-0.5
उद्योग	53.5 (16.0)	61.7 (16.8)	81.0 (19.5)	93.1 (21.8)	106.1 (24.4)	0.4	0.9	0.3	0.9
सेवा	76.6 (22.9)	90.6 (24.7)	108.0 (26.0)	113.7 (26.6)	123.9 (28.5)	0.3	0.5	0.1	0.5
व्यापार, होटल और रेस्तरां	26.8 (8.0)	34.1 (9.3)	46.5 (11.2)	48.4 (11.3)	50.5 (11.6)	0.4	0.8	0.1	0.3
परिवहन, भंडारण व संप्रेषण	11.0 (3.3)	15.0 (4.1)	18.7 (4.5)	19.9 (4.6)	22.8 (5.2)	0.5	0.4	0.1	0.6
वित्तीय बीमा, भू-संपदा और व्यवसाय सेवाएं	3.7 (1.1)	4.8 (1.3)	7.5 (1.8)	9.4 (2.2)	10.7 (2.5)	0.5	1.6	0.4	0.6
सामुदाय, सामाजिक और निजी सेवाएं	35.1 (10.5)	36.7 (10.0)	35.3 (8.5)	36.1 (8.4)	39.9 (9.2)	0.1	-0.2	0.1	1.1
कुल	334.4 (100.0)	367.0 (100.0)	415.7 (100.0)	427.4 (100.0)	434.4 (100.0)	0.2	0.4	0.1	0.1

स्रोत : एनएसएसओ की विभिन्न दौर की रिपोर्टें और सीएसओ से प्राप्त आंकड़ों पर आधारित

नोट: रोजगार लचीलापन की गणना सीएजीआर विधि से की जाती है। संबंधित अवधि का रोजगार लचीलापन = (सीएजीआर रोजगार/(एफसी स्थिर 2004-05 मूल्य पर सीएजीआर जीडीपी) यू.पी.एस.- युजुअल प्रिंसीपल स्टेट्स

भारतीय सेवा रोजगार

7.17 पिछले दो दशकों में रोजगार के क्षेत्रवार प्रतिमान में बदलाव आया है और कृषि के क्षेत्र में रोजगार में कमी आयी तथा उद्योग एवं सेवा के क्षेत्र में रोजगार काफी तेजी से बढ़ा है। वर्ष 2011-12 में रोजगार में सेवा का हिस्सा 28.5 प्रतिशत प्रतिशत रहा है जो कि उद्योग (24.4 प्रतिशत) क्षेत्र के रोजगार से अधिक है। सेवा के विभिन्न क्षेत्रों में, वर्ष 1993-94 से 2011-12 के बीच व्यापार, होटल्स एवं रेस्तरां, परिवहन, स्टोरेज, संचार और वित्त बीमा, सम्पदा और व्यापार सेवाओं में रोजगार के हिस्से में लगातार बढ़ोत्तरी हुई है। सामुदायित्व, सामाजिक और निजी सेवाओं में रोजगार के हिस्से में वर्ष 2011-12 को छोड़कर लगातार कमी आयी है फिर भी 2009-10 और 2004-05 की तुलना में वृद्धि हुई है। वर्ष 2004-05 से 2009-10 की तुलना में वर्ष 2009-10 से 2011-12 में रोजगार में लचीलापन बढ़ा है, यद्यपि उद्योग के क्षेत्र में यह लचीलापन तुलनात्मक रूप से अधिक रहा है। सेवाओं में रोजगार का लचीलापन वित्त, बीमा, सम्पदा और व्यापार

सेवा तथा परिवहन, भंडारण और संचार के क्षेत्र में अधिक रहा है। (सारणी 7.5)

प्रमुख सेवायें: समग्र निष्पादन

7.18 वर्ष 2014-15 के भारत की विभिन्न सेवाओं के बारे में उपलब्ध कुछ संकेतकों से पता चलता है कि पर्यटन, दूर संचार, विमानन और रेलवे का कामकाज ठीक ठाक रहा है (सारणी 7.6)। लिमिटेड फर्मों के स्तर पर सेंटर फार मानीटरिंग इण्डियन इकोनामी के द्वारा लगाये गये अनुमानों से पता चलता है कि खुदरा व्यापार, विमानन, दूर संचार, और परिवहन लाजिस्टिक्स के कामकाज में सुधार आया है। अन्य अनुमानों जैसे एचएसबीसी की सेवायें, पीएमआई (पर्जिंग मैनेजर्स इन्डेक्स) के आंकड़ों से पता चलता है कि चालू वर्ष में सेवा-क्षेत्र में सुधार आया है क्योंकि मई 2014 से लेकर सभी महीनों में रीडिंग 50 से ऊपर रही है और यह नवम्बर 2014 में 52.6, दिसम्बर 2014 में 51.1 तथा जनवरी 2015 में 52.4 रही है।

सारणी 7.6 : भारत के सेवाक्षेत्र का निष्पादन: कुछ संकेतक

क्षेत्र	संकेतक	ईकाई	अवधि		
			2009-10	2013-14	2014-15
विमानन	एअर लाइन्स के यात्री (घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय)*	मिलियन	77.4	103.7	(68.0)74.9#
दूर संचार	(दूर संचार कनेक्शन्स वायर लाइन और वायरलेस)†	मिलियन	621.3	933.0	(910.1)964.2#
पर्यटन	विदेशी पर्यटकों का आगमन‡	मिलियन	5.2	7.0	7.5
	विदेशी पर्यटकों से विदेशी मुद्रा का अर्जन‡	बिलियन अमरीकी डालर	11.1	18.4	19.7
जहाजरानी	भारतीय जहाजरानी का सकल टनेज‡	मिलियन जीटी	9.7	10.5	10.3@
	जहाजों की संख्या	संख्या	1003	1213	1209@
पत्तन	पत्तन यातायात	मिलियन टन	850.0	975.7	(725.9)775.2@
रेलवे	रेलवे द्वारा माल परिवहन§	मिलियन टन	887.8	1051.6	(767.2)806.4@
	रेलवे का निवल टन किलोमीटर्स§	बिलियन	600.5	665.8	(478.9)506.9@
भण्डारण	भण्डारण क्षमता	लाख एमटी	106.0	105.6	103.1#
	भण्डारणहाँ की संख्या	संख्या	487	471	470#

स्रोत : टीआएआई, पर्यटन मंत्रालय, जहाजरानी मंत्रालय, रेलवे मंत्रालय, नागरिक विमानन मंत्रालय, सेन्ट्रल वेयरहाउसिंग कारपोरेशन

टिप्पणी : * कलेण्डर वर्ष जैसे कि 2009 के लिए 2009-10; † आने वाले वित्तीय वर्ष के 31 मार्च को 2009-10 से 2012-13 के आंकड़े अप्रसरित आधार पर हैं; जबकि 2013-14 के आंकड़े मूल आधार पर हैं; ‡ विदेशी एअर लाइन्स (विदेशी यात्रियों के लिए शामिल), जबकि 2013-14 और 2014-15 के लिए उद्भूत आधार पर हैं; * विदेशी एयर लाइन्स में अंतर्राष्ट्रीय यात्री शामिल हैं; # आंकड़े नवंबर, 2014 तक हैं @ आंकड़े दिसम्बर, 2014 तक हैं कोष्ठक में आंकड़े 2013-14 की समान अवधि के लिए हैं जीटी = सकल टनेज एमटी = भौतिक टन.

प्रमुख सेवायें: क्षेत्रवार निष्पादन और कुछ सामयिक नीतियां

7.19 इस खण्ड में भारत की कुछ प्रमुख वाणिज्यिक सेवाओं को शामिल किया गया है जो कि जीडीपी, रोजगार, नियांत, और भावी दृष्टि से काफी महत्व रखती हैं। अन्य अध्यायों में जिन प्रमुख सेवाओं का उल्लेख किया गया है उनको यहां छोड़ दिया गया है ताकि दोहरेपन से बचा जा सके।

पर्यटन

7.20 विश्व व्यापार एवं पर्यटन परिषद (डब्ल्यूटीटीसी) के अनुसार, विश्व की जीडीपी में संयुक्त राज्य के परिवहन एवं पर्यटन क्षेत्र का जो 7 ट्रिलियन अमेरिकी डालर का योगदान है, वह 2013 में बढ़कर विश्व जीडीपी का 9.5 प्रतिशत हो गया है और इसमें 4.7 मिलियन नई नौकरियों का सृजन हुआ है। इससे इस क्षेत्र में कुछ रोजगार लगभग 266 मिलियन हो गया है जो कि विश्व की 11 नौकरी के हिसाब से 1 नौकरी है। इस क्षेत्र में 2014 तक 4.3 प्रतिशत की वृद्धि हो सकती है और 6.5 मिलियन नई नौकरियों पैदा हो सकती हैं। संयुक्त विश्व पर्यटन संगठन के नवीनतम विश्व पर्यटन बैरोमीटर से पता चलता है कि 2014 में 1.2 बिलियन अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों

का आगमन हुआ था जोकि पिछले वर्ष मुकाबले 4.7 प्रतिशत अधिक है और वर्ष 2015 में इसमें 3 से 4 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी होने का पूर्वानुमान किया गया है। 2013 में विश्व के एफटीए में फ्रांस का और एफईआर में संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे अधिक हिस्सा रहा है। विश्व एफटीए में भारत का हिस्सा 6.4 प्रतिशत रहा है जोकि फ्रांस के 7.8 प्रतिशत और संयुक्त राज्य अमेरिका के 6.4 प्रतिशत के लगभग बराबर ही है। यहां तक कि वियतनाम और इण्डोनेशिया का हिस्सा भारत से ज्यादा है। हालांकि, एफईआर की दृष्टि से भारत का जो 1.5 प्रतिशत का हिस्सा है वह वियतनाम और इण्डोनेशिया से बेहतर है हालांकि यह संयुक्त राज्य अमेरिका के 14.5 प्रतिशत से बहुत कम है। यहां तक विकास की दृष्टि से भी 2013 में वियतनाम, इण्डोनेशिया, थाईलैण्ड और तुर्की जैसे देश भी भारत से आगे रहे हैं। सारणी (7.7)

7.21 भारत के राष्ट्रीय लेखा सांचिकी में पर्यटन के लिए कोई अलग शीर्ष नहीं रखा गया है। पर्यटन संबंधी क्रियाकलापों के कुछ हिस्से जैसे ट्रेवल एजेंट दूर आपरेटर और अन्य आरक्षण परक कार्य “प्रशासनिक एवं समर्थन सेवा क्रियाकलाप का हिस्सा है। दूसरे ट्रॉजिम एकाउण्ट्स ऑफ इण्डिया (टीएसए) के अनुसार, 2012-13 के दौरान कुल जीडीपी में

सारणी 7.7 : पर्यटन में प्रगति अंतर्राष्ट्रीय तुलना - 2013 के दौरान

देश	अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन आगमन			अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन प्राप्तियां		
	संख्या (मिलियन में)	हिस्सा (%)	वृद्धि (%)	मूल्य (बिलयन अमेरीकी डालर)	हिस्सा (%)	वृद्धि (%)
फ्रांस	84.7	7.8	2.0	56.7	4.7	5.6
यूएस	69.8	6.4	4.7	173.1	14.5	7.4
स्पेन	60.7	5.6	5.6	60.4	5.1	7.3
टर्की	37.8	3.5	5.9	28.0	2.3	10.7
थाइलैंड	26.5	2.4	18.8	42.1	3.5	24.6
मलेशिया	25.7	2.4	2.7	21.5	1.8	6.4
सिंगापुर	11.9	1.1	7.2	19.1	1.6	1.1
इंडोनेशिया	8.8	0.8	9.4	9.1	0.8	9.5
वियतनाम	7.6	0.7	10.6	7.5	0.6	10.3
भारत	6.8	0.6	4.1	18.4	1.5	4.0
विश्व	1087	100.0	4.8	1195	100.0	7.2

स्रोत : संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन

पर्यटन का योगदान 6.9 प्रतिशत (3.7 प्रतिशत प्रत्यक्ष और 3.1 प्रतिशत अप्रत्यक्ष) रहा है और कुल रोजगार में इसका योगदान 12.4 प्रतिशत (5.3 प्रतिशत प्रत्यक्ष और 7.0 प्रतिशत अप्रत्यक्ष) रहा है। वर्ष 2013 विदेशी पर्यटनों के आगमन में 5.9 प्रतिशत की बढ़ोतरी होने के बावजूद विदेशी मुद्रा के अर्जन की स्थिति, जोकि डालर की दृष्टि से 4.0 प्रतिशत रही है, अच्छी नहीं रही है; वहीं दूसरी ओर वर्ष 2014 में एफटीए (7.1 प्रतिशत) और एफईई (6.6) दोनों में ही वृद्धि हुई है।

7.22 वर्ष 2014-15 के बजट में, सरकार ने पर्यटन पर जोर देने के अपने इरादे को और सेवाकर के अवरोध को दूर करने, गंगा नदी विश्व स्तरीय बुद्धिस्त सर्किट के विकास और विश्व स्तरीय अध्यात्मिक स्तर बनाने जैसे कई प्रयास शुरू किए हैं। इस इरादे को पुनः क्रियान्वित करने के लिए पर्यटन वीजा को सरल बनाया गया है जिसके तहत 43 देशों के लिए आगमन पर इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकेल आथराइजेशन के द्वारा पर्यटन वीजा दिये जाने की व्यवस्था की गई है।

परिवहन संबंधी कुछ सेवाएं

पोत परिवहन

7.23 जहाजरानी किसी भी देश की वस्तु एवं सेवा दोनों का ही एक प्रमुख संकेतक होता है भारत का व्यापार की प्रमात्रा के सन्दर्भ में 95 प्रतिशत और मूल्य के हिसाब से 68 प्रतिशत समुद्र के रास्ते होता है। 31 दिसम्बर, 2014 के अनुसार, भारत के पास 1,209 जहाजों का बेड़ा था जिसकी सकल टनेज 10.3 मिलियन था जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के भारतीय

पोत परिवहन निगम का हिस्सा लगभग 31 प्रतिशत का है। इनमें से 358 जहाज, जिनका कुल टनेज 9.1 मिलियन है, समुद्र-पारीय व्यापार की जरूरतों को पूरा करते हैं जबकि बाकी जहाज समुद्रतटीय व्यापार की जरूरतें पूरी करते हैं। विकासशील देशों में जहाजों का सबसे बड़ा बेड़ा रखने के बावजूद 1 जनवरी, 2014 की स्थिति के अनुसार विश्व के कुल डीडब्ल्यूटी व्यापार में भारत का हिस्सा मात्र 1.1 प्रतिशत का रहा है। वर्ष 2013 में, यूएनसीटीएडी के अनुसार, भारत जिसकी 10.7 मिलियन ट्रैवन्टी फूट इक्वीटिलेण्ट यूनिट्स आफ कन्टेनर की ओर विश्व व्यापार में जिसका हिस्सा 1.6 प्रतिशत था, कन्टेनर-शिप आपरेशन्स की दृष्टि से विकासशील देशों में इसका आठवां स्थान आता है।

7.24 जहाजों के भंजन कार्य में भारत विश्व का अग्रणी देश बना हुआ है। वर्ष 2014 (जनवरी से अक्टूबर) में जहाज की रिसाइक्लिंग करने वाले देशों में भारत का स्थान शीर्षस्थ रहा है और आईएसएल शिपिंग स्टेटिस्टिक्स एण्ड मार्केट रिव्यू के अनुसार विश्व में इसका हिस्सा 32 प्रतिशत का रहा है। इसका भंजन कार्य 234 जहाजों का है जिनका कुल टनेज 7.98 मिलियन डीडब्ल्यूटी होता है। भारत विश्व में सीफेयरर का एक बहुत बड़ा आपूर्तिकर्ता देश है। बीआईएमसीओ/आईएसएल मैन पावर अपडेट 2010-14 के अनुसार, भारत ने 2014 में 60,000 चालक (प्रेश सी मेन) और 44,500 अधिकारी उपलब्ध कराये हैं।

7.25 वर्ष 2008 से पोत परिवहन क्षेत्र को आर्थिक कट्टिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। 2014 में पोत परिवहन के सभी

सारणी 7.8 : भारत में पत्तनों के कुछ प्रदर्शन संकेतक

संकेतक	2000-01	2010-11	2012-13	2013-14	(अप्रैल-नवं.) 2014-15
औसत आमूल परिवर्तन समय (दिन)	4.2	2.7	2.6 (0.0)	2.3 (-0.3)	2.1 (-0.1)
औसत प्री बर्थ समय (दिन)	1.2	0.5	0.5 (0.0)	0.3 (-0.2)	0.2 (-0.1)
औसत आउटपुट प्रति जहाज दिन (टन में)	6961	9140	11786 (-1287)	12509 (723)	14326 (1817)

स्रोत : जहाजरानी मंत्रालय

टिप्पणी : विगत वर्षों से परिवर्तन कोष्ठक में दिए गए हैं।

अवयवों में रुक-रुक कर अड़चने आई हैं लेकिन इनमें से किसी में भी स्थिति बदतर नहीं हुई है। इसके अलावा, 2015 में नये जहाजों के अंतर्राष्ट्रीय डिलीवरी में गिरावट आई है जिससे जहाज के किराया की दरों में भी कमी आ सकती है। बाल्टिक इन्डेक्स, जोकि मकेन्डइण्ड ट्रेड और शिपिंग सेवाओं का एक बैरोमीटर है और 20 मई 2008 को अपने चरम शिखर अर्थात् 11,793 पर था तब से नीचे आ गया है और 6 फरवरी 2015 को यह 530 हो गया था।

7.26 भारत के समुद्रपारीय व्यापार के परिवहन में भारतीय जहाजों का हिस्सा जो 1980 के दशक में 40 प्रतिशत था घटकर 2012-13 में 9.1 प्रतिशत तक आ गया था। भारतीय बेड़ा पुराना भी पड़ता जा रहा है। और भारतीय बेड़े की औसत आयु 1999 के 15 वर्ष से बढ़कर 1 अक्टूबर, 2014 को 17.7 हो गया है (43.1 प्रतिशत बेड़े 20 वर्ष पुराने और 10.7 प्रतिशत 16-19 वर्ष आयु समूह के हैं। इस प्रकार भारत के जहाजी बेड़े को बढ़ाने की सख्त आवश्यकता है।

7.27 भारतीय टनेज को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन देने की आवश्यकता को समझते हुए कई नीतिगत कदम उठाये गये हैं जिनमें भारतीय शिपिंग कंपनियों को बाहर से जहाज खरीदने और अपने सुविधा के अनुसार इस देश में चलाने के लिए अनुमति देना, बाहर से सस्ते दर पर वित्तीय सहायता प्राप्त करने, निर्यात और आयात मदों के परिवहन के लिए भारतीय फ्लेग वाले जलयानों में प्रयोग होने वाले बंकर फ्यूल पर तथा भारत में दो बन्दरगाहों के बीच चलने वाले खाली कन्टेनरों पर सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पादशुल्क से छूट प्रदान करना है; और जहाज मरम्मत ईकाईयों के लिए डाइरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग के यहां पंजीकरण कराने की जो शर्त है उससे छूट दिया जाना भी शामिल है।

पत्तन सेवा

7.28 भारतीय बन्दरगाहों से होने वाला कार्गो यातायात 4.5 प्रतिशत बढ़कर 2013-14 में 975.7 मिलियन टन हो

गया है और यह (अप्रैल-दि.) 2014-15 में 6.8 प्रतिशत बढ़ गया है। मैरीटाइम एजेन्डा में, वर्ष 2020 तक के लिए 3130 मीट्रिक टन पोर्ट क्षमता का लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिए 296,000 करोड़ रुपये का निवेश करने की जरूरत पड़ेगी। इस क्षमता का 50 प्रतिशत से अधिक भाग छोटे पत्तनों पर सृजित किया जायेगा। बन्दरगाहों के निर्माण और रख-रखाव के लिए स्वचालित रूट के तहत 100 प्रतिशत तक के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति है। 2013-14 में मुख्य बंदरगाहों में 159.7 एमटी की अतिरिक्त क्षमता के लिए 18640.8 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर 16 सार्वजनिक निजी साझेदारी परियोजनाएं प्रदान की गई थीं, जिसमें बर्थ, टर्मिनल का निर्माण और मौजूदा बर्थ का यंत्रीकरण शामिल है।

7.29 तीन बंदरगाह संबंधी कार्य निष्पादन के संकेतकों में औसत आमूल परिवर्तन समय से सुधार बना रहा और पूर्व बर्थ डिटेंशन समय में क्रमशः 2.1 दिन और 0.2 प्रतिशत दिन की गिरावट आई और औसत आउटपुट में 2014-15 (अप्रैल-नवम्बर) में 14,326 टन का सुधार आया। (सारणी 7.8)। आमूल परिवर्तन समय और पूर्व बर्थ डिटेंशन समय में सुधार आंशिक तौर पर बंदरगाहों में मशीनीकरण और व्यवस्थागत सुधार के कारण और आंशिक तौर पर, वैश्विक मंदी की वजह से कुछ बंदरगाहों का परिमाण में निपटान की वजह से है। तथापि, औसत आउटपुट प्रति जहाज प्रति दिन में सुधार से संकेत मिलता है कि भारतीय बंदरगाहों के कार्य निष्पादन के पैरामीटरों में भी सुधार आया है।

कुछ व्यावसायिक सेवाएं

सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाएं

7.30 सूचना प्रौद्योगिकी और सॉफ्टवेयर विकास और सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाएं, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग और नालेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग सर्विसिज भारत की अर्थव्यवस्था में गतिशील और जीवंत क्षेत्र के

रूप में उभरकर सामने आए हैं। एटी कीयरनी ग्लोबल सर्विस लोकेशन इण्डेक्स 2014 के अनुसार, तटवर्ती सेवाओं में भारत का प्रथम स्थान है और यह पूर्व निर्धारित स्थान बना हुआ है एवं आईटी, बीपीओ एवं वायस सेवाओं में यह शीर्ष स्थान पर था। सॉफ्टवेयर और सेवा कंपनियों के राष्ट्रीय संघ के अनुसार, इस क्षेत्र में 3.5 मिलियन लोग कार्यरत हैं।

7.31 केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन के अनुसार, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 3.3 प्रतिशत हिस्से के साथ कम्प्यूटर और संबंधित सेवाओं 2013-14 में 14.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई। नास्कॉम के अनुसार 2014-15 में आईटी-बीपीएम उद्योग में 119 मिलियन, अर्थात् 12.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि निर्यात बाजार में पूर्व वर्ष की अपेक्षा 98 बिलियन अमरीकी डॉलर, 12.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई। बीपीएम क्षेत्र हितकारी स्रोतों की मौजूदगी और पूरी मूल्य शृंखला में गतिकी के प्रयोग, बेहतर स्वचालन से प्रेरित है। इस वर्ष तकनीकी प्रयोग और सॉफ्टवेयर उत्पाद में भरपूर बढ़ोतरी देखी गई जिससे भारत, देश में 3100 से अधिक स्टार्टअप के साथ विश्व में चौथा सबसे बड़ा स्टार्टअप केन्द्र बन गया है। घरेलू आईटी-बीपीएम बाजार 10 प्रतिशत वृद्धि के साथ 2014-15 में 20.9 मिलियन अमरीकी डालर अनुमानित है। नॉसकाम के अनुसार 2015-16 में साफ्टवेयर उत्पाद और सेवा राजस्व में 12-14 प्रतिशत की वृद्धि से 113-136 बिलियन अमरीकी डालर रहने का अनुमान है। 2015-16 के दौरान निर्यात राजस्व में 12-14 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 110-112 बिलियन अमरीकी डालर और घरेलू राजस्व के 10-15 प्रतिशत वृद्धि के साथ 23-24 बिलियन अमरीकी डालर तक पहुंचने के अनुमान है।

7.32 अपने देश में सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं की और अधिक आवश्यकता को महसूस करते हुए, बजट 2014-15 में भारत को ज्ञान पर आधारित परिवर्तन के लिए तैयार करने के लिए डिजिटल भारत को एक महत्वाकांक्षी अम्बेला प्रोग्राम के रूप में देखा जा रहा है। यह ग्रामीण स्तर पर ब्रोड-बैंड संबद्धता, सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित मंच के द्वारा सेवाओं तक पहुंचने, सरकारी प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता और सूचना प्रौद्योगिकी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के स्वदेशी उत्पादन का एक मुख्य घटक आधार प्रमाणन मंच के साथ युग्मित क्लाउड आधारित पात्रता

की उपलब्धता के जरिये जनता का सशक्तीकरण है। सरकारी सेवा वितरण के लिए ई-क्रांति अन्य पहल है। सूचना प्रौद्योगिकी के महत्व को पहचानते हुए 25 फोकस क्षेत्रों में, भारत के “मेक इन इंडिया” मिशन में सूचना प्रौद्योगिकी और व्यापार प्रक्रिया प्रबंधन शामिल किए गए हैं।

अनुसंधान और विकास सेवाएं

7.33 अनुसंधान और विकास क्षेत्र में 2012-13 में 20.8 प्रतिशत की वृद्धि के साथ लगातार दोगुने आंकड़े के स्तर से वृद्धि हो रही है। व्यावसायिक, वैज्ञानिक और तकनीकी गतिविधियां और अनुसंधान और विकास में 2013-14 में 14.0 प्रतिशत की वृद्धि हुई। जिनोव प्रबंध क परामर्शी, “वैश्विक अनुसंधान और विकास सेवा प्रबंध क रेटिंग 2014” की रिपोर्ट के अनुसार, भारत का अनुसंधान और विकास, वैश्वीकरण और सेवाएं बाजार 2020 में दोगुना, यानी 38 बिलियन यूएस डॉलर हो जाएगा। यह अध्ययन 2014 की स्थिति के अनुसार 170 बिलियन अमरीकी डालर पर समग्र ध्यान दिए जाने योग्य अनुसंधान और विकास वैश्वीकरण और सेवा के अवसरों का अनुमान है। वर्तमान में, वैश्विक स्तर पर इसमें केवल 55 बिलियन अमरीकी डालर की हिस्सेदारी है। इस बाजार में भारत की हिस्सेदारी 33 फीसदी है जिसमें इन-हाउस केन्द्रों का अपनी मूल कंपनियों की सेवाओं में 11.3 बिलियन अमरीकी डालर का योगदान है।

7.34 वैश्विक प्रतिस्पर्द्धा रिपोर्ट 2014-15 के अनुसार, भारत की नवोत्पाद के लिए क्षमता अमेरिका, इंग्लैंड, साउथ कोरिया और यहां तक कि अन्य ब्रिक्स देशों (ब्राजील, रशिया, भारत, चीन और साउथ अफ्रीका) (सारणी 7.9) जैसे देशों से भी कम रही है। वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थाओं की गुणवत्ताके मामले में भी भारत चीन, ब्राजील, साउथ अफ्रीका से पीछे है। चीन और साउथ अफ्रीका जैसे ब्रिक्स राष्ट्रों की तुलना में अनुसंधान और विकास पर भारत में विश्वविद्यालय उद्योग सहयोग कम होने के माध्यम से भी यह प्रदर्शित होता है। जनसंख्या के प्रत्येक दस लाख पर दिए जाने वाले पेटेंट में भी भारत अन्य ब्रिक्स देशों से पीछे है। अनुसंधान और विकास पर कंपनी व्यय के मामले में भी भारत चीन से बहुत पीछे है। केवल वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की उपलब्धता में भारत अन्य ब्रिक्स देशों से अच्छा है या उनके बराबर है।

सूची 7.9 : वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक अनुसंधान और विकास नवप्रवर्तन

देश	नवोत्पादन की की क्षमता		वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थानों की गणवाता		अनुसंधान और विकास पर कंपनी व्यय		अनुसंधान और विकास पर विश्वविद्यालय और उद्योग का सहयोग		वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की उपलब्धता		प्रदान किए गए पीसीटी पेटेंट/दस लाख जनसंख्या	
	स्कोर	रैंक	स्कोर	रैंक	स्कोर	रैंक	स्कोर	रैंक	स्कोर	रैंक	स्कोर	रैंक
अमेरिका	5.9	2	6.1	4	5.5	4	5.8	2	5.3	5	149.8	11
इंग्लैड	5.3	10	6.3	2	4.8	14	5.7	4	4.8	22	89.1	18
साउथ कोरिया	4.7	24	5.0	27	4.5	20	4.6	26	4.4	42	201.5	8
साउथ अफ्रीका	4.3	35	4.7	34	3.4	48	4.5	31	3.5	102	6.5	45
चीन	4.2	40	4.3	39	4.3	23	4.4	32	4.4	43	11.7	34
ब्राजील	4.1	44	4.0	50	3.5	43	3.8	54	3.3	114	3.2	50
भारत	4.0	48	4.0	52	3.8	30	3.9	50	4.4	45	1.5	61
रूस	3.8	66	4.0	56	3.2	62	3.6	67	4.1	70	7.1	41

स्रोत : वैश्विक प्रतिस्पर्धा रिपोर्ट 23014-15, विश्व अर्थव्यवस्था मंच

नोट : पीसीटी-पेटेंट सहकारिता समझौता

परामर्शी सेवाएं

7.35 परामर्शी सेवाएं भारत में विभिन्न क्षेत्रों में सबसे तेजी से उभरती सेवाएं हैं और इनमें कुछ अतिव्यापन भी हो जाता है। प्लेटर रिसर्च के अनुसार वैश्विक परामर्शी उद्योग का राजस्व (एचआर, आईटी, स्ट्रेटिजी, प्रचालन, प्रबंध और कारोबारी सलाहकार संबंधी सेवाओं सहित) वर्ष 2014 में बढ़कर 431 बिलियन अमरीकी डॉलर के अनुमानित स्तर तक जा पहुंचा, जबकि पिछले वर्ष यह राजस्व 415 बिलियन अमरीकी डॉलर था। भारत का आउटसोर्सिंग और परामर्शी उद्योग वर्ष 2014 में 86.4 बिलियन अमरीकी डालर होने का अनुमान लगाया गया है जो वैश्विक परामर्शी उद्योग के राजस्व का लगभग 20 प्रतिशत बैठता है, और इसके वर्ष 2015 में 99.0 बिलियन अमरीकी डॉलर के स्तर पर पहुंचने की संभावना है।

7.36 विश्व स्तर पर तेजी से विकसित होते परामर्शी बाजार के रूप में भारत का उभरना मुख्यतः एफडीआई के उदारीकरण के कारण निवेश कार्यकलापों में हुई वृद्धि, भारतीय बाजार में कई नए कारोबारियों का आगमन और कम लागत की सोर्सिंग को कहा जा सकता है। भारतीय परामर्शदाताओं को इंजीनियरी परामर्श के क्षेत्र में विशेष रूप से विशेषज्ञता हासिल है जिसका लाभ परामर्शी निर्यातों को बढ़ाने के लिए उठाया जा सकता है।

स्थावर सम्पदा और आवास निर्माण

7.37 स्थावर सम्पदा और मकानों का स्वामित्व वर्ष 2013-14 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद का 7.8 प्रतिशत था। घरेलू और वैश्विक दोनों प्रकार की मंदी ने इस क्षेत्र को प्रभावित किया और इसका विकास वर्ष 2012-13 के 7.6 प्रतिशत से गिरकर 2013-14 में 6.0 प्रतिशत रह गया तथा स्थावर

सम्पदा में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अप्रैल-2014 की अवधि में गिरकर 703 मिलियन अमरीकी डालर रह गया।

7.38 भारत में आवासीय मूल्यों के संबंध में राष्ट्रीय आवास बैंक के रेजिडेक्स सूचकांक के अनुसार पिछले वर्षों में कई शहरों और नगरों में मकानों की कीमतों में वृद्धि हुई है। वर्ष 2014 के दौरान 26 शहरों में से 17 शहरों में वर्ष 2013 की तुलना में कीमतों में वृद्धि देखी गई। अधिकतम वृद्धि चैन्नई (17 प्रतिशत) में देखी गई जिसके बाद अहमदाबाद (15 प्रतिशत) का स्थान रहा। जबकि पिछले वर्ष की तुलना में 7 शहरों में कीमतों में गिरावट देखी गई जहां अधिकतम गिरावट मेरठ (-16 प्रतिशत) में देखी गई जिसके बाद चंडीगढ़ (-8 प्रतिशत) का स्थान रहा।

7.39 मकानों की मांग और पूर्ति के बीच बढ़ता अंतराल तथा आवास-वित्त संबंधी अपर्याप्त साधन भारत के लिए एक प्रमुख नीतिगत सरोकार बना हुआ है। शहरी आवास की मौजूदा कमी 18.8 मिलियन यूनिट की है जिसमें से 95.6 प्रतिशत आर्थिक रूप से कमज़ेर वर्गी (ईडल्यूएस)। निम्न आय समूह (एलआईजी) से संबंधित है और इस कमी को पूरा करने के लिए बड़े वित्तीय निवेश की जरूरत है। हालांकि आवास निवेश के लिए संस्थागत ऋण लगभग 19 प्रतिशत प्रति वर्ष की सीएजीआर पर बढ़ने के बावजूद यह चीन, थाईलैंड और मलेशिया जैसे देशों से काफी कम है। विश्व बैंक की, “डूईंग बिजनेस 2015” के अनुसार, निर्माण परियों के संदर्भ में भारत का दर्जा (189 अर्थव्यवस्थाओं में से) 184वां था जहां परिमिट प्राप्त करने के लिए औसतन 27 प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है जबकि दक्षिण एशिया में यह संख्या 14 और ओर्डीसीटी (आर्थिक सहयोग और विकास संगठन) देशों में यह संख्या 12 है।

7.40 इस क्षेत्र की मदद करने के लिए वर्ष 2013-14 में किए गए अनेक नीतिगत उपायों में एफडीआई नीति में संशोधन किया जाना शामिल है जिसके परिणामस्वरूप न्यूनतम फ्लोर एरिया को पूर्ववर्ती 50000 वर्गमीटर से कम करके 20,000 वर्ग मीटर किया गया और न्यूनतम पूँजी अपेक्षा को 10 मिलियन अमरिकी डॉलर से कम करके 5 मिलियन अमरिकी डॉलर किया गया। वर्ष 2014-15 के बजट में स्थावर सम्पदा निवेश न्याय (आरईआईटी) की स्थापना की भी घोषणा की गई और सेबी ने आरईआईटी विनियमन को मंजूरी दे दी है। बचतों को प्रोत्साहित करने के लिए आवास में स्वयं रहने पर आवास ऋण पर ब्याज की कटौती सीमा को बजट 2014-15 में 1.5 लाख रुपए की पूर्ववर्ती सीमा से बढ़ाकर 2 लाख रुपए भी कर दिया गया था। कम मंहगे मकानों के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए और वर्ष 2022 तक सभी के लिए मकान के लक्ष्य को पूरा करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने सस्ते मकानों को वित्तपेषित करने के लिए बैंकों द्वारा दीर्घावधिक बांड का निर्गमन करने से संबंधित मापदण्डों में ढील दी।

आंतरिक व्यापार

7.41 11,47,274 करोड़ रुपए का व्यापार और मरम्मत सेवा क्षेत्र जिसका सकल घरेलू उत्पाद में 11.0 प्रतिशत की हिस्सेदारी है, में वर्ष 2013-14 में 14.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इस श्रेणी में व्यापार एक प्रमुख मद है क्योंकि इस श्रेणी में मरम्मत सेवाओं का हिस्सा केवल 6-7 प्रतिशत है। एटी कर्नी ग्लोबल रिटेल डेवलपमेंट इंडेक्स (जीआरडीआई) के अनुसार, भारत वर्ष 2013 के 14वें स्थान से फिसलता हुआ 2014 में 20वें स्थान पर आ गया। वर्ष 2013 में खुदरा क्षेत्र पर उच्च उपभोक्ता मुद्रास्फीति, मुद्रा संबंधी घट-बढ़ और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की कठोर नीतियों के कारण असर पड़ा था। लेकिन भारत कई कारणों से दीर्घावधिक खुदरा व्यापार के लिए आकर्षक गंतव्य बना हुआ है। इन कारणों में एक इसकी बड़ी आबादी का होना है, जिसका 58.3 प्रतिशत हिस्सा 30 वर्ष की आयु से कम है और इसका 31.1 प्रतिशत हिस्सा शहरी क्षेत्रों में रहता है जिसके पास बढ़ती खर्च योग्य आमदनी है। पारंपरिक स्टोर से आधुनिक खुदरा व्यवस्था को अपनाने की प्रक्रिया चल रही है। हालांकि आधुनिक खुदरा बाजार कुल बाजार का केवल 8 प्रतिशत है।

7.42 भारत के ई-कॉर्मस बाजार के अगले 5 वर्षों में 50 प्रतिशत से अधिक विकसित हो जाने की संभावना है। भारत में ऑनलाइन खुदरा व्यापार के लिए वस्तु सूची प्रबंधन, संभारिकी योजना और संसाधनों की उपलब्धता बड़ी अड़चने हैं। ई-कॉर्मस के उपभोक्ताओं के लिए सुरक्षा उपाय एक और चिंता का सबब होने के कारण सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण

अधिनियम 1986 में किए जा रहे संशोधन में पर्याप्त उपबंध शामिल करने का प्रस्ताव किया है।

मीडिया और मनोरंजन सेवाएं

7.43 भारतीय मीडिया और मनोरंजन उद्योग में विभिन्न घटक हैं जिनमें टेलिविजन, प्रिंट, फिल्में, रेडियो, संगीत, ऐनिमेशन, गेमिंग और विजुअल इफेक्ट्स तथा डिजिटल एडवर्टाइजिंग शामिल हैं। फिक्की-केपीएमजी द्वारा दी गई एक रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय मीडिया और मनोरंजन उद्योग में वर्ष 2013 में 11.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई और यह 918 बिलियन रुपए पर जा पहुंचा। इस उद्योग के 14.2 प्रतिशत के सीएजीआर पर बढ़ने की ओर वर्ष 2018 तक 1786 बिलियन रुपए तक पहुंच जाने की संभावना है। आने वाले वर्षों में इस क्षेत्र का विकास डिजिटल एडवर्टाइजिंग और गेमिंग द्वारा संचालित किए जाने की संभावना है। 18.4 बिलियन रुपए के अंतर्वाह के चलते इस क्षेत्र ने अप्रैल 2000 से नवम्बर 2014 के दौरान भारत में कुल एफडीआई अंतर्वाहों के 1.6 प्रतिशत का योगदान किया।

7.44 भारत चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद 161 मिलियन टी-वी० परिवारों के साथ विश्व का तीसरा सबसे बड़ा टी-वी० बाजार है। इस समय भारत में प्रचालनरत लगभग 826 सेटेलाईट टेलिविजन चैनल, 86 टेलिपोर्ट, 243 एफएम रेडियो चैनल और 179 कम्यूनिटी रेडियो स्टेशन हैं। भारत के प्रसारण वितरण नेटवर्क में 6000 मल्टीसिस्टम आपरेटर (एमएसओ), लगभग 60,000 लोकल केबल आपरेटर (एलसीओ) और 7 डायरेक्ट टू होम (डीटीएच) आपरेटर हैं। सरकार ने अपने केबल नेटवर्क को चार चरणों में डिजिटाईज करने की एक महत्वाकांक्षी कवायद शुरू की है जिससे 31 दिसंबर 2016 तक एनालॉग टीवी सेवाएं पूर्णतः समाप्त हो जाएंगी। भारत में प्रसारण क्षेत्र के लिए उदारीकृत एफडीआई व्यवस्था भी बनाई है जहां विषय समाग्री में 26 प्रतिशत एफडीआई और डीटीएच, एचआईटीएस, एमएसओ जैसी विभिन्न कैरिज सेवाओं में 74 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति दी गई है।

7.45 भारत अंतर्राष्ट्रीय स्टूडियो के एक नए प्रिय पात्र के रूप में उभर रहा है और फिल्म क्षेत्र में 100 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति दी गई है। डिजिनी, फॉक्स, सोनी और वार्नर ब्रदर्स ने देशी निर्माण घरानों के साथ निर्माण और वितरण समझौते किए हैं। 10 देशों के साथ भारत ने सह निर्माण संधियां की हैं। वर्ष 2014-15 (दिसंबर 2014 तक) के दौरान, सरकार ने 21 विदेशी निर्माण घरानों को भारत में फिल्म शूट करने की अनुमति प्रदान की है।

7.46 संक्षेप में मुश्किल अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू हालात के बावजूद सेवा क्षेत्र का प्रदर्शन हाल के वर्षों में काफी अच्छा रहा है। तथापि, विभिन्न क्षेत्रों का प्रदर्शन एक समान नहीं रहा है।

जलवायु परिवर्तन और सतत विकास

जलवायु परिवर्तन और सतत विकास को लेकर विश्व में नए करारों के निष्पादन के चलते संभवतः वर्ष 2015 एक खास वर्ष होगा। जलवायु परिवर्तन संबंधी संयुक्त राष्ट्र कार्ययोजना अभियान के अंतर्गत, सभी देशों पर लागू जलवायु परिवर्तन संबंधी वैश्विक करार महत्वाकांक्षी, व्यापक, साम्यपूर्ण और संतुलित होना चाहिए। इसमें विकासशील देशों के लिए वित्तीय संसाधनों और कम कार्बन वाले प्रौद्योगिकीय विकल्पों की उपलब्धता के साथ-साथ उनकी बड़ी विकास आवश्यकताओं का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। भारत में, हालिया वर्षों में राष्ट्रीय और उप-राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर शुरू किए गए महत्वपूर्ण पर्यावरणीय उपायों को, नई वैज्ञानिक खोजों और मौजूदा आवश्यकताओं के परिप्रेक्ष्य में, नीतियों द्वारा और आगे बढ़ाया जा रहा है।

8.2 अगले पंद्रह वर्ष के संबंध में वैश्विक समुदाय के लिए अंतर्राष्ट्रीय विकास के पाठ्यक्रम और पर्यावरणीय नीति की कार्य सूची का निर्णय, वर्ष 2015 में कर दिया जाएगा। जलवायु परिवर्तन संबंधी यू.एन. फ्रेमवर्क कन्वेशन के अंतर्गत किए गए समझौते से कन्वेशन के अंतर्गत दिसम्बर 2015 तक एक वैश्विक करार कर दिया जाएगा जोकि जलवायु परिवर्तन के संबंध में 2020 से कार्रवाई किए जाने के क्रम में सभी देशों पर लागू होगा। इसके साथ-साथ सरकारें, वर्ष 2015 में समाप्त होने वाली सहस्राब्दि विकास उद्देश्यों के स्थान पर सतत विकास उद्देश्यों के एक समूह सहित, एक नई 2015 उत्तरार्द्ध विकासात्मक कार्य सूची पर सहमति व्यक्त करेंगी।

8.3 एक मुख्य घटना जिसने पूरे विश्व का ध्यान आकर्षित किया, वह थी विश्व के दो सबसे बड़े विकीरणकर्ताओं अर्थात् संयुक्त राज्य और चीन द्वारा नवम्बर, 2014 में जलवायु परिवर्तन पर एक संयुक्त घोषणा। इस घोषणा के अनुसार संयुक्त राज्य वर्ष 2025 में विकीरण के अपने 2005 के स्तर से 26-28 प्रतिशत विकीरण कम करने के अर्थव्यवस्था के व्यापक उद्देश्य को प्राप्त करने तथा इसके विकीरण को 28% तक कम करने के सर्वोत्तम प्रयास करने का इरादा रखता है। चीन वर्ष 2030 के आस-पास कार्बनडाइऑक्सीड विकीरण की पराकाष्ठा को प्राप्त करने तथा इसको यथाशीघ्र प्राप्त करने

के लिए सर्वोत्तम प्रयास करने का इरादा रखता है तथा 2030 तक प्राथमिक ऊर्जा खपत के क्षेत्र में गैर-जीवाश्म ईंधन के हिस्से को लगभग 20% तक बढ़ाने का इरादा रखता है। इसका वर्ष 2015 के पश्चात के जलवायु परिवर्तन करार को पूरा करने में अत्यधिक राजनीतिक महत्व है। इस घोषणा से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र को विश्वभर में बढ़ावा मिलेगा।

8.4 घरेलू तौर पर जलवायु परिवर्तन से निबटने के लिए कई उपाय किए हैं। इनमें अत्यधिक महत्वपूर्ण है:-भारतीय सौर ऊर्जा मिशन को 20000 मेगावाट से पांच गुण बढ़ाकर 100000 मेगावाट किया जा रहा है तथा कोयले पर स्वच्छ ऊर्जा उपकर को 2014 में दोगुना करके 100 रुपये/टन किया गया है।

जलवायु परिवर्तन

आई.पी.सी.सी. की पांचवीं मूल्यांकन रिपोर्ट के हाल ही के वैज्ञानिक निष्कर्ष

8.5 जलवायु परिवर्तन संबंधी अन्तः सरकारी पैनल, जलवायु परिवर्तन संबंधी, विश्व भर से एकत्र की गई सबसे अधिक अद्यतन, वैज्ञानिक, तकनीकी और सामाजिक-आर्थिक जानकारी की समीक्षा और मूल्यांकन करता है। आई.पी.सी.सी. ने वर्ष 2014 में प्रकाशित अपनी


हाल ही की रिपोर्ट-पांचवीं मूल्यांकन रिपोर्ट में यह टिप्पणी की है कि औद्योगिक क्रांति का सूत्रपात होने के समय से ग्रीन हाऊस गैसों के मानव प्रतिकूल उत्सर्जन में बढ़ोतरी का रुझान देखने में आया है तथा इस पूरी अवधि के दौरान उत्सृजित मानव प्रतिकूल कार्बनडाइआक्साइड का आधा हिस्सा, पिछले चालीस वर्षों में उत्सृजित हुआ है। 1983-2012 की अवधि, पिछले 1400 वर्षों में सबसे गर्म तीस वर्ष की अवधि है। 1970-2010 की अवधि के दौरान फासिल ईंधन के धुएं और औद्योगिक प्रक्रियाओं के कारण कार्बनडाइआक्साइड का उत्सर्जन, कुल ग्रीन हाऊस गैस उत्सर्जन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है।

8.6 जलवायु प्रणाली में परिवर्तन से अर्थव्यवस्था, जीविकोपार्जन, फसलों के पैटर्न और खाद्य सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है। आईपीसीसी द्वारा दिए गए विभिन्न अनुमानों के अनुसार वृष्टि प्रतिमान में, परिवर्तनों के अतिरिक्त गर्मी का प्रकोप लंबा और गहन होने की संभावना है। जलवायु परिवर्तन से उष्ण कटिबन्धीय और शीतोष्ण क्षेत्रों में गेहूं, चावल और मक्का का उत्पादन प्रभावित हो सकता है; विकाशील देशों में पहले से ही मौजूद स्वास्थ्य समस्याओं को और बढ़ाकर स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है तथा खाद्य उत्पादन और आऊटडोर में कार्य करने जैसे उत्पादन क्रियाकलापों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

8.7 पर्यावरणीय निशाना चूक जाने की समस्या अर्थात् पर्यावरणीय चिन्हों का, किसी जनसंख्या की जैव क्षमता से अधिक होना, वैश्विक जलवायु चर्चा का एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। इस चूक को कार्बन बजट की परिभाषा से भी समझा जा सकता है। जलवायु परिवर्तन का जोखिम, वायुमंडल में कुल संचयी ग्रीन हाऊस गैस का एक प्रकार्य है। आईपीसीसी एओर०५ ने यह अनुमान लगाया है कि 2° सेंटीग्रेड से नीचे रहने के लिए विश्व में औद्योगिक क्रांति से लेकर 2100 तक कार्बनडाइआक्साइड के बल लगभग 2900 गिगाटन का ही सभी स्रोतों से उत्सर्जन होना चाहिए। 2011 तक पहले ही विश्व में पहले ही कार्बनडाइआक्साइड के 1900 गिगाटन का उत्सर्जन हो चुका है तथा इसने बजट के लगभग दो तिहाई हिस्से का उपयोग कर लिया है। इससे यह अभिप्राय है कि 2900 गिगाटन के बजट में से, अब से लेकर 2100 तक प्रयोग करने के लिए केवल 1000 गिगाटन शेष है। विश्व संसाधन संस्थान का यह अनुमान है कि यदि यह उत्सर्जन ऐसे ही चलता रहा है तो शेष बजट केवल 30 वर्ष ही और चल पाएगा।

8.8 उत्सर्जन कटौती वर्चनबद्धता का प्रारूप तैयार करने के संबंध में अतः महत्वपूर्ण मुद्दा है कि कैसे हम इस शेष कार्बन बजट को किस तरीके से देशों के बीच बांटे जोकि उचित और प्राप्त करने योग्य हो। इसमें निश्चित तौर पर

चित्र 8.1: संचयी वैश्विक कार्बन-डाय-ऑक्साइड में विभिन्न देशों का योगदान



स्रोत : विज्ञान और पर्यावरण केन्द्र तथा आईपीसीसीअपर।

देशों की महत्वपूर्ण जिम्मेवारी का मूल्यांकन शामिल होगा कि देशों ने अब तक संचयी उत्सर्जन में किस प्रकार योगदान दिया है संचयी वैश्विक कार्बनडाइआक्साइड के संबंध में भारत का योगदान (1850-2011), संयुक्त राज्य अमेरिका के 21 प्रतिशत और यूरोपीय संघ के 18 प्रतिशत के मुकाबले केवल न्यून 3 प्रतिशत था (चित्र 8.1)। विश्व आर्थिक व्यवस्था की सततता का सामाजिक न्याय और साम्यता के दृष्टिकोण से भी विश्लेषण किया जाना चाहिए। विकासशील देशों के संबंध में भविष्य में उद्देश्य के स्तर का निर्धारण, संचयी वैश्विक ग्रीन हाऊस गैस के संबंध में अपना अब तक योगदान दे चुके विकसित देशों द्वारा दी गई वित्तीय, क्षमता निर्माण और अन्य समर्थन की किस्म और स्तर द्वारा किया जाएगा।

8.9 शमन के विविध तरीके हैं जोकि पूर्व औद्योगिक स्तर के सापेक्ष में ताप को 2° सेंटीग्रेड से नीचे सीमित रख सकते हैं। इन तरीकों में, आगे कुछ दशकों में उत्सर्जन में पर्याप्त कटौती तथा शताब्दी के अंत तक कार्बनडाइआक्साइड तथा अन्य लंबी अवधि तक चलने वाली ग्रीन हाऊस गैस के लागभग शून्य उत्सर्जन की अपेक्षा होगी। इस प्रकार की कटौतियां लागू करने से, पर्याप्त प्रौद्योगिक, आर्थिक, सामाजिक और संस्थागत चुनौतियां सामने आएंगी।

मुख्य क्षेत्रों तथा देशों से वैश्विक ग्रीन हाऊस गैसों का उत्सर्जन

8.10 वर्ष 2000 से, कृषि, वानिकी और भूमि के अन्य प्रयोग के क्षेत्र को छोड़कर सभी क्षेत्रों में ग्रीन हाऊस गैस का उत्सर्जन बढ़ता आ रहा है। वर्ष 2010 में जीटी कार्बनडाइआक्साइड समकक्ष (कार्बनडाइआक्साइड समतुल्य)

के 49 (+4.5) 35 प्रतिशत उत्सर्जन, ऊर्जा आपूर्ति क्षेत्र में, कृषि, वानिकी और भूमि के अन्य प्रयोग क्षेत्र में 24 प्रतिशत (कुल उत्सर्जन), उद्योग में 21 प्रतिशत, परिवहन में 14 प्रतिशत और भवनों में 6.4 प्रतिशत जारी किया गया (चित्र 8.2)।


8.11 विभिन्न देशों के कुल और प्रति व्यक्ति उत्सर्जन में भी पर्याप्त अन्तर है। आईपीसीसी के एआर०५ के अनुसार वर्ष 2010 में प्रति व्यक्ति ग्रीन हाऊस गैस उत्सर्जन अत्यधिक असमान था क्योंकि कम आय वाले देशों (1.4 टी. कार्बनडाइआक्साइड समतुल्य) के समूह के प्रति व्यक्ति उत्सर्जन का माध्यान, उच्च आय वाले देशों (13 टी. कार्बनडाइआक्साइड समतुल्य/कैप) के प्रति व्यक्ति उत्सर्जन के माध्यान से 9 गुणा कम था। वर्ष 2013 में जीवाश्म ईंधन के प्रयोग और सीमेंट उत्पादन से संपूर्ण कार्बनडाइआक्साइड उत्सर्जन के मामले में चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ क्रमशः पहले तीन स्थानों पर हैं जबकि भारत चौथे स्थान पर है (चित्र 8.3)। तथापि, 2013 में इसी क्षेत्र में प्रति व्यक्ति कार्बनडाइआक्साइड उत्सर्जन के संबंध में भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका जैसे देश, 196 देशों में से नीचे के 100 देशों में आते हैं (चित्र 8.4)।

जलवायु परिवर्तन के समाधान में भारत में हुई प्रगति


जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्बवाई योजना

8.12 राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन योजना का पहले-पहले अंगीकार करने वाले देशों में भारत एक है। जलवायु परिवर्तन की राष्ट्रीय कार्बवाई योजना, जो 2008 में शुरू


चित्र 8.2: वर्ष 2010 में विभिन्न क्षेत्रों से वैश्विक जीएचजी उत्सर्जन



चित्र 8.3: कुछ प्रमुख देशों के वार्षिक कार्बन-डाय-ऑक्साइड उत्सर्जन



चित्र 8.4: कुछ बड़े देशों का प्रति व्यक्ति कार्बन-डाय-ऑक्साइड उत्सर्जन



स्रोत : वैश्विक CO₂ उत्सर्जनों में रूझान संबंधी रिपोर्ट 2014, यूरोपीय आयोग संयुक्त अनुसंधान केंद्र

टिप्पणी : जीवाश्म ईंधन के प्रयोग और सीमेंट उत्पादन से होने वाले CO₂ उत्सर्जन

की गई थी, में जलवायु परिवर्तन से निवारण के लिए शमन और अनुकूलन की नीतियों का उल्लेख किया गया है। भारत अपनी जी.डी.पी. (कृषि के उत्सर्जन को छोड़कर) उत्सर्जन क्षमता को आधार वर्ष 2005 की तुलना में 2020 तक कम करके 20-25 प्रतिशत के स्वैच्छिक उद्देश्य पर भी कार्य कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम उत्सर्जन अंतराल की हाल ही की रिपोर्ट (2014) में यह स्वीकार किया गया है कि स्वैच्छिक शापथ के उद्देश्य को हासिल करने वाले देशों में से भारत एक देश है। जलवायु परिवर्तन से निवारण के लिए भारत ऊर्जा दक्षता को बढ़ाने और नवीनीकरण स्रोतों में विस्तार करने के लिए पूर्व सक्रिय कदम भी उठा रहा है। साथ ही साथ कृषि, जल संसाधन और शहरी क्षेत्रों में अनुकूलन संबंधी उपाय भी इसकी मुख्य प्राथमिकताएं हैं।

8.13 भारत अब नई वैज्ञानिक जानकारी (आई.पी.सी.सी.ए.आर. 5) और प्रौद्योगिक उन्नति के आलोक में एन.ए.पी.सी.सी. के अंतर्गत पुनः राष्ट्रीय मिशन कर रहा है;

विद्युत उत्पादन में ग्रीन हाऊस गैस शमन जैसे क्षेत्रों, अन्य नवीनीकृत योग्य ऊर्जा प्रौद्योगिक कार्यक्रमों, आपदा प्रबंध, तटीय क्षेत्रों और स्वास्थ्य क्षेत्र का संरक्षण; सरकार के विभिन्न स्तर पर क्षमता निर्माण; पन ऊर्जा, स्वास्थ्य, ऊर्जा और व्यर्थ तटीय क्षेत्रों के नए मिशनों की संभावना का पता लगाना; तथा राष्ट्रीय जल मिशन और सतत कृषि संबंधी राष्ट्रीय मिशन का पुनर्गठन करना।

जलवायु परिवर्तन पर राज्य कार्य योजनाएं

8.14 वर्ष 2009 में, एन.ए.पी.सी.सी. के बाद सभी राज्य सरकारों से एस.ए.पी.सी.सी. तैयार करने का अनुरोध किया गया। अभी तक 31 राज्यों ने इसे तैयार कर लिया है तथा एस.ए.पी.सी.सी. सम्बन्धी दस्तावेजों को प्रस्तुत किया है। जलवायु परिवर्तन प्रभावों को संबोधित करने के लिए एस.ए.पी.सी.सी. में अनुकूलन तथा शमन के तत्व हैं, यद्यपि शमन को योजना के एक महत्वपूर्ण तत्व के रूप में देखा गया है 31 एस.ए.पी.सी.सी. के कार्यान्वयन के लिए लगभग

11,33,692 करोड़ रुपए की एक संयुक्त बजटीय आवश्यकता का निर्धारण किया गया है।

भारत में नवीकरणीय ऊर्जा के हिस्सों के विस्तार में हुई प्रगति

8.15 भारत की 31 दिसंबर, 2014 की स्थिति के अनुसार कुल ऊर्जा की संस्थापित क्षमता 33.8 गिगावाट हो गई है। पहले के ही समान पवन ऊर्जा का हिस्सा संस्थापित क्षमता में 66 प्रतिशत के साथ अग्रणी है और इसके पश्चात् बायो गैस, लघु जल ऊर्जा तथा सौर ऊर्जा का स्थान है। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 1.1 मिलियन घर प्रकाश से संबंधित अपनी संबंधित आवश्यकताओं की पूर्ति बायोगैस से कर रहे हैं तथा इतनी ही संख्या अपनी भोजन ऊर्जा की आवश्यकता बायो गैस प्लान्ट से पूरा कर रही है। भारत के नवीकरण ऊर्जा क्षेत्र में निजी क्षेत्र महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। सरकार राज्य स्तर पर प्रदान किए गए अधिमान्य शुल्कों के अतिरिक्त वित्तीय तथा राजकोषीय प्रलोभनों के संयुक्त मिश्रण के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा में निजी निवेश को बढ़ावा दे रही है। इसमें पूँजीगत/व्याज सहायिकी, बढ़ा हुआ मूल्यहास तथा शून्य रियायती उत्पाद तथा सीमाशुल्क सम्मिलित है। प्रदान की गई पूँजीगत सहायिकी का स्तर नवीकरणीय संसाधनों तथा क्षेत्रों पर निर्भर है तथा इसमें प्रोजेक्ट मूल्य के अनुसार 10 प्रतिशत से 90 प्रतिशत तक भिन्नता है। जनवरी, 2010 में प्रारंभ किए गए जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन का उद्देश्य पूरे देश में इसके विसरण के लिए नीतिगत शर्तों का निर्माण करके भारत को एक वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करना है। 2013-14 में भारतीय सौर ऊर्जा की स्थापित क्षमता 2647 मेगावाट थी। बल्मबर्ग नई ऊर्जा वित्तीय एन.ई.पी. रिपोर्ट, 2013 के अनुसार भारत में नवीकरणीय ऊर्जा में कुल निवेश 6 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। अगले 5 वर्षों में 160 बिलियन अमेरिकी डॉलर से व्यापक एवं व्यवसायिक अवसरों के उत्पन्न होने की संभावना है। यह कारोबारियों को उद्योगों को स्थापित करने, वृद्धि करने, तकनीक प्रोन्नत करने तथा मात्रा बढ़ाने के लिए एक बहुत अच्छा अवसर है। नवीकरणीय ऊर्जा के सम्बन्ध में भारत की प्रमुख निकटवर्ती योजनाओं में 2022 तक सौर ऊर्जा के 100 गिगावाट सहित नवीकरणीय ऊर्जा के राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना करते हुए संयुक्त संस्थापित क्षमता को बढ़ाकर 170 गिगावाट तक करना है।

कोयले पर स्वच्छ ऊर्जा उपकर

8.16 जलवायु परिवर्तन पर सुझाए गए महत्वपूर्ण साधनों में कार्बन करों का प्रारंभ एक महत्वपूर्ण साधन है। तथापि अभी

तक नाममात्र के देशों ने ही कार्बन करों का प्रारंभ किया है। भारत ने 2010 में कोयले पर एक स्वच्छ ऊर्जा उपकर का प्रारंभ किया है। 2014-15 के बजट में कोयले, जो कि एनसीईएफ का भरण करता है, पर उपकर को 50 रुपए से बढ़ाकर 100 रुपए प्रति टन कर दिया गया है। इस निधि से अभी तक 2014-15 (बजट अनुमान) का कुल संग्रहण 17084.45 करोड़ रुपए है तथा सितम्बर 2014 तक एनसीईएफ में से 16511.43 करोड़ रुपए की 46 स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं की संस्तुति की गई है (सारणी 8.1)। स्वच्छ पर्यावरण पहलों के क्षेत्र में निधि को सम्मिलित करने के लिए एनसीईएफ निधि के क्षेत्र को अब विस्तारित किया गया है।

सारणी 8.1 : एन.सी.ई.एफ. वित्तपोषण के लिए संस्तुत परियोजनाएं

वर्ष	परियोजना की संख्या	राशि (करोड़ रु.)
2011-12	9	566.50
2012-13	6	2715.11
2013-14	12	1229.65
2014-15	19	12000.17
कुल	46	16511.43

अनुकूलन कार्यों में प्रगति

8.17 भारत ने अनुकूलन कार्यों में भी प्रगति की है। राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) यू.एन.एफ.सी.सी.सी. के तहत अनुकूलन निधि के लिए सृजित भारत की राष्ट्रीय कार्यान्वयन संस्था एन.आई.ई. है। इस समय एशिया प्रशान्त क्षेत्र में नाबार्ड अकेली एन.आई.ई. है। वर्तमान में एशिया प्रशान्त क्षेत्र में एन.आई.ई. के तौर पर नाबार्ड ने पर्यावरण परिवर्तन अनुकूलन पर अनेक व्यवहारिक परियोजनाओं का सृजन किया है, जिनमें से 7.3 मिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि वाली पांच परियोजनाओं को अनुकूलन निधि के प्रस्तावों के रूप में प्रस्तुत किया गया है। अनुकूलन निधि बोर्ड ने हाल ही में पश्चिम बंगाल में जलवायु समुद्धानशील कृषि प्रणालियों और आंध्र प्रदेश में मत्स्य क्षेत्र को सक्षम बनाने तथा बढ़ावा देने के लिए अनुकूलन निधि बोर्ड ने, नाबार्ड द्वारा प्रस्तुत किए गए 3.2 मिलियन अमेरिकी डॉलर के परिव्यय वाली दो परियोजनाओं के पहले समूह को अनुमति प्रदान की है।

8.18 इसके अतिरिक्त नाबार्ड संपोषित विकास को बढ़ावा देने के लिए आदिवासी समुदायों के लिए जलसंभर विकास और संपोषित आजीविका जैसी परियोजनाओं का प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के माध्यम से अनेक विकासात्मक परियोजनाओं का कार्यान्वयन कर रहा है। नाबार्ड ने महाराष्ट्र में ज्ञान, रणनियां तथा पहलों को विकसित करने के लिए, जलवायु परिवर्तन पर 21 करोड़ रुपए की एक पायलट परियोजना को स्वीकृति प्रदान की है जिससे कि आरक्षित समुदाय जलवायु परिवर्तन से होने वाले प्रभावों से तालमेल बिठाने में सक्षम होंगे। नाबार्ड संरचनात्मक विकास सहायता के तहत नाबार्ड हरित निवेश में सौर ऊर्जा उत्पादन तथा विद्युत वितरण नेटवर्क के सुधार का वित्तपोषण कर रहा है जिसमें गुजरात में भारत का पहला एक मेगावॉट वाली केनाल-टॉप सोलर पावर परियोजना सम्मिलित है।

8.19 इसके अतिरिक्त, बजट 2014-15 की उद्घोषणाओं की अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में 100 करोड़ रुपए की प्रारंभिक निधि से अनुकूलन कार्यों की सहायता के लिए एवं कृषि, पानी, वानिकी इत्यादि जैसे क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से लड़ने के लिए राष्ट्रीय अनुकूलन निधि की स्थापना की गई है।

घरेलू कार्बन बाजार तंत्र

8.20 इसी के साथ-साथ, कार्बन बाजार के निर्माण के लिए घरेलू क्षेत्र में बहुत सी गतिविधियां हुई हैं। इनमें से एक महत्वपूर्ण योजना “परफोर्म, अचीव एंड ट्रेड पी.ए.टी.” है जिसका कार्यान्वयन, ऊर्जा क्षमता में वृद्धि पर राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत अभिहीत उद्योगों के लिए किया जा रहा है। पी.ए.टी. योजना के तहत नए बाजारों के लिए अवसर प्रदान करना है क्योंकि यह अंतिम प्रयोग मांग पक्ष प्रबंधन के लिए किफायती ऊर्जा दक्षता रणनीति है जिसके परिणामस्वरूप परिस्थितिकी निस्तरता को बढ़ावा मिलेगा। पी.ए.टी. योजना 8 गहन ऊर्जा औद्योगिक क्षेत्रों में 478 संयंत्रों (नामित उपभोक्ता) के लिए कुल खपत ऊर्जा का 1/3 बैठता है। पी.ए.टी. चक्र। (1 अप्रैल, 2012 से 31 मार्च, 2015 तक) के दौरान पी.ए.टी. के तहत औसत विशिष्ट ऊर्जा खपत 4.05% है। एन.ए.पी.सी.सी. के तहत राष्ट्रीय सौर मिशन की एक प्रमुख पहल के रूप में नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र आर.ई.सी. का उद्देश्य बाध्यकारी संस्थाओं की अपनी नवीकरणीय खरीद बाध्यता की आवश्यकता तथा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के बीच अंतर का पता लगाना है। आर.ई.सी. का मूल्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से ग्रिड में डाली गई 1 एम.डब्ल्यू.एच. के समान होना चाहिए। भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण-पत्र रजिस्ट्री

के अनुसार जनवरी, 2015 तक कुल 1658593 सौर आर.ई.सी. जारी किए गए थे।

वार्ताओं की अंतराष्ट्रीय स्थिति : यू.एन.एफ.सी.सी.सी. के पक्षकारों का 20वां सम्मेलन

8.21 दिसम्बर, 2014 में लीमा, पेरू में हाल में सम्पन्न पार्टियों का सम्मेलन (यूएनएफसीसीसी 20 काप) एक महत्वपूर्ण दिशा-निर्धारक है क्योंकि इसमें लम्बी वार्ताओं तथा गहन चर्चाओं के परिणामस्वरूप ‘लीमा कॉल फॉर क्लीरमेंट एक्शन’ प्रकाश में आया (बाक्स 8.1)। इस वर्ष पेरिस में इस करार को पूरा होने में एक वर्ष से भी कम समय बाकी है, पेरिस के (सी.ओ.पी.) के 21वें सत्र में दिसम्बर 2015 तक इस समझौते को अंतिम रूप प्रदान करने के लिए राष्ट्र भरसक प्रयास कर रहे हैं।

8.22 वार्ता में भारत की चिंता का मुख्य विषय, भारत के दीर्घावधिक हितों को सुरक्षित करना तथा निर्धनता उन्मूलन की समस्याओं को हल करना, विकास तथा वृद्धि की आवश्यकता पर बल देना, सभी को ऊर्जा तक पहुंच सुनिश्चित करना तथा अन्य विकासात्मक प्राथमिकताएं हैं। वार्ता में भारत की भूमिका समता के सिद्धांत तथा सीबीडीआर से भी प्रभावित हुई थी (बाक्स 8.2)।

अंतराष्ट्रीय जलवायु वित्त प्रवाह

8.23 यूएनएफसीसीसी विकासशील देशों को जलवायु संबंधी वित्तीय साधन प्रदान करने की संपूर्ण जिम्मेदारी विकसित देशों पर डालता है। इस प्रयोजन के लिए अनुदान अथवा रियायती आधार पर वित्तीय संसाधनों के प्रावधान के लिए एक वित्तीय तंत्र, प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण सहित, अभिसमय के अनुच्छेद 11 में परिभाषित किया गया है।

8.24 वैश्विक पर्यावरण सुविधा केन्द्र (जीईएफ), अनुच्छेद 11 के अनुसार वित्तीय तंत्र के अंतर्गत दो प्रचालन निकायों में से एक है। यह ऊर्जा दक्षता, नवीकरणीय ऊर्जा, सतत शहरी परिवहन तथा भूमि प्रयोग का सतत प्रबंधन, भूमि प्रयोग में परिवर्तन तथा वानिकी (एलयूएलयूसीएफ) और क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर संबंधी परियोजनाओं के लिए धन देता है। हाल ही में, तीस दाता देशों ने जीईएफ 6 चक्र (जुलाई 2014-जून 2018) के लिए 4.43 बिलियन अमरीकी डालर देने की शपथ ली है। भारत ने 130.58 मिलियन अमरीकी डालर जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण केंद्रीय क्षेत्र के लिए है। आज की तारीख तक, भारत ने 477.3 मिलियन अमरीकी डालर का जीईएफ अनुदान प्राप्त किया है जिसमें

बॉक्स 8.1 : प्रमुख लोमा परिणाम

यूएनएफसीसीसी वार्ता, 2015 पेरिस समझौते के लिए वार्ता पाठ को तैयार करने, राष्ट्रीय रूप से निर्धारित योगदानों से अभिप्रेरणा के तहत पक्षों के द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना की पहचान तथा 2020 से पहले के कार्यों पर केन्द्रित रहा। लोमा सम्मेलन के कुछ प्रमुख परिणाम निम्नलिखित हैं:

- लोमा सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया कि नया समझौता यूएनएफसीसीसी के अधीन है तथा विभिन्न राष्ट्रीय परिस्थितियों के प्रकाश में विभेदी उत्तरदायित्वों के साथ-साथ यह सामान्य सिद्धांत को भी प्रतिबिंबित करेगा। इसमें सभी कारकों जैसे कि अल्पीकरण, अनुकूलन, वित्त, तकनीक विकास तथा स्थानांतरण, क्षमता निर्माण तथा कार्यों में पारदर्शिता तथा समर्थन पर संतुलित तरीके से विचार किया है।
- मसौदा पाठ को मई, 2015 तक काप-21 में पक्षकारों के अंगीकरण तथा स्वीकारने के लिए अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।
- अन्य प्रमुख निर्णय आईएनडीसी से संबंधित हैं। यहां यह निर्णय लिया गया था कि देश अपनी मौजूदा प्रतिबद्धताओं से पीछे नहीं हटेंगे तथा देशों का योगदान उनकी मौजूदा वचनबद्धता से अधिक होना चाहिए। अंतिम निर्णय सफलतापूर्वक यह सुनिश्चित करता है कि देश अल्पीकरण के अतिरिक्त अपने आई.एन.डी.सी. में अनुकूलन, वित्त, तकनीक विकास तथा हस्तांतरण, क्षमता निर्माण तथा कार्यों की पारदर्शिता तथा समर्थन को भी सम्मिलित कर सकते हैं। उपरोक्त विषय में कोई भी पूर्व निर्धारित मूल्यांकन नहीं है।
- अब देशों को आई.एन.डी.सी. से संबंधित संदर्भ वर्ष (आधार वर्ष), समय-सीमा क्षेत्र तथा योजना प्रक्रियाएं, निर्धारण इत्यादि पर निर्धारित सूचना प्रस्तुत करनी चाहिए। इसे यू.एन.एफ.सी.सी.सी. की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाना चाहिए तथा आई.एन.डी.सी. के समस्त प्रभावों की एक संयोजित रिपोर्ट 1 नवम्बर, 2015 तक तैयार की जानी चाहिए।
- क्योटो प्रोटोकॉल दूसरी वचनबद्धता कार्यकाल जैसे प्रारंभिक अनुपोदन, लक्ष्यों का पुनः निरीक्षण तथा इसके साथ जुड़ी शर्तें तथा विकसित देशों द्वारा विकासशील देशों को वित्त, तकनीक तथा क्षमता निर्माण सहायता प्रदान करने के 2020 से पूर्व के क्रियाकलापों को पूरा करने के लिए कार्यों में तेजी लाने का निर्णय हुआ।
- वित्त के मुद्रे पर विकासशील देशों को जलवायु वित्त को बढ़ाने के लिए पूर्वानुमान तथा व्यापक पारदर्शिता एवम् सूचना को बढ़ाने के तरीके से 2020 तक 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए स्पष्टता प्रदान करने हेतु आमंत्रित किया गया है। हरित जलवायु निधि, निधि की प्रारंभिक पूँजी के लिए 10.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर की वचनबद्धता को स्वीकार किया गया है। बाद में सहायकों द्वारा इन वचनबद्धताओं को पूर्ण रूप से कार्यान्वित समझौतों के रूप में पुष्ट करने का निर्णय लिया गया। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि नवम्बर 2014 तक किए गए वचनों का कम से कम 50% तो 30 अप्रैल 2015 तक पूर्ण रूप से कार्यान्वित अंशदान समझौते के रूप में प्रतिबिंबित होना चाहिए।

से 284.2 मिलियन अमरीकी डालर जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण परियोजनाओं तथा 10 मिलियन अमरीकी डालर जलवायु परिवर्तन अनुकूलन परियोजनाओं के लिए है। जीईएफ यूएनएफसीसी के अंतर्गत दो पृथक अनुकूलन केंद्रित कोषों-अल्पमत विकसित देशों से संबंधित कोष तथा विशेष जलवायु परिवर्तन कोष का भी प्रबंध करता है - जो अनुकूलन से संबंधित गतिविधियों के लिए विशेष रूप से चिह्नित निधियन को जुटाते हैं।

8.25 जीसीएफ 2011 में स्थापित अभिसमय के वित्तीय तंत्र का प्रचालन निकाय है। जीसीएफ से आशा है कि वह आगामी वर्षों में विकसित से विकासशील देशों को 100 बिलियन अमरीकी डालर के जलवायु संबंधी वित्तीय साधन के महत्वपूर्ण शेयर को जुटाने का मुख्य चैनल बन जाएगा, जो

जलवायु परिवर्तन को रोकने में विकासशील देशों की मदद करेगा और उनके विकास के पथ को अधिक जलवायु अनुकूलन ढंग से समायोजित करेगा। जीसीएफ के प्रचालन की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। स्वीकार किए गए कुछ महत्वपूर्ण निर्णयों में समय पर न्यूनीकरण और अनुकूलन के लिए 50:50 का आवंटन, निजी क्षेत्र में कोष की विशेष निजी क्षेत्र सुविधा के जरिए भागीदारी को अधिकतम बनाना तथा कोष की जेंडर एक्शन योजना को जल्दी परिभाषित करने का आशय शामिल है। आज की स्थिति के अनुसार, जीसीएफ का 10.2 बिलियन अमरीकी डालर के अनुदानों की वचनबद्धता की गई है। वर्तमान में जीसीएफ दो विषयों (न्यूनीकरण तथा अनुकूलन) तथा एक औपचारिकता में संरचनाबद्ध हैं जो निजी क्षेत्र की सुविधाएं हैं। इसके साथ, जीसीएफ अब कारोबार करने के लिए तैयार है।

बॉक्स 8.2 : जलवायु परिवर्तन के मुद्दे : भारत का रुख

भारत अर्थपूर्ण ढंग से जलवायु परिवर्तन का समाधान करते हुए अपने लोगों का तीव्र विकास करने हेतु कार्योन्मुख नीतियों का अनुपालन कर रहा है। भारत, यू.एन.एफ.सी.सी. के प्रावधानों तथा सिद्धांतों के अनुसार जलवायु परिवर्तन का सामना करने में दीर्घावधि वैश्विक समर्थन का प्रमुख समर्थक रहा है। आज देखे जा रहे जलवायु परिवर्तन के प्रभाव कुल संचित ग्रीन हाऊस उत्तर्जन का परिणाम हैं जिसके लिए विकसित देश प्रमुख रूप से उत्तरदायी हैं। इसके अतिरिक्त, कुछ विकासशील देशों द्वारा दर्ज की गई तीव्र वृद्धि के बावजूद, इन देशों में बहुत बड़ी संख्या में लोग अत्यधिक गरीबी में जीवन-यापन कर रहे हैं। इस प्रकार, जलवायु परिवर्तन वार्ता में भारतीय रुख सी.बी.डी.आर. के सिद्धांतों से प्रभावित रहा है। इस संदर्भ में, जलवायु परिवर्तन को प्रभावी रूप से संबोधित करते हुए, भारत अपने लोगों के लिए तीव्र विकास सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित नीतिउन्मुखी कार्य कर रहा है। भारत का विश्वास है कि जलवायु परिवर्तन समझौता 2015 में अल्पीकरण के अतिरिक्त, अनुकूलन, वित्त, तकनीक विकास तथा हस्तांतरण, क्षमता निर्माण, कार्यों में पारदर्शिता तथा संतुलित रूप में समर्थन तथा हानि एवं नुकसान के मुद्दों पर विचार किया जाना चाहिए।

अल्पीकरण: वैश्विक वायुमण्डलीय संसाधनों तक पहुंच में समता तथा विकसित देशों के ऐतिहासिक दायित्वों को अल्पीकरण समझौतों के आधार पर निरंतर परिभाषित किया जाना चाहिए। 2015 समझौते में यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि विकासशील देशों को कार्बन तथा विकसित क्षेत्र का उचित हिस्सा दिया जाना चाहिए। अल्पीकरण प्रयासों में विकासशील देशों का योगदान, विकसित देशों की तुलना में कहीं अधिक है और इसे और भी बढ़ाया जा सकता है यदि विकसित देश विकासशील देशों को वित्त, तकनीक तथा क्षमता निर्माण समर्थन प्रदान करने की अपनी वचनबद्धता को महत्वपूर्ण ढंग से तथा प्रभावी रूप से कार्यान्वित करें।

अनुकूलन: अनुकूलन में समान महत्व दिया जाना चाहिए क्योंकि यह जलवायु परिवर्तन के प्रति समुदायों की अरक्षितता को कम करने के लिए आवश्यक है। यह इस तथ्य को अधिक महत्व देता है कि जलवायु परिवर्तन का सर्वाधिक नकारात्मक प्रभाव विकासशील देशों पर है। तथापि, वैश्विक कार्यवाही तथा वित्त प्रवाह, दोनों ही अल्पीकरण के समर्थन के प्रति प्रभावित रहे हैं। विकासशील देश 2015 समझौते में अनुकूलन को व्यापक तथा संतुलित तरीके से शामिल किए जाने का भरसक प्रयास कर रहे हैं।

वित्त: विकासशील देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करने का दायित्व विकसित देशों का है तथा स्पष्ट रूप से यू.एन.एफ.सी.सी. में सम्मिलित है। भारत अन्य विकासशील देशों के साथ इस बात पर जोर देता रहा है कि विकसित देश, विकासशील देशों को नवीन, अतिरिक्त तथा भावी वित्तीय सहायता प्रदान करने के अपने दायित्व को पूरा करे। इस संदर्भ में, हरित जलवायु निधि के महत्वाकांक्षी पूँजीकरण ने महत्व प्राप्त कर लिया है। विकसित देशों ने 2010 में विकसित देशों द्वारा 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर की वार्षिक प्रतिबद्धता को पूरा करने के मार्ग तथा स्पष्ट समय सीमा प्रदान करने पर जोर दिया है।

तकनीक हस्तांतरण: जलवायु परिवर्तन से लड़ने के किसी भी कार्य में तकनीक एक प्रमुख घटक है। इस संबंध में यह महत्वपूर्ण मुद्दा है कि यद्यपि विकसित देश स्वच्छ तकनीक में अगुआ हैं, परंतु विकासशील देशों के पास न तो स्वच्छ तकनीक विकसित करने के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध हैं और न ही पर्याप्त तकनीकी योग्यता है। विकसित देशों से विकासशील देशों को तकनीक हस्तांतरण के लिए एक उचित तंत्र पर स्वीकृति होनी चाहिए। बौद्धिक संपदा अधिकारों के अधिमान की घुंडी, इस प्रकार की तकनीक के हस्तांतरण में बाधक नहीं होनी चाहिए।

8.26 जीसीएफ “देशगत प्रेरित दृष्टिकोण” का अनुपालन करता है जिसमें सभी स्तरों पर विभिन्न हितधारकों की प्रभावी भागीदारी की परिकल्पना की गई है और जो विकासशील देशों को अपनी अन्य नीतियों, अधिक तात्कालिक विकास प्राथमिकताओं जैसे गरीबी कम करने तथा अपनी आबादी के बढ़े हिस्से का जीवन स्तर सुधारने को ध्यान में रखते हुए, जलवायु नीति बनाने में समर्थ बनाता है। वह प्रभावशीलता जिसके साथ कोई देश जीसीएफ से संसाधन लेने में सक्षम बनता है और उसे प्रभावी ढंग से प्रयोग करता है, इस बात पर निर्भर करता है कि उस देश की सरकार और उसकी विभिन्न संस्थाएं कोष तक पहुंच बनाने के लिए कितनी तैयार है। पहला कदम देश की संस्थागत क्षमता का निर्माण करना है। भारत, जीसीएफ के लिए भारत के राष्ट्रीय

स्तर पर नामित प्राधिकरण के रूप में पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का चयन करके इस संदर्भ में आगे बढ़ा है जो राष्ट्रीय जलवायु कार्यनीतियों के संदर्भ में प्रस्तावों के निधियन के लिए जीसीएफ बोर्ड को सिफारिश करेगा। अगला कदम सक्षम एनआईई का चयन करना है जो जीसीएफ बोर्ड द्वारा प्रत्यायित होंगे और कार्यकारी निकायों द्वारा परियोजना के कार्यान्वयन की जांच करेंगे। जीसीएफ के देशगत प्रेरित दृष्टिकोण को देखते हुए, प्राप्तकर्ता देशों का भी यह निर्णय लेने का दायित्व है कि जीसीएफ से प्राप्त संसाधनों का कैसे उपयोग किया जाए। यह उन सेक्टरों तथा परियोजनाओं को प्राथमिकता देने की मांग करता है जो भारत को अधिकतम सतत विकास के लाभ प्रदान करेंगे। फिलहाल एनआईई के चयन तथा जीसीएफ से प्रभावी तरीक से

संसाधन प्राप्त करने हेतु समग्र रूपरेखा सहित भारत की संस्थागत क्षमता का निर्माण करने के लिए सरकार द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं।

अंतर्राष्ट्रीय कार्बन बाजार

8.27 कार्बन बाजार में भारत की भागीदारी सफलता की कहानी है। भारत कार्बन बाजार के प्रति अपने दृष्टिकोण में सक्रिय रहा है और यह क्योटो प्रोटोकोल के अंतर्गत स्थापित स्वच्छ विकास तंत्र (सीडीएम) के वैश्विक बाजार के महत्वपूर्ण घटक को प्रदर्शित करता है। 1 दिसंबर, 2014 की स्थिति के अनुसार, सीडीएम कार्यकारी बोर्ड द्वारा पंजीकृत कुल 7589 परियोजनाओं में से 1541 भारत की हैं। अभी तक ये विश्व में दूसरी सबसे ज्यादा हैं और चीन 3763 पंजीकृत परियोजनाओं की बजह से आगे है। अभी तक जारी कुल प्रमाणित उत्सर्जन द्वास (सीईआर) 1.52 बिलियन यूनिट है तथा भारतीय परियोजनाओं के लिए जारी सीईआर 191 मिलियन यूनिट (13.27 प्रतिशत) है। इसके अतिरिक्त, 31 दिसम्बर, 2014 की स्थिति के अनुसार, भारत के राष्ट्रीय सीडीएम प्राधिकरण (एनसीडीएमए) ने 2941 परियोजनाओं को अनुमोदन प्रदान किया है जो देश में 5,79,306 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश को सुगम बना रही हैं। ये परियोजनाएं ऊर्जा दक्षता, ईंधन परिवर्तन, औद्योगिक प्रक्रिया, नगरपालिका ठोस अपशिष्ट, नवीकरणीय ऊर्जा और वानिकी के क्षेत्रों में हैं।

8.28 क्योटो प्रोटोकोल (2013-2020) की दूसरी वचनबद्धता अवधि में, सीडीएस परियोजनाओं की संख्या में काफी कमी आयी है। 2012 में, यूएनएफसीसीसी में 3227 परियोजनाएं पंजीकृत हुई थीं और 2013 में सीडीएस के अंतर्गत केवल 307 परियोजनाएं पंजीकृत हुई थीं। खास बात यह है कि 2013 में भारत ने 115 परियोजनाएं पंजीकृत की हैं जो किसी भी देश द्वारा पंजीकृत की गई परियोजनाओं में सबसे ज्यादा हैं। वर्ष 2014 में, भारत ने यूएनएफसीसीसी में 56 परियोजनाएं पंजीकृत की हैं।

8.29 यद्यपि, 2015 में संतुलित और सार्थक अंतर्राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन करार पर अधिक ध्यान देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय वार्ता जारी है, परंतु अंतर्राष्ट्रीय बाजार आधारित तंत्रों में गति कम करने के लिए 2020 से पूर्व की अवधि में न्यूनीकरण उद्देश्य की कमी बनी हुई है। वास्तव में, क्योटो प्रोटोकोल की दूसरी वचनबद्धता अवधि में पक्षों की भागीदारी वैश्विक उत्सर्जन का केवल 12 प्रतिशत ही दर्शाती है। कुछ मुख्य भागीदार क्योटो प्रोटोकोल से बाहर हो गए हैं जिसने बाद में क्योटो कोंट्रिट की सीमित मांग को दबा दिया। विश्व

बैंक समूह रिपोर्ट के अनुसार, 2014-2020 हेतु 3500-5400 एमटीसीओ₂ई की सप्लाई जो अपेक्षित मांग का तीन से पांच गुणा है, की तुलना में चालू मांग लगभग 1120-1230 मेगाटन समतुल्य (एमटीसीओ₂ई) अनुमानित है।

8.30 कार्बन क्रेडिट की मांग को बढ़ाने तथा मूल्य स्थरीकरण तंत्र के लिए प्रस्ताव तय किए जा रहे हैं। इसमें उपर्युक्त रूपरेखा के अंतर्गत क्योटो प्रोटोकोल के अंतर्गत तथा क्योटो प्रोटोकोल के बाहर नए बाजार तंत्र सृजित करने के लिए प्रस्ताव शामिल हैं। जबकि वर्ष 2013 से 2020 तक की अवधि के दौरान सीडीएम कार्य करना जारी रखेंगे, परंतु वह तरीका देखा जाना है जिसमें ये प्रभावी कार्बन बाजार के लिए इन नए तंत्रों में समाविष्ट हो जाएंगे (बॉक्स 8.3)।

सतत विकास

8.31 सतत विकास के संदर्भ में वैश्विक सीमाओं को पारिस्थितिकीय प्रभाव के संदर्भ से समझा जा सकता है, जो उस दबाव का परिचायक है, जो मानवीय कार्यकलाप पारिस्थितिकी तंत्र पर डालते हैं। उनकी तुलना जब जैव क्षमता (उपयोगी जैव सामग्री सृजित करने और मानव द्वारा सृजित अपशिष्ट पदार्थों को खपाने की पारिस्थितिकी तंत्र की क्षमता का पैमाना) से की जाती है तो हमें पता चलता है कि हम लाभ कमा रहे हैं या घाटा उठा रहे हैं। आंकड़े बताते हैं कि विश्व पारिस्थितिकीय अतिक्रमण की स्थिति में रह रहा है। लिंविंग प्लेनेट रिपोर्ट, 2014 के अनुसार वर्ष 2010 में वैश्विक पारिस्थितिकीय फुटप्रिंट 18.1 बिलियन वैश्विक हैक्टेयर (जीएचए) अथवा प्रति व्यक्ति 2.6 जीएचए था और पृथ्वी की कुल जैव क्षमता 12 बिलियन जीएचए अथवा प्रति व्यक्ति 1.7 जीएचए थी। जैव क्षमता विश्व भर में समान रूप से व्याप्त नहीं है। दुर्भाग्यवश कम आय वाले देशों का सबसे छोटा फुटप्रिंट होता है, लेकिन वे सबसे बड़ी पारिस्थितिकीय हानियों को झेलते हैं। संयुक्त राष्ट्र के सामान्य परिदृश्य यह इंगित करते हैं कि यदि वर्तमान आबादी और खपत की प्रवृत्ति जारी रहती है तो वर्ष 2030 तक हमें अपने भरण-पोषण के लिए दो पृथिव्यों की जरूरत पड़ेगी।

8.32 मेकिन्जी रिपोर्ट के अनुसार, भारत शहरी दावानल की दहलीज पर खड़ा है। भारतीय शहरों की आबादी 2008 में 340 मिलियन से बढ़कर वर्ष 2030 तक 590 मिलियन हो जाएगी। 2030 के दशक में भारत के सबसे बड़े शहर बहुत से बड़े-बड़े देशों से भी अधिक बड़े होंगे। जैसे-जैसे आबादी बढ़ेगी, प्रत्येक मुख्य सेवा की मांग में पांच से सात गुना बढ़ाती हो जाएगी। गरीबी उन्मूलन, खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा, शहरी अपशिष्ट प्रबंधन और पानी की कमी मौजूदा

बॉक्स 8.3 : सीडीएम तथा कार्बन बाजारों का भविष्य

सीडीएम, जो यूएनएफसीसीसी के अंतर्गत बहुपक्षीय रूप से सृजित एक प्रकार का कार्बन बाजार है, एक सर्वाधिक प्रभावी न्यूनीकरण साधन होना प्रमाणित हुआ है। यद्यपि, वर्ष 2020 से पूर्व की अवधि में न्यूनीकरण उद्देश्य की कमी के कारण इसकी गति कम हुई है, फिर भी सबसे बड़े वैश्वक कार्बन बाजार सीडीएम की पूर्ण सामर्थ्य को काम में लाने के प्रयास तेज हो रहे हैं। भारत सहित बहुत से विकासशील देश सीडीएम के जरिए लाभान्वित हुए हैं तथा उत्सर्जन द्वारा पहल में योगदान दे रहे हैं। जबकि देश नए बाजार तंत्रों को खोज रहे हैं, परंतु सारणी 8.2 में दिए गए कारणों से शक्तिशाली सीडीएम औजार से निर्माण करने के मजबूत कारण हैं। सीडीएम बोर्ड उस बजट के लिए भी सहमत हो गया है जिससे वर्ष 2020 तक सीडीएम प्रचालन जारी रहेंगे।

सारणी 1 : सीडीएम संबंधित तथ्य

कम किया हुआ अथवा वर्जित उत्सर्जन	- कार्बनडायआक्साइड समतुल्य का 1.5 जीटी
770010 वर्षों से कम अवधि में	- प्रतिदिन 2 परियोजनाओं से ज्यादा की औसत
पंजीकृत गतिविधियों की परियोजनाएं तथा कार्यक्रम	- निजी क्षेत्र निवेश में 10 अमरीकी डालर
औसत उत्तोलनों पर सीडीएम में निवेशित सरकारी धन का 1 अमरीकी डालर	- 2011 में कुल वार्षिक ओडीए प्रवाह
जीएचजी घटाने वाली गतिविधियों में 130 बिलियन अमरीकी डालर का निवेश	= 6-28 बिलियन अमरीकी डालर
खरीदे गए सीईआर के जरिए वर्ष 2008 से 2012 तक ईयू उत्सर्जन ट्रेडिंग योजना संस्थापनों द्वारा बचाया गया धन	- विश्व में तीन-चौथाई से ज्यादा देश
सीडीएम में शामिल 155 देश	

स्रोत : यूएनएफसीसीपी; स्टेट एंड ट्रेड्स आन कार्बन प्राइसिंग, वर्ल्ड बैंक 2014

सीडीएम के अलावा, विश्व में कार्बन मूल्य निर्धारण की पहुंच लगातार बढ़ रही है। विश्व बैंक समूह रिपोर्ट के अनुसार, कुल आठ नए कार्बन बाजारों ने वर्ष 2013 में अपने दरवाजे खोले हैं। इन नए साधनों से विश्व की उत्सर्जन ट्रेडिंग योजनाएं लगभग 30 बिलियन अमरीकी डालर की हो गयी हैं। वैश्वक जलवायु सौदे, जिसे वर्ष 2015 में अंतिम रूप दिया जाना निर्धारित है, तथा जलवायु समस्या से निपटने के लिए अपेक्षित पर्याप्त वर्धनकारी धन के साथ, कार्बन बाजार तथा मूल्य निर्धारण से अपेक्षा है कि वे उत्सर्जन को नियंत्रित करने में मुख्य भूमिका अदा करेंगे। बाजार आधारित तंत्रों के लिए नई पहुंच विकसित की जा रही है ताकि उनको शीघ्रता से लगाने और निम्न कार्बन प्रौद्योगिकियों में अधिकतम निवेश करने में सहायता मिले। इन्हें सुधरी हुई सीडीएम अथवा एनएमएम नया बाजार तंत्र कहा जा रहा है।

ये घटनाक्रम संभवतः भारत को सहायता करने के लिए हैं, आज तक, भारतीय सीडीएम परियोजना विकासकर्ताओं के पास सीमित विकल्प हैं जिन्हें प्रचालित मूल्यों पर बेचना होता था। भारतीय पंजीकृत परियोजनाओं सहित, जिन्हें वर्ष 2020 तक पर्याप्त सीईआर उत्पन्न करने की आशा है, भारतीय सीईआर धारक एक बार कार्बन बाजारों के तेज होने पर अपने सीईआर बेचने के लिए उत्सुक हैं।

चुनौतियों ये साथ मिलकर के प्रवृत्तियां हमारे निर्मित संसाधनों पर और अधिक दबाव डालेंगी। यदि इन दोनों घटकों को और अधिक अलग नहीं किया गया तो इसके परिणामस्वरूप ऊर्जा की जरूरतों में बढ़ोतरी होगी और उत्सर्जनों में वृद्धि होगी। लेकिन साथ ही, इस चुनौती में बड़े अवसर छिपे बैठे हैं। बहुत से देशों के विपरीत, भारत की आबादी युवा है और इसलिए मानव आबादी से लाभ उठाए जा सकते हैं। वर्ष 2030 के भारत का आधे से अधिक हिस्सा अभी निर्मित किया जाना शोष होने के चलते, हमारे पास मौका है कि हम जीवाश्म ईंधन पर आधारित ऊर्जा प्रणालियों और कार्बन लॉक इन पर अत्यधिक निर्भर होने से बचें, जिसका सामना आज बहुत से औद्योगिकृत देश कर रहे हैं। एक सजग नीतिगत फ्रेमवर्क, जिसमें विकास संबंधी जरूरतों और पर्यावरणीय मुद्दों, दोनों का ध्यान रखा जाए, इन चुनौतियों को अवसरों में बदल सकता है।

8.33 सितम्बर 2015 में करार निष्पादन के लिए निर्धारित 2015 पश्च विकास एजेंडा की तरफ राजनीतिक हलचल बढ़ती जा रही है। इसी दिशा में रियो में जून 2012 में आयोजित सतत विकास संबंधी संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (रियो + 20) के परिणाम दस्तावेज “दि फ्यूचर वी वांट” द्वारा अधिदेशित तीस सदस्यीय खुले कार्यदल में जुलाई 2014 में 17 एसडीजी निर्धारित किए (बॉक्स 8.4) इन सतत विकास लक्ष्यों में व्यापक स्तर पर सम्पोषीय विकास के मुद्दे शामिल हैं और इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक व्यापक उद्देश्य के तौर पर कार्यान्वयन के साधनों पर भी ध्यान केन्द्रित किया गया है। इन लक्ष्यों को संयुक्त राष्ट्र के 2015 पश्च विकास एजेंडा में समेकित किए जाने की संभावना है। वर्तमान में, 2015 पश्च एजेंडा और सतत विकास लक्ष्यों की प्रक्रियाएं इस वर्ष अपने समाप्त की ओर तेजी से बढ़ रही हैं।

बाक्स 8.4 : सतत विकास लक्ष्य

1. गरीबी के सभी रूपों को सर्वग समाप्त करना।
2. भुखमरी को समाप्त करना, खाद्य सुरक्षा प्राप्त करना और पोषण में सुधार लाना तथा सम्पोषणीय कृषि को बढ़ावा देना।
3. स्वास्थ्य सुनिश्चित करना और हर उम्र में सभी के लिए तंदुरस्ती को बढ़ावा देना।
4. समावेशी और साम्यपूर्ण स्तरीय शिक्षा सुनिश्चित करना और सबके लिए आजीवन पठन पाठन के अवसरों को बढ़ावा देना।
5. लिंग संबंधी समानता हासिल करना और सभी महिलाओं एवं बालिकाओं का सशक्तिकरण।
6. सबके लिए जल और स्वच्छता की उपलब्धता और स्थायी प्रबंधन सुनिश्चित करना।
7. सबके लिए वहनीय, विश्वसनीय और आधुनिक ऊर्जा की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
8. सबके लिए स्थायी, समावेशी और सतत आर्थिक विकास, पूर्ण एवं लाभकारी तथा उचित रोजगार को बढ़ावा देना।
9. समुत्थानशील अवसंरचना निर्मित करना, समावेशी एवं संपोषणीय औद्योगिकरण को बढ़ावा देना तथा नवोन्मेष को प्रोत्साहित करना।
10. देशों के भीतर और आपस में भी असमानता कम करना।
11. शहरों और मानव बस्तियों को समावेशी, सुरक्षित, समुत्थानशील और सम्पोषणीय बनाना।
12. सम्पोषणीय खपत और उत्पादन पैटर्न सुनिश्चित करना।
13. जलवायु परिवर्तन एवं इसके प्रभावों का मुकाबला करने के लिए तत्काल कार्रवाई करना।
14. सतत विकास के लिए महासागरों, समुद्रों और समुद्री संसाधनों का संरक्षण करना एवं सम्पोषणीय तरीके से उपयोग करना।
15. पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्रों का संरक्षण, पुनरुद्धार करना एवं उनके सम्पोषणीय उपयोग को बढ़ावा देना।
16. संपोषणीय विकास के लिए शांतिपूर्ण व समावेशी सोसाइटियों का संवर्धन करना, सबके लिए न्याय सुलभ करना और सभी स्तरों पर प्रभावी, जवाबदेही व समावेशी संस्थाओं का निर्माण करना।
17. कार्यान्वयन के तरीके सुडूढ़ करना और सम्पोषणीय विकास हेतु वैश्वक भागीदारी को पुनः सक्रिय करना।

विकास और पर्यावरण पर संतुलित बल दिया जाता है। देश में महत्वपूर्ण पर्यावरणीय उपाय किए गए हैं जिनके उद्देश्यों में नदियों का संरक्षण, शहरी वायु की गुणवत्ता में सुधार, वन रोपण में वृद्धि, नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों की संस्थापित क्षमता में जबरदस्त बढ़ोत्तरी करना, सार्वजनिक परिवहन को अपनाना और ग्रामीण एवं शहरी अवसरंचना में बढ़ोत्तरी करना शामिल है। हालिया उपायों में ये शामिल हैं। ‘स्वच्छ भारत मिशन, निर्मल गंगा योजना, राष्ट्रीय सौर मिशन, के लक्ष्य में पांच गुना वृद्धि करना जिसे 20,000 मेगावाट से बढ़ाकर 1,00,000 मेगावाट किया जाएगा, जिसके लिए 100 बिलियन अमरीका डालर के अतिरिक्त निवेश की आवश्यकता होगी, सतत विकास के लिए समेकित नीतियों के साथ ‘100 स्मार्ट सिटीज’ का विकास और राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक तथा राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता योजना बनाने की तैयारी करना।

8.35 संक्षेप में, जलवायु परिवर्तन और सतत विकास के मुद्दे पर राजनीतिक जागरूकता, अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में और घरेलू मोर्चे पर, दोनों में काफी बढ़ोत्तरी हुई है। भारत समेत अनेक विकासशील देशों में जलवायु परिवर्तन की समस्याओं का समाधान करने में उल्लेखनीय प्रगति की गई है। वर्ष 2015 में, पेरिस करार से पहले अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाने की संभावना है। आज जबकि हम जलवायु परिवर्तन पर 2015 करार के बाद की स्थितियों के लिए मिल कर कार्य कर रहे हैं, यह सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है कि नया करार, व्यापक, सन्तुलित, साम्यपूर्ण और व्यवहारिक हो। इस करार में, भारत जैसे विकासशील देशों की वास्तविक जरूरतों का समाधान किया जाना चाहिए। इस करार में, उनके लिए साम्यपूर्ण कार्बन और विकास गुजाइश होनी चाहिए ताकि वे सतत विकास कर सकें और गरीबी मिटा सकें। यह हासिल करने के लिए यूएनएफसीसी के सिद्धान्तों और उपबंधों का पालन करना अत्यावश्यक है। अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि वैश्वक जलवायु संबंधी कार्रवाई, कार्यान्वयन के तरीकों विशेषकर वित्त साधनों और प्रौद्योगिकी पर बहुत अधिक निर्भर है, जिसके लिए इस करार में पर्याप्त ध्यान दिए जाने की जरूरत है। जैसाकि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सितम्बर 2014 में संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में कहा “हमें इन चुनौतियों का सामना करने में अपनी जिम्मेदारियां उठाने में ईमानदार होना चाहिए। विश्व समुदाय सामूहिक कार्रवाई के खूबसूरत संतुलन पर सहमत हुआ है साझी लेकिन अलग-अलग जिम्मेदारियां। यही सतत कार्रवाई का आधार भी होना चाहिए।”

8.34 घरेलू मोर्चे पर, भारत तीव्र आर्थिक विकास के लक्ष्य से समझौता किए बिना पर्यावरणीय सुरक्षा की और कार्य कर रहा है। तदनुसार भारत की विकास योजनाओं में आर्थिक

सामाजिक अवसंरचना, रोजगार और मानव विकास

समता युक्त विकास 1960 के दशक से ही भारतीय आर्थिक नीति का केंद्र रहा है। अनुमान है कि वर्ष 2020 तक भारत आकार की दृष्टि से विश्व का सबसे युवा राष्ट्र होगा। जहाँ इस “युवा शक्ति” ने भारत के सामने अपार अवसर पैदा किए हैं, वहाँ इसके साथ कई चुनौतियां भी आन पड़ी हैं। इन युवाओं को स्वास्थ्य, उपयुक्त शिक्षा और यथोचित कौशल की जरूरत होगी जिससे ये देश की अर्थव्यवस्था में पूरी-पूरी सहभागिता निभा सकें। कतिपय वैशिक आघातों के बावजूद, भारत ने कल्याणकारी गतिविधियों-खासकर साधनहीन आबादी के लिए व्यय करने में कभी कोई समझौता नहीं किया है। सरकार के कार्यक्रमों और नीतियों की सफलता, संस्थागत निकायों की शक्ति में निहित होने के साथ-साथ व्यापक तौर पर सुदृढ़ सरकारी सेवा प्रदाय प्रणालियों और जनता की मनःस्थिति और मानसिकता पर निर्भर करती है। इस संदर्भ में, परिव्ययों को परिणाम में बदलना सुनिश्चित किए जाने में पंचायती राज संस्थाओं की अहम भूमिका है। हालांकि निर्धनता उन्मूलन, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय कामयाबी हासिल की गई है, फिर भी अभी काफी कुछ हासिल किया जाना है। सरकार को सिविल सोसाइटी, मीडिया तथा अन्य सहभागियों के साथ मिलकर समाज की पितृसततात्मक मनःस्थिति को बदलने और महिलाओं को शक्ति सम्पन्न बनाने की जरूरत है ताकि वे अपनी क्षमता को समझ सकें और अपने सपनों को साकार कर सकें।

9.2 राष्ट्रीय जनगणना 2011 के अनन्तिम आंकड़ों के अनुसार, 2001-11 स्वाधीन भारत का पहला दशक है जब आबादी की चाल के साथ-साथ गिरती जनन क्षमता ने आबादी की निवल वृद्धि को धीमा किया है। इस तरह, जनसंख्या में हुई निवल वृद्धि (2001-2011 के बीच) पूर्ववर्ती दशक में हुई वृद्धि से 0.86 मिलियन कम रही। वर्तमान में, विश्व के प्रत्येक छः लोगों में लगभग छठा व्यक्ति भारतीय है। प्रत्यक्ष पंजीकरण प्रणाली (एस.आर. एस.) (2013) के आंकड़ों के अनुसार, 1971 से 1981 के दौरान देश की आबादी में 0-14 वर्ष के आयु वर्ग की आबादी का हिस्सा 41.2 प्रतिशत से धीरे-धीरे घटकर 38.1 प्रतिशत रह गया था और 1991 से 2013 के दौरान यह अनुपात 36.3 प्रतिशत से घटकर 28.4 प्रतिशत रह गया है। दूसरी ओर, आर्थिक रूप से सक्रिय आबादी का अनुपात (15 से 59 वर्ष का आयु वर्ग) अथवा भारत का “जनसंख्यकीय लाभांश” 1971 से 1981 के दौरान 53.4 प्रतिशत से बढ़कर 56.3 और 1991 से 2013 के

दौरान 57.7 प्रतिशत से बढ़कर 63.3 प्रतिशत हो गया है। बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं के कारण और जीवन प्रत्याशा में वृद्धि के परिणामस्वरूप वयोवृद्ध आबादी (60 वर्ष से ऊपर) की प्रतिशतता बढ़कर इन्हीं दो अवधियों में क्रमशः 5.3 से बढ़कर 5.7 और 6.0 से बढ़कर 8.3 प्रतिशत हो गई है।

9.3 श्रम शक्ति की यह वृद्धि दर 2021 तक जनसंख्या की वृद्धि दर से अधिक बनी रहेगी। भारतीय श्रम रिपोर्ट (टाइम लीज़ 2007) के अनुसार, 2025 तक श्रम शक्ति में 300 मिलियन युवा शामिल होंगे और अगले तीन वर्षों में विश्व के कुल श्रमिकों में 25 प्रतिशत श्रमिक भारतीय होंगे। जनसंख्या अनुमान दर्शाते हैं कि वर्ष 2020 में भारत में आबादी की औसत आयु विश्व में न्यूनतम होगी, जो चीन और संयुक्त राज्य अमरीका के 37, पश्चिमी यूरोप के 45 और जापान के 48 की तुलना में भारत में न्यूनतम 29 वर्ष होगी। परिणामस्वरूप, जहाँ एक ओर, वैशिक अर्थव्यवस्था

वर्ष 2020 तक लगभग 56 मिलियन युवा आबादी की कमी से ज़ज़ह रही होगी, वहीं दूसरी तरफ भारत अकेला ऐसा राष्ट्र होगा जहां 47 मिलियन की युवा शक्ति अतिरिक्त रूप से उपलब्ध होगी (शिक्षा, कौशल विकास तथा श्रम शक्ति रिपोर्ट, (2013-14) खंड-III श्रम-ब्यूरो, 2014)।

9.4 इसलिए, मुख्य मुद्दा सिर्फ रोजगार मुहैया कराने का ही नहीं है, बल्कि भारत में श्रम शक्ति की रोजगारपरकता को बढ़ाने का भी है। रोजगार-परकता आखिरकार ज्ञान और कौशल पर आश्रित है जिसे स्तरीय शिक्षा और गहन प्रशिक्षण द्वारा अर्जित किया जा सकता है। अतः इस दिशा में समस्या का कोई भी समाधान इन उद्देश्यों को पूरा करने वाली सुव्यवस्थित शिक्षा और प्रशिक्षण व्यवस्था पर ही आधारित होगा। निम्न स्तरीय शिक्षा के कारण निम्न रोजगारपरकता की समस्या इस वजह से और भी गहरी हो जाती है कि बहुत कम विद्यार्थी उच्चतर शिक्षा का विकल्प छुनते हैं।

शैक्षिक चुनौतियां

9.5 हालांकि 2011 के जनगणना आंकड़ों के अनुसार देश में केवल 73 प्रतिशत साक्षरता ही प्राप्त की जा सकी है, महिला साक्षरता में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। 80.9 प्रतिशत की पुरुष साक्षरता की तुलना में 64.6 प्रतिशत पर महिला साक्षरता अभी भी कमतर बनी हुई है, पर पुरुष साक्षरता की 5.6 प्रतिशतांक की वृद्धि दर की तुलना में महिला साक्षरता में 10.9 प्रतिशतांक वृद्धि हुई। भारत में गुणवत्तापरक तथा प्राथमिक शिक्षा तक पहुंच बनाए रखने के लिए बच्चों की निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (आर.टी.ई.) अधिनियम, 2009 केंद्र सरकार द्वारा अप्रैल 2010 में अधिनियमित किया गया था। आर.टी.ई. अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए नामोदिष्ट स्कीम सर्वशिक्षा अभियान (एस.एस.ए.) है। एस.एस.ए. के ढांचे में बदलाव किए गए हैं ताकि शैक्षिक सत्र 2014-15 से गैर सरकारी तथा गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों को कम से कम 25 प्रतिशत कमज़ोर तथा वर्चित वर्ग के बच्चों को दाखिला देने में आए खर्च की भरपाई के लिए दिए जाने वाले मुआवजे को शामिल किया जा सकेगा। डी.आई.एस.ई. (जिला शिक्षा सूचना प्रणाली) के अनुसार 2007-08 और 2013-14 के बीच, प्राथमिक स्कूलों में कुल नामांकन 2011-12 के 134 मिलियन से बढ़कर 137 मिलियन हो गया था और 2013-14 में यह घटकर 132 मिलियन रह गया था जबकि अपर प्राथमिक नामांकन 51 मिलियन से बढ़कर 67 मिलियन हो गया। यह मानव आबादी के बदलते खाके के अनुरूप है। भारत ने नामांकन और वर्द्धित हार्ड और सॉफ्ट शिक्षा संरचना (स्कूलों, अध्यापकों तथा अन्य अकादमिक सहायक स्टाफ) के मानकों को करीब-करीब हासिल कर लिया है।

9.6 तथापि, शिक्षा प्रणाली के समग्र मानक ग्लोबल मानकों से काफी नीचे ही बने हुए हैं; पीसा-(अन्तर्राष्ट्रीय छात्र आकलन कार्यक्रम) -2009 के नतीजों ने तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश को 74 भागीदारों में 72वें तथा 73वें क्रम पर रखा है, जो सिर्फ किर्गिजस्तान से ऊपर है। यह हमारी शिक्षा में व्याप्त अन्तराल को दर्शाता है। पीसा जिसमें 15 वर्ष के आयु वर्ग के ज्ञान और कौशल को उनकी समस्या सुलझाने की क्षमता का आकलन करने के लिए तैयार किए गए प्रश्नों के आधार पर मापा जाता है, ने दोनों राज्यों को रैंक में सबसे नीचे रखा है जिसमें गणित और विज्ञान में प्राप्त अंक ओईसीडी (आर्थिक सहयोग और विकास संगठन) के औसत से भी कहीं कम रहे हैं जबकि शंघाई-चीन का रैंक शीर्ष पर है। इसके बाद सिंगापुर का स्थान आता है। रूसी परिसंघ अड़तीसवें स्थान पर है। “जिन देशों में अनिवार्य स्कूली शिक्षा के समाप्त के नजदीक विद्यार्थी बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं, वे इन विद्यार्थियों द्वारा स्कूल से आगे चलकर युवावस्था में भी अपना अग्रणी स्थान बनाए रखते हैं.... निकृष्ट साक्षरता और अंकगणितीय कौशल के साथ स्कूलों से निकलने वाले युवाओं की कार्यदक्षता में सुधार लाने के लिए माध्यमिक शिक्षा के बाद और प्रशिक्षण प्रणालियों एवं कार्यस्थलों पर भी दखल कार्रवाई करने की पर्याप्त गुंजाइश है।” जाहिर है इसका नीतिगत समाधान यही है कि शिक्षा में इनपुट के बजाए आउटपुट पर जोर दिया जाए और साथ ही गुणवत्तापरक शिक्षा और कौशल विकास अवसंरचना पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित किया जाए (बॉक्स 9.1)। 2012 में भारत ने पीसा में भाग नहीं लिया था।


9.7 एएसईआर (शिक्षा की प्रास्थिति संबंधी वार्षिक रिपोर्ट) के निष्कर्ष वर्ष 2005 से ग्रामीण भारत में 5 से 16 वर्ष के आयु वर्ग में पठन-पाठन के कम स्तरों की जानकारी देते रहे हैं। चिंताजनक बात यह है कि ये आरंभिक स्तर की परीक्षाएं हैं (साधारण 2 अंकीय-आगे ले जाने-घटाव और भाग करने की योग्यता), जिनके बिना स्कूली व्यवस्था में आगे नहीं बढ़ा जा सकता।

9.8 बदलती हुई जनसांख्यिकीय स्थितियों और बच्चों की घटती आबादी के चलते, पिरामिड की बुनियाद पर मानव पूँजी की अपर्याप्तता के कारण मूलभूत कौशलों की राह में मौजूद बड़ा अंतराल भारत के विकास की बड़ी अड़चन बन सकता है। पढ़ने-लिखने और गणितीय दक्षता का एक माहौल बनाने के लिए “पढ़े भारत-बढ़े भारत” नामक पहल एक उत्तम कदम है। तथापि, इस प्रयास की सफलता के लिए यह जरूरी होगा कि इस संबंध में स्थानीय प्रशासन को इस प्रक्रिया में ज्यादा शामिल किया जाए और सबेदनशील बनाया जाए।

बॉक्स 9.1 : स्कूली शिक्षा परिणाम : मानव आबादी के लाभ बटोरने हेतु महत्वपूर्ण अवदान

- i. ए.एस.ई.आर. का एकमात्र सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष यह था कि चाहे सरकारी हो या निजी स्कूल, पूरे देश में पठन-पाठन का स्तर सुधारा नहीं है। (चित्र 9.1)
- ii. स्कूलों में नामांकन के बारे में एक अन्य महत्वपूर्ण निष्कर्ष इस प्रकार हैः— 2005 में निजी स्कूलों में केवल 16 प्रतिशत बच्चों ने दाखिला लिया था, यह प्रतिशत बढ़कर करीब 30 प्रतिशत तक पहुंच गया है। मौजूदा रूझान दर्शाते हैं कि चालू दशक के अंत तक, यह प्रतिशत बढ़कर 50 प्रतिशत हो जाएगा। 2007-08 और 2013-14 के दौरान, सरकारी स्कूलों (प्राइमरी तथा अपर प्राइमरी दोनों) में दाखिला 133.7 मिलियन में 11.7 मिलियन की घटेतरी के साथ 121 मिलियन रह गया था, जबकि निजी स्कूलों में यह दाखिला 27 मिलियन बढ़ा और 51 मिलियन से बढ़ कर 78 मिलियन जा पहुंचा। एक विवादास्पद मुद्दा यह भी है कि क्या सरकारी स्कूलों में शिक्षा का गिरता हुआ स्तर ही इसका कारण है। वहीं विरोधाभासी तौर पर, ग्रामीण इलाकों में यही स्थिति देखी गई है, जहां एस.एस.ए. या अन्य शैक्षिक कार्यक्रमों के जरिए निधियां दी जाती हैं।
- iii. कुल 557 जिलों में 16,497 गांवों में 569,229 ग्रामीण बच्चों के बीच किए गए सर्वेक्षण की मुख्य बातें इस प्रकार हैं:
- **मूल पठन-पाठन स्तर में मामूली सुधारः** कक्षा पांच में पढ़ने वाले बच्चे जो दूसरी कक्षा के स्तर का पाठ पढ़ने में सक्षम थे, इनका प्रतिशत 2013 के 47.0 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2014 में 48.1 प्रतिशत हो गया है।
 - **अंकगणितीय स्तर में गिरावटः** दो अंकों की साधारण घटाव की समस्या का हल करने वाले कक्षा III के बच्चों का प्रतिशत 2013 में 26.1 प्रतिशत था जो घटकर 2014 में 25.3 प्रतिशत रह गया। कक्षा II के वे बच्चे, जो 9 तक के अंक भी नहीं पहचान पाते थे, की संख्या 2009 में 11.3 प्रतिशत थी, जो बढ़कर 2014 में 19.5 प्रतिशत हो गई।
 - **बालिकाओं के लिए शौचालयों की बेहतर व्यवस्थाः** शौचालय (बालिका+बालक) रहित विद्यालयों की प्रतिशतता 2013 के 7.2 प्रतिशत से घटकर 2014 में 6.3 प्रतिशत हो गई है। स्कूलों में बालिकाओं के लिए पृथक (बिना ताला लगे तथा उपयोग के योग्य) शौचालयों की संख्या बढ़ी है। यह 2010 के 32.9 प्रतिशत से बढ़कर 2013 में 53.3 प्रतिशत तथा 2014 में बढ़कर 55.7 प्रतिशत हो गई।
 - **स्कूलों में पुस्तकालयों में वृद्धिः** बिना पुस्तकालय वाले स्कूलों का प्रतिशत 2013 के 22.9 से केवल एक प्रतिशतांक कम होकर 2014 में 21.9 प्रतिशत हो गया।
 - **छात्र-अध्यापक अनुपात का अनुपालनः** छात्र-अध्यापक अनुपात के आर.टी.ई. मानकों का अनुपालन करने वाले स्कूलों का अनुपात 2013 के 45.3 प्रतिशत से बढ़कर 2014 में 49.3 प्रतिशत हो गया है।
 - **पेयजल सुविधाओं में सुधारः** स्वच्छ और पेयजल की सुविधा विहीन स्कूलों का अनुपात 2010 के 17.0 प्रतिशत से घटकर 2013 में 15.2 प्रतिशत रह गया और आगे 2014 में यह घटकर 13.9 प्रतिशत रह गया है लेकिन पीने योग्य स्वच्छ पानी की उपलब्धता वाले स्कूलों का अनुपात 2013 के 73.8 प्रतिशत से केवल मामूली सा सुधार कर 2014 में 75.6 प्रतिशत हो गया है।
 - **ग्रामीण भारत में अवरुद्ध दाखिलाः** पिछले एक वर्ष में 6-14 वर्ष के आयु वर्ग के सभी बच्चों को स्कूल में दाखिला करने का प्रतिशत 96.8 प्रतिशत पर खड़ा है, अर्थात् स्कूलों में दाखिला न लेने वाले बच्चों का प्रतिशत अभी भी 3.3 प्रतिशत है।
 - **निजी स्कूलों में बढ़ता दाखिलाः** निजी स्कूलों में 6-14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों का दाखिला वर्ष 2013 में 29.0 प्रतिशत था जो बढ़कर वर्ष 2014 में 30.8 प्रतिशत हो गया है। निजी स्कूलों में सर्वाधिक बच्चों का दाखिला करने वाले राज्यों में सर्वोपरि केरल हैं, उसके बाद हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब और राजस्थान हैं।
 - **कक्षा-अध्यापक अनुपात (सी.टी.आर.) में गिरावटः** सी.टी.आर. से संबंधित आर.टी.ई. मानक पूरा करने वाले स्कूलों का प्रतिशत 2013 में 73.8 प्रतिशत था जो और घटकर वर्ष 2014 में 72.8 प्रतिशत रह गया।
 - **बच्चों की हाजिरी में गिरावटः** प्राइमरी और अपर प्राइमरी दोनों ही स्तरों पर बच्चों की हाजिरी लगातार घटी है। वर्ष 2009 में, यह प्राइमरी स्कूल में 74.3 और अपर प्राइमरी स्तर में 77 प्रतिशत थी, जबकि वर्ष 2014 में यह प्राइमरी स्कूल में 71.4 प्रतिशत तथा अपर प्राइमरी स्कूल में 71.1 प्रतिशत थी।
 - **अलग-अलग कक्षाओं के लिए एक ही कमराः** वर्ष 2014 में लगभग 63 प्रतिशत स्कूलों में कक्षा-II के छात्र और लगभग 57 प्रतिशत स्कूलों में कक्षा IV के छात्र एक या अधिक कक्षाओं के छात्रों के साथ ही बिठाए जाने की सूचना मिली है; यह प्रतिशत वर्ष दर वर्ष बढ़ रहा है।

चित्र 9.1: कक्षा V के छात्रों की पढ़ने और गणितीय क्षमता एस.ई.आर. 2007-2014 अखिल भारतीय ग्रामीण



स्रोत: शिक्षा की प्रारंभिक संवर्धी वार्षिक रिपोर्ट (ग्रामीण) 2014—अनंतिम परिणाम

9.9 हालांकि आरटीई. अधिनियम और किशोर न्याय अधिनियम, 2000 बच्चों को रोजगार की बजाय शिक्षा में लाने के लिए प्रख्यापित किए गए थे, इन दोनों अधिनियमों के कारण 15-18 वर्ष के आयु वर्ग के युवाओं के हाथ से अवसर निकल जाते हैं। भारत में इस श्रेणी के युवाओं की संख्या 100 मिलियन है। चूंकि अधिकतर व्यावसायिक कौशल कार्यक्रमों में दाखिले के लिए शैक्षिक तथा आयु संबंधी अर्हताएं होती हैं और 18 वर्ष की आयु से पहले इनमें प्रवेश नहीं किया जा सकता, अतः इस आबादी के अधिकांश के असंगठित क्षेत्र में जाने की संभावना हो जाती है। अवसरों के बीच व्याप्त अंतरालों का सम्यक-समाधान करने और असंगठित क्षेत्र में उत्पादक क्षमता में सुधार लाने के लिए ज्ञान अथवा कौशल की किस्मों का शोध किए जाने की जरूरत है।

9.10 इसके साथ ही, प्राथमिक स्कूलों में दाखिला-वृद्धि के समनुरूप, सेकेन्डरी स्कूलों की क्षमता के निर्माण करने के लिए मध्याह्न भोजन (एम.डी.एम.) योजना, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आर.एम.एस.ए.), मॉडल-स्कूल स्कीम (एम.एस.एस.) और साक्षर-भारत (एसबी) प्रौढ़ शिक्षा जैसे कार्यक्रम भी क्रियान्वित किए गए हैं। एस.बी. महिला साक्षरता पर केंद्रित स्कीम है। इसके अलावा, इस क्षेत्र में प्रशिक्षित अध्यापकों का अभाव समस्या को घनीभूत करता है। भावी अध्यापकों को समय रहते करियर का विकल्प मुहैया कराने के लिए, शिक्षक अध्यापकों के संबंध को सुदृढ़ बनाने और शिक्षक-शिक्षण संस्थाओं में अध्यापकों के सभी रिक्त पदों को भरे जाने के लिए चार वर्षीय एक नया समेकित कार्यक्रम, नामतः बी.ए./बी.एड. और बी.एससी/बी.एड. शुरू किया गया है।

9.11 महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों की संख्या के संदर्भ में देखें तो भारतीय उच्चतर शिक्षा प्रणाली विश्व में सबसे बड़ी शिक्षा प्रणालियों में से एक है। 2005-06 में 350 विश्वविद्यालय और 16982 महाविद्यालय थे जो बढ़कर वर्ष 2013-14 में 713 विश्वविद्यालय और 36,739 महाविद्यालय हो गए हैं और तथा डिप्लोमा स्तर के 11,343 संस्थाएं हो गई हैं। आज मांग को आपूर्ति के साथ सुमेलित किए जाने और रोजगार के अवसरों के अनुरूप शिक्षा नीति में सम्यक परिवर्तन लाए जाने की जरूरत है। इसलिए, उच्चतर शिक्षा को भविष्यद्वष्टा होना होगा और ऐसे क्षेत्रों की परिकल्पना करनी होगी जो भविष्य में ज्यादा रोजगार जुटा सकें और तदनुसार, छात्रों को यथोचित पाठ्यक्रम मुहैया करा सकें। उच्चतर शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात (जी.ई.आर.) 2005-06 के लगभग 11.6 प्रतिशत से लगभग दोगुना होते हुए 2012-13 में (अनन्तिम तौर पर) 21.1 प्रतिशत हो गया

अर्थात् 2005-06 के 14.3 मिलियन की तुलना में 2012-13 में 29.6 मिलियन छात्रों ने उच्च शिक्षा में नामांकन करवाया। लेकिन, चूंकि शिक्षा के उच्चतर स्तर पर पहुंचने वाले लोग कुछ ही होते हैं जिसके कारण शिक्षा के उच्चतर स्तर में विशेषतः सेकेन्डरी और अपर प्राइमरी कक्षाओं से ड्रॉपआउट की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है और इसके परिणामस्वरूप पिरामिड की बुनियाद पर नौकरी तलाशने वाले अपेक्षया कम शिक्षित और कम कुशल युवाओं का जमावड़ा जुट जाता है। इस तरह शिक्षित व्यक्तियों की प्रतिशतता शिक्षा के उच्चतर होने के साथ-साथ गिरती जाती है।

रोजगार संबंधी मुद्दे

युवाओं का कौशल विकास

9.12 एक ओर तो कौशल विकास करने और दूसरी ओर उन कौशलों का प्रयोग करने की दोहरी चुनौतियां हैं क्योंकि कौशल का उपयोग न किए जाने का अर्थ है उन्हें गंवा देना। श्रम ब्यूरो रिपोर्ट, 2014 के अनुसार, भारत में औपचारिक तौर पर कुशल कार्यबल का आकार बहुत छोटा-तकरीबन 2 प्रतिशत है; यह संख्या छोटे देशों यथा-दक्षिण कोरिया और जापान से बिल्कुल उलट है जहां रिपोर्ट के अनुसार कुशल कार्यबल क्रमशः 96 तथा 80 प्रतिशत है। प्राप्त सूचना के मुताबिक, अखिल भारतीय स्तर पर 15 वर्ष या इससे अधिक आयु वर्ग के करीब 6.8 प्रतिशत लोग ही हैं जो व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं या प्राप्त कर रहे हैं।

9.13 वर्ष 2013 और 2022 के बीच की अवधि के लिए, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एन.एस.डी.सी.) द्वारा कराए गए अध्ययन के अनुसार, गैर-कृषि क्षेत्रों में 120 मिलियन कार्यकुशल लोगों की जरूरत है। कौशल विकास की मौजूदा क्षमता बिल्कुल अपर्याप्त है और देश की कौशल संबंधी बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए इस क्षमता को शीघ्र बढ़ाने की जरूरत है। भारत के कार्यबल में कमतर कौशल स्तर का कारण देश में औपचारिक व्यावसायिक शिक्षा संरचना का अभाव है जिसके साथ गुणवत्ता के बढ़ते हुए अन्तर, बढ़ते हुए हाई स्कूल ड्रॉपआउट मामलों, अपर्याप्त कौशल प्रशिक्षण क्षमता तथा कौशल विकास को लेकर नकारात्मक धारणाओं एवं “उद्योग हेतु तैयार” कौशलों के अभाव की स्थिति बनी हुई है (श्रम ब्यूरो रिपोर्ट 2014)। उच्चतर तथा व्यावसायिक शिक्षा क्षेत्र में सुलभता, साम्यता, गुणवत्ता, नवोन्मेष आदि को बढ़ाने के उद्देश्य से की गई हालिया पहलकदमियों में राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूस), तकनीकी शिक्षा गुणता सुधार कार्यक्रम (टेक्विप) तथा राष्ट्रीय कौशल शिक्षा संरचना (एन.एस.क्यू.एफ.) आदि प्रमुख हैं।

9.14 इस क्षेत्र पर विशेष ध्यान देने के लिए कौशल विकास, उद्यमिता, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के अधीन एक पृथक कौशल विकास और उद्यमिता विभाग बनाया गया है। इसके अतिरिक्त, घरेलू तथा वैश्विक स्तर की कौशल अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए, ग्रामीण निर्धन युवाओं की क्षमता निर्माण हेतु ग्रामीण युवाओं के कौशल विकास कार्यक्रमों तथा उनकी प्राथमिकताओं को नए सिरे से तैयार किया गया है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) प्लेसमेंट से जुड़ी एक कौशल विकास स्कीम है जो कि विशेष रूप से ग्रामीण युवाओं के लिए ही तैयार की गई है। डीडीयू-जीकेवाई स्कीम के तहत अब तक कुल 51,956 अभ्यर्थियों को कौशल प्रशिक्षण दिया जा चुका है और इनमें से कुल 28,995 प्रशिक्षणार्थी 2014-15 के दौरान नवंबर तक नौकरी पा चुके हैं।

9.15 अल्पसंख्यकों को विकास की मुख्यधारा में शामिल करने के उद्देश्य से शुरू किए गए अन्य नए कार्यक्रमों में “नई मंजिल” – जिनमें स्कूल छोड़ चुके बच्चों की शिक्षा तथा उनका कौशल विकास; अल्पसंख्यक समुदाय के पारम्परिक दस्तकारों व शिल्पकारों की क्षमता का निर्माण और पारम्परिक कलाओं/शिल्प के संरक्षण के लिए “उस्ताद” (विकास हेतु परम्परागत कलाओं तथा शिल्पों में प्रशिक्षण व उनके कौशल स्तर में वृद्धि करना); महिलाओं में नेतृत्व विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए “नई रोशनी” तथा अल्पसंख्यक युवाओं की उद्यमिता विकास की दृष्टि से शुरू किया गया “मानस” शामिल है।

रोजगार की मंद विकास दर

9.16 चिन्ता का एक मुख्य कारण रोजगार की मिश्रित वार्षिक विकास दर (सी.ए.जी.आर.) में गिरावट होना रहा है जो 1999-2000 से 2004-2005 के दौरान के 2.8 प्रतिशत के मुकाबले गिरकर वर्ष 2004-05 से 2011-12 के दौरान 0.5 प्रतिशत रह गई है, जबकि इन्हीं अवधियों में, श्रम-शक्ति में सी.ए.जी.आर. क्रमशः 2.9 प्रतिशत तथा 0.4 प्रतिशत रही थी। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (एन.एस.एस.ओ.) के आंकड़ों के अनुसार, 1999-2000 से 2004-05 के दौरान सामान्य प्रास्थिति आधारित रोजगार (यू.एस.) 398.0 मिलियन व्यक्तियों 59.9 मिलियन से बढ़कर 457.9 मिलियन हो गया, जबकि इसी अवधि में श्रम शक्ति 407.07 मिलियन से 62.0 मिलियन व्यक्ति बढ़कर 469.0 मिलियन हो गई। 2004-05 से 2009-10 के दौरान रोजगार सृजन में धीमी प्रगति की एक अवधि के बाद, 2009-10 से 2011-12 में इसमें इजाफा जरूर हुआ और इस दौरान उपलब्ध कार्यबल में 13.9 मिलियन की वृद्धि हुई। लेकिन यह वृद्धि बढ़ी हुई श्रम शक्ति (14.9 मिलियन व्यक्ति) के अनुरूप नहीं थी

सारणी 9.1 : भारत में रोजगार तथा बेरोजगारी की स्थिति

प्रणाली	1999- 2000	2004- 05	2009- 10	2011- 12
श्रम बल में शामिल व्यक्ति (मिलियन में)				
यू.एस.	407.0	469.0	468.8	483.7
सी.डी.एस.	363.3	417.2	428.9	440.4
नियुक्त व्यक्ति तथा व्यक्ति दिवस (मिलियन में)				
यू.एस.	398.0	457.9	459.0	472.9
सी.डी.एस.	336.9	382.8	400.8	415.7
बेरोजगारी की दर (प्रतिशत में)				
यू.एस.	2.2	2.3	2.0	2.2
सी.डी.एस.	7.3	8.2	6.6	5.6

स्रोत : भारत में रोजगार और बेरोजगारी पर एन.एस.एस.ओ. द्वारा आयोजित कई सर्वेक्षण

टिप्पणी : यू.एस. (प्रधान + अनुषंगी) व्यक्तिशः रोजगार को मापता है, जबकि सी.डी.एस. व्यक्ति-दिवसों को मापता है।

(सारणी 9.1)। मौजूदा दैनिक प्रास्थिति (सी.डी.एस.) के आधार पर, रोजगार में सीएजीआर 1.2 प्रतिशत तथा 2.6 प्रतिशत था, जबकि इन्हीं अवधियों में कार्यबल में सीएजीआर क्रमशः 2.8 तथा 0.8 प्रतिशत रहा था।

9.17 कुछ संरचनागत बदलाव भी हुए हैं: पहली बार, कुल रोजगार में प्राथमिक क्षेत्र की भागीदारी घटकर आधी से कम हो गई है, (2004-05 के 58.5 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2011-12 में 48.9 प्रतिशत), जबकि द्वितीयक तथा तृतीयक क्षेत्रों में रोजगार की हिस्सेदारी 2004-05 में यथा-विद्यमान 18.1 प्रतिशत और 23.4 प्रतिशत से बढ़कर 2011-12 में क्रमशः 24.3 प्रतिशत और 26.8 प्रतिशत हो गई है। स्वरोजगार अभी भी सर्वोपरि बना हुआ है और कुल रोजगार में इसकी हिस्सेदारी 52.2 प्रतिशत है। अहम बात में यह है कि कामगारों का एक अच्छा खासा हिस्सा अभी भी कम आय सृजन वाली गतिविधियों से ही जुड़ा हुआ है।

9.18 ग्रामीण क्षेत्रों में, विशेषकर महिलाओं में रोजगार की अनुपलब्धता जैसे कई प्रमुख और चिन्ताजनक मसले हैं। हालांकि ग्रामीण पुरुषों के रोजगार की स्थिति महिलाओं की स्थिति के अपेक्षया थोड़ी बेहतर है, पर दीर्घकालिक रुझानों से रोजगार में मद और अवरुद्ध स्थिति का पता चलता है। ऐसे रुझानों को देखते हुए, ग्रामीण इलाकों में आजीविका के तरीकों को कृषि-भिन्न करके विविध रूप अपनाए जाने की जरूरत है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत उत्पादक रोजगार सृजन में और अधिक सुधार लाने के लिए, एक गहन और सहभागिता योजना नामक कार्यक्रम (आई.पी.पी.ई.) आरंभ किया गया है जिसमें सहभागी


ग्रामीण मूल्यांकन प्रविधियों का उपयोग करते हुए 2500 चुनिंदा पिछड़े ब्लाकों में वित्त वर्ष 2015-16 हेतु श्रम बजट तैयार किया जाएगा। कृषि तथा अन्य सहायक गतिविधियों पर विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है ताकि किसी भी जिले में कुल निर्माण कार्यों का कम-से-कम 60 प्रतिशत हिस्सा, लागत के संदर्भ में, उत्पादक सम्पदा के सृजन से सम्बद्ध हो और इसे भूमि, जल और वृक्षों के विकास-विस्तार आदि के जरिए कृषि तथा इसके अनुषंगी क्षेत्रों से जोड़ा जा सके।

9.19 भारत में गुणवत्तापरक रोजगार सृजन की रफ्तार में सबसे बड़ी बाधा कुल रोजगार में विनिर्माण क्षेत्र की कम हिस्सेदारी का होना है। हालांकि एन.एस.एस.ओ. के अड़सठवें दौर (2011-12) से प्राप्त आंकड़े दर्शाते हैं कि विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार वृद्धि हुई है जो 2009-10 के 11 प्रतिशत से बढ़कर 2011-12 में 12.6 प्रतिशत हो गई है। यह बात इस वजह से महत्वपूर्ण हो जाती है कि राष्ट्रीय विनिर्माण नीति

बॉक्स-9.2 : भारत में रोजगार पर त्रैमासिक-सर्वेक्षण रिपोर्ट

अप्रैल-जून, 2014 की अवधि के लिए बाईसवां त्रैमासिक त्वरित रोजगार सर्वेक्षण जुलाई, 2014 में आयोजित किया गया था। इसमें जून, 2014 में समाप्त तिमाही में कुल 2200 नमूना इकाइयों को कवर किया गया था। जून 2013 से जून 2014 की अवधि के दौरान, पिछले चार सर्वेक्षणों से प्राप्त नतीजों की तुलना करने पर हम पाते हैं कि आठ चुनिंदा क्षेत्रों में रोजगार में लगभग 0.4 मिलियन का इजाफा हुआ है (चित्र 9.2)। समग्र स्तर पर, मार्च 2014 की तुलना में जून, 2014 को समाप्त तिमाही में 182,000 (लगभग 0.2 मिलियन) नौकरियों की वृद्धि हुई है। उद्योगों के स्तर पर देखें तो, सबसे बड़ी छलांग कपड़ा तथा परिधान क्षेत्र ने मारी है, जहां मार्च 2014 की तुलना में जून 2014 को समाप्त तिमाही में 69,000 नौकरियां बढ़ी हैं, इसके बाद 51,000 नौकरियों वाला आई.टी./बी.पी.ओ. क्षेत्र, 47,000 नौकरियों वाला धातु क्षेत्र, प्रत्येक में 7,000 नौकरियों वाला चमड़ा और मूल्यवान रत्नों एवं आभूषण और 1,000 नौकरियों वाला ऑटोमोबाइल क्षेत्र शामिल हैं।

चित्र 9.2: आठ चुनिंदा क्षेत्रों में रोजगार सृजन (हजार में) (जून 2013 - जून 2014)



2011 ने 2022 तक 100 मिलियन नौकरियों के सृजन का लक्ष्य रखा है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एम.एस.एम.ई.) के विकास को बढ़ावा देना भी नौकरियों के सृजन की दृष्टि, एक दूसरा महत्वपूर्ण घटक है जो कि भारत के विकास एजेंडे का एक अहम स्तम्भ माना गया है। यद्यपि 2004-05 और 2011-12 के बीच कुल औपचारिक रोजगार में 9.5 मिलियन की वृद्धि हुई जो 435.7 मिलियन तक जा पहुंची, महत्वपूर्ण बात यह भी है कि अनौपचारिक असंगठित क्षेत्र में रोजगार 5.8 मिलियन घटेतरी के साथ 390.9 मिलियन रह गया है जिसके परिणामस्वरूप अनौपचारिक असंगठित क्षेत्र में रोजगार में 15.2 मिलियन का इजाफा हुआ है। परिणामस्वरूप, असंगठित श्रम क्षेत्र की हिस्सेदारी कुल रोजगार में 87 प्रतिशत से घटकर 82.7 प्रतिशत रह गई है (सारणी 9.2)

सारणी 9.2 : 2011-12 और 2004-05 में संगठित-असंगठित क्षेत्रों में औपचारिक-अनौपचारिक रोजगार की हिस्सेदारी (प्रतिशत में)

	संगठित	असंगठित	जोड़
औपचारिक	45.4 (52)	0.4 (0.3)	8.1 (7.3)
अनौपचारिक	54.6 (48)	99.6 (99.7)	91.9 (92.7)
कुल	17.3 (13)	82.7 (87)	100

स्रोत : नीति आयोग

टिप्पणी : वर्ष 2004-05 तथा 2011-12 के लिए अनुमानित जनसंख्या के आकलन में 2001 तथा 2011 के बीच जनगणना की विकास दर की दशाविक जनसंख्या वृद्धि दर का उपयोग किया गया है। कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े 2004-05 के हैं।

9.20 एनएसएसओ के दौर पंचवार्षिक होते हैं और इसलिए देश में रोजगार/बेरोजगारी की स्थिति संबंधी सूचना पांच वर्ष के अंतराल पर ही उपलब्ध होती है। बीच की अवधि में आंकड़े उपलब्ध कराने के लिए श्रम व्यूरो वार्षिक आधार पर पारिवारिक रोजगार- बेरोजगारी संबंधी सर्वेक्षण कराता है और यह वर्ष 2009 से भारत के चुनिंदा क्षेत्रों में रोजगार पर आर्थिक मंदी के प्रभावों के बारे में त्रैमासिक सर्वेक्षण रिपोर्ट भी प्रकाशित कर रहा है। रोजगार संबंधी नवीनतम त्रैमासिक सार, जुलाई 2014 के परिणाम (बॉक्स 9.2) पहले सर्वेक्षण के बाद से रोजगार में 3.5 मिलियन की वृद्धि दर्शाते हैं।

9.21 सामान्यतया यू.एस. बेरोजगारी दर को संदर्भाधीन वर्षों में चिरकालिक सामान्य बेरोजगारी को मापने के लिए एक मानक माना जाता है, जबकि सीडीएस चिरकालिक तथा अदृश्य दोनों ही बेरोजगारियों को शामिल करते हुए बेरोजगारी को नापने का एक पैमाना है। इस तरह, हालांकि भारत में चिरकालिक सामान्य बेरोजगारी 2 प्रतिशत की दर पर मंडराती रही है, निरपेक्ष संदर्भों में, यह महत्वपूर्ण बात

है। बेरोजगार लोगों की संख्या (यूएस के अंतर्गत) 2004-05 में 11.3 मिलियन थी जो घटकर 2009-10 में 9.8 मिलियन रह गई किन्तु पुनः बढ़कर 2011-12 में 10.8 मिलियन हो गई। तथापि, सीडीएस संख्या के आधार पर, बेरोजगार व्यक्ति दिवस 2004-05 में 34.3 मिलियन थे जो घटकर 2009-10 में 28.0 मिलियन रह गए और 2011-12 में और घटकर 24.7 मिलियन पर पहुंच गए। इस तरह, चिरकालिक और अदृश्य बेरोजगारी में 2004-05 में 8.2 प्रतिशत के मुकाबले 2011-12 में 5.6 प्रतिशत की

उल्लेखनीय कमी हुई है (सारणी 9.1)। 2009-10 और 2011-12 के बीच रोजगार में सिर्फ मामूली वृद्धि होने के बावजूद बेरोजगारी के इस स्तर में गिरावट का एक कारण बड़े युवा वर्ग का श्रम बाजार में शामिल होने की बजाय शिक्षा के विकल्प का चयन करना हो सकता है। यह उच्चतर शिक्षा में शिक्षा के लिए नामित छात्रों की संख्या में होने वाली वृद्धि से भी झलकता है जो 1990-91 में 4.9 मिलियन से बढ़कर 2012-13 में 29.6 मिलियन (अनंतिम) हो गई थी।

बॉक्स 9.3 : श्रम सुधार उपाय

- (1) प्रशिक्षु अधिनियम 1961 को 18.12.2014 को संशोधित किया गया था ताकि इसे उद्योगों और युवाओं के हित में अनुक्रियाशील बनाया जा सके। प्रशिक्षुओं को नियोजित करने के लिए विनिर्माण क्षेत्र में एम.एस.एम.ई. के समर्थन व सहयोग की दृष्टि से एक प्रशिक्षु प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है। सरकार एम.एस.एम.ई. क्षेत्र के लिए एकल और समान कानून लाने के लिए बृद्धि संकल्प होकर कार्य कर रही है ताकि बड़े पैमाने पर नौकरियों के सृजन के साथ-साथ उद्योगों की उत्पादकता और उनकी क्रियात्मक दक्षता सुनिश्चित की जा सके।
- (2) शिकायतों के यथा समय निवारण और औद्योगिक विकास के अनुरूप वातावरण बनाने की दृष्टि से “श्रम सुविधा पोर्टल” नाम से एक एकीकृत श्रम पोर्टल स्कीम शुरू की गई है। इसकी मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:- (i) ऑनलाइन पंजीकरण करने वाली लगभग 0.7 मिलियन इकाइयों को विशिष्ट श्रम पहचान नम्बर (लिन) आवंटित करना; (ii) उद्योगों द्वारा अलग-अलग 16 रिटर्नों की बजाए स्वतः प्रमाणित, सरलीकृत एकल ऑनलाइन फार्म भरना; (iii) जोखिम-आधारित मानकों के अनुरूप कम्प्युटरीकृत प्रणाली द्वारा पारदर्शी श्रम निरीक्षण स्कीम शुरू करना और श्रम निरीक्षकों द्वारा निरीक्षण के 72 घंटों के भीतर निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करना।
- (3) कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ई.एस.आई.सी.) परियोजना “पंचदीप” के अंतर्गत:

विभिन्न प्रचालनों, विशेषकर नियोक्ता और बीमित व्यक्ति को दी जाने वाली सेवाओं में कार्य दक्षता सुनिश्चित करने के लिए आन्तरिक और बाह्य प्रक्रियाओं का डिजिटाइजेशन। इस पोर्टल में कर्मचारी को अपना मासिक अंशदान फाइल करना, अस्थायी पहचान पत्र बनाना, और ऑनलाइन मासिक अंशदान संबंधी चालान बनाना, सेवाओं की द्रुत और आसान सुपुर्दगी के लिए बीमित व्यक्ति को पहचान कार्ड जारी करना सुसाध्य बनाया गया है। आई.पी.पोर्टल द्वारा कोई भी बीमित व्यक्ति नियोक्ता द्वारा प्रदत्त/देय भुगतानों, उनके पारिवारिक विवरणों, विविध लाभों संबंधी उनकी हकदारी तथा अपने दावों की प्राप्तिक्रिया को जांच सकता है। सेवाओं में इनके समेकन से कारोबार करने में आसानी की सहजता बढ़ेगी और लेन-देन लागत में भी कमी आएगी।

- (4) कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) के अंतर्गत: 42.3 मिलियन ई.पी.एफ. अंशदाताओं को सम्पूर्ण सूचना-ब्यौरे का डिजिटाइजेशन तथा प्रत्येक सदस्य को सार्वभौमिक खाता संख्या (यू.ए.एन.) का आवंटन, जिससे सदस्यों के खातों की सुवाहयता में वृद्धि होगी। यू.ए.एन. को बैंक खातों, आधार कार्ड तथा के.वाई.सी. के अन्य ब्यौरे से जोड़ा जा रहा है ताकि वित्तीय समावेशन को और व्यापक और प्रभावी बनाया जा सके। ई.पी.एफ. खातों की ऑनलाइन सीधी पहुंच से सदस्य न केवल अपने पिछले खाते देख सकेंगे बल्कि इससे उन्हें समेकित करने में भी आसानी होगी। ऑनलाइन पेंशनभौगोली अपने खातों और उनके तहत होने वाले संवितरण ब्लौरों को जांच सकेंगे। कर्मचारी भविष्य निधि तथा प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम के अंतर्गत सांविधिक मजदूरी सीमा को बढ़ाकर 01.09.2014 से 15000/- रुपए प्रतिमाह निश्चित किया गया है। इसी प्रकार 01.09.2014 से कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत न्यूनतम पेंशन राशि 1000/- रुपए नियत की गई है।
- (5) असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए: राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आर.एस.बी.वाई.) असंगठित क्षेत्र कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 के तहत एक योजना है। यह कैशलेस, स्मार्ट कार्ड आधारित स्वास्थ्य बीमा स्कीम है जिसमें असंगठित क्षेत्र में गरीबी रेखा से नीचे रह रहे सभी परिवारों को परिवार फ्लोटर आधार पर 30,000 रुपए प्रति परिवार प्रति वर्ष की बीमा सुरक्षा के साथ-साथ मातृत्व लाभ आदि दिए गए हैं। आर.एस.बी.बाई को चरणबद्ध तरीके से असंगठित क्षेत्र के सभी कामगारों के बीच लागू किए जाने का प्रस्ताव है।
- (6) राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद्-प्रबंधन सूचना प्रणाली (एन.सी.बी.टी.-एम.आई.एस.) पोर्टल लांच किया गया है ताकि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आई.आई.टी.), अप्रेन्टिसिपी स्कीम के कार्यकरण तथा सभी एनसीटीवी प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के आकलन/अधिप्रमाणन को सुप्रवाही बनाया जा सके।
- (7) राष्ट्रीय करियर सर्विस (एन.सी.एस.) मिशन मोड परियोजना के रूप में राष्ट्रीय रोजगार सेवा के रूपांतरण के लिए शुरू की गई है ताकि नौकरियों से संबंधित विविध सेवाओं संबंधी सूचनाओं, यथा नौकरी के इच्छुक आवेदकों और नौकरियों की रिक्तियों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण, कैरियर काउन्सिलिंग, व्यावसायिक मार्गदर्शन और कौशल विकास, इन्टर्नशिप संबंधी सभी सूचनाएं आदि सभी सहूलियतें सबको सुलभ होंगी।

श्रम सुधार


9.22 भारत में औद्योगिक सद्भाव की स्थिति में हुआ अच्छा खासा सुधार इस तथ्य के संदर्भ में देखा जा सकता है कि हड़तालों और तालाबंदी के कारण होने वाली मानव-दिवस की हानि जो 2009 में 17.6 मिलियन थी, घटकर 2011 में 14.46 मिलियन और आगे 2013 में यह संख्या घटकर 3.65 मिलियन (अनन्तिम) तक सीमित रह गई और जनवरी 2014 से 9 दिसंबर 2014 तक यह और अधिक घटकर 1.79 मिलियन (अनन्तिम) रह गई है।

9.23 श्रम कानूनों की बहुलता और उनके अनुपालन में व्याप्त कठिनाइयां ही भारत के औद्योगिक विकास की राह में हमेशा सबसे बड़ी अड़चन मानी गई है। अनुपालन को बनाए रखने और कारोबार करने में आसानी लाने की दृष्टि से, सरकार ने कई श्रम सुधार कानून शुरू किए हैं (बॉक्स-9.3)। इस तरह, श्रम कानूनों को बदलते हुए श्रम बाजार की मांगों के अनुरूप बनाने के लिए श्रम कानूनों में संशोधनों का प्रस्ताव किया गया है। पृथकतः देखें तो राजस्थान सरीखे कई राज्यों ने तीन श्रम कानूनों में कई अहम सुधार किए हैं, ये कानून हैं—औद्योगिक विवाद अधिनियम, फैक्ट्री अधिनियम और संविदा श्रम अधिनियम आदि।

स्वस्थ भारत की ओर

9.24 उल्लेखनीय है कि भारत की कुल जनन क्षमता दर (टी.एफ.आर.) लगातार घट रही है और अब यह 2.3 पर है; हालांकि राज्यवार विषमताएं अभी भी कायम हैं, गिरती हुई यह दर सभी राज्यों में दर्ज की गई है, जोकि आबादी की घटती हुई वृद्धि दर को प्रख्यापित करती है। (चित्र 9.3) में ब्रिक्स राष्ट्रों (ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका में व्याप्त टीएफआर के तुलनात्मक रूझान दिए गए हैं। मातृत्व और शिशु उत्तरजीविता के संबंध में भारत सहस्राब्दि विकास लक्ष्य (एमडीजी) हासिल करने के लिए तैयार है। मातृत्व मृत्यु अनुपात (एमएमआर) हेतु एमडीजी लक्ष्य 1,00,000 प्रति जीवित जन्म 140 है, जबकि भारत ने 2010-12 तक 178 का लक्ष्य प्राप्त कर लिया था और वर्ष 2015 तक मातृत्व मृत्यु दर 141 तक पहुंचने का अनुमान है। 5 वर्ष की आयु से नीचे की मृत्यु दर (यू5एमआर) के मामले में, एमडीजी का लक्ष्य 42 है, जबकि भारत का यू5एमआर 52 है और यह 2015 तक 42 पहुंचने का अनुमान है। यह विशेषकर महत्वपूर्ण है क्योंकि 1990 में भारत का मातृत्व मृत्यु अनुपात (एमएमआर) और यू5एमआर अंतरराष्ट्रीय औसत से क्रमशः 47 प्रतिशत और 40 प्रतिशत अधिक था। तथापि, मृत जन्म और नवजात शिशु मृत्यु की गिरावट दर में सुधार लाने के लिए महत्वपूर्ण

चित्र 9.3: ब्रिक्स राष्ट्रों में टीएफआर



स्रोत : वर्ल्ड फर्टिलिटी डाटा, 2012, यूनाइटेड नेशन्स, इकनामिक एंड सोशल अफेयर्स पापुलेशन डिवीजन, फर्टिलिटी एण्ड फैमिली प्लानिंग सेक्शन;
टिप्पणी : नवीनतम आंकड़ों के लिए संदर्भ वर्ष भिन्न-भिन्न हैं—दक्षिण अफ्रीका के लिए यह 2006, ब्राजील और चीन के लिए 2008, रूसी परिसंघ के लिए 2010 और भारत के लिए जनगणना आंकड़ों से लिया गया वर्ष 2011 है।

प्रयास आवश्यक है जो कुछ राज्यों में कमतर/स्थिर रहे है। हालांकि बेहतर देख-रेख सुलभ होने और सुविधाओं में सुधार के चलते, समग्र मृत्यु दर में गिरावट आ रही है, एसआरएस (2013) की रिपोर्ट बताती है कि मृत्यु के सभी मामलों का महत्वपूर्ण 30 प्रतिशत 0-4 वर्ष की आयु वर्ग में होता है; ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में बालिकाओं के संबंध में यह प्रतिशतता अधिक है।

9.25 जल, स्वच्छता, स्वास्थ्य, पोषण और मानव कल्याण के बीच सीधा संबंध होता है। दूषित पेय जल का उपयोग, मानवीय मल मूत्र का अनुचित निपटान, वैयक्तिक और खाद्य स्वच्छता की कमी और ठोस एवं द्रवीय कचरा का अनुचित निपटान भारत जैसे विकासशील देशों में होने वाले अनेक रोगों के प्रमुख कारण रहे हैं। इस संदर्भ में, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) का शुभारंभ 2 अक्टूबर, 2014 को किया गया जिसका उद्देश्य यह है कि सभी ग्रामीण परिवारों को शौचालय की सुविधाओं की पहुंच उपलब्ध कराकर और स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए सभी ग्राम पंचायतों में ठोस और द्रवीय कचरा प्रबंध क्रियाकलापों की शुरूआत करके 2 अक्टूबर, 2019 तक तक “भारत को खुले में शौच करने की प्रवृत्ति से मुक्त (ओडीएफ)” बना दिया जाए। बाक्स 9.4 में अच्छी परिपाठियों के उदाहरण दिए गए हैं जिन्हें अपनाया जा सकता है। पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई), जमीनी स्तर के कार्यान्वयन-कर्ताओं, प्रमुख संसाधन केन्द्र (केआरसी) के रूप में प्रतिष्ठित संगठनों, स्वयं सहायता समूहों, महिला समूहों सहित बहु एजेंसियों के माध्यम से क्षमता निर्माण प्रयासों के साथ एकजुट होकर; स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास और पंचायती राज जैसे अन्य राज्य विभागों के साथ मिलकर, स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य क्रियाकलापों (आशा) को और आंगनवाड़ी कर्मियों को प्रोत्साहन देने का प्रावधान किया गया है। कारपोरेट सामाजिक दायित्वों के माध्यम से स्वच्छता क्षेत्र में कारपोरेटों को शामिल किए जाने के भी दिशा-निर्देश मौजूद हैं।

9.26 ग्रामीण पेयजल की उपलब्धता में सुधार लाने के लिए, राष्ट्रीय पेय जल कार्यक्रम (एनआरडीब्ल्यूपी) के अंतर्गत सभी राज्यों के लिए उनके दूर-दराज/पर्वतीय इलाकों में अथवा जहां विद्युत उपलब्ध नहीं है, 20,000 सौर ऊर्जा आधारित जलापूर्ति योजनाओं को अनुमोदित किया गया है।

9.27 मिशन इंद्रधनुष नामक का शुभारंभ 25 दिसंबर, 2014 को किया गया है जिसका उद्देश्य वर्ष 2020 तक उन सभी बच्चों को कवर करना है जिन्हें कोई टीका नहीं लगाया गया है अथवा जिन्हें सात टीका निरोध्य रोगों जिनमें डिप्टीरिया,

बॉक्स 9.4 : अच्छी परिपाठियों के उदाहरण

सिहोर जिले में इच्छावाड़ ब्लाक का मुंडला गांव-100 प्रतिशत स्वच्छ ग्राम

फरवरी, 2014 में मुंडला ग्राम में सभी के लिए जल, स्वच्छता और सफाई के वैश्विक अभियान की शुरूआत से पूर्व, गांव में लगभग चार काम चलाऊ शौचालय थे। 2 अक्टूबर, 2014 की स्थिति के अनुसार, इस गांव को खुले में मलोत्सर्ग मुक्त ग्राम (ओडीएफ) घोषित किया गया। ग्रामवासियों के प्रयासों से इसे साफ और 100 प्रतिशत स्वच्छ ग्राम में परिवर्तित कर दिया गया है।

एशिया का सबसे स्वच्छ ग्राम

मेघालय में मोलीनांग एक ऐसा मॉडल है जो यह दिखाता है कि कैसे सामूहिक प्रयास एक गांव को पर्यटन के नक्शे पर ला सकते हैं। इस गांव में 80 परिवार हैं जिनमें से 29 परिवार गरीबी रेखा से नीचे के परिवार हैं। एशिया के सबसे स्वच्छ ग्राम पुरस्कार से नवाजे जाने के नाते इस गांव में पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। ग्रामवासियों ने वृक्षों पर बांस जैसी पर्यावरण अनुकूल सामग्रियों से बने दो ट्री हाऊस भी निर्मित किए जो इस सुन्दर और स्वच्छ ग्राम का शानदार नजारा प्रस्तुत करते हैं और बंगलादेश के उन गांवों का भी विहंगम दृश्य प्रस्तुत करते हैं जो कुछ ही मील की दूरी पर हैं।

स्रोत : पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय

काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, तपेदिक, खसरा और हैपेटाइटिस बी शामिल है, से प्रतिरक्षण हेतु आंशिक रूप से टीके लगाए गए हैं। प्रतिरक्षण कार्यक्रमों की गहन शुरूआत पहले चरण में इस संदर्भ में 201 अधिक महत्व के जिलों में की जाएगी और 2015 में द्वितीय चरण हेतु 297 जिलों को लक्षित किया जाएगा।

9.28 संपूर्ण स्वास्थ्य उपचार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से, पूर्व आयुष (आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी) विभाग को 9 नवंबर, 2014 से पूर्णरूपेण मंत्रलय बना दिया गया है। राष्ट्रीय आयुष मिशन (नाम) का मूलभूत उद्देश्य कम कीमत वाली आयुष सेवाओं और शैक्षिक प्रणालियों के सुदृढ़ीकरण के माध्यम से आयुष चिकित्सा पद्धतियों को बढ़ावा देना है। नियमित शैक्षिक पाठ्यक्रमों में योग को शामिल करने के लिए प्रयास भी किए जा रहे हैं। सितम्बर 2014 में संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में अपने भाषण के दौरान प्रधानमंत्री के आहवान को ध्यान में रखते हुए, संयुक्त राष्ट्र संघ ने यह घोषणा की है कि 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जा सकेगा।

9.29 स्वास्थ्य के अनेकानेक मानकों को देखते हुए, यह स्पष्ट है कि सामाजिक और आर्थिक माहौल पर ध्यान देनेवाले निवारण एजेंडा के लिए, विभिन्न क्षेत्रों में, अनेक

सारणी 9.3 गरीबों की संख्या और प्रतिशत*

वर्ष	गरीबी रेखा (रुपए में)		गरीबों की संख्या (मिलियन)			गरीबी का अनुपात (प्रतिशत)		
	ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण	शहरी	जोड़	ग्रामीण	शहरी	जोड़
2004-05	446.68	578.80	326.3	80.8	407.1	41.8	25.7	37.2
2011-12	816.00	1000.00	216.5	52.8	269.3	25.7	13.7	21.9

स्रोत : नीति आयोग, * तेन्दुलकर पद्धति से अनुमानित

स्तरों पर दखल कार्रवाई करने की जरूरत होगी जिनमें खाद्य और पोषण, शिक्षा, शुद्ध पेयजल और स्वच्छता, आवास, रोजगार, औद्योगिक और व्यावसायिक सुरक्षा, और सामाजिक सुरक्षा, परिवार सामुदायिक सेवाएं, जनजातीय मामले और जन संचार समेत समग्र कल्याण के मुद्दे शामिल हों।

गरीबी

9.30 गरीबी के नवीनतम अनुमान वर्ष 2011-12 हेतु उपलब्ध हैं। इन अनुमानों को तेन्दुलकर समिति की पद्धति का अनुसरण करते हुए तैयार किया गया है जिसमें एनएसएसओ द्वारा अपने अड़सठवें दौर (2011-12) में संकलित परिवार उपभोग व्यव सर्वेक्षण के आंकड़ों का प्रयोग किया गया है। सात वर्षों की अवधि में, गरीबी का विस्तार समग्र देश में 37.2 प्रतिशत से कम होकर 2011-12 में 21.9 प्रतिशत रह गया है और इसमें ग्रामीण निर्धनों की संख्या में अधिक तीव्र गिरावट देखी गई है (सारणी 9.3)।

मानव विकास: अंतरराष्ट्रीय तुलना

9.31 मानव विकास रिपोर्ट 2014 (एच०डी०आर०) तीन मूलभूत मानकों, यथा-स्वास्थ्य और दीर्घजीवन, शिक्षा और ज्ञान तथा समुचित जीवन स्तर जीने के आधार पर, 187 देशों के लिए मूल्यांकन और श्रेणीकरण का एक तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करता है। 2013 में भारत का एच०डी०आई० मूल्यांकन 0.586 रहा है जिसमें 187 देशों और क्षेत्रों में देश का 135वां स्थान रहा। ब्रिक्स देशों में यह सबसे नीचे रहा जिसमें रूस का स्थान 57, ब्राजील का 79, चीन का 91 और दक्षिण अफ्रीका का 118वां स्थान रहा। भारत बंगला देश और पाकिस्तान से थोड़ा ही आगे रहा। महत्वपूर्ण बात यह है कि 2008 और 2013 के बीच चीन ने अपना स्थान दस सीढ़ियां सुधार लिया है जबकि भारत ने सिर्फ एक सीढ़ी का ही सुधार किया (सारणी 9.4)। अतः इस अंतर को पाठने के लिए बहुत कुछ किया जाना शेष है।

सारणी: 9.4: वैश्विक मानव विकास सूचकांक 2013 में भारत का स्थान और प्रवृत्तियां

देश	एचडीआई 2013		रैंक में परिवर्तन		प्रति व्यक्ति	जन्म के समय	ऑसत विद्यालयी वर्ष	प्रत्याशित विद्यालयी वर्ष	आय असमानता			(जीआईआई)
	मूल्य	रैंक	2012-13 की तुलना में	2008 और 2013 के बीच			सकल आय	विद्यालयी वर्ष	विद्यालयी वर्ष	विवरणी	जिनी घातांक	
							2013(\$)	(वर्ष) 2013	(वर्ष) 2012	(वर्ष) 2012	2003-12	
नार्वे	0.944	1	0	0	63,909	81.5	12.6	17.6	...	25.8	0.068	9
संयुक्त रा. अमेरीका	0.914	5	0	-2	52,308	78.9	12.9	16.5	...	40.8	0.262	47
जर्मनी	0.911	6	0	-1	43,049	80.7	12.9	16.3	...	28.3	0.046	3
यू०के०	0.892	14	0	-2	35,002	80.5	12.3	16.2	7.2	36.0	0.193	35
रूसी परिसंघ	0.778	57	0	0	22,617	68.0	11.7	14.0	7.3	40.1	0.314	52
श्रीलंका	0.750	73	2	5	9,250	74.3	10.8	13.6	5.8	36.4	0.383	75
ब्राजील	0.744	79	1	-4	14,275	73.9	7.2	15.2	20.6	54.7	0.441	85
चीन	0.719	91	2	10	11,477	75.3	7.5	12.9	10.1	42.1	0.202	37
दक्षिण अफ्रीका	0.658	118	1	2	11,788	56.9	9.9	13.1	25.3	63.1	0.461	94
भारत	0.586	135	0	1	5,150	66.4	4.4	11.7	5.0	33.9	0.563	127
बंगलादेश	0.558	142	1	2	2,713	70.7	5.1	10.0	4.7	32.1	0.529	115
पाकिस्तान	0.537	146	0	-1	4,652	66.6	4.7	7.7	4.2	30.0	0.563	127
विश्व	0.702	-	-		13,723	70.8	7.7	12.2		0.451	-	

स्रोत : एचडीआर 2014

टिप्पणी: \$: जीएनआई (सकल राष्ट्रीय आय) 2011 डालर क्रय शक्ति समानता (पीपीपी) पर आधारित है।

जीआईआई लैंगिक असमानता सूचकांक है। एल.ई.बी. जन्म के समय जीवन प्रत्याशा है : आंकड़ा 2012 से संबंधित है अथवा हालिया उपलब्ध वर्ष से संबंधित है।

9.32 भारत का मानव विकास सूचकांक मध्यम मानव विकास समूह (0.614) और दक्षिण एशिया (0.588) दोनों के संदर्भ में भी देशों के औसत से कम है। 1980 और 2013 के बीच, भारत की जन्म के समय जीवन प्रत्याशा (एलईबी) में 11.0 वर्ष की वृद्धि हो गई है। औसत स्कूलिंग वर्ष में 2.5 वर्ष की वृद्धि हो गई और प्रत्याशित स्कूलिंग वर्षों में 5.3 वर्ष की वृद्धि हो गई है जबकि प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय में लगभग 306.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। ब्रिक्स राष्ट्रों और कुछेक पड़ोसी देशों के मुकाबले, भारत के औसत स्कूलिंग वर्ष सबसे कम होने की रिपोर्ट मिली है और जन्म के समय जीवन प्रत्याशा दक्षिण अफ्रीका से थोड़ा ही ऊपर रही। बांगलादेश जिसकी भारत के मुकाबले प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय कम है, उसकी जन्म के समय जीवन प्रत्याशा और औसत स्कूलिंग वर्ष कहाँ अधिक हैं। चीन ने, जिसका मानव विकास सूचकांक 1980 में भारत के मुकाबले थोड़ा ही अधिक था, 2013 में वह मार्जिन काफी बढ़ा दिया है। (सारणी 9.5)। भारत और विकसित देशों तथा कई विकासशील देशों के मुकाबले स्वास्थ्य और शिक्षा संकेतकों में मौजूद अंतराल

मूलभूत स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए अत्यधिक तीव्र और व्यापक विस्तार की आवश्यकता को इंगित करता है, जैसा कि चीन और श्रीलंका से यह प्रदर्शित होता है।

9.33 लैंगिक समानता के संदर्भ में, एचडीआर० ने भारत को 0.563 सूचकांक (जीआईआई) के साथ 152 देशों में 127वां स्थान दिया है। 149 देशों के लिए जी०आई०आई० वह सीमा दर्शाता है जहां तक लैंगिक असमानता प्रजनन स्वास्थ्य, अधिकारिता तथा श्रम बाजार में सहभागिता में हासिल उपलब्धियों को क्षय करता है। जी॒०२० देशों में विकासशील देशों के साथ भारत के विकास की तुलना करने पर पता चलता है कि लैंगिक समता की दृष्टि से भारत अपेक्षाकृत कमतर स्थिति में है। एचडीआई० के विपरीत, उच्चतर जी०आई०आई० मूल्य कमतर निष्पादन को दर्शाता है (सारणी 9.6)।

9.34 लैंगिक विकास सूचकांक (जीडीआई) जो पुरुष एचडीआई में प्रति महिला एचडीआई के अनुपात के रूप में परिभाषित है, मानव विकास के तीन मूलभूत आयामों यथा स्वास्थ्य (एलईबी), शिक्षण (बच्चों के लिए प्रत्याशित स्कूलिंग वर्ष और 25 वर्ष और ऊपर के आयु के वयस्कों के

सारणी 9.5 : चुनिंदा देशों का मानव विकास सूचकांक (एचडीआई) संघटक सूचकांक - 2013 और 1980

देश	एचडीआई 2013					एचडीआई 2013				
	जन्म के समय जीवन प्रत्याशा (वर्ष)	प्रत्याशित विद्यालयी वर्ष (वर्ष)	औसत विद्यालयी वर्ष (वर्ष)	प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय (\$)	एचडीआई मूल्य	जन्म के समय जीवन प्रत्याशा (वर्ष)	प्रत्याशित विद्यालयी वर्ष (वर्ष)	औसत विद्यालयी वर्ष (वर्ष)	प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय (\$)	एचडीआई मूल्य
रूसी परिसंघ	68.0	14.0	11.7	22,617	0.778	67.4	12.2	7.1		
श्रीलंका	74.3	13.6	10.8	9,250	0.750	68.2	10.0	7.1	2,475	0.569
ब्राजील	73.9	15.2	7.2	14,275	0.744	62.7	9.9	2.6	9,154	0.545
चीन	75.3	12.9	7.5	11,477	0.719	67.0	8.4	3.7	690	0.423
दक्षिण अफ्रीका	56.9	13.1	9.9	11,788	0.658	56.9	11.1	4.8	9,756	0.569
भारत	66.4	11.7	4.4	5,150	0.586	55.4	6.4	1.9	1,268	0.369
बांगला देश	70.7	10.0	5.1	2,713	0.558	54.9	4.9	2.0	1,021	0.336
पाकिस्तान	66.6	7.7	4.7	4,652	0.537	58.0	3.7	1.8	2,376	0.356

स्रोत : एचडीआर० 2014

टिप्पणी : \$: जीएनआई (सकल राष्ट्रीय आय) 2011 डालर क्रय शक्ति समानता (पीपीपी) पर आधारित है। एलईबी: जन्म के समय जीवन प्रत्याशा है : आंकड़े 2012 से अथवा उपलब्ध नवीनतम वर्ष के आंकड़े हैं।

सारणी 9.6: चुनिंदा देशों के जी०आई०आई० संघटकों का सूचकांक, 2013

देश	लैंगिक समानता सूचकांक		एमएमआर 2010	किशोरी जन्म दर महिला	संसद में सीटों का संख्या	कम से कम सीकेडरी शिक्षा के स्तर पर 25+ साल के वर्ष	कम से कम सीकेडरी शिक्षा के स्तर पर 25+ साल के वर्ष	15+ महिला महिला श्रम बल सहभागिता दर	15+ पुरुष श्रम बल सहभागिता दर
	मूल्य 2013	रैंक 2013	(मूल्य 2010)	(प्रति 2010-2015)	(प्रति हजार 1 लाख जीवित जन्म)	(%)	(%)	(%)	(%)
अर्जन्टीना	0.381	74	77	54.4	37.7	57.0	54.9	47.3	75.0
रूसी परिसंघ	0.314	52	34	25.7	12.1	89.6	92.5	57.0	71.4
ब्राजील	0.441	85	56	70.8	9.6	51.9	49.0	59.5	80.9
चीन	0.202	37	37	8.6	23.4	58.7	71.9	63.8	78.1
इण्डोनेशिया	0.500	103	220	48.3	18.6	39.9	49.2	51.3	84.4
दक्षिण अफ्रीका	0.461	94	300	50.9	41.1	72.7	75.9	44.2	60.0
भारत	0.563	127	200	32.8	10.9	26.6	50.4	28.8	80.9

स्रोत : एचडीआर० 2014

लिए औसत वर्ष); और आर्थिक संसाधनों (अनुमानित प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय) पर नियंत्रण के संदर्भ में लैंगिक असमानताओं को मापता है। देश की रैंकिंग मानव विकास सूचकांक में लैंगिक समानता से पूर्ण विचलन पर आधारित है। लैंगिक विकास सूचकांक की गणना 148 देशों के संदर्भ में की जाती है। भारत में पुरुषों के 0.63 के मुकाबले महिला मानव विकास सूचकांक मूल्य 0.52 है, जिसके परिणामस्वरूप लैंगिक विकास सूचकांक मूल्य 0.828 रहा। इसकी तुलना में, बांगलादेश और चीन का लैंगिक विकास सूचकांक क्रमशः 0.908 और 0.939 रहा है (सारणी 9.7)।

9.35 इस प्रकार, हालांकि भारत एचडीआई में सभी देशों के निम्नतम 25 प्रतिशत में है, तथापि, जीआईआई के संबंध में यह निम्नतम 20 प्रतिशत में है। ये आंकड़े भारत में लैंगिक असमानता के उच्च स्तर को और भारतीय समाज में महिलाओं और लड़कियों की कमतर हैसियत को दर्शाते हैं। भारत, महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभाव और असमानताओं को समाप्त करने के अभिसमय (सी.ई.डी.ए.डब्ल्यू.) का प्रमुख हस्ताक्षरकर्ता देश रहा है। यह अभिसमय महिलाओं के अधिकारों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय अधिकार-पत्र के तौर पर माना जाता है। इसमें महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव को परिभाषित किया गया है और साथ ही, महिलाओं के अधिकारों के हनन को रोकने की दिशा में राष्ट्रीय कार्यक्रम का एजेंडा तय किया गया है। सीईडीएडब्ल्यू का अहम घटक प्रजनन के संबंध में महिला अधिकार पर भरपूर बल देना है जिसमें परिवार नियोजन में महिला की बराबर की हकदारी, बच्चों की संख्या तय करने और उनके बीच वर्षों का अंतर निर्धारित करने का हक भी शामिल है। दुर्भाग्यवश भारत में अवाञ्छित प्रजनन को रोकने के लिए महिलाओं के ऑपरेशन पर बहुत जोर दिया जाता है; अतः 2013-14 में सभी आपरेशनों में महिला बंध्योकरण ऑपरेशन का हिस्सा बहुत अधिक 97.5 प्रतिशत (1980 के दशक के 78.6 प्रतिशत से उछलकर) पर पहुंच गया। यह तथ्य महिला अधिकारिता और लैंगिक समता के हमारे घोषित लक्ष्यों के

खिलाफ जाता है। भारत में गर्भ निरोध के लिए, 75 प्रतिशत महिला बंध्योकरण ऑपरेशन होते हैं। इतनी अधिक दर आज विश्व में किसी भी अन्य देश में नहीं पाई जाती। एकमात्र लैटिन अमरीका ऐसा क्षेत्र है जहां गर्भ निरोधक-उपायों में 40 फीसदी संख्या बंध्योकरण की है।

9.36 चिंता का एक और सबब शिशु लिंग अनुपात में हो रही लगातार गिरावट है, (सी.एस.आर. 0-4 अथवा 0-6 वर्ष आयु वर्ग के प्रति हजार बालकों में बालिकाओं का अनुपात) जो 1961 में 976 था, गिरकर 2011 में 918 हो गया; एस.आर.एस. (2013) रिपोर्ट में 2011-13 के लिए 909 का आंकड़ा दर्शाया गया है। वैश्विक तौर पर, सी.एस.आर. का आकलन प्रति 100 बालिकाओं पर बालकों की संख्या से निकाला जाता है। इसी तरह, एशिया और प्रशांत क्षेत्रों में सी.एस.आर. (0-14 वर्ष के आयु वर्ग में प्रति सौ बालिकाओं में बालकों की संख्या) 2012 में 110 थी जो प्राकृतिक स्थितियों में मान्य लिंग अनुपात (105) से कहीं ज्यादा है। हालांकि चीन का सीएसआर 2010 के 121 से गिरकर 2012 में 117 हो गया, इसी अवधि में भारत का सीएसआर 109 से बढ़कर 111 हो गया। चित्र 9.4 में एशिया के चुनिंदा देशों में 1990 और 2012 के बीच व्याप्त शिशु लिंग अनुपात की प्रवृत्तियों को दर्शाया गया है।

9.37 संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने 1993 में महिलाओं के विरुद्ध हिंसा को इस प्रकार परिभाषित किया था “लैंगिक आधार पर की जाने वाली हिंसा का कोई भी ऐसा कार्य, जिसकी परिणति किसी महिला के शारीरिक, यौन और मनोवैज्ञानिक हानि या उत्पीड़न में होती हो। परिणामस्वरूप, विवाहित/वयस्क महिलाओं के प्रति हिंसा के साथ-साथ बालिका मृत्युदर का अत्यधिक होना, बालिका हत्या और बाल-विवाह भी महिलाओं के प्रति की जाने वाली हिंसा में रखे गए हैं। घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 (पीडब्ल्यूडीवीए) का क्रियान्वयन भी बहुत लचर है क्योंकि उन्नीस राज्यों ने इस बारे में कोई भी योजनाबद्ध स्कीम नहीं बनाई है।

सारणी 9.7 : चुनिंदा देशों में जीडीआई संघटक सूचकांक, 2013


देश	जीडीआई 2013		एचडीआई 2013		जन्म के समय जीवन प्रत्याशा 2013		औसत विद्यालयी वर्ष 2002-2012		प्रत्याशित विद्यालयी वर्ष 2002-2012		प्रत्याशित प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय 2013	
	जीडीआई 2013 का महिला: पुरुष अनुपात	एचडीआई 2013 का महिला: पुरुष अनुपात	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष
श्रीलंका	0.961	66	0.72	0.75	77.4	71.2	10.7	9.4	13.9	13.4	5078	13616
चीन	0.939	88	0.70	0.74	76.7	74.1	6.9	8.2	13.0	12.8	9288	13512
भारत	0.828	132	0.52	0.63	68.3	64.7	3.2	5.6	11.3	11.8	2277	7833
बांगलादेश	0.908	107	0.53	0.58	71.5	69.9	4.6	5.6	10.3	9.7	1928	3480
पाकिस्तान	0.750	145	0.45	0.60	67.5	65.7	3.3	6.1	6.9	8.4	1707	7439

स्रोत : एचडीआर 2014

टिप्पणी ५: जीएनआई (सकल राष्ट्रीय आय) 2011 डालर क्रय शक्ति समानता (पीपीपी) पर आधारित है।

जीआईआई लैंगिक विकास सूचकांक है। एल.ई.बी. जन्म के समय जीवन प्रत्याशा है : आंकड़ा 2012 से संबंधित है अथवा हालिया उपलब्ध वर्ष से संबंधित है।

चित्र 9.4: चुनिंदा एशियाई देशों में शिशु लिंग अनुपात की प्रवृत्तियां



स्रोत : एशिया तथा प्रशांत के लिए सांख्यिकीय वार्षिकी 2013

9.38 बालिकाओं की उत्तरजीविता और संरक्षण तथा उनकी शिक्षा को बढ़ावा देने की दृष्टि से “बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ” (बीबीबीपी) नामक की एक अभिनव स्कीम 22 जनवरी, 2015 को हरियाणा, जिसे कि देश में न्यूनतम शिशु लिंग अनुपात सी.एस.आर०-835 (एस.आर०-एस० 2013) वाले प्रदेश के रूप में जाना जाता है, के पानीपत जिले में शुरू की गई। इसका उद्देश्य लगातार घटाते शिशु लिंग अनुपात के मामले के बारे में लोगों की मनःस्थिति बदलने और इसकी गंभीरता को लेकर जागरूकता पैदा करने के लिए व्यापक अभियान चलाकर इस मसले का समाधान करना है। बीबीबीपी कार्यक्रम का समग्र उद्देश्य शिशु के लिंग का पता लगाकर भ्रूण हत्या रोककर, उत्तरजीविता और भेद-भाव से सुरक्षा तथा बालिका की शिक्षा सुनिश्चित करके बालिका शिशु के जन्म दर खुशियां मनाने और उसे पढ़ने-लिखने की सुविधा मुहैया करना है।

9.39 राज्यों के चुनिंदा सामाजिक आर्थिक विकास संकेतकों की तुलना परिशिष्ट सारणी 9.8 में दी गई है।

समावेशी विकास को प्रोत्साहित करना

9.40 भारतीय विकास योजना का केन्द्र ऐसे कार्यक्रम और नीतियां को तैयार करना रहा है जिनका उद्देश्य समाज के हाशिए पर पहुंच चुके और गरीब वर्गों को मुख्य धारा से

जोड़ना होता है। सरकार सामाजिक और वित्तीय समावेशन के लिए ऐसे कई कार्यक्रमों का कार्यान्वयन करती रही है। लाभों के संवितरण हेतु एक सुव्यवस्थित मार्ग की आवश्यकता होती है जो वित्तीय अधिकारिता प्रदान करें और मॉनीटरिंग को सरल बनाएं तथा स्थानीय निकायों को अधिक जवाबदेह बनाए। 28 अगस्त, 2014 को शुरू की गई प्रधानमंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाई) और रुपे कार्ड, जो भुगतान का एक साधन है, इस संबंध में महत्वपूर्ण योजनाएं हैं। ये दो योजनाएं सहायक स्वरूप की हैं और वित्तीय समावेशन, बीमा की पैठ और डिजिटाइजेशन जैसे बहु-उद्देश्यों को पूरा करने में मदद करेंगी।

9.41 सरकार ने जमीनी अनुभव के आधार पर चल रहे कई कार्यक्रमों को पुनर्संरचित और सुव्यवस्थित किया है ताकि उन्हें आवश्यकता-आधारित बनाया जा सके। इन्हें परिशिष्ट पृष्ठ 141-145 में सूचीबद्ध किया गया है। विभिन्न सामाजिक अवसंरचना और मानव विकास कार्यक्रमों के समन्वित कार्यकरण को सुसाध्य बनाने हेतु, सरकार ने संसद आदर्श ग्राम योजना (एस.एजीवाई) की शुरूआत की है जिसे मौजूदा सरकारी कार्यक्रमों के विलयन और कार्यान्वयन के माध्यम से लागू किया जाएगा। इसके अलावा, वन-बंधु कल्याण योजना का कार्यान्वयन पांचवीं अनुसूची के क्षेत्र वाले दस राज्यों के एक-एक ब्लाक में किया जाएगा।

9.42 समावेशी विकास को प्रोत्साहित करने के लिए कार्यान्वित अनेकानेक योजनाओं को देखते हुए, पंचायती राज

बॉक्स 9.5 : ग्राम पंचायतों और शहरी स्थानीय सरकारों को मजबूत बनाए जाने की आवश्यकता

संविधान का 73वां और 74वां संशोधन भारत में शासन के विकेन्द्रीकरण, योजना और विकास के इतिहास में एक युगांतरकारी घटना थी क्योंकि इसमें देश के संघीय ढांचे में महिलाओं और हाशिए पर रहे तबकों के लोगों के लिए यथोचित गुंजाइश बनाने के साथ-साथ उपयुक्त शक्ति और प्राधिकार देकर पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों को शासन का तीसरा केन्द्र बनाया गया था। पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार) अधिनियम, 1996 जिसे विस्तार अधिनियम भी कहा जाता है, का प्रावधान करके लोकतंत्र का विकेन्द्रकरण पांचवीं अनुसूची के क्षेत्रों में किया गया था, जिससे ग्राम सभा को न केवल एक सुदृढ़ निकाय बनाया गया था बल्कि जल, जंगल और जमीन को भी इसके नियंत्रण में दे दिया गया था। लेकिन इन केन्द्रीय अधिनियमों में पंचायतों और नगर पालिकाओं की शक्तियां स्पष्ट करने की बजाय राज्य सरकार के विवेक पर छोड़ दी गई थीं। इन अधिनियमों का अनुच्छेद 243छ और 243ब में यह प्रावधान किया गया है कि राज्य की विधायिका कानून द्वारा पंचायतों/नगर पालिकाओं के बे अधिकार और शक्तियां प्रदान कर सकती हैं जो उसकी दृष्टि में स्वशासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने के लिए जरूरी हों। ऐसे कानून में, शक्तियों के अन्तरण और पंचायतों/नगर पालिकाओं के दायित्वों हेतु प्रावधान सन्निहित किए जा सकते हैं जो आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय हेतु उन्हें सौंपी जा सकने वाली स्कीमों की योजना-निर्माण और कार्यान्वयन के संदर्भ में निर्धारित शर्तों के अध्यधीन हों। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ, सामाजिक-आर्थिक विकास से संबंधित और संविधान की ग्यारहवीं और बारहवीं अनुसूची में यथानिर्दिष्ट मूलभूत सेवाओं को उपलब्ध कराने वाली योजनाओं और स्कीमों को शामिल किया जा सकता है।

संविधान के 74वें संशोधन से अनुच्छेद 243यद के जरिए राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक जिले में जिला योजना समिति (डीपीसी) का गठन किया जाना जन सहभागिता के साथ विकेन्द्रीकृत योजना की दिशा में एक मील का पत्थर है। ये समितियां जिलों में पंचायतों और नगरपालिकाओं द्वारा तैयार की गई योजनाओं को समेकित करती हैं और समग्र जिले के लिए विकास का खाका तैयार करती हैं। ज्यादातर राज्यों में डीपीसी का गठन हो चुका है। इन पंचायत अधिनियमों का ज्यादातर कार्यान्वयन अर्थात् पंचायतों/शहरी स्थानीय सरकारों के साथ सत्ता साझा करना, राज्य सरकारों पर छोड़ दिया गया है, कई वर्षों से कार्यकलाप, वित्त साधनों और क्रियाविधि के संदर्भ में पंचायतों और शहरी स्थानीय सरकारों का, योजनाएं और सूचीबद्ध विषयों को तैयार करने के संदर्भ में सुदृढ़ीकरण नहीं किया गया है।

इन संशोधन अधिनियमों में सरकारी नारे “विनियमन कम - अभिशासन अधिक” (लेस गवर्नमेंट-मोर गवर्नेंस) का संदेश पहुंचाने का एक सच्चा संवाहक बनने की क्षमता है, यदि सभी राज्य सरकारों में इसे अपनाने के लिए आम सहमति का एक माहौल बनाया जाए। पंचायत/नगर पालिका केंद्रित कार्यक्रमों के परिव्ययों को परिणामों में परिवर्तित करने के लिए इन संस्थाओं को पर्याप्त रूपेण जागरूक, उत्तरदायी और जिम्मेदार बनाना होगा जो इन कार्यक्रमों को आम आदीपी के साथ बेहतर ढंग से जोड़ने में भी समर्थ बनाएगा। पंचायतों/नगर पालिकाओं को चरणबद्ध तरीके से प्रकार्यों, वित्तसाधनों और कार्यकर्ताओं के संबंध में शक्तियों का वृहत्तर अंतरण दिए जाने की आवश्यकता है। अधिकार वित्तसाधनों को विकेन्द्रीकृत करने के लिए जागरूकता फैलाने और क्षमता निर्माण हेतु निर्धारित निधियां होती हैं। सभी मंत्रालयों में इस निधियों को पंचायती राज मंत्रालय और शहरी विकास मंत्रालय के अंतर्गत एक साथ पूल किए जाने की आवश्यकता है ताकि पंचायतों के अवसंरचना और क्षमता निर्माण कार्यक्रम अनवरत और नियमित प्रक्रिया का रूप ले सकें। इससे पंचायतों/नगर पालिकाओं को न केवल अपनी भूमिका और अधिकारों बल्कि अपनी जिम्मेदारियों को भी समझने में मदद मिलेगी और विकेन्द्रीकृत स्तर पर शासन में गुणात्मक सुधार लाने के लिए जबाबदेह बन पाएंगे। सरकार द्वारा दिए जाने वाली ऐसी सहूलियतें पंचायतों/नगर पालिकाओं को सकारात्मक और गतिशील संस्था बना देंगी और उन्हें भागीदारी योजना, कार्यान्वयन, निष्पादन, मॉनीटीरिंग और पर्यवेक्षण में उनकी परिकल्पित भूमिका का निष्पादन करने में समर्थ बनाएंगी। इसके अलावा, स्वच्छ भारत मिशन सहित सभी पंचायत/नगर पालिका केंद्रित कार्यक्रमों का सामाजिक परीक्षण संभव हो पाएगा।

संस्थाओं और शहरी स्थानीय सरकारों की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है (बॉक्स 9.5)।

मानव आबादी के लाभ और संबंधित नीतिगत दख़ल कार्रवाई

9.43 0-14 वर्ष के आयु वर्ग में गिरती जनसंख्या का प्रभाव बुनियादी शिक्षा (5-14 वर्ष की आयु) और उच्चतर शिक्षा (15-29 आयु) दोनों पर पड़ेगा। बुनियादी शिक्षा को आगे प्राथमिक शिक्षा (5-9 वर्ष की आयु), माध्यमिक/अपर प्राथमिक (10-14 वर्ष की आयु) में उप-विभाजित किया

जा सकता है। प्रभाव का पहला चरण प्राथमिक विद्यालयों में घटते दाखिलों से पता चलेगा। जैसेकि पहले कहा जा चुका है कि 2013-14 में प्राइमरी स्कूलों में कुल दाखिला कम हुआ है जबकि अपर प्राइमरी में दाखिले का प्रतिशत बढ़ा है। भारत का निर्भरता अनुपात जो 2010 में 54 प्रतिशत था, घटकर वर्ष 2020 में 49 प्रतिशत होने का अनुमान है। इस आधार पर, अंतर-राज्यीय असमानता को देखते हुए, जो राज्य इन स्थितियों का पहले से ही सामना कर रहे हैं, उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में विशेष नीतिगत उपाय करने की आवश्यकता होगी, जिनमें प्राथमिक विद्यालयों की संख्या बढ़ाने की बजाय, इन बातों पर केंद्रित किया जाए (i) सीनियर विद्यार्थियों की

उच्च ड्रॉपआउट दरों पर विचार करते हुए, शिक्षा सुलभता में सुधार करना; (ii) लैंगिक असमानता को दूर करना खासकर उच्च आयु वर्ग और ग्रामीण क्षेत्रों में और (iii) शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना विशेषतया गिरते पठन-पाठन स्तरों की दृष्टि से छात्र-शिक्षक अनुपात में सुधार और विद्यालयों में सुविधाओं का प्रावधान करना भी शामिल है।

9.44 विभिन्न राज्यों के बीच जनसांख्यिकीय संक्रमण में व्याप्त अंतराल, मानव आबादी के अधिकतम लाभ बटोरने के लिए प्रत्येक राज्य को अपनी आवश्यकतानुसार नीतियां बनाना आवश्यक कर देता है। पिछले दो दशकों के दौरान, दक्षिण भारत में जनन क्षमता में काफी अधिक गिरावट हो जाने के कारण, दक्षिण भारत, उत्तर भारत के मुकाबले, जनसांख्यिकीय संक्रमण में आगे हैं, इसके परिणामतः उत्तर के राज्यों की तुलना में दक्षिण के राज्यों में रास्ते पहले ही खुले हैं। उदाहरणार्थ, वर्ष 2020 में जनसंख्या की अनुमानित औसत आयु जो 29 वर्ष मानी गई है, की तुलना में केरल (औसत आयु 33 वर्ष), गोवा (32.3), तमिलनाडु (31.3); हिमाचल

प्रदेश (30.4), पंजाब (29.9), आंध्र प्रदेश (29.3) और पश्चिम बंगाल (29.1) जैसे कुछेक राज्य इससे आगे जा चुके हैं। सबसे कम और सबसे अधिक औसत आयु वाले पांच-पांच राज्यों की तुलना चित्र 9.5 में दिखाई गई है।


9.45 भारत में राज्यों के बीच जनसांख्यिकीय संक्रमण-में व्याप्त यह अंतराल गिरती जनसंख्या की समस्या से निपटने के लिए एक बड़ा वरदान साबित हो सकता है। इस संबंध में भारत अधिकतर देशों के मुकाबले बेहतर स्थिति में है। इस प्रकार, वे राज्य जो पहले से ही जनसांख्यिकीय लाभ की स्थिति में हैं, उन्हें पहले से बढ़ते हुए श्रम बल के लिए रोजगार सृजन की नीतियों का सक्रिय रूप से अनुसरण करना चाहिए, जबकि वे राज्य जो अभी इस स्थिति में प्रवेश कर रहे हैं, उनके पास योजना बनाने का कुछ समय है और उन्हें अब से शिक्षा, स्वास्थ्य (प्रजनन स्वास्थ्य सहित) लिंग आधारित विषयों और रोजगार सृजन जैसे कई क्षेत्रों में एक साथ नीतियों का अनुसरण करना होगा ताकि वे इस अवसर का भरपूर लाभ उठा सकें।

भारत के सामाजिक क्षेत्र में हुए व्यय की प्रवृत्तियां

9.46 कुल व्यय के अनुपात के रूप में सामान्य सरकार (केंद्र और राज्यों) द्वारा सामाजिक सेवाओं पर किए गए व्यय पर भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़े भी मिश्रित रूझान भी दर्शाते रहे हैं। यह 2010-11 के 24 प्रतिशत से गिरकर 2012-13 में 22 प्रतिशत हो गया था लेकिन बढ़कर 2013-14 (संअनु०) में 24.1 प्रतिशत हो गया और फिर से गिरकर 2014-15 (ब०अनु०) में 22.3 प्रतिशत पर आ गया। सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में, सामाजिक सेवाओं पर व्यय 2009-10 के 6.9 प्रतिशत से गिरकर 2014-15 (ब०अनु०) में 6.7 प्रतिशत रह गया, जब शिक्षा पर व्यय 3.0 प्रतिशत से बढ़कर 3.1 प्रतिशत तथा स्वास्थ्य पर व्यय 1.4 प्रतिशत घटकर 1.2 प्रतिशत रह गया। सामान्य सरकार (केंद्र+राज्यों) द्वारा सामाजिक क्षेत्र पर किए गए सम्पूर्ण व्यय में लगातार वृद्धि जारी रही, यहां तक कि 2008-09 के वैशिक संकट में भी और 2011-12 में यूरो क्षेत्र संकट के समय भी। यह व्यय 2008-09 के दौरान ₹ 3,80,628 करोड़ रहा और बढ़कर 2011-12 में ₹ 5,80,868 करोड़ हो गया तथा और बढ़कर 2014-15 के दौरान ₹ 8,68,476 करोड़ (ब०अनु०) हो गया। (परिशिष्ट सारणी 9.9)।

9.47 भारत में स्वास्थ्य संबंधी देखभाल पर किया जाने वाला सरकारी व्यय सकल घरेलू उत्पाद का केवल 1.2 प्रतिशत है जो कुल सरकारी व्यय का लगभग 4 प्रतिशत है और यह कुल स्वास्थ्य व्यय के 30 प्रतिशत से कम है।

चित्र 9.5: भारत में शीर्ष 5 नए और पुराने राज्यों में औसत आयु की तुलना 2001 और 2011



स्रोत : जनगणना 2001 और 2011 पर आधारित

जनस्वास्थ्य पर किए जाने वाले व्यय का न्यूनतम स्तर प्राप्त न कर पाना स्वास्थ्य संबंधी वांछित परिणाम प्राप्त करने में एकमात्र सबसे महत्वपूर्ण बाधा रही है। हालांकि यह जरूरी है कि तेजी से बढ़ते निजी क्षेत्र के विकास और क्षमता को स्वीकारा जाए, फिर भी अन्तरराष्ट्रीय अनुभव यह दर्शाते हैं कि स्वास्थ्य संबंध परिणाम और वित्तीय संरक्षण जन स्वास्थ्य पर किए जाने वाले व्यय के निरपेक्ष और सापेक्ष स्तरों से घनिष्ठ रूप से जुड़े हैं।

निष्कर्ष

9.48 चूंकि महिलाएं भारत की आबादी का लगभग 48 प्रतिशत (जनगणना 2011) हिस्सा है, इसलिए यह जरूरी है कि सामाजिक-आर्थिक माहौल में उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जाए और उन्हें सुरक्षा प्रदान की जाए। इसके लिए आबादी के बड़े हिस्से की पितृसत्तात्मक सोच में बदलाव लाने की आवश्यकता है और सरकार को उपयुक्त नीतियां अपनाकर यह बदलाव लाने में सक्रिय भूमिका निभानी होगी। “झूँग बिजनेस” रैंकिंग में शीर्ष 50 देशों की श्रेणी में शामिल होना भारत का लक्ष्य है; साथ ही इसे मानव विकास सूचकांक (एचडीआई) और लैंगिक असमानता सूचकांक (जीआईआई) के शीर्ष 50

देशों की श्रेणी में शामिल होने का भी प्रयास करना चाहिए। शिक्षा का निम्न स्तर और कौशल में कमी अधिकांश कार्यबल के निम्न आय स्तरों के लिए उत्तरदायी है, जिससे लोगों के बीच असमानता पनपती रही है। परिणामस्वरूप, सरकार द्वारा कौशल विकास पर जोर देना और साथ ही ‘मेक इन इंडिया’ ऐसे प्रयास हैं जिनका उद्देश्य रोजगारपरकता में सुधार लाना और रोजगार के अवसरों का सृजन करना है। चूंकि जनसांख्यिकीय भविष्यवाणियां यह चेतावनी देती हैं कि मानव आबादी के लाभ का यह आश्वासन बहुत समय तक, और किसी भी हालत में 2050 से आगे नहीं चलेगा, इसलिए भारत के लिए जरूरी है कि अगले दो दशकों में इस जनसांख्यिकीय अवसर का लाभ उठाए। देश के समक्ष अब चुनौती इस बात की है कि वह अपने जनसांख्यिकीय “बोझ” को विकास के अधिक अवसरों में बदलने के लिए योजना बनाए और इस दिशा में कार्य करे। ऐसा जनशक्ति के स्तर को, घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों प्रकार के नियोक्ताओं (कृषि से इतर, उद्योग और सेवा-क्षेत्र) की ज़रूरतों से जोड़ कर किया जा सके। समय की मांग है कि इन सपनों को साकार करने के लिए, पंचायती राज संस्थाओं/शहरी स्थानीय निकायों को परिवर्तन के अग्रहूत के रूप में इस्तेमाल करके “जमीनी स्तर से विकास करने” का रास्ता अपनाया जाए।